राजभाषा भारती

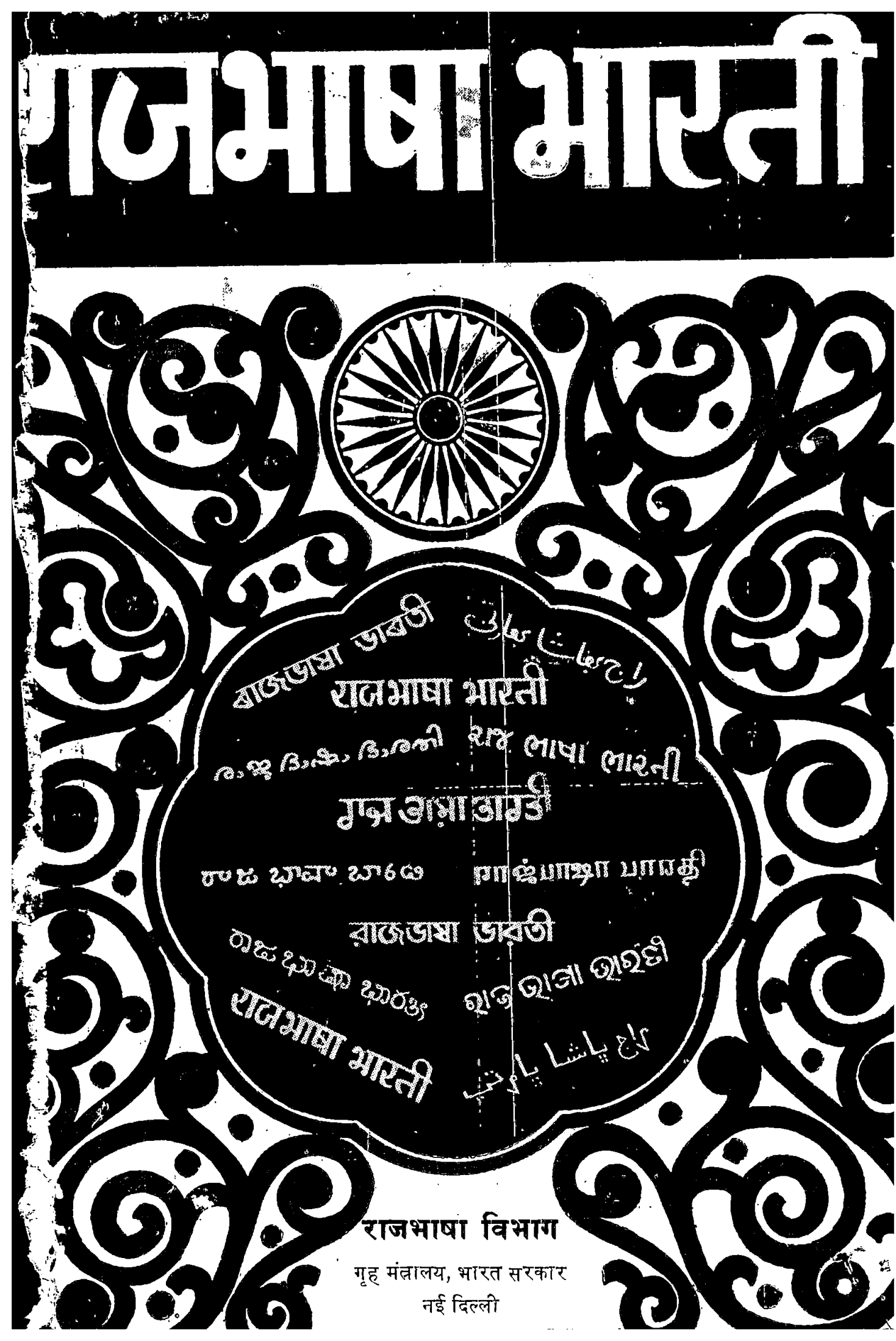

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजनीतिक नेता, लेखक, कवि और प्रशासक श्री पी० नरसिंहराव ने 19 जुलाई, 1984 को भारत सरकार के गृह मंत्री का पदभार संभाल लिया है।

श्री राव का जन्म आंन्ध्र प्रदेश के करीमनगर के एक कृषक परिवार में 28 जून, 1921 को हुआ था। आपने उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय तथा नागपुर विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा बी० एस० सी० और एल० एल० बी० की उपाधियां अर्जित कीं।

आन्ध्र प्रदेश के राजनैतिक जीवन में श्री राव लगभग 30 वर्ष से भी अधिक समय तक सक्रिय रहे। इस दौरान 1957 से 1977 तक आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा के सदस्य रहे और 1962 से 1971 तक आन्ध्र प्रदेश में मंत्री के रूप में कार्य किया। 1971 से 1973 तक वे आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे। मार्च 1977 में वे भारत के लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक भारत सरकार के सफल विदेश मंत्री के रूप में आपने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की।

श्री नरसिंहराव का हिंदी के प्रचार और प्रसार से घनिष्ठ संबंध रहा है। 1972 में वे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास के उपाध्यक्ष थे। श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास "वेई पदगुलू" का हिंदी में "सहस्रफ" नाम से अनुवाद बहुचर्चित रहा जो कि हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में उनकी अमूल्य देन है। इसी प्रकार श्री हरी नारायण आप्टे का प्रसिद्ध उपन्यास "पन लक्षत कौन घेटो" का तेलुगु भाषा में "अबला जीवनतम" के नाम से अनुवाद भी बहुचर्चित रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजनों में श्री राव के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

63 वर्षीय अत्यन्त सरल, सौम्य व्यक्ति श्री नरसिंहराव जहां भी रहे हैं वहां अपनी अमिट छवि छोड़ी। हमें विश्वास है कि देश एवं विदेश के व्यापक अनुभव से "राजभाषा भारती" को समुचित संरक्षण मिलता रहेगा और हमारा वह प्रयत्न होगा कि "राजभाषा भारती" उनकी आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप प्रकाशित होती रहे।

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

जुलाई—सितम्बर, 1984 वर्ष 7, अंक : 26

संपादक
राजेन्द्र कुशवाहा

उप संपादक
जयपाल सिंह

त्र व्यवहार का पता :
पादक, राजभाषा भारती,
जभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
कनायक भवन (प्रथम तल),
न मार्केट, नई दिल्ली–110003

*

ोन : 698617/617807

त्रिका में प्रकाशित लेखों को व्यक्ति से राजभाषा विभाग का मत होना अनिवार्य नहीं है।

*

निःशुल्क वितरण के लिए)

विषय-सूची

			पृष्ठ
	कुछ अपनी—कुछ आपकी		3–4
1.	कम्प्यूटर टेक्नालॉजी और भारतीय भाषाएं	डॉ० एम० एस० संजीवी राव उप मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग	8
2.	तकनीकी हिन्दी का विकास : एक रूपरेखा	डॉ० ओम विकास	10
3.	हिन्दी की वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में प्रगति	हरिबाबू कंसल	23
4.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग	डॉ० मुकुलचन्द पाण्डेय	30
5.	कृषि विज्ञान और हिन्दी	बृजलाल उनियाल	33
6.	हिन्दी की विभिन्न क्षेत्रों—विशेषत: तकनीकी क्षेत्रों—में उपलब्धि	डॉ० महेशचन्द्र गुप्ता	36
7.	विज्ञान–प्रौद्योगिकी की वाहिका हिन्दी कुछ प्रयोग और अनुभव	डॉ० नटवर दवे	38
8.	हिन्दी विज्ञान पत्रकारिता के नए आयाम	डॉ० मुकुलचन्द पाण्डेय	42
9.	अनुवाद–प्रविधि के दौरान भाषिक समन्वय	डॉ० एन०ई० विश्वनाथ अय्यर	44
10.	बिहार में राजभाषा हिन्दी : विकास के नए आयाम	सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर	48
11.	राजभाषा का स्वरूप और विकास भाग–2	डॉ० कलास चन्द्र भाटिया	51
12.	महाराष्ट्र में उपलब्ध हिन्दी गद्य के प्राचीनतम नमूने चित्रगुप्त की खबर में हिन्दी गद्य	डॉ० प्रभात	60
13.	पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में	देवकीनन्दन खत्री मदनमोहन मालवीय	64
14.	समिति समाचार—		68
	(1) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक		
	(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं महासागर विकास विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति की संयुक्त बैठक		
	(3) जयपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त बैठक		
	(4) भावनगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक		
	(5) वालतेरू नगर राजभाषा का कार्यान्वयन समिति की बैठक		
15.	राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण—		78
	(1) हिन्दी में श्रेष्ठ विधि-पुस्तकें पुरस्कृत		78
	(2) खान विभाग में हिन्दी का बढ़ता प्रयोग		80
	(3) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में हिन्दी		81
	(4) आयुध निर्माणी बरनगांव में राजभाषा हिन्दी		82
	(5) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबन्धकों की गोष्ठी		84
	(6) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सम्मेलन और राजभाषा हिन्दी		84
	(7) दरीबा माइन्स उदयपुर में राजभाषा गोष्ठी		86

(8) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमि० "पायनियर हाउस" सीमाजीगुडा, हैदराबाद में हिन्दी सम्मेलन 87
(9) मौसम विज्ञान अपर महानिदेशक (अनुसंधान), पुणे के कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला 89
(10) 'कलिका' के विशेषांक का विमोचन 89
16. विविधा —
1. अण्डमान-निकोबार में हिन्दी 90
2. रांची में राजभाषा पखवारा का आयोजन 90
3. हैदराबाद में राजभाषा प्रदर्शनी 91
4. नागपुर के राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी कार्यान्वयन की बैठक 91
5. बैंक ऑफ इंडिया में अन्तर-बैंक हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता 91
6. आयुध निर्माणी वरनगांव में पंचम अखिल भारतीय हिन्दी कवि सम्मेलन का आयोजन 91
7. पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल में हिन्दी में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए रेल कर्मचारी पुरस्कृत 92
8. बालतेरु मंडल में हिन्दी सप्ताह का आयोजन 92
9. बिलासपुर रेल मंडल में हिन्दी सप्ताह का आयोजन 93
10. आयकर आयुक्त, रोहतक, हरियाणा में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन 93
11. भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान में हिन्दी समारोह 94
12. उत्तरी सर्कल, भारतीय सर्वेक्षण, विभाग देहरादून का वार्षिक हिन्दी समारोह 9
13. ओब्जर्वेशन सर्किट पर "हिन्दी मनीषी" 97
17. आदेश–अनुदेश 100
सांख्यिकी विभाग के कार्यालयों के हिन्दी नामों के लिए रोमन-लिपि का प्रयोग

कुछ अपनी

राजभाषा भारती के 25वें अंक के इसी स्तंभ में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राजभाषा भारती साहित्यिक पत्रिका नहीं अपितु इसका उद्देश्य है संघ सरकार के काम-काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों तथा राजभाषा के संबंध में संवैधानिक और कानूनी स्थिति के बारे में लोगों को आवश्यक जानकारी देना। राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में एक समस्या बराबर सामने आ रही है और वह है मंत्रालयों/विभागों तथा उपक्रमों आदि के कार्य को तकनीकी कार्य बताकर राजभाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम का समुचित कार्यान्वयन न किया जाना। यहां यह प्रश्न उठता है कि "तकनीकी" है क्या? चेम्बर्स-टेक्नीकल डिक्शनरी की भूमिका में तकनीकी शब्द की इस प्रकार से व्याख्या की गई है—

What may be asked in a techanical term ? It may be defined as a word or expression which has a special significance and value to a person learned or dextrous in a branch of knowledge relating to some particular human activity or to some particular aspect of human nature.

"यह प्रश्न किया जा सकता है कि तकनीकी शब्द क्या है? तकनीकी शब्द "वह शब्द या अभिव्यक्ति है जो मानव की विशिष्ट गतिविधियों या प्रगति के विशेष पहलू से संबंधित ज्ञान की शाखा के विद्वान या कुशल व्यक्ति के लिए विशेष महत्व का हो या मूल्यवान हो" यदि इस परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उपक्रमों आदि के कार्य पर विचार करें तो सभी के कार्य "तकनीकी" परिधि में आ जाते हैं और फिर संविधान की पावनता तथा राजभाषा अधिनियम की अनिवार्यता का कोई महत्व ही नहीं रहता। कुछ ऐसी तकनीकी संस्थायें भी हैं जो राजभाषा का बहुत अंशों तक सफल कार्यान्वयन कर रही हैं। अब राजभाषा हिन्दी स्वयं अपने में इतनी समर्थ हो चुकी है कि इसकी प्रगति को "तकनीकी शब्दावली" का वृत सीमित नहीं कर सकता। यह तथ्य श्री हरि बाबू कंसल, डा. महेश चन्द्र गुप्त, डा. नटवर देव तथा बृजलाल उनियाल आदि के लेखों से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त डा. ओम विकास का "तकनीकी हिन्दी का विकास—एक रूपरेखा" लेख जागरूक पाठकों के लिए चिंतन की पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करेगा। डा. विकास ने अपने इस लेख में तकनीकी हिन्दी के विकास के लिए अनेक योजनायें सुझायी हैं और अपने लेख के परिशिष्ट में उन विश्वविद्यालयों की सूची भी दी है जहां बी.एस.सी. एम.एस.सी. की पढ़ाई के लिए माध्यम हिन्दी है। डा. कैलास चन्द्रभाटिया का लेख "राजभाषा का स्वरूप और विकास" का दूसरा भाग भी इसी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इस भाग में राष्ट्रपति के 1952 के आदेश से लेकर अधुनातम जानकारी देते हुए राजभाषा का स्वरूप और विकास का समापन किया गया है।

इस अंक में डा. प्रभात का शोधात्मक लेख "महाराष्ट्र में उपलब्ध हिन्दी गद्य के प्राचीनतम नमूने चित्रगुप्त की बखर में 'हिन्दी गद्य' प्रकाशित किया जा रहा है जिससे पाठकों को महाराष्ट्र में हिन्दी के प्रसार और प्रचार की पुरातन परंपरा की जानकारी मिलेगी।

25वें अंक में एक नया स्तंभ "पुरानी यादें नये परिप्रेक्ष्य में" प्रारंभ किया गया था जिसके अंतर्गत स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का 1949 का महत्वपूर्ण लेख तथा डा. विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा 1963 में बम्बई हिन्दी विद्यापीठ रजत जयंती के अवसर पर दिया गया महत्वपूर्ण भाषण प्रकाशित किये गये थे। इससे हमारा मनोबल बढ़ा है कि यह स्थायी स्तंभ पाठकों द्वारा सराहा गया है। इसी परंपरा में अब प्रस्तुत अंक में 29 मार्च, 1918 को इंदौर में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 8वें अधिवेशन के अवसर पर उक्त सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी को लिखा गया पंडित मदन मोहन मालवीय जी का पत्र गांधी जी की टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें जो मुद्दे उठाये गये थे वे आज भी महत्वपूर्ण हैं। इसी स्तंभ में देवकीनन्दन खत्री (1861-1913) का लोकप्रिय और चर्चित उपन्यास "चन्द्रकान्ता संतति" की भूमिका का कुछ अंश भी प्रकाशित किया जा रहा है जो व्यावहारिक हिन्दी के लिए आज भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आशा है इससे राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित व्यक्तियों को विचार के लिए पर्याप्त सामग्री मिलेगी।

'हिन्दी के बढ़ते चरण' और 'विविधा' स्तंभों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों में हो रही हिन्दी की प्रगति की एक सुखद झांकी मिलेगी। इस अंक के विषय में पाठकों की सम्मति और आगामी अंकों के लिये सुझावों का स्वागत है। ●

कुछ आपकी

"राजभाषा भारती" का 24वां अंक मिला। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि इस अंक के माध्यम से निश्चय ही पाठकों की राष्ट्रभाषा के प्रयोग की प्रेरणा एवं हिन्दी साहित्य के संबंध में विशद् जानकारी प्राप्त होगी।

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में लिए गए निर्णयों एवं वक्ताओं द्वारा व्यक्त विचारों के समावेश से अंक की उपयोगिता और बढ़ गई है।

—वासदेव सिंह,
मंत्री, मद्य निषेध एवं
आबकारी, उ. प्र.

●

"राजभाषा भारती" के अंक 24 की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। राजभाषा भारती के पिछले अंकों में राजभाषा के विस्तार, महत्व और विकास की दिशाओं के संबंध में जो जानकारी प्रस्तुत की गई है, वह न केवल जनसाधारण के लिए बल्कि राज्यों के राजभाषा विभागों के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पत्रिका में प्रेरित और संबोधन वाक्य लोक सेवकों के उत्साह को बढ़ाते हैं। इसके उपयोगी लेख राजभाषा के महत्व की छाप जनमानस पर अंकित करने के साथ ही हिन्दी की गौरव-गरिमा का भी दर्शन कराते हैं। 'विविधा' में हिन्दी सम्बन्धी समाचार और 'राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण' कालम में हिन्दी की प्रगति के बारे में जो जानकारी दी जाती है, वह भी प्रेरणास्पद है। इससे काम करने वालों को नई दिशाओं के संकेत मिलते हैं। समग्र दृष्टि से अवलोकन किया जाये तो "राजभाषा भारती" अत्यन्त उपयोगी पत्रिका है।

डा. सिद्धनाथ शर्मा,
भाषा संचालक, मध्य प्रदेश

●

'राजभारती' का बदला हुआ क्लेवर नवीनतम का परिचायक है। "विविधा" तथा "राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण" नामक स्तम्भों में अधिकाधिक विभागों और कार्यालयों की जानकारी का समावेश एक अच्छा प्रयास है और इसकी सराहना होनी चाहिए।

इस अंक में हमारी राजभाषा के विषय में विदेशी विद्वानों के लेख हमें जागृत होकर पुरुषार्थ की ओर बढ़ने हेतु प्रेरित करते हैं। अनेकों हिन्दी प्रेमी विदेशी विद्वानों के सारगर्भित लेखों ने "राजभाषा भारती" के 24वें अंक को संग्रहणीय और अद्वितीय बना दिया है।

"विश्व में हिन्दी की पत्र पत्रिकायें" ज्ञानवर्द्धक और सूचनाप्रद आलेख है। प्रो. यंगनी चेलीशेव का लेख विश्वभाषा के रूप में हिन्दी" हमें अन्तरावलोकन की ओर इंगित करता है। हिन्दी की भावी अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका हिन्दी के भावी स्वरूप की ओर संकेत है। वैसे यह चिन्तन और बहस का मुद्दा बन चुका है कि हिन्दी का स्वरूप कौन-सा होना चाहिए, कैसी हिन्दी हमें अपनानी चाहिए? फिर भी इस बारे में यह अवश्य कहा जा सकता है कि हमें वह हिन्दी चाहिए जो पाठक को हमारे भावों से सहजता और सरलता से परिचित करा दे। यदि हम अपने पाठक वर्ग का ध्यान रखकर हिन्दी में पत्राचार करेंगे तो हिन्दी "संस्कृतनिष्ठ अथवा खिचड़ी" जैसे संबोधनों से बच सकेगी।

—डा. आ. क. रस्तोगी, हिन्दी अधिकारी
बैंक नोट मुद्रणालय, देवास

●

विविधा में महालेखाकार, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद कार्यालय में "हिन्दी दिवस" के समाचार की छवि देने पर तथा चित्र समाचार में मुख्य अतिथि सहित सदस्यों का चित्र प्रकाशित करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, जिससे दक्षिण भारत के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को इसी प्रकार के कार्यक्रमों को करने का दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ता जाये।

श्री राजेन्द्र अवस्थी एवं डा. लता के लेख पढ़ने पर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हिन्दी न केवल भारत की भाषा है, परन्तु वह उन भारतवंशी मूल के लोग जो विश्व के कोने-कोने में बस गये हैं, उनके द्वारा भी अब भी अपनायी जा रही है।

—पिकोरेस्वरराव, लेखापरीक्षा अधिकारी
हिन्दी अनुभाग, महालेखाकार का
कार्यालय, हैदराबाद।

●

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के विस्तृत कई लेखों से काफी जानकारी प्राप्त हुई, खास करके जर्मन, अमरीका आदि देशों में वर्तमान समय में क्या स्थिति है, इसकी जानकारी मिली। इस सबका श्रेय राजभाषा भारती के सभी सदस्यों को है।

इस पत्रिका के बारे में इस कार्यालय की ओर से पुनः एक बार सुझाव देना चाहता हूं कि हिन्दी के विकास प्रचार की व्यापक जानकारी के अलावा अगर आप इसमें कुछ मार्गदर्शक स्तंभ प्रकाशित करेंगे तो उसका लाभ वर्तमान समय में जो अधिकारी, लिपिक, टंकक आदि हिन्दी में कार्यालयीन काम-काज कर रहे

है, उन्हें मिलेगा। आशा है, भविष्य में उपयोगी सामग्री प्रकाशित करेंगे व इसी प्रकार यह पत्रिका कार्यालयों को भेजते रहेंगे।

धरणेन्द्र बी लडगे,
विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
नासिक-13

●

आपके द्वारा प्रकाशित "राजभाषा भारती" का अंक, 24, जनवरी—मार्च, 84, आज प्राप्त हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद। भाषाविदों की रचनाओं, विचारों को पढ़कर लगा कि राजभाषा हिन्दी इतनी समृद्ध एवं सम्पन्न भाषा है कि इसकी गिनती विश्व की गिनी-चुनी भाषाओं में की जा सकती है। 'विविधा' के अन्तर्गत प्रकाशित सामग्री अत्यन्त उपयोगी है। "राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण" के अन्तर्गत प्रकाशित सामग्री स्पष्ट परिलक्षित करती है कि राजभाषा हिन्दी निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है।

इस अंक को पढ़कर जहां एक ओर पाठकों को हिन्दी के प्रयोग की प्रेरणा मिलेगी, वहां दूसरी ओर इस सपन्न भाषा के सम्बन्ध में उपयोगी जानकारी भी उपलब्ध होगी

राजभाषा भारती के समस्त परिवार को इस सराहनीय प्रयास के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं।

इ. प्र. हिन्गोरानी,
मुख्य प्रबन्धक, सैण्ट्रल बैंक,
मण्डल कार्यालय, शिमला

●

"राजभाषा भारती" का अंक 24, जनवरी—मार्च, 84 प्राप्त हुआ। अत्यन्त धन्यवाद।

विभिन्न देशी विचारकों एवं भाषाविदों की रचनाओं विचारों को पढ़कर ऐसा लगा कि राजभाषा हिन्दी इतनी समृद्धि एवं सपन्न भाषा है कि यह विश्वभाषा की अधिकारिणी कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त "विविधा एवं राजभाषा" हिन्दी के बढ़ते चरणों" के अन्तर्गत प्रकाशित सामग्री यह स्पष्ट दर्शाती है कि राजभाषा हिन्दी लगातार प्रगति के पथ की ओर बढ़ रही है।

इस अंक में प्रकाशित समस्त सूरूचिपूर्ण, उच्चस्तरीय अत्यन्त उपयेगी एवं ज्ञानवर्द्धक है, इससे जहां एक ओर पाठक वर्ग को हिन्दी के प्रयोग की प्रेरणा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर हिन्दी के सम्बन्ध में उपयोगी जानकारी भी प्राप्त होगी।

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में "राजभाषा भारती" नि:संदेह पथप्रदर्शिका और मार्गदर्शक है। अन्त में समस्त प्रकाशन मण्डल को हिन्दी के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में किये गये सराहनीय प्रयासों के लिए बार-बार बधाई।

शुभकामनाओं के सहित।

—के. एल. पहूजा,
राजभाषा अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया,
शिमला।

इस अंक में देश-विदेश के विद्वानों की गंभीर चिन्तनधारा का स्वच्छ प्रवाह हुआ है। विदेशी विद्वानों की उक्तियों में हिन्दी के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त हुई है, उसके लिए हम कृतज्ञ है।

सदियों तक पराधीन रहने के कारण हमारी आत्म-चेतना सुप्तावस्था में रह गई है तभी तो दीर्घ सैंतीस वर्ष के बाद भी हमें अपने देश की भाषा को अपनाने के लिए विदेशियों के मुंह से इस देश की भाषा में सीखना पड़ रहा है। इससे बड़ी शिक्षा और क्या हो सकती है?

—गोपीनाथ कर,
सहायक प्रबन्धक (हिन्दी),
बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी, लि.
कलकत्ता।

●

पत्रिका का भलीभांति से अध्ययन किया गया। यह बड़ी लाभदायक तथा उपयोगी है। राजभाषा हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार हेतु ऐसी पत्रिकाओं का प्रकाशन आवश्यक है। इसे अधिक लाभदायक बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव हैं।

विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिन्दी में प्रचलित हो गए है उन्हें अपना लिया जाना चाहिए, परन्तु अपनाते समय उनका हिन्दीकरण कर दिया जाये। अर्थात् उनकी ध्वनि तथा व्याकरणिक परिवर्तन हिन्दी के हों। अन्य विदेशी शब्दों (विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा के शब्द) जिनका हिन्दी का अनूदित रूप प्रचारित करना है उन के संबंध में सुझाव है कि ऐसे शब्दों के हिन्दी रूपान्तर इस पत्रिका के माध्यम से क्रमश: प्रकाशित किए जाएं। केवल प्रसिद्ध शब्द लेने ही अपेक्षित है।

निहाल सिंह
संयुक्त सचिव, शिक्षा
शिक्षा विभाग, हरियाणा

●

"राजभाषा भारती" के अंक 24 की एक प्रति प्राप्त हुई।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की यह घोषणा कि "हिन्दी एक समृद्ध विश्व भाषा है" और "विश्व हिन्दी विद्यापीठ" विश्व योजना को साकार बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति के गठन से सभी हिन्दी प्रेमियों को अपार हर्ष हुआ है।

इस बैंक में विश्व के अन्य देशों में हिन्दी की स्थिति के बारे में वहीं के विद्वानों के लेख अत्यन्त सारगर्भित व सार्थक तो है ही इनसे हिन्दी की प्रगति की आशापूर्ण स्थिति का भी पता चलता है।

पत्रिका में प्रकाशित चित्रों से हिन्दी की सक्रिय एवं सजीव छवि प्रस्तुत होती है।

—गंगा प्रसाद राजौरी,
राजभाषा अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक, पूसा रोड,
नई दिल्ली

"राजभाषा भारती" का जनवरी—मार्च, 1984 अंक मिला, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसमें तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर देश-विदेश के प्रणेताओं के विचार एवं हिन्दी विषयक गतिविधियों का विवरण बहुत सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। विशेषकर श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री मधुकरराव चौधरी, डा. मैकग्रेगर, एवं डा. येगोनी चैलीशैव के विचारोत्तेजक लेख बहुत ही ज्ञानवर्द्धक एवं प्रेरणाप्रद लगते हैं। -नसे वास्तव में यह धारणा बलवती हुई है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा होने के साथ-साथ विश्वभाषा होने में भी पूरी तरह समर्थ है। कुल मिला कर "राजभाषा भारती" का यह अंक बहुत ही सूचनाप्रद, संग्रहणीय एवं सराहनीय है।

—डा. देशबन्धु राजेश
राजभाषा अधिकारी,
सिंडीकेट बैंक नई दिल्ली

●

"राजभाषा भारती" का अक्टूबर—दिसम्बर, 1983 का अंक 23वां आपके द्वारा हमें प्राप्त हो गया है। इस संस्थान को राजभाषा भारती का यह प्रथम अंक प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ था। हमारे अनुरोध को स्वीकार करके आपने हमें लाभान्वित किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।

'राजभाषा भारती' का यह अंक तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है। देश के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों के लेख विशेषांक में समाविष्ट किए गए हैं। जिससे यह अंक अमूल्य बन गया है।

—महेश प्रसाद शर्मा
हिन्दी अधिकारी,
लघु उद्योग सेवा संस्थान,
(भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय)
मिर्जा इस्माईल रोड,
जयपुर—302001 (राज.)

●

विश्व हिन्दी सम्मेलन से संबंधित सम्पूर्ण सामग्री को पत्रिका के लघु कलेवर में समाहित कर निश्चय ही आपने पूत कार्य किया है। सभी विद्वान लेखकों ने अपने लेखों के माध्यम से हिन्दी विश्व की जो झांकी प्रस्तुत की है, उसे देख कर यह विश्वास और अधिक संतुष्ट हो गया कि लाख विरोधों और अवरोधों के बावजूद भी हिन्दी का प्रगति रथ कितनी तीव्र गति से विश्व की परिक्रमा को समुत्सुक है।

हिन्दी प्रशिक्षण के पुनीत कार्य में 'राजभाषा भारती' मेरी प्रथम सहायिका सिद्ध हुई है। मैं बड़ी आतुरता से उसकी प्रतीक्षा करता हूं। उच्च कोटि की ऐसी सूचनाप्रद पत्रिका प्रकाशित करने के लिए मेरी बधाई स्वीकार करें।

भवदीय
डा. जगदीश प्रसाद गुप्त, प्रशिक्षक
इलाहाबाद बैंक स्टाफ ट्रेनिंग
सेंटर, कलकत्ता।

"राजभाषा भारती" अपने आप में एक अत्यंत मधुर पत्रिका है। यह पत्रिका आरंभ से ही हिन्दी को अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने में सक्रिय रही है। अब इसने अपने उद्देश्य का दायरा भारत के साथ-साथ विश्व तक बढ़ा लिया है और हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने में प्रयत्नशील है।

प्रस्तुत पत्रिका में प्रकाशन सामग्री का चयन अति विद्वत्ता से किया गया है। देश विदेश के प्रसिद्ध विद्वानों के हिन्दी के बारे में लिखे लेख प्रकाशित करके अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। त्रैमासिक पत्रिका "राजभारती"—हिंदी की प्रगति के लिए अपनी तरह की एक ही पत्रिका है। यह हिंदी के सभी पहलुओं को उजागर करती हुई हिन्दी की सुषमता और समृद्धता पर प्रकाश डालती हुई प्रतिदिन हो रहे कार्यों की अद्यतन सूचना देती है।

"राजभाषा भारती" की सज्जा तथा मुद्रण सराहनीय है। मेरा विश्वास है कि यह पत्रिका अपने उद्देश्य को यथाशीघ्र पूर्ण करेगी। मेरी शुभ कामनाएं आपके साथ हैं।

—डा. रमेश चन्द्र गर्ग,
संपादक, यूनेस्को दूत

●

"राजभाषा भारती" के 24वें अंक की प्रति प्राप्त हुई।

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया भाषण "हिन्दी—विश्व-मैत्री की एक कड़ी एवं डा. बलराम जाखड़, अध्यक्ष लोकसभा का भाषण "हिन्दी समर्थतम की ओर" अति रूचिकर एवं प्रभावशाली रहे।

वास्तव में हिन्दी संसार को नई ज्योति, नई मानसिकता एवं नई दृष्टि देने में पूर्णरूप से सक्षम है। अतः हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा का समुचित स्थान मिलना ही चाहिए।

श्री राजेन्द्र अवस्थी का लेख "हिन्दी भाषा की भूमिका : विश्व के सन्दर्भ में", डा. उषा बाला का लेख "हिन्दी और महिला जगत : एक विकास यात्रा" एवं अन्य कई भी अत्यन्त महत्वपूर्ण रहे।

इस सम्बन्ध में सुझाव है कि हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित आम गलतियों जो सरकारी काम-काज में कर्मचारी करते हैं, उनको दूर करने के लिए प्रयासस्वरूप कभी किसी पत्र का प्रारूप, कभी किसी तार का प्ररूप इत्यादि को भी स्मारिका में प्रकाशित किया जाए, जिससे सरकारी कर्मचारियों की काम-काज में आम गलतियों का निराकरण किया जा सके एवं जिससे वे और अधिक उत्साह से हिन्दी में कार्य कर सकें एवं अपने विचारों को स्पष्टतः अभिव्यक्त कर सकें।

—एम. एल. बाधवा,
भारत सरकार पर्यटक कार्यालय,
191, माल रोड, आगरा

'राजभाषा भारती' का एक अंक 24 देखकर तबियत खुश हो गई। अस्सी पृष्ठों में सुरूचिपूर्ण ढ़ग से प्रकाशित इस अंक में निबंधों एवं रिपोर्टों का संचयन सराहनीय है, किन्तु यत्र-तत्र ऐसे स्तरीय पत्र में प्रूफगत त्रुटियां खटकती हैं। मैं यह अंक आद्योपांत पढ़ गया। राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास, प्रचार-प्रसार, आदि से संबंधित 19 लेख तथा दो स्तम्भ 'विविधा' तथा "राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण" पठनीय और उपयोगी है। खास तौर से डा. कामता कमलेश, राजेन्द्र अवस्थी, डा. ब्रजेश्वर वर्मा, प्रो. सिद्धेश्वर प्रसाद के लेख मुझे अतिशय विचारोत्तेजक लगे। डा. कामता कमलेश ने विश्व की हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का बढ़िया ढ़ग से सिंहावलोकन किया है। डा. ब्रजेश्वर वर्मा ने हिन्दी की भावी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पर विद्धतापूर्वक चिंतन किया है। नेपाल, मारीशस, अमरीका, जर्मनी, सूरिनाम में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दिशा में क्या काम हो रहे हैं, इसकी बखूबी जानकारी तत्संबंधी लेखों से हो जाती है। 25वें अंक की प्रतीक्षा है।

—सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर
राजभाषा पदाधिकारी, वंदना कुटीर, दुबरा, पटना-।

●

'राजभाषा भारती' के अंक 24 की प्रति प्राप्त हुई। राजभाषा हिन्दी की प्रगति के लिए आपके किये गये प्रयास निःसंदेह सराहनीय हैं। इस अंक में आपने इस प्रकार की सामग्री का समावेश किया है कि न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व में हिन्दी की प्रगति को एक दृष्टि में देखा जा सकता है। डा. कामता कमलेश का लेख 'विश्व की हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं' बहुत ही रोचक तथा ज्ञानवर्द्धक लगा। वैसे तो संपूर्ण अंक ही एक संग्रहणीय विशेषांक है, क्योंकि हिन्दी के संबंध में विश्व के विभिन्न विद्वानों के विचारों का सम्यक् ज्ञान हुआ। भविष्य में भी आप इसी प्रकार पत्रिका भेज कर नवीनतम जानकारी से अवगत कराते रहेंगे।

'राजभाषा भारती' के समस्त परिवार को मेरी शुभ कमनाएं।

—गिरिजा काक,
हिन्दी अधिकारी, दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर।

"राजभाषा भारती" का 24वां अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। प्रस्तुत अंक जैसा कि आपने 'कुछ अपनी' के अंतर्गत संकेत दिया है कि विश्व सम्मेलन विशेषांक के संदर्भ में यह कड़ी है।

वास्तव में यह अंक तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर देश-विदेश के विद्वानों के मनोगत को जानने और मनन करने का एक सुन्दर माध्यम है। मैं आप के तथा आपके सहयोगी समस्त विद्वत्जन परिवार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और कामना करता हूं कि आगामी अंक में राकेश शर्मा के संदर्भ में 'अंतरिक्ष में हिन्दी' पर कुछ जानकारीपूर्ण एवं रोचक साहित्य दें, ताकि 'हिन्दी के बढ़ते चरण' का लेखा-जोखा समुचित रूप में जनमानस तक पहुंचता रहे।

—प्रो. सी. पी. सिंह 'अनिल'
प्रधान मंत्री, बम्बई हिन्दी विद्यापीठ
अखिल भारतीय हिन्दी प्रचार संस्था।

●

राजभाषा भारती के ताजा अंक के लिए धन्यवाद।

निस्संदेह इससे तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की उपलब्धियों की झांकी मिलती है। साथ ही यह अंक हमें कुछ सोचने के लिए भी विवश करता है।

डेनमार्क के प्रतिनिधि का यह वक्तव्य कि "मैं चाहता हूं कि हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बने, किन्तु मैं यह भी कामना करता हूं कि वह हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बने, किन्तु मैं यह कामना करता आशा करता हूं कि जब मैं आपसे बात करूं, तब आप मुझ से अंग्रेजी में बात न करें, यही हमारा सम्मान होगा।"

इससे गहरी चपत शायद हमारे मुख पर दूसरी नहीं हो सकती।

हिन्दी वालों को अपने कर्तव्यबोध का स्मरण दिलाने के संदर्भ में भी मेरा विश्वास है, आपकी सम्मानित पत्रिका अवश्य सक्रिय रहेगी।

उत्कृष्ट सम्पादन के लिए हार्दिक बधाई।

—कृष्ण चन्द्र बेरी,
हिन्दी प्रचारक संस्थान, वाराणसी

आप हिन्दी जानते हैं ?

क्या हिन्दी में काम करते हैं ?
हिन्दी में काम करना आसान है
शुरू तो कीजिए
बोलचाल की सरल हिन्दी का प्रयोग करें ।

कम्प्यूटर टेक्नोलाजी और भारतीय भाषाएं

डा० एम एस० संजीवी राव
उप मंत्री इलैक्ट्रानिकी विभाग

[अहिन्दी भाषी डा. एम. एस. संजीवी राव ने पटना स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस मेनेजमेंट में 7 सितम्बर, 1984 को डेढ़ वर्षीय कम्प्यूटर अनुप्रयोगों पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर हिन्दी में महत्वपूर्ण भाषण दिया। अपने भाषण के दौरान डा. राव ने स्पष्ट रूप से कहा—"इसमें कोई संदेह नहीं है कि जन सामान्य के लिए कम्प्यूटर तभी सहज स्वीकार्य होंगे, जब उन्हें जन भाषा के माध्यम से प्रयोग करना संभव होगा।" डा. राव का यह कथन जहां एक ओर भारतीय भाषाओं के लिए आधुनिक टेक्नोलाजी के अपनाए जाने के महत्व पर प्रकाश डालता है तो दूसरी ओर राजभाषा हिन्दी के तकनीकी पक्ष में लगे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है।]

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस मेनेजमेंट, पटना में हिन्दी माध्यम से कम्प्यूटर अनुप्रयोगों पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के उद्घाटन के शुभ कार्य के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, इसके लिए आयोजकों को सहर्ष हार्दिक धन्यवाद।

तकनीकी विकास और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नोलाजी का प्रभाव दिखाई देता है। औद्योगीकरण में शारीरिक श्रम को दूर करने के लिए विविध प्रकार के यंत्रों का विकास हुआ और मानसिक श्रम दूर करने के लिए कम्प्यूटर का। आधुनिक युग में कम्प्यूटर इतना शक्तिशाली तंत्र बन गया है कि इससे मानव समाज के सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि सभी पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। विकासशील देशों के लिए, और विशेषकर भारत के लिए, आधुनिक विज्ञान तथा टेक्नोलाजी और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच सामंजस्य होना आवश्यक है। विकसित देशों में कम्प्यूटर और दूरसंचार के साधनों से सूचना-क्रांति का सूत्रपात हो चुका है, और अब विकासशील देश भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। विकासशील देश मुख्यतया प्राकृतिक संपदा पर निर्भर हैं, जबकि विकसित देश उद्योग, संचार और सूचना-साधनों से भरपूर हैं। विकासशील देशों में भी कम्प्यूटर जैसी सूचना टेक्नोलाजी का प्रयोग महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर का विकास और निर्माण सन् उन्नीस सौ चालीस (1940) के करीब प्रारम्भ हुआ और अब बहुत अधिक शक्तिशाली कम्प्यूटर छोटे आकार में और कम कीमत पर उपलब्ध हो रहे हैं। पिछले तीस वर्षों में कम्प्यूटर टेक्नोलाजी का विकास तेजी से हुआ है, और विविध क्षेत्रों में इसका प्रयोग तेजी से बढ़ा है। मनुष्य के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों में तो कम्प्यूटर का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। ग्रहों की खोज के लिए मानवरहित अंतरिक्ष यान, समुद्र के अंदर स्वचालित मशीनों, अधिक ताप की भट्टियों आदि में कम्प्यूटर बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। आजकल माइक्रो-कम्प्यूटर कम कीमत पर सुलभ हैं। इनमें रंग, ध्वनि और चल-ग्राफिक्स की सुविधाएं भी हैं, जो इन्हें बहुत आकर्षक और प्रभावकारी बना देती हैं। शिक्षा, श्रम, पुलिस न्याय, उद्योग, रेलवे आदि अनेक क्षेत्रों में सूचना-संग्रह करके इसे प्रोसेस करने और परिणामों को जन सामान्य के उपयोग के लिए प्रस्तुत करने के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कम्प्यूटर के प्रयोग से कार्यकुशलता बढ़ती है, उत्पादन में वृद्धि, लागत में कमी और समय की बचत होती है। कम्प्यूटर से ज्ञान के प्रचार-प्रसार में भी विशेष मदद मिलती है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनसामान्य के लिए कम्प्यूटर तभी सहज स्वीकार्य होंगे, जब इन्हें जन भाषा के माध्यम से प्रयोग करना संभव होगा। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने कम्प्यूटर में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को संभव बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सन् उन्नीस सौ अठत्तर (1978) में इलेक्ट्रानिकी आयोग ने भारतीय भाषाओं के संदर्भ में कम्प्यूटर पर आधारित सूचना-संहिताओं पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें पचास से अधिक शोध-पत्र पढ़े गए, कम्प्यूटर विशेषज्ञों ने भारतीय भाषाओं के लिए कम्प्यूटर के

विकास के संबंध में विविध पक्षों पर विस्तृत चर्चा की और सिफारिशें तैयार की। इसके बाद आवश्यक टेक्नोलाजी के विकास के लिए तेरह परियोजनाओं को इलैक्ट्रानिकी विभाग के द्वारा आर्थिक मदद दी गई। सभी भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी वर्णमाला में कुछ व्यंजन और स्वर वर्णों, और विशेषक चिन्हों को जोड़कर "परिवर्द्धित देवनागरी" को सुनिश्चित किया गया है। इसी के आधार पर कम्प्यूटर कोड और कुंजीपटल के मानक तैयार किए गए हैं जिन्हें सभी भारतीय भाषाओं के लिए काम में लाया जा सकता है। इस प्रकार कम्प्यूटर में संग्रह की गई सूचना को किसी भी भारतीय भाषा की लिपि में दर्शाया जा सकेगा और छापा जा सकेगा। टेक्नोलांजी के इन विकास कार्यों को "देवनागरी कम्प्यूटर के विकास" की संज्ञा दी जा सकती है। इसके अंतर्गत आवश्यक हार्डवेयर और साफ्टवेयर का विकास किया गया है। कम्प्यूटर के इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, प्रोसेसिंग और कण्ट्रोल यूनिट को हार्डवेयर कहते हैं। कम्प्यूटर के इन अंगों के संचालन में तालमेल बैठाकर सूचना को प्रोसेस करने के लिए साफ्टवेयर तैयार किया जाता है। देवनागरी कम्प्यूटर टेक्नोलाजी के विकास की विभिन्न परियोजनाएं दिल्ली, कानपुर, पिलानी, बम्बई, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बंगलौर, अहमदाबाद आदि स्थानों की कई शिक्षा और शोध संस्थाओं में शुरू की गई हैं। इनके परिणाम बहुत ही आशाजनक रहे हैं और अब देवनागरी कम्प्यूटर व्यावसायिक स्तर पर भी उपलब्ध है। डी. सी. एम. डेटा प्रोडक्ट (दिल्ली), इन्नोवेन्स (मद्रास), ई. सी. आई. एल. (हैदराबाद), केल्ट्रान, सी. एम. सी. (हैदराबाद), प्रगति कम्प्यूटर्स (पांडिचेरी), टी. बी. एल. (बम्बई), नेल्को, उषा माइक्रो-प्रोसेसर्स (फरीदाबाद) के देवनागरी कम्प्यूटर के निर्माण संबंधी प्रयास उल्लेखनीय है। यह सब शिक्षा और शोध संस्थाओं में किए गए शोध और विकास संबंधी सफल प्रयोगों से ही संभव हो सका है।

पिछले वर्ष अक्तूबर में आयोजित तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में इलैक्ट्रानिकी विभाग ने देवनागरी कम्प्यूटर प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें चौदह विभिन्न संस्थाओं ने देवनागरी कम्प्यूटर के विकास संबंधी कार्यों का परिचय कराया था। इस प्रदर्शनी को अनेक लोगों ने देखा और बहुत सराहा। देवनागरी कम्प्यूटर के विकास और इसके प्रयोग संवर्धन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग में एक विशेष सैल का भी गठन किया गया है।

अब यह महसूस किया जाने लगा है कि कम्प्यूटर विज्ञान की शिक्षा और प्रयोग को जनभाषा के माध्यम से संभव बनाया जाए। हिन्दी के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षण की योजना तैयार करने के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग ने एक कार्यदल का भी गठन किया था, जिसने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट इसी वर्ष जुलाई में दे दी है। इलैक्ट्रानिकी विभाग इसकी सिफारिशों पर शीघ्र हर संभव कार्यवाही करेगा। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को हिन्दी के माध्यम से चलाने से हिन्दी माध्यम से शिक्षा पाने वाले अनेक छात्रों को कम्प्यूटर विज्ञान की शिक्षा लेने में आसानी होगी और वे इसके प्रयोग-लाभों को जन सामान्य तक पहुंचा सकेंगे। देवनागरी कम्प्यूटर का प्रयोग स्कूली स्तर की शिक्षा, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार कम्प्यूटर टेक्नोलांजी को जनभाषा के माध्यम से जनसामान्य के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में भारत सरकार के इलैक्ट्रानिकी विभाग ने ठोस कदम उठाए हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेंट पटना ने हिन्दी के माध्यम से डेढ़ वर्ष का कम्प्यूटर अनुप्रयोगों पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने में पहल की है। इन्होंने इस प्रोजेक्ट की रूप-रेखा और अनुदान के लिए प्रार्थना भी हिन्दी में लिखकर दी थी। जिसके आधार पर इलैक्ट्रानिकी विभाग ने इस पाठ्यक्रम को आरम्भ करने के लिए चार लाख रुपए की अनुदान राशि दी है। मुझे यह जानकारी मिली है कि पिछले छः वर्षों से इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेंट (पटना) "कम्प्यूटर विज्ञान और प्रबंधन शास्त्र" पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित करता आया है। इस संस्थान में विभिन्न राज्य सरकारों और निकटवर्ती देशों से छात्र और छात्राएं भेजे जाते रहे हैं। मेरी इच्छा है कि कम्प्यूटर अनुप्रयोगों पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भी इसी पद्धति से नामांकन कर देश-विदेश के छात्रों को लाभ दें। हिन्दी और देवनागरी लिपि के माध्यम से अत्याधुनिक विज्ञान विषय—"कम्प्यूटर विज्ञान"—का प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्थान ने जो पहल की है यह पूरे देश के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। इस संस्थान का निदेशक-मंडल इस सुकार्य के लिए साधुवाद का पात्र है।

अंत में कम्प्यूटर अनुप्रयोगों पर डेढ़ वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सफलता हेतु शुभकामना करते हुए इसे उद्घाटित घोषित करता हूं।

तकनीकी हिन्दी का विकास : एक रूपरेखा

—डॉ० ओम विकास

[भारतीय तकनीकी संस्थान (आई० आई० टी०) कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी० टेक० और कम्प्यूटर विज्ञान में एम० टेक० तथा पी एच० डी० की उपाधियों से विभूषित डॉ० ओम विकास का हिन्दी में मौलिक शोधपूर्ण लेख । सामाजिक संस्थाओं के प्रति संवेदनशील डॉ० विकास ने यूनेडिप्रो फैलोशिप पर अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन और कई योरोपियन देशों का भ्रमण किया । अनुभव और ज्ञान की इस पृष्ठभूमि के साथ डॉ० विकास का मत है कि भारतीय समाज को आविष्कारोन्मुख बनाने के लिए लोक भाषा हिन्दी के माध्यम से विज्ञान प्रशिक्षण, शोध प्रकाशन आदि की आवश्यकता है। हिन्दी के दो पक्ष अब स्पष्ट हैं—साहित्यिक एवं तकनीकी पक्ष । तकनीकी हिन्दी के समन्वित विकास के लिए डॉ० विकास कुछ परियोजनाएं प्रस्तावित करते हैं जैसे—तकनीकी हिन्दी सम्मेलन, तकनीकी लेखन प्रोत्साहन, कार्यशालायें, मानक पुस्तकें, अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका—विज्ञान शोध भारती, हिन्दी के लिए सूचना टेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर अनुवाद, लोक विज्ञान परिषद् का गठन आदि । प्रस्तुत लेख विचारोत्तेजक तो है ही इसके साथ ही यह एक मार्गदर्शक भी है ।]

विज्ञान एवं तकनीकी विकास और सामाजिक परिवर्तन अन्योन्याश्रित है; एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते । वस्तुतः जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रभाव दिखाई देता है । विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगतिमूलक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक क़दम उठाए जाने की आवश्यकता है, जैसे विज्ञान शोध के लिए सुविधाएं, टेक्नोलॉजी विकास को प्रोत्साहन आदि । टेक्नोलॉजी के विकास को प्रोत्साहन देने के साथ ही समाज को भी इसकी महत्ता के प्रति प्रवृत्त करना होगा । अधिकांश तकनीकी परिवर्तन छोटे-छोटे उद्योगों से होते हैं । इसलिए आवश्यक है कि छोटे-छोटे उद्यमियों को आविष्कारोन्मुखी बनाना और समाज को नए-नए आविष्कारों को स्वीकारने के लिए उद्यत करना । यह तभी सम्भव है जबकि समाज विज्ञान को आत्मसात् करके बढ़े ।

हिन्दी के विकास के सन्दर्भ में इसके दो पक्ष स्पष्ट हैं : साहित्यिक एवं तकनीकी । दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण हैं ।

हिन्दी का साहित्यिक पक्ष उत्तरोत्तर सबल होता जा रहा है जिससे हिन्दी सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति में सक्षम बन गई है । दूसरा पक्ष तकनीकी हिन्दी है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के विज्ञान के एवं टेक्नोलॉजी के तथ्यों को आसानी से स्पष्टतः अभिव्यक्त किया जा सकता है । अब तक यह माना जाता है कि अंग्रेजी के माध्यम से ही विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी को समझा और समझाया जा सकता है । भारतवर्ष की 98 प्रतिशत जनसंख्या अंग्रेजी नहीं जानती, इसलिए बहुसंख्य जनता को तत्कालीन वैज्ञानिक प्रगति के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती । सामान्य वैज्ञानिक उपलब्धियों के विषय में भी बहुत कम जानकारी मिल पाती है । इसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज का दृष्टिकोण आविष्कारोन्मुखी नहीं बन पा रहा है, जो कि आधुनिक औद्योगिकीकरण के लिए नितान्त आवश्यक है ।

भारतीय समाज को आविष्कारोन्मुखी बनाने और उसकी प्रगति के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी में स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि जनसामान्य की भाषा में विज्ञान संबंधी जानकारी उपलब्ध हो सके । इसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों को सही वातावरण और आवश्यक सुविधाएं प्रदान कराने की आवश्यकता है । जिससे वे लोक-भाषा हिन्दी के माध्यम से शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध आदि कर सकें । विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति हो रही है, नई-नई उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं । इसका मूल कारण अनवरत शोध कार्य है । यदि हमारे शोध कार्य हिन्दी के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हो सकें तो विदेशों के शोधरत वैज्ञानिकों को इन्हें अनुवाद आदि माध्यमों से समझने की लालसा अवश्य होगी और तभी हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेगी ।

विश्लेषण करने पर विदित होता है कि हिन्दी का प्रयोग अनुवाद पर आश्रित रहा, मौलिक लेखन को प्रोत्साहन नहीं मिला, वैज्ञानिक विभागों में अनुवाद-प्रक्रिया की दीवार अभेद्य बनती गई । अधिकांश अनुवाद करने वाले हिन्दी अधिकारियों की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि न होने से अनुवाद उपयोगी सिद्ध नहीं हुए । इस प्रयोजन के लिए खर्च की हुई राशि के अनुसार इसकी उपादेयता बहुत कम रही ।

विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में मानक हिन्दी का स्वरूप निर्धारित करना आवश्यक है । हिन्दी का प्रयोग अनुवाद पर निर्भर न हो, यह सहज और स्वाभाविक हो, इसमें विषय की सुबोधता हो और आत्म बीजारोपण शिक्षण संस्थाओं में ही सम्भव है लेकिन (नवागत के लिए) अनुकूल वातावरण बनाने के लिए विविध कार्यक्षेत्रों में हिन्दी प्रयोग संवर्धन के लिए योजनाबद्ध प्रयास भी अपेक्षित है ।

यदि हमारे शोध कार्य हिन्दी के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हो सकें तो विदेशों के शोधरत वैज्ञानिकों को इन्हें

अनुवाद आदि माध्यम से समझने की लालसा अवश्य होगी और तभी हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेगी।

विकास परियोजनाएं—

तकनीकी हिन्दी के समन्वित विकास के लिए कतिपय परियोजनाएं इस प्रकार प्रस्तावित हैं—

1. तकनीकी हिन्दी सम्मेलन
2. हिन्दी में तकनीकी लेखन
   - 2.1 तकनीकी लेखन पर मानक पुस्तक
   - 2.2 तकनीकी लेखन प्रशिक्षण कार्यशालाएं
   - 2.3 तकनीकी शब्दावली का प्रकाशन
     - 2.3.1 पुनर्मूल्यांकन
     - 2.3.2 विषयवार शब्दावली
   - 2.4 हिन्दी में उच्चस्तरीय विज्ञान शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की व्यवस्था
   - 2.5 तकनीकी लेखकों की परिचय संहिता
   - 2.6 हिन्दी में मौलिक तकनीकी लेखन को प्रोत्साहन
3. हिन्दी में अन्तर्राष्ट्रीय शोध-पत्रिका—'विज्ञान शोध भारती' का प्रकाशन
4. हिन्दी के लिए कम्प्यूटर आदि सूचना—टेक्नोलॉजी का प्रयोग
   - 4.1 शब्द संसाधन कंप्यूटर
   - 4.2 कंप्यूटर पर आधारित सूचना संहिता निर्माण
   - 4.3 गुणित प्रभावी शिक्षा क्षेत्रों में हिन्दी कंप्यूटर का प्रयोग
   - 4.4 कंप्यूटर अनुवाद
5. लोक विज्ञान परिषद्

आलेख–1—राष्ट्रीय विकास में लोक भाषा की भूमिका

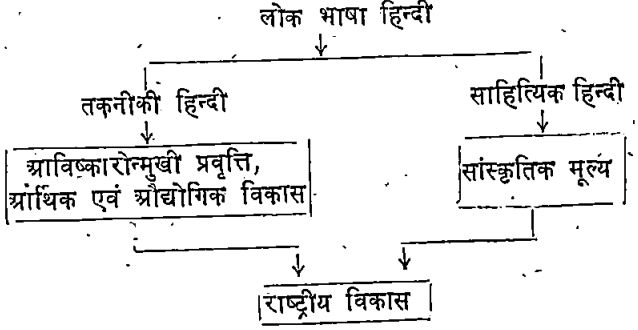

आलेख-2—आविष्कारोन्मुखी समाज-निर्माण में तकनीकी हिन्दी का योगदान

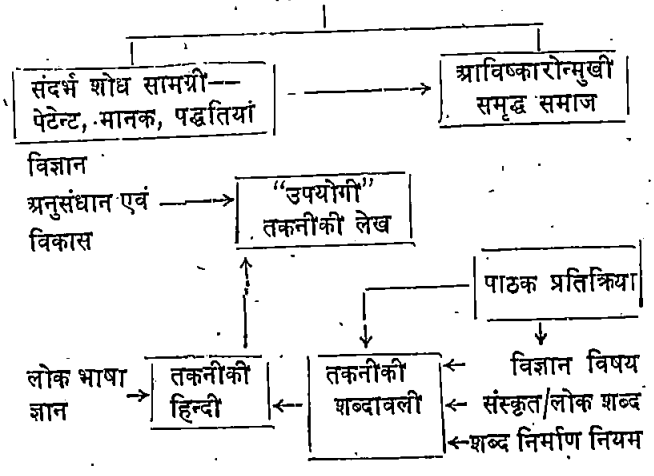

1. तकनीकी हिन्दी सम्मेलन

हिन्दी के दो पक्ष हैं अर्थात् साहित्यिक एवं तकनीकी पक्ष। स्पष्टतः ये अलग-अलग हैं और इनके विकास की प्रक्रिया भी कुछ-कुछ भिन्न है। अनेक संस्थाएं हिन्दी के विकास की दृष्टि से हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन करती हैं। कुछ मुख्य संस्थाएं इस प्रकार हैं—राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्धा), हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग, दिल्ली), नागरी प्रचारिणी सभा (वाराणसी), नागरी लिपि परिषद् इत्यादि। विश्व स्तर पर हिन्दी के लिए तीन सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। सभी मंचों पर कवि, लेखक आदि साहित्यकारों का ही प्रभुत्व रहता है और हिन्दी के तकनीकी पक्ष को औपचारिकता के रूप में कभी-कभार कह दिया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कार्यनीति सुनिश्चित नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के 36 वर्ष बाद भी हिन्दी विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की भाषा नहीं बन सकी है। यह सच है कि हिन्दी लोक भाषा है। लेकिन हिन्दी में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के साहित्य का अभाव है, जो समाज में आविष्कार के प्रति उदासीनता एवं वैज्ञानिक प्रगति के अभाव के रूप में परिलक्षित होता है। लोक भाषा में ही विज्ञान-विचारों के संप्रेषण की सुविधा होने पर ही लोक-विज्ञान का विकास सम्भव है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि आधुनिक युग में औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान को लोक भाषा में आत्मसात् करके जनसामान्य तक विज्ञान के लाभों को पहुंचाया जावे और समाज को आविष्कारोन्मुखी बनाया जावे। इस विचार से प्रेरित होकर तकनीकी हिन्दी सम्मेलन की कल्पना की जा रही है।

वैज्ञानिकी आधार अन्तर्राष्ट्रीय होने के कारण तकनीकी हिन्दी सम्मेलन का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप स्वाभाविक है। भारतवर्ष के अनेक मेधावी वैज्ञानिक विदेशों में कार्यरत हैं, जो हिन्दी के माध्यम से अपने शोध कार्यों को बतलाने के लिए इच्छुक हैं। देश के अनेक विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थाओं में अनेक वैज्ञानिक हिन्दी के माध्यम से अपने शोध कार्य को प्रकाशित करना चाहेंगे, यदि इस प्रकार की व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। इन वैज्ञानिकों में हिन्दी में लेखन के प्रति अभिरुचि है लेकिन सही वातावरण न मिलने के कारण उनकी सक्षमता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही जिन वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयास भी किए हैं, उन्हें कई प्रकार के कटु अनुभव भी हुए हैं। आज आवश्यकता है कि विश्व के हिन्दी प्रेमी वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाकर उनके योजना प्रस्तावों और अनुभवों आदि पर समुचित रूपेण विचार किया जा सके।

तकनीकी हिन्दी सम्मेलन के आयोजन के लिए किसी संस्था को इसके प्रबन्धन का विशेष दायित्व निभाना होगा। जबकि आर्थिक अनुदान भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आसानी से मिल जाएगा। प्रारम्भिक विचार में निम्नलिखित संस्थाएं उपयुक्त प्रतीत होती हैं :

1. लोक विज्ञान परिषद्
2. वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली
3. इण्डियन नेशनल साइंस अकादमी, नई दिल्ली

4. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (आगरा-दिल्ली-हैदराबाद)

5. राजभाषा विभाग

सम्मेलन के लिए कम से कम एक वर्ष की तैयारी अनिवार्य है जिससे सम्मेलन में संभावित प्रतिभागियों को इसके उद्देश्य और सामाजिक अनिवार्यता के प्रति जागृत किया जा सके। इस अवधि में तकनीकी लेखन के लिए आवश्यक सामग्री भी तैयार हो सके और इसे वैज्ञानिक प्रतिनिधियों तक कम से कम दो माह पहले भेजा जा सके, जिससे वे पूरी तैयारी के साथ सम्मेलन में भाग लें और ठोस सुझावों के साथ कार्यनीति सुनिश्चित करने में सफल हों।

भारत सरकार के तकनीकी विभागों के नामित वैज्ञानिक एवं भाषाविद् और तकनीकी संस्थानों के विशिष्ट वैज्ञानिकों के सहयोग से सम्मेलन आयोजन सलाहकार समिति गठित की जा सकती है।

सम्मेलन आयोजन समिति का कार्य होगा—

1. सम्मेलन स्थल का चयन करना और वहां पर आवश्यक सुविधाओं के बारे में सुझाव देना
2. बजट तैयार करना
3. विविध संस्थाओं को सुनिश्चित कार्य सौंपना
4. सम्मेलन के कार्यक्रम और प्रदर्शनी की रूपरेखा तैयार करना
5. सम्मेलन प्रबंधन में देवनागरी कंप्यटर के प्रयोग पर विचार करना
6. समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करना
7. सम्मेलन में विचारणीय समस्याओं को इंगित करना और संभावित संस्तुतियों पर विचार करना
8. अन्य कार्य-दलों का गठन करना

प्रारम्भिक जानकारी के आधार पर ऐसे सम्मेलन का आयोजन रुड़की विश्वविद्यालय के तत्वाधान में प्रस्तावित है। सम्मेलन के लिए विविध प्रकार की सामग्री तैयार करने के लिए वै-त-श आयोग को दायित्व सौंपा जा सकता है। ज्ञातव्य है कि 'ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी का योग' विषय पर एक अखिल भारतीय तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन अप्रैल, 1978 में रुड़की में किया गया था।

2. हिन्दी में तकनीकी लेखन

तकनीकी हिन्दी के समन्वित विकास की आवश्यकता अब महसूस की जाने लगी है। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग अनुवाद पर आधारित रहा है। तकनीकी हिन्दी का स्वरूप प्रयोजनमूलक हो। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं—

1. **तर्क संगति**—विषय-प्रतिपादन तर्कसंगत हो।

2. **स्पष्टता**—विचार-अभिव्यक्ति शृंखलाबद्ध हो, पूर्व विचार कड़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत करना विषय की स्पष्टता के लिए आवश्यक हो सकता है। मुहावरों का प्रयोग न हो अथवा बहुत कम हो।

3. **सुबोधता**—समुचित शब्दों का प्रयोग हो। नए शब्दों को समझाने की कोशिश की जावे। वाक्य छोटे हों।

4. **आरेखन**—समग्र विषय-बोध की दृष्टि से रेखाचित्रों का प्रयोग अधिक हो। ज्ञातव्य है कि इस समय हिन्दी साहित्य में 'आरेखन' का अभाव है।

हिन्दी में तकनीकी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी लेखन पर मानक पुस्तक, प्रशिक्षण कार्यशालाओं शब्दावली पुनर्मूल्यांकन आदि की व्यवस्था करना आवश्यक है।

2.1 तकनीकी लेखन पर मानक पुस्तक

अंग्रेजी में तकनीकी लेखन पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और नई पुस्तकें भी लिखी जा रही हैं। तकनीकी लेखन को शोध विषय के रूप में भी लिया गया है और इस विषय पर अमरीका की विश्व विख्यात संस्था इंस्टीट्यूशन आफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर्स (आई० ई० ई० ई०) से एक शोध पत्रिका भी प्रकाशित होती है। हिन्दी में यह विषय अभी अछूता है और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले एक मानक पुस्तक का प्रकाशन किया जावे, जिसमें हिन्दी में तकनीकी लेखन के विविध पक्षों का सम्यक विवेचन हो और यह पुस्तक कम से कम कीमत पर उपलब्ध की जावे।

यह पुस्तक वै-त-श आयोग/केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के सहयोग से अनुभवी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में तैयार की जा सकती है।

2.2 तकनीकी लेखन प्रशिक्षण कार्यशालाएं

भारत में अनेक प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। कम से कम इण्टरमीडिएट तक विज्ञान की शिक्षा हिन्दी के माध्यम से सम्भव हो गई है। इसके बाद बी० एस सी०, एम०एस सी० में भी कहीं-कहीं माध्यम हिन्दी है, लेकिन इंजीनियरिंग में माध्यम अनिवार्यतः अंग्रेजी है। ऐसी स्थिति में अधिकांश वैज्ञानिकों को विज्ञान संबंधी मूल तथ्य हिन्दी के माध्यम से स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन बाद की पढ़ाई अंग्रेजी में होने के कारण इसका प्रयोग हिन्दी के माध्यम से कर पाना कठिन होता है। अनेक वैज्ञानिक हिन्दी में लिखना चाहते हैं लेकिन उचित वातावरण न मिलने के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। आज आवश्यकता है कि इन वैज्ञानिकों को तकनीकी लेखन में प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था की जावे। राजभाषा विभाग के अन्तर्गत हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान देने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इसी के अनुरूप वैज्ञानिकों के लिए भी कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं। उन कार्यशालाओं में प्रशिक्षण के लिए सामग्री की तैयारी और चयन बहुत ही सूझबूझ के साथ करना होगा।

प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का सहयोग वांछनीय होगा।

तकनीकी लेखन की कार्यशाला का समय 3 से 10 दिन पर्याप्त होगा। कार्यशाला में प्रकरण अध्ययनों पर विशेष बल दिया जावे।

2.3 तकनीकी शब्दावली

आधुनिक विज्ञान का विकास मूलत: भारत में न होने से विज्ञान के अनेक तथ्यों के वर्तमान शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना दुरुह है, शब्दों का अभाव बना रहता है । अतएव मूल समस्या शब्द चयन और शब्द निर्माण की है । संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, अति समृद्ध भाषा है । संस्कृत की विशद् शब्दावली से शब्द चयन उपयुक्त होगा शब्द निर्माण करते समय तथ्य विशेष को ही नहीं अपितु समग्र विषय को ध्यान में रखना आवश्यक है । समग्र विषय में तथ्य विशेष के निकटवर्ती और विपरीत शब्दों को एक साथ रख कर ही नए शब्द का निर्माण किया जावे । शब्द निर्माण में इंडक्शन प्रिंसिपल (अनुप्रेरण सिद्धांत) का प्रयोग भी वांछनीय है । एक शब्द से दूसरे शब्द का अर्थ जानने की पाठक की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । शब्दों के संक्षिप्तीकरण में भी यह सावधानी बरतनी चाहिए । प्रक्रिया द्योतक शब्द समर्थक होते हैं । सेट थ्योरी (समुच्चय सिद्धांत) से विषय विस्तार और शब्द सामंजस्य को सुनिश्चित करें । मूल भाषा के बहुप्रचलित शब्दों को अस्थायी रूप से आत्मसात् किया जावे । आरम्भिक चरण में नव निर्मित शब्द के साथ मूल भाषा के शब्द को भी लिखना उपयुक्त होगा ।

शब्द निर्माण मे निम्नलिखित प्रक्रम उल्लेखनीय हैं --

1. बहु प्रचलित शब्दों का समावेश
2. शब्द चयन
3. सेट थ्योरी (समुच्चय सिद्धांत)
4. इंडक्शन प्रिंसिपल (अनुप्रेरण सिद्धान्त)
5. संक्षिप्तीकरण

2.3.1 शब्दावली पुनर्मूल्यांकन

विज्ञान और तकनीकी के लिए तैयार की गयी शब्दावली का सावधि पुनर्मूल्यांकन करते रहना नी आवश्यक है । विज्ञान के अनवरत विकास से नए तथ्य प्रकाश में आते हैं, शब्दों को बदलते संदर्भ में जांचते रहना परम आवश्यक है । प्रति तीन वर्ष के बाद शब्दावली का पुनर्मूल्यांकन किए जाने का सुझाव है ।

2.3.2 विषयवार शब्दावली

विज्ञान और तकनीकी का क्षेत्र बहुत बड़ा है । हिन्दी में तकनीकी शब्द शीघ्र पता लगाने की दृष्टि से छोटी पॉकेट साइज विषयवार शब्दावली अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । उदाहरणार्थ, भौतिकी-गणित, रसायन केमिकल इंजीनियरिंग मेटलरजी, सिविल-जैविकी, इलेक्ट्रानिकी आदि विषयों पर जेबी शब्दावली प्रकाशित की जा सकती है । ऐसा करने से इनका प्रयोग बढ़ेगा ।

2.4 उच्चस्तरीय विज्ञान शिक्षण पाठ्यक्रम

तकनीकी क्षेत्र में अनवरत विकास के परिणामस्वरूप नए नए तथ्य प्रकाश में आते रहते हैं । उन्हें समझाने के लिए कभी-कभी नए शब्दों को गढ़ लिया जाता है । इन शब्दों की समीचीन व्याख्या और उनके समतुल्य हिन्दी शब्द को बताने की आवश्यकता होती है । व्यवहार में प्रयोग करने से ही नए शब्द का प्रचलन होता है । तकनीकी क्षेत्र में भी भारतीय समाज अग्रणी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि उच्चस्तरीय विज्ञान शिक्षण पाठ्यक्रम लोक भाषा हिन्दी में हों । उच्चस्तरीय विज्ञान से अभिप्राय है : भौतिकी, रसायन, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रानिकी, इंजीनियरिंग, आयुर्विज्ञान, प्रबन्ध विज्ञान इत्यादि विषय ।

प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि जब तक पाठ्य सामग्री हिन्दी में उपलब्ध नहीं है तब तक उच्चस्तरीय विज्ञान विषयों का माध्यम लोक भाषा हिन्दी नहीं हो सकी । हिन्दी में पाठ्य सामग्री तब तक तैयार नहीं होगी जब तक इसकी मान्यता सुनिश्चित नहीं हो जाती । यह परिचक्र चलता ही रहेगा इसलिए सुझाव है कि लेक्चर नोट्स हिन्दी में तैयार करने के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की जावे ।

ज्ञातव्य है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षण माध्यम की छूट है । हिन्दी माध्यम अपनाने पर विश्वविद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए । कुछ विश्वविद्यालयों में बी० एस सी०, एम० एस सी० का माध्यम हिन्दी है । शिक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी और प्रबन्ध संस्थानों में शिक्षण माध्यम अनिवार्यत: अंग्रेजी है । यह सत्य है कि अंग्रेजी में विज्ञान साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध है । लोक भाषा हिन्दी को माध्यम बनाने के लिए राष्ट्रीय संकल्प की आवश्यकता है । अध्यापक प्रशिक्षण के लिए 4 से 8 सप्ताह के कोर्स शुरू किए जावें । पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की जावे । विड़ियो लेक्चर तैयार करके उन्हें अधिक से अधिक शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध कराया जावे । दूरदर्शन पर भी इसे प्रसारित किया जा सकता है ।

2.5 तकनीकी लेखकों की परिचय-संहिता

विज्ञान और तकनीकी में कई विशेषज्ञता क्षेत्र हैं जैसे भौतिकी रसायन, गणित, इंजीनियरिंग, आयुर्विज्ञान, प्रबन्ध विज्ञान आदि । इन क्षेत्रों में कुछ भारतीय विशेषज्ञ विदेशों में हैं और बहुत से स्वदेश में सेवारत हैं जो हिन्दी में लिख-पढ़ सकते हैं और अपने विज्ञान सम्बन्धी विचारों को कभी कभार हिन्दी के माध्यम से अभिव्यक्त करते रहते हैं । ऐसे लेखकों की सूचना रखना आवश्यक है जिससे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए सही व्यक्ति को प्रस्तावित किया जा सके । लेखकों की परिचय संहिता में सम्पर्क पता, जन्म तिथि, अर्हताएं, व्यवसाय-अनुभव, विशेषज्ञता क्षेत्र, प्रकाशन, सम्मान, फोटोग्राफ़ आदि को संग्रहीत किया जावे । तकनीकी लेखक परिचय पुस्तिका का प्रकाशन प्रति दो वर्ष में किया जावे । यह कार्य राजभाषा विभाग वै-त-श आयोग के द्वारा किया जा सकता है ।

2.6 तकनीकी लेखन प्रोत्साहन

केवल कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आदि आयोजित करना ही पर्याप्त नहीं है, उन वैज्ञानिकों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है जो व्यवहार में तकनीकी हिन्दी का प्रयोग करते हैं, मौलिक लेख, शोध पत्र आदि लिखकर हिन्दी में विज्ञान साहित्य को समृद्ध बना रहे हैं । वे वैज्ञानिक भी सम्माननीय हैं जो हिन्दी के लिए यंत्रों के विकास में कार्यरत हैं ।

प्रायः देखा जाता है कि जो वैज्ञानिक हिन्दी के माध्यम से और हिन्दी के लिए तकनीकी विकास कार्यों में रुचि लेते हैं तो उनके कार्य को गौण माना जाता है। उन्हें प्रोत्साहन तो नहीं, प्रत्युत पदोन्नति में देरी का दण्ड भोगना पड़ता है। यह बात फैलती है और नए उत्साही वैज्ञानिक को विशेष उत्साह न दिखाने के लिए प्रेरित करती है। इस परम्परा के प्रतिकार के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। राजभाषा विभाग को यह दायित्व सौंपा जा सकता है।

तकनीकी लेखन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पदोन्नति, विभागीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों की व्यवस्था की जावे। उत्साही वैज्ञानिकों को लोक विज्ञान प्रसार के लिए सरकारी अनुदान प्रदान किया जावे। तकनीकी हिन्दी को समृद्ध बनाने की दिशा में स्वतन्त्र कार्य करने के लिए फैलोशिप की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका—विज्ञान शोध भारती

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य हो गया है कि हिन्दी विज्ञान एवं टेक्नोलोजी की व्यावहारिक भाषा बन सके। भारत वर्ष का अतीत वैज्ञानिक उपलब्धियों से समृद्ध रहा है और संस्कृत में विपुल वैज्ञानिक साहित्य मिलता है। आधुनिक विज्ञान की नव नवीन उपलब्धियाँ पश्चिमी देशों में हुई और ये अधिकांश में अंग्रेजी के माध्यम से प्रकाश में आई, इनका अन्तर्राष्ट्रीय प्रसार भी अंग्रेजी के माध्यम से होता रहा है।

भारत जैसे विकासशील देश में बहुसंख्य जनता की लोक-भाषा हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध न होने के कारण भारतीय समाज का दृष्टिकोण आविष्कारोन्मुखी नहीं बन पा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप नवीन वैज्ञानिक उपलब्धियों एवं तकनीकी को आत्मसात् करने में भारतीय समाज सक्षम नहीं है और इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाने में भी अपना स्वतन्त्र मौलिक योगदान करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही जाती है और इसके आधार पर नई टैक्नोलॉजी को मंगाया जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी दिनोदिन बदल रही है और कुछ समय में और-अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाती है। जिसको मंगवाने के लिए पुनः अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्ध किए जाते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है और आधुनिकता की ओर बढ़ने को लक्ष्य बनाकर हम विदेशों में पली पोषी टैक्नोलॉजी ही मंगाकर काम चलाते रहते हैं। इस प्रक्रिया से टेक्नोलॉजी में स्वायत्तता प्राप्त करना मृगतृष्णा मात्र है।

इस स्थिति से उबरने के लिए हमें अपने समाज को आविष्कारोन्मुखी बनाना आवश्यक है जिससे समाज में ही नए-नए विचारों का उदय हो और उनके आधार पर हमारी आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त टेक्नोलॉजी का विकास सहज रूप में होता रहे। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रस्तावित है कि लोक भाषा के माध्यम से विज्ञान के कार्यों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया जाये। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अंग्रेजी के माध्यम से शोध कार्यों को प्रकाशित करने में प्रायः 40 से 60 महीने की देरी होती है जो कि टेक्नोलॉजी के तेजी से बदलते स्वरूप के सम्बन्ध में बहुत अधिक विलम्ब है। हिन्दी के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्यों को लगभग 6 (छः) महीने में प्रकाशित करना सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार नए विचार को विश्व के समक्ष बहुत जल्दी प्रस्तुत करने में विशेष सहायता मिलेगी। अन्यथा सम्भव है कि इसका श्रेय अन्य वैज्ञानिक को मिले। जहां तक वैज्ञानिकों के शोध व्यवहार का प्रश्न है, वे भाषा के आधार पर किसी शोध कार्य को नहीं देखते हैं, प्रत्युत्त शोध कार्य की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं और इसके लिए उन्हें अनुवाद की आवश्यकता हो तो वे ऐसा करने में नहीं हिचकते हैं। शोध प्रस्तुतीकरण में वैज्ञानिकों के व्यवहार को ध्यान में रख कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी में विज्ञान शोध पत्रिका का प्रकाशन सामयिक और तर्क-संगत है।

इस प्रक्रिया में विषय सूची के अन्तर्गत शोध पत्रों के शीर्षक हिन्दी में और उनके अनुवाद अंग्रेजी में और साथ ही इनका सारांश भी अंग्रेजी में रहेंगे। अंग्रेजी में सारांश होने से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान सम्बन्धी शोध पत्रों को समझने में आसानी होगी, और वैज्ञानिक शोध सामग्री की महत्ता का अनुमान लगाकर शोध पत्र विशेष को हिन्दी में पढ़ने अथवा हिन्दी से अपनी भाषा में अनुवाद कराने की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे।

3.1 प्रस्तावित स्वरूप

"विज्ञान शोध भारती"

संरक्षक—

प्रधानमंत्री, भारत सरकार।

सलाहकार समिति—

भारत सरकार के तकनीकी विभागों के सचिव और अन्य विशिष्ट वैज्ञानिक।

विज्ञान शोध भारती के विषय खण्ड—

खण्ड 1 : भौतिकी, रसायन आदि

खण्ड 2 : गणित

खण्ड 3 : आयुर्विज्ञान

खण्ड 4 : इंजीनियरिंग 1
(मेकेनीकल, सिविल, एरोनॉटिकल, जैविकी आदि)

खण्ड 5 : इंजीनियरिंग 2
(केमीकल, मेटलर्जीकल, मेटेरियल्स आदि)

खण्ड 6 : इंजीनियरिंग 3
(इलेक्ट्रॉनिकी)

सम्पादन/लेखन सुधार सहयोग—

वै-त-श आयोग/केन्द्रीय हिन्दी संस्थान

प्रकाशक—

वै-त-श आयोग/राजभाषा विभाग।

3.2 "विज्ञान शोध भारती" का कलेवर

पृष्ठ—1 —पत्रिका का नाम
—विशेष स्तम्भ
—मुख्य लेखों के नाम
—कवर डिजायन (खण्डों के अनुकूल अलग-अलग) डिजायन में परिवर्तन न हो, रंग में भिन्नता हो सकती है।

पृष्ठ—2 —पत्रिका के उद्देश्य
—लेखकों के लिए लेखन नियमावली
—सम्पादक सूची
—वै-त-श आयोग के प्रतिनिधि और पता

पृष्ठ—3 —शोध पत्रों की सूची
—शोध पत्र का शीर्षक हिन्दी में
—शोध पत्र का शीर्षक अंग्रेजी में (अनुवाद)
..... पृष्ठ संख्या
—सारांश अंग्रेजी में

पृष्ठ—4 —शोध पत्र (हिन्दी में विस्तार)
—शीर्षक हिन्दी में (शीर्षक का अंग्रेजी अनुवाद)
—लेखक का नाम, सम्पर्क पता
—विषय बोधक शब्द—(हिन्दी में भी) (अंग्रेजी में भी इंडेक्सटर्म)
—सारांश (केवल हिन्दी में)
—आलेख—प्रस्तावना, विस्तार आदि (हिन्दी में) संदर्भ सामग्री (देवनागरी में)

अन्तिम पृष्ठ—लेखकों का परिचय फोटोग्राफ कार्यभार, विशेष रुचियां आदि।

अन्तिम कवर—विज्ञान शोध भारती के अन्य अंकों/खण्डों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

3.3 प्रकाशन व्यवस्था

1. "विज्ञान शोध भारती", के 6 खण्ड प्रस्तावित हैं। प्रारंभ में पत्रिका त्रैमासिक हो। प्रत्येक अंक निर्धारित समय पर प्रकाशित किया जावे यद्यपि इसके लिए केवल एक पृष्ठ का ही शोध पत्र मिले।
2. सभी शोध पत्रों के बारे में अधिक से अधिक दो माह में स्वीकृति/सुधार/अस्वीकृति का निर्णय लेखक को भेज दिया जावे।
3. संपादन और लेखन सुधार में वै-त-श आयोग और केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की विशिष्ट भूमिका हो।
4. हिन्दी संसाधक (वर्ड प्रोसेसर) शब्द कम्प्यूटर की व्यवस्था हो तथा आरेखन की सुविधा प्रदान की जावे।
5. प्रकाशन और संपादन प्रबन्धन का दायित्व वै-त-श आयोग या राजभाषा विभाग का हो सकता है।
6. वैज्ञानिकों के लिए तकनीकी लेखन कार्यशालाएं, आयोजित करने का दायित्व राजभाषा विभाग का और हिन्दी में 'तकनीकी लेखन' पर मानक पुस्तक को तैयार करने और इसे प्रकाशित करने का दायित्व वै-त-श आयोग का हो। वै-त-श आयोग विषयवार तकनीकी शब्दावली के प्रकाशन की भी व्यवस्था करे।

3.4 "विज्ञान शोध भारती" के परिणामस्वरूप एक पंथ दो काज

1. तकनीकी हिन्दी का प्रयोजनमूलक द्रुत विकास होगा।
2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को प्रतिष्ठा मिलेगी।
3. भारतीय वैज्ञानिकों में भारत की समस्याओं पर आत्मविश्वास एवं गौरव के साथ काम करने की सतत् प्रेरणा मिलेगी।
4. हिन्दी में विज्ञान साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध होने पर भारतीय समाज आविष्कारोन्मुखी बनेगा जो कि सर्वांगीण प्रगति और उसके स्थायित्व के लिए अनिवार्य है।

4. हिन्दी के लिए सूचना-टैक्नोलॉजी

विधि क्षेत्रों में हिन्दी में काम किया जा रहा है, और अनेक क्षेत्रों में हिन्दी में काम करने की सम्भावना है। काम को तेजी से निपटाने और उत्कृष्टता के साथ पूरा करने के लिए कम्प्यूटर आदि सूचना टैक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना-टैक्नोलाजी से अभिप्राय है कम्प्यूटर, टेलीप्रिंटर, विडियोटेक्स, टेलीटेक्स, कम्प्यूटर नेटवर्क इत्यादि। इन सभी यंत्रों में सूचना को संसाधित कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज सकते हैं।

हिन्दी और भारतीय भाषाओं के लिए सूचना-टैक्नोलॉजी के विकास, और प्रचार-प्रसार के लिए समन्वित कार्यक्रम किए जाने की आवश्यकता है।

4.1 शब्द संसाधन (कम्प्यूटर) टर्मिनल

कम्प्यूटर के विविध प्रयोगों में कार्यालयीन रिपोर्ट आदि तैयार करने, पत्र तैयार कर अनेक लोगों को मूल पत्र भेजने के लिए वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग अपरिहार्य हो गया है। हिन्दी वर्ड प्रोसेसर से पेज, पैराग्राफ, पंक्ति, शब्द को समायोजित कर सकते हैं। सामग्री में तुरन्त संशोधन कर सकते हैं। कुंजीयन करने के

बादसमायोजित/संसाधित सामग्री को दृश्य पटल पर देख सकते हैं और प्रिंटर से छाप सकते हैं।

शब्द संसाधन (वर्ड प्रोसेसिंग) के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग सामान्य होता जा रहा है। स्वाभाविक है कि यदि मात्र अंग्रेजी के लिए ही यह सुविधा रहेगी तो अधिकांश काम अंग्रेजी में ही होगा हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाने के लिए देवनागरी शब्द संसाधन कम्प्यूटर को काम में लाना आवश्यक है। ज्ञातव्य है कि ऐसे कम्प्यूटर विकसित हो गए हैं और व्यावसायिक स्तर पर उपलब्ध भी हैं सामग्री को द्विभाषिक रूप में प्रिंट करा सकते हैं। बी० आई० टी० एस० डी० सी० एम०, आई० आई० टी० (मद्रास); पी० आर० एल० (अहमदाबाद), आई० आई० टी० (कानपुर) में विकसित देवनागरी शब्द संसाधन कम्प्यूटर उल्लेखनीय हैं। कार्यालयों में इनके प्रयोग को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है वर्तमान निर्णायक तंत्र में सामाजिक स्पंदन की अनुभूति नहीं है, नए प्रयोग की पहल कम है, और सामाजिक दायित्व के प्रति दृढ़ संकल्प नहीं है। उधर अंग्रेजी के लिए कम्प्यूटर आदि विविध साधनों का प्रचार विदेशों में है और विदेशी अनुकृति यहां के विज्ञापनों में भी है। हिन्दी के लिए इन साधनों को समझाने के लिए विज्ञापन, आलेख, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाओं आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और राजभाषा विभाग के संयुक्त प्रयासों से कार्यालयों में देवनागरी शब्द संसाधन कम्प्यूटर के प्रति जागृति पैदा की जा सकती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं।

4.2 कम्प्यूटर पर आधारित सूचना संहिताएं

सही सूचना/आंकड़ों के आधार पर शीघ्र निर्णय लेने की दृष्टि से कम्प्यूटर का प्रयोग महत्वपूर्ण है। उद्योग, जन/श्रम शक्ति, कृषि यातायात, ऊर्जा जनस्वास्थ्य, अनुसंधान पेटेण्ट-स्टेंडर्ड्स (मानक), पुस्तक, शोध पत्र, शिक्षण सुविधा आदि सूचना संहिताएं हिन्दी में उपलब्ध होने पर बहुसंख्य सामान्य जनों को लाभ हो सकेगा। पुलिस में अपराध सूचना संहिता उपयोगी सिद्ध होगी। न्याय के क्षेत्र में न्याय सूचना संहिता की सहायता से कम से कम समय में प्रकरण-विश्लेषण करना सम्भव हो सकेगा। कृषि सूचना संहिता की उपादेयता स्वयं सिद्ध है। इससे ग्राम, जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर निर्णय लेने में बड़ी मदद मिलेगी। हिन्दी के माध्यम से सूचना संग्रह सम्प्रेषण और प्रसार में आसानी होगी और शीघ्रता होगी। स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बनाने के लिए देवनागरी कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे। अस्पताल प्रबन्धन और स्वास्थ्य शिक्षा में इनसे विशेष सहायता मिलेगी।

जन सम्पर्क के अनेक पत्रों में देवनगारी कम्प्यूटर से हिन्दी प्रयोग को सम्मान मिलेगा और बल मिलेगा। टेलीफोन और बिजली बिल, टेलीफोन डायरेक्टरी (दूरभाष निर्देशिका) समय से हिन्दी में तैयार की जा सकेंगी।

अनुसंधान, पेटेण्ट और मानकों की सूचना को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इस समय कम्प्यूटर रिपोर्ट मात्र अंग्रेजी में बनने से प्रसार कार्य हिन्दी और भारतीय भाषाओं सम्भव नहीं हो पा रहा है। सम्पूर्ण समाज को आविष्कारोन्मुखी बनना तो इस क्षेत्र में भी देवनागरी कम्प्यूटर का प्रयोग अपरिहार्य होगा। देवनागरी कम्प्यूटर से जानकारी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में होने से सम्बन्धित समाज असलियत समझने में मुंह देखा नहीं रहेगा जो न्यायसंगत है।

4.3 शिक्षा में कम्प्यूटर

सामाजिक क्रांति में गुणित प्रभावकारी शिक्षा संस्थानों का योगदान सर्वदा महत्वपूर्ण रहा है। आज शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए कम्प्यूटर के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। भारत में स्कूल और कालेजों में छोटे कम्प्यूटर की मदद से विविध विषयों के शिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है। अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी शिक्षा में केवल अंग्रेजी की व्यवस्था होने पर विद्यार्थियों और भावी नागरिकों में हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रति तिरस्कार का भाव जड़ जमाने लगेगा; सामान्य जन और शिक्षित वर्ग के बीच दूरी बढ़ने लगेगी। लेकिन हर्ष की बात है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने कम्प्यूटर में भारतीय भाषाओं के प्रयोग की दिशा में अनेक समन्वित प्रयास किए हैं। इनके परिणामस्वरूप देवनागरी कम्प्यूटर व्यावसायिक स्तर पर भी उपलब्ध हो रहे हैं। तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर देवनागरी कम्प्यूटर प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया था। इसमें चौदह तकनीकी संस्थाओं ने इस दिशा में किए जा रहे विविध प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। देवनागरी कम्प्यूटर के प्रयोग से हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को उचित सम्मान मिल सकेगा। विद्यार्थियों को भी विशेष लाभ होगा क्योंकि कम्प्यूटर से विषय वस्तु समझने में आसानी होगी। कम्प्यूटर में चित्र, ध्वनि रंग, और सजीवता का आकर्षक प्रयोजनमूलक सम्मिश्रण सम्भव है। सुशिक्षित अध्यापक के रूप में कम्प्यूटर समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।

हिन्दी और भारतीय भाषाओं को वैज्ञानिक रूप से और अधिक भली प्रकार से समझने में आसानी होगी। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में काम्प्य भाषा विज्ञान (कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स) का शीघ्र विकास हो सकेगा। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान विदेशियों को हिन्दी पढ़ाने की योजना चलाता है। कम्प्यूटर से हिन्दी भाषा का शिक्षण प्रभावी सिद्ध होगा। कम्प्यूटर में हिन्दी प्रयोग के दौरान शब्द, वाक्य रचना और प्रस्तुतीकरण के स्वरूप को मानकीकृत करने में आसानी होगी।

4.4 कम्प्यूटर से अनुवाद

अनुवाद प्रारूप तैयार करने के लिए देवनागरी कम्प्यूटर उपयोगी होंगे। देवनागरी कम्प्यूटर से हिन्दी में अनुवाद प्रारूप तैयार होने पर वैज्ञानिक इन्हें पढ़कर वांछित संशोधन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से दो लाभ होंगे —पहला यह कि हिन्दी में विज्ञान सामग्री शीघ्र उपलब्ध हो सकेगी और दूसरा यह है कि वैज्ञानिकों को हिन्दी के मानक शब्दों का ज्ञान होगा तथा हिन्दी में मौलिक लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न होगी।

कम्प्यूटर का प्रयोग तकनीकी शब्दावली निर्माण, पुनर्मूल्यांकन और विषयवार मुद्रण में भी सहायक होगा। अंग्रेजी से हिन्दी में कम्प्यूटर-अनुवाद की दिशा में आई० आई० एस० सी० (बंगलौर), बी० आई० टी० एस० (पिलानी) और युडकी (दिल्ली) में प्रयास किए जा रहे हैं।

एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में कम्प्यूटर अनुवाद आसान है, क्योंकि उनमें व्याकरण की समानता है और बहुत से शब्द मिलते-जुलते हैं।

कम्प्यूटर अनुवाद से अभिप्राय है कम्प्यूटर से अनुवाद-प्रारूप तैयार करना और इसे रोचक एवं प्रयोजनमूलक बनाने की दृष्टि से संपादक (व्यक्ति) के द्वारा यथेष्ट शब्द चयन तथा शैली परिवर्तन की स्वतन्त्रता। इस प्रकार कम्प्यूटर अनुवाद कम्प्यूटर और मानव (संपादक) दोनों का सहकार्य है। मोटे तौर पर पूरे लेख का संशोधित अनुवाद देने में संपादक (व्यक्ति) का लगभग 5 प्रतिशत समय ही लगेगा, और वह ऐसे 15–20 लेखों को संशोधित अनुवाद के रूप में दे सकेगा जबकि इससे पहले एक लेख ही तैयार कर पाता था। इसके अतिरिक्त अब उसका कार्य और अधिक बौद्धिक स्तर का हो जाता है।

"तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन" 83 के उद्घाटन भाषण में भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम्प्यूटर अनुवाद की उपादेयता की ओर संकेत किया था।

कम्प्यूटर अनुवाद का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। इसके लिए एक समय बद्ध परियोजना को शुरू करने की आवश्यकता है। यह परियोजना इलेक्ट्रानिकी विभाग एवं अन्य तकनीकी विभागों के समन्वित प्रयास से आरम्भ की जानी चाहिए।

5. लोक विज्ञान परिषद्

अब हिन्दी को अनुवाद के सहारे व्यवहार और उपयोग की भाषा बनाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन मात्र अनुवाद ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि उद्देश्य है :

समाज को आविष्कारोन्मुखी बनाना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विज्ञान और तकनीकी को लोक भाषा के माध्यम से सामान्य जन तक इस प्रकार पहुंचाना होगा कि वे इसे आत्मसात कर प्रगति कर सकें; नव-नवीन सहज विचारों एवं आविष्कारों से भारतीय समाज की वैज्ञानिक सम्पदा को सम्पन्न बनाने लगें; विज्ञान विदेशी न रह कर सहज बन जावे। सभी विज्ञजन सहमत हैं कि भारत में समाजोपयुक्त तकनीकी विकास का दायित्व थोड़े लोगों तक ही सीमित न रहे, इसमें सम्पूर्ण समाज का योगदान हो।

भारत वर्ष अपने सांस्कृतिक मूल्यों के लिए सुविख्यात है। कदाचित ऐसा अनुभव होता है कि भारत वर्ष बहुत तेजी से औद्योगिक प्रगति भी कर सकेगा यदि भारतीय समाज में जिसमें अधिसंख्य ग्रामीण हैं विज्ञान एवं आविष्कार के प्रति पर्याप्त जागृति हो जावे। सृजनात्मक एवं आविष्कारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने और विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू भी "विज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाने" पर विशेष बल देते थे।

इस महान राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के लिए प्रस्तावित है—"लोक विज्ञान परिषद्" का गठन। लोक विज्ञान परिषद् के उद्देश्यों और संगठन की परिकल्पना इस प्रकार है :—

5.1 लोक विज्ञान परिषद् के उद्देश्य :—

0. भारतीय समाज को आविष्कारोन्मुखी बनाना,
1. लोक भाषा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से विज्ञान एवं तकनीकी उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करना,
2. विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर संगोष्ठियों, सम्मेलनों, विज्ञान प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना,
3. फिल्म, कम्प्यूटर चल विज्ञान प्रदर्शनी आदि के माध्यम से ग्रामीण अंचल में विज्ञान प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और लोक विज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन करना,
4. सभी भारतीय भाषाओं को और अधिक निकट लाने की दृष्टि से विज्ञान एवं तकनीकी शब्दावली के विकास और व्यवहार हेतु प्रयास करना,
5. विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षण-प्रशिक्षण और अनुसंधान के केन्द्रीय संस्थानों में लोकभाषा हिन्दी के प्रयोग की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करना,
6. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी आयुर्विज्ञान और प्रबन्ध विज्ञान की शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों से सम्पर्क करना,
7. हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर आदि आधुनिक उपकरणों/यंत्रों का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास करना,
8. मौलिक तकनीकी लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए विविध प्रयास करना,
9. विज्ञान शोध भारती पत्रिका के लिए तकनीकी परामर्श, शोध पत्रों की जांच, आदि कार्यों का समन्वयन करना,
10. विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में शोध और इसके व्यापक व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयास करना।

5.2 संगठन

विज्ञान प्रचार-प्रसार की दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। कुछ उल्लेखनीय हैं—"मराठी विज्ञान

परिषद्" का प्रांतीय स्तर पर सफल प्रयोग, इलाहाबाद में विज्ञान मंच और विज्ञान अनुसंधान पत्रिका का प्रकाशन, राजस्थान में हिन्दी अकादमी द्वारा शोध स्तरीय पत्रिका "रसायन समीक्षा" का प्रकाशन इत्यादि ।

प्रस्तावित परिषद् इन सभी समाज सेवी संस्थाओं के साथ तालमेल रखेगी, और सरकार के विभिन्न विभागों को विज्ञानोन्मुखी सामाजिक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में सहयोग देगी ।

तकनीकी हिन्दी के विकास के सम्बन्ध में कई सुझाव दिए गए हैं । इनका समन्वयन दायित्व लोक विज्ञान परिषद् का होगा ।

लोक विज्ञान परिषद् एक स्वायत्तशासी संस्था होगी । इसमें कार्यरत वैज्ञानिकों को लोक विज्ञान प्रसार की योजना बनाने और कार्यान्वित करने का अवसर मिलेगा । हिन्दी अनुवाद सेवा स्तर तक ही सीमित हो । विज्ञान में मौलिक चिन्तन, लेखन और निर्माण पर बल दिया जावेगा ।

लोक विज्ञान परिषद् का गठन प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हो । संगठन सलाहकार समिति के सदस्य भारत सरकार के योजना आयोग और तकनीकी विभागों के प्रतिनिधि और विशिष्ट वैज्ञानिक हों ।

6. हिन्दी में नए शोध विषय

जहां एक ओर वैज्ञानिकों को हिन्दी लेखन के लिए प्रवृत्त करना है, वहीं हिन्दी में विज्ञान सम्बन्धी विषयों पर शोध कार्य को प्रोत्साहित करना आवश्यक है । शोध की महत्ता दिशा बदल देने से हिन्दी जगत को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में आसानी होगी । डाक्टरेट (शोध) के लिए निम्नलिखित कतिपय विषय प्रस्तावित हैं :—

1. हिन्दी में विज्ञान लेखन की परम्परा
2. हिन्दी में विज्ञान साहित्य
3. हिन्दी में वैज्ञानिक शोध साहित्य
4. विज्ञान और हिन्दी पत्रकारिता
5. विज्ञान और तकनीकी के लिए हिन्दी भाषा का स्वरूप
6. हिन्दी के विज्ञान साहित्यकार
7. तकनीकी शब्दावली का समीक्षात्मक विवेचन
8. हिन्दी में विज्ञान अनुवाद का समीक्षात्मक अध्ययन
9. हिन्दी लेखकों पर आधुनिक विज्ञान का प्रभाव
10. हिन्दी साहित्य का गणितीय स्वरूप एवं तुलनात्मक अध्ययन
11. हिन्दी के लिए टैक्नोलॉजी के विकास का इतिहास
12. हिन्दी में विज्ञान कथाएं
13. हिन्दी लेखन में मानकीकरण एवं सृजनात्मक संभावनाएं
14. हिन्दी की बेसिक शब्दावली
15. साहित्यिक सृजन एवं वैज्ञानिक शोध
16. कम्प्यूटर से हिन्दी भाषा शिक्षण भाषायी विश्लेषण, आदि ।

7. उपसंहार

तकनीकी हिन्दी का विकास सामयिक आवश्यकता है तभी लोक-भाषा हिन्दी विज्ञान और तकनीकी की समुन्नत भाषा बन कर समाज को आविष्कारोन्मुखी बनाने में समर्थ हो सकेगी । साहित्यिक हिन्दी सांस्कृतिक मूल्यों की द्योतक बनी और इसने देश को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधा । तकनीकी हिन्दी से औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति का आधार सुदृढ़ बनेगा । हिन्दी के लिए आधुनिक टैक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है । इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता भी मिली है ।

तकनीकी हिन्दी के विकास के सम्बन्ध में कतिपय सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं । कुछ प्रमुख सुझाव हैं : तकनीकी हिन्दी सम्मेलन; तकनीकी लेखन के लिए पुस्तक, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन; "विज्ञान शोध भारती" का प्रकाशन; देवनगारी कम्प्यूटर प्रयोग; लोक विज्ञान परिषद् का गठन ।

सारणी 1—कार्य योजना एवं दायित्व

परिशिष्ट—1

कार्य क्षेत्र	विभाग जिन्हें दायित्व सौंपा जा सकता है						
	इलेक्ट्रानिकी विभाग	वै०-प्रौ० एवं अन्य तकनीकी विभाग	वै-त-श आयोग	के० हिन्दी संस्थान	राजभाषा विभाग	शिक्षा विभाग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1. तकनीकी हिन्दी सम्मेलन		×	×				के० स० हिन्दी परिषद्
2. तकनीकी लेखन पर मानक			×				
3. प्रशिक्षण कार्यशालाएं				×	×		
4. विषयवार शब्दावली			×				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. उच्चस्तरीय विज्ञान शिक्षा			×			×	
6. हिन्दी में तकनीकी लेखक परिचय पुस्तिका					×		के० स० हिन्दी परिषद्
7. तकनीकी लेखन प्रोत्साहन योजना					×		
8. 'विज्ञान शोध भारती' का प्रकाशन			×		×		लोक विज्ञान परिषद्
9. शब्द संसाधन कम्प्यूटर-विकास निर्माण, प्रशिक्षण	×						भारतीय जन संचार संस्थान
10. देवनागरी कम्प्यूटर प्रयोग संवर्द्धन, हिन्दी में सूचना संहिताएं आदि	×						
11. शिक्षा में हिन्दी कम्प्यूटर	×			×		×	
12. कम्प्यूटर अनुवाद,	×	×			×		
13. लोक विज्ञान परिषद्		×					नव गठन

वै–त–श आयोग : वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग
भारत सरकार के तकनीकी विभाग—परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी, अन्तरिक्ष, पर्यावरण, वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी, सामुदिक विकास, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

परिशिष्ट-2

सारणी 2—भारतीय भाषाओं के लिए सूचना-टेक्नालाजी का विकास—विहंगावलोकन

कार्य क्षेत्र	प्रगति	स्थान	अभीष्ट उद्देश्य
1	2	3	4
1. भाषा विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन	कम	आई० आई० एस० सी० (बंगलौर) आई० आई० टी० (का० मद्रास क्रिश्चियन कालेज, वै–त–श आयोग के भ० संस्थान (मैसूर),	भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण, इससे कुंजीपटल के डिजायन और कम्प्यूटर अनुवाद आदि के लिए पद्धतियों के विकास में विशेष सहायता होगी ।
2. कम्प्यूटर निवेश एवं बहि-निवेश उपस्कर	कम	आई० आई० टी० (बं०, दि० का०म०) टी० आई० एफ० आर० (बं०), हि० टेली० लि०, जादवपुर वि० वि० सी० एम० सी०, पी० आर० एल० (अहमदाबाद)	(1) कंसोल कुंजीपटल, प्रकाश पाठित्र ध्वनि पहचान यंत्र का विकास (2) प्रिंटर प्लाईटर, दृश्यटर्मिनल, बोल यंत्र का विकास
3. सूचना कोड एवं कुंजीपटल का मानकीकरण	संतोषजनक	इलेक्ट्रानिकी विभाग	मानकीकरण एवं व्यावहारिक प्रयोग की बाध्यता
4. प्रोग्राम पद्धतियों का विकास	संतोषजनक	बी० आई० टी० एस० (पि०) डी० सी० एम० आई० आई० टी० (का० म०, दिन० (टी० आई० एफ० आर० (बं०	भारतीय भाषाओं के लिए प्रोग्रामन पद्धतियों का विकास

(1)	(2)	(3)	(4)
5. सूचना संहिता	अत्यल्प	इलेक्ट्रानिकी विभाग	कृषि, शिक्षा, उद्योग, जन/श्रम शक्ति योजना आदि सूचना संहिताओं का विकास
6. कम्प्यूटर से अनुवाद प्रारूप	कम	आई० आई० एस० सी० (बंगलौर), उड़क्की (दि० वै–त–श आयोग, राजभाषा आयोग)	(1) शब्दावली का विकास (2) भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद (3) अंग्रेजी से भाषा में अनुवाद
7. कम्प्यूटर से शिक्षण	कम	बी० आई० टी० एस० (पि०) आई० आई० टी० (का०) टी० टी० टी० आई० (चण्डीगढ़)	स्कूल स्तर पर कम्प्यूटर से शिक्षक शिक्षण सुविधा
8. इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीप्रिंटर आदि संचार सुविधाएं	कम	हि० टेल० लि०, (मद्रास) इलेक्ट्रनिकी वि० संचार वि०	इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिण्टर का विकास इसे कम्प्यूटर से जोड़ने की व्यवस्था दूरसंचार कोड का मानकीकरण।
9. कम्प्यूटर से प्रिंटिंग	कम	एन० सी० एस० डी० सी० टी० (वं०), सी० एम० सी०,	भा० लिपियों में प्रिंटिंग के लिए आधुनिक टैक्नोलॉजी और तकनीकों का विकास
10. ध्वनि पहचान पद्धतियों	अत्यल्प	पी० आर० एल० (अ) टी० आई० एफ० एफ० आर० (ब०) रुड़की (दी) आई० आई० टी० (का)	ध्वन्यात्मक भा० भाषाओं के लिए ध्वनि पहचान
11. कम्प्यूटर प्रशिक्षण	बिल्कुल नहीं	इलेक्ट्रॉनिकी विभाग	कम्प्यूटर प्रयोग का डिप्लोमा कोर्स कम्प्यूटर विज्ञान का बी० एस० सी० कोर्स आदि
12. अनुदान	कम	इलेक्ट्रानिकी की राजभाषा वि०, वि० एवं प्रौ० वि० यू० एन० डी० पी०, यूनेस्को, आई०डी०आर०सी० (कनाडा)	भा० भाषाओं के लिए सूचना टैक्नोलाजी के विकास के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था हो

परिशिष्ट-2 (ख)

सूचना टैक्नोलॉजी के विकास की दिशा में इलेक्ट्रानिकी विभाग (भारत सरकार) के द्वारा समन्वित प्रयास —
संगोष्ठी, टैक्नोलॉजी विकास परियोजनाएं, कोड मानकीकरण, प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, देवनगरी कम्प्यूटर विकास कक्ष।

(1) संगोष्ठी—

1978 में कम्प्यूटर पर आधारित सूचना प्रणालियों में भाषायी समस्याओं पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

(2) टैक्नोलॉजी विकास परियोजनाएं—

—मद्रास क्रिश्चियन कालेज—
—देवनागरी एवं तमिल संप्रतीकों की कम्प्यूटर से पहचान
—बी० आई० टी० एस० (पिलानी)
—देवनागरी पर आधारित सूचना संसाधन पद्धतियों का विकास
—हिन्दी सम्मेलन सूचना सहित का विकास
—देवनागरी के लिए लाइन प्रिंटर
—टी० आई० एफ० आर० एवं बम्बई वि० वि०—
—देवनागरी पर आधारित निवेश-बहिर्निवेश उपस्करों का विकास
—आई० आई० एस० सी० (बंगलौर)
—अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से कन्नड़ में कम्प्यूटर अनुवाद
—एन० सी० ई० (कलकत्ता)
—कम्प्यूटर से बहुभाषी शब्दकोष–जातीय अभिधान का विकास
—जादवपुर वि० वि०—
—बंगाली, असमी, मणिपुरी, भाषाओं के लिए फोटो कंपोजीशन और कम्प्यूटर संसाधन पद्धतियों का विकास
—आई० आई० टी० (मद्रास)
—कन्नड़ लिपि के लिए दृश्य पटल कंट्रोलर का विकास
—भा० भाषाओं (विशेषतः हिन्दी और तमिल) के लिए शब्द संसाधन कम्प्यूटर टर्मिनल का विकास
—सी० एम० सी० (हैदराबाद)
—भारतीय लिपियों में इलेक्ट्रॉनिक कम्पोजीशन (प्रिंटिंग) सुविधाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण
—के० भा० भा० संस्थान (मैसूर)
—काम्प्य भाषा विज्ञान (कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स) पर प्रशिक्षण

—आई० आई० टी० (कानपुर)

—एकीकृत देवनागरी कम्प्यूटर टर्मिनल विकास

(3) मानकीकरण—

—परिवर्द्धित देवनागरी

—भाषायी विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से ध्वनिलिपी (फोनो-ग्राफिक) कुंजीपटल का डिजायन किया है ।

—सूचना आदान-प्रदान के लिए 8-बिट इस्की कोड को अन्तिम रूप दिया है ।

(4) प्रशिक्षण

कम्प्यूटर प्रयोगों के प्रशिक्षण के लिए स्नातकोत्तर एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को हिन्दी में तैयार किया गया है । अन्य योजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है ।

(5) प्रदर्शनी

"तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन" 83 के अवसर पर अक्तूबर 27-31, 1983 को देवनागरी कम्प्यूटर प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया । इसमें सम्पूर्ण भारत की चौदह विभिन्न संस्थानों ने देवनागरी कम्प्यूटर और इस पर विविध प्रयोगों का प्रदर्शन किया गया । सामाजिक दृष्टि से यह एक अभूतपूर्व सफल आयोजन था । अनेक विद्वानों ने इस युगांतरकारी प्रदर्शनी की संज्ञा दी ।

(6) देवनागरी कम्प्यूटर विकास कक्ष—

देवनागरी कम्प्यूटर के विकास से सम्बन्धित अनेक परियोजनाओं का प्रभावी रूप से समन्वयन करने के लिए 1982 में इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा देवनागरी कम्प्यूटर कक्ष की स्थापना की गयी । इस कक्ष को स्थापित करने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे —

(क) आन्तरिक कोडों कुंजी-पटल ले आउट का मानकीकरण,

(ख) उपयुक्त सूचना तकनीकी का चयन

(ग) कम्प्यूटर पर आधारित अनुवाद के लिए व्यवहार्य प्रणाली-विज्ञान के विकास का संवर्धन

(घ) देवनागरी में कम्प्यूटर अनुप्रयोगों का विकास

(च) कम्प्यूटर पर आधारित टाइप सैटिंग व मुद्रण सहायक उपकरणों के विकास का संवर्धन

(छ) तकनीकी विकास परियोजनाओं का प्रभावी समन्वयन ।

(ज) देवनागरी कम्प्यूटर के क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों का आयोजन ।

सारणी 3—विश्वविद्यालय जहां बी० एस सी०/एम० एससी० में हिन्दी माध्यम है ।

बिहार—भागलपुर वि० वि०

1. भागलपुर-812007
2. बिहार वि० वि०, मुज्फ्फरपुर,
3. मगध वि० वि० बोध गया-822434
4. एल० एन. मिथिला वि० वि०, दरभंगा
5. पटना वि० वि०, पटना-800005
6. कुरुक्षेत्र वि० वि०, कुरुक्षेत्र-132119
7. महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक-124001

हिमाचल प्रदेश

8. हिमाचल प्रदेश वि० वि०, शिमला—171005

मध्य प्रदेश

9. अवधेश प्रताप सिंह वि० वि०, रीवां-486003
10. भोपाल वि० वि०, भोपाल
11. इंदौर वि० वि०, इंदौर
12. जबलपुर वि० वि०, जबलपुर
13. जीवाजी वि० वि०, ग्वालियर-474002
14. रविशंकर वि० वि०, रायपुर-492002
15. सागर वि० वि०, सागर
16. विक्रम वि० वि०, उज्जैन-456010

महाराष्ट्र

17. बम्बई वि० वि०, बम्बई—400032
18. नागपुर वि० वि०, नागपुर—34

राजस्थान

19. जोधपुर वि० वि०, जोधपुर—342003
20. राजस्थान वि० वि०—304004
21. उदयपुर वि० वि०, उदयपुर

उत्तर प्रदेश

22. आगरा वि० वि०, आगरा-282004
23. इलाहाबाद वि० वि०-211002
24. अवध वि० वि०, फैजाबाद-224001
25. बनारस हिन्दू वि० वि०, वाराणसी-221001
26. बुन्देलखण्ड वि० वि०, झांसी-284003
27. दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा
28. गढ़वाल वि० वि०, गढ़वाल
29. कानपुर वि० वि०, कानपुर
30. कुमायं वि० वि०, नैनीताल—263001

31. लखनऊ वि० वि०, लखनऊ—226007
32. मेरठ वि० वि०, मेरठ
33. रोहेलखंड वि० वि०, बरेली—243001

दिल्ली

34. दिल्ली वि० वि०, दिल्ली—110007

आभारोक्ति —

कम्प्यूटर में भारतीय भाषाओं के प्रयोग की दिशा में इलेक्ट्रानिकी विभाग में लेखक को संगोष्ठी-प्रदर्शनी के आयोजन, कोड मानकीकरण और परियोजना समन्वयन करने का अवसर मिला। इस हेतु लेखक इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रति आभारी है। प्रस्तुत प्रारूप तैयार करने के लिए श्री देवेन्द्रचरण मिश्र (संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग) से प्रेरणा मिली। लेखक उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

संदर्भ आलेख

1. ओम विकास, "विज्ञान & हिन्दी अनुवाद",
बहुभाषिकता एवं अनुवाद संगोष्ठी
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (दिल्ली), 1–3 फरवरी 1983।

2. ओम विकास, "तकनीकी हिन्दी का प्रादुर्भाव",
इलेक्ट्रानिकी भारती, 1983 पृष्ठ 17–19

3. ओम विकास "हिन्दी में टंकण, दूर मुद्रण तथा कम्प्यूटर के प्रयोग की व्यवस्था",
विश्व के मानचित्र पर हिन्दी (वि०–दृ–प्र० निदेशालय, 1983)
पृष्ठ 21–38

4. ओम विकास "देवनागरी कम्प्यूटर की उपयोगिता"
आविष्कार, जनवरी, 1983, पृष्ठ 11–13
लोक उद्योग, जुलाई, 1982, पृष्ठ 47–50

5. ओम विकास (संयोजक)
भारतीय भाषाओं के लिए सूचना कोड एवं कुंजी पटल का मानकीकरण
इलेक्ट्रानिकी विभाग, 1 जुलाई, 1983

6. तकनीकी संगोष्ठी विशेषांक,
जरनल आफ दि इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया), हिन्दी खण्ड—2, दिसम्बर 1978

अंग्रेजी जानने वाले बहुत थोड़े हैं और अंग्रेजी को प्रश्रय देना न व्यावहारिक है न ही देश के लिए हितकर है। देश को भाषायी दृष्टि से जोड़ने की हिन्दी ही एक मजबूत कड़ी है। हिन्दी को किसी पर थोपने की बात निराधार है। सभी भारतीय भाषाएं उन्नति व प्रगति करें और कड़ी के रूप में हिन्दी देश की एकता को मजबूत बनाए।

—इन्दिरा गान्धी

हिन्दी की वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में प्रगति

—हरिबाबू कंसल

("हिन्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी विषय पर पुस्तकों का अभाव है। हिन्दी वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों के लिए सक्षम नहीं है"—इस भ्रम का निवारण करते हैं राजभाषा हिन्दी की प्रयुक्ति से प्रारम्भ से ही जुड़े, राजभाषा विभाग के भूतपूर्व उप सचिव तथा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के संस्थापक सदस्य हरिबाबू कंसल)

जब प्रशासन, विधि, न्याय, विज्ञान आदि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की चर्चा होती है, तब कुछ व्यक्तियों को यह कहते सुना जाता है कि "अभी हिन्दी को विकसित होने दीजिए", "जब हिन्दी विकसित हो जाएगी, तब इन क्षेत्रों में हिन्दी की धीरे-धीरे शुरुआत करने की बात सोची जा सकेगी" "अभी हिन्दी में उपयुक्त शब्द नहीं हैं", "अभी तकनीकी विषयों में मूल चिन्तन हिन्दी में कहां संभव हो सकता है", आदि आदि आदि। इस प्रकार का कथन कुछ तो सही स्थिति की जानकारी न होने के कारण होता है और कभी-कभी हिन्दी की सामर्थ्य के विषय में शंकायें उत्पन्न करने का प्रयत्न जान-बूझकर किया जाता है।

कोई भाषा कितनी विकसित तथा समर्थ है, इसका मूल्यांकन इस आधार पर ही किया जा सकता है कि उसके साहित्य में कितनी विविधता है, क्या उसमें सभी विषयों के विचार अभिव्यक्त करने की क्षमता है, उस भाषा का प्रयोग किन-किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में हो रहा है, क्या वह भाषा आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम है तथा भविष्य में प्रगति के लिए उसकी क्या संभावनायें हैं।

पहले की स्थिति

एक समय था जब हिन्दी साहित्य केवल कविताओं, आख्यानों तथा धार्मिक ग्रंथों तक सीमित था। समय के साथ उपन्यास, लघु कहानियां, निबन्ध तथा आलोचनायें लिखी जाने लगीं। पत्रिकायें तथा समाचारपत्र भी प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार साहित्य में काफी विविधता आने लगी। फिर भी लगभग 50 वर्ष पूर्व हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य बहुत कम दिखाई पड़ता था। सामान्यतः यही समझा जाता था कि हिन्दी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, निबन्ध लेखन, धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति अथवा साधारण पत्र-व्यवहार और प्रशासन के निम्न स्तर का कामकाज चलाने के ही लायक है।

समय बदला

यदि हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य यथेष्ट मात्रा में पहले उपलब्ध नहीं रहा तो यह हिन्दी की दुर्बलता के कारण नहीं था। समय की आवश्यकताओं के अनुसार भाषा बढ़ती है और उसका स्वरूप बदलता रहता है। द्वितीय विश्व महायुद्ध से पूर्व भारत में बहुत कम उद्योग थे। मशीनों में से बनी छोटी-छोटी वस्तुएं इंगलैंड, जर्मनी, जापान आदि देशों से आयात की जाती थीं। विज्ञान की शिक्षा पर विशेष बल नहीं था। देश परतन्त्र था। युद्ध की विशेष परिस्थितियों में भारत में कई प्रकार के नए उद्योग लगे और मशीनों से बनने वाली अनेक वस्तुओं का उत्पादन भारत में होने लगा। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगीकरण के लिए अनेक योजनायें बनाई गईं, विज्ञान की पढ़ाई पर अधिक बल दिया जाने लगा तथा इन सब के फलस्वरूप देश ने तकनीकी क्षेत्र में बहुमुखी प्रगति की। स्वाधीन भारत में शिक्षाविदों की यह निश्चित राय थी कि शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम मातृ भाषाएं ही हो सकती हैं। इन भाषाओं में शिक्षा ठीक रूप से तभी दी जा सकती थी, जब उनमें विभिन्न स्तर की पुस्तकें हों तथा अन्य तकनीकी साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। एक बार जब इस प्रकार की नीति बनी और उसका कार्यान्वयन आरम्भ हुआ तो हिन्दी में विज्ञान संबंधी अनेक पुस्तकें अच्छे स्तर की लिखी जाने लगीं। वास्तव में यदि शिक्षा माध्यम के रूप में हिन्दी को अपनाने के निश्चय पर दृढ़तापूर्वक अमल किया गया होता तो आज हिन्दी में तकनीकी विषयों की पुस्तकों की कोई कमी न रहती और इस प्रकार का साहित्य केवल अनुदित रूप में नहीं, अधिकांशतः मौलिक रूप में दिखाई पड़ता। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषतः तकनीकी विषयों के सम्बन्ध में, अभी भी अंग्रेजी का वर्चस्व है। यदि अंग्रेजी का वह दबाव हटे तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी की प्रगति आश्चर्यजनक रूप में होती दिखाई पड़ेगी।

शब्दावली-एकरूपता

इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए कि भारत में विभिन्न विषयों की शिक्षा हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, यह आवश्यक समझा गया कि हिन्दी में प्राधिकृत पारिभाषिक शब्दावली तैयार की जाए। यह कार्य जरूरी भी था। यह उचित नहीं हो सकता कि "एटम" को कोई "अणु" कहे, कोई "परमाणु", कोई "जीवाणु" कहे और कोई नाभिक। इसी प्रकार प्रशासन के क्षेत्र में यह उचित न होता कि "इंस्पेक्टर" को कोई "अधीक्षक" कहे, कोई 'निरीक्षक" और कोई "पर्यवेक्षक"। पारिभाषिक शब्दावली में यदि एकरूपता न रहे तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है।

पारिभाषिक शब्दावली निर्माण

वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों की पारिभाषिक शब्दावली हिन्दी में तैयार करने का कार्य बहुत स्तर पर एक ओर तो आचार्य रघुवीर प्रभृति विद्वानों ने आरम्भ किया और कुछ कार्य विभिन्न राज्यों द्वारा अलग-अलग किया गया। यह सब कार्य अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, परन्तु इनमें परस्पर समन्वय का अभाव था तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वानों का परामर्श भी नहीं था। पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने का कार्य भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन 1950 में आरम्भ किया गया। और इसके लिए विभिन्न विषयों के लिए अलग-अलग समितियां नियुक्त की गईं तथा उनमें हिन्दी के ही नहीं अन्य भाषाओं के विद्वानों को भी सदस्य के रूप में लिया गया। इस प्रक्रिया में प्रारम्भ से ही यह महत्वपूर्ण बात सामने रखी गई कि जो पारिभाषिक शब्दावली बने, वह केवल हिन्दी भाषा के लिए ही न हो, अपितु उसे अधिकांशतः यथावश्यक सामान्य संशोधन के साथ, अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी अपनाया जा सके। यह हर्ष की बात है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस कार्य को वृहत स्तर पर पूरा किया है। आयोग द्वारा विज्ञान तथा तकनीकी विषयों की जो शब्दावलियां तैयार हुई हैं, उनमें "विज्ञान शब्दावली", "कृषि शब्दावली", "नृविज्ञान शब्दावली", "वानिकी शब्दावली", "खेलकूद शब्दावली", "रक्षा शब्दावली" आदि प्रमुख हैं। आयोग ने परिभाषा कोश भी तैयार किए हैं, इनमें भू-विज्ञान, रसायन, गणित, मनोविज्ञान, आधुनिक भौतिकी, प्राणी विज्ञान पुरातत्व, भूगोल, अर्थनीति, वनस्पति, गृह विज्ञान आदि विषयों के परिभाषा कोश उल्लेखनीय हैं। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने इस क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कार्य चयनिकायें प्रकाशित करने का किया है। इनमें मानव विज्ञान, भौतिकी भू-विज्ञान, जीव विज्ञान तथा गृह विज्ञान की चयनिकायें उल्लेखनीय हैं इस प्रकार तकनीकी पुस्तकों के लेखन के लिए आधारभूत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है।

हिन्दी एक विकसित तथा समर्थ भाषा है, जिसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संभव है—अंग्रेजी का वर्चस्व—इसलिये नहीं कि हिन्दी दुर्बल है, अपितु इसलिए कि भारतवासियों को अपनी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था तथा उन्होंने इन क्षेत्रों में हिन्दी अपनाने का निश्चय दृढ़तापूर्वक नहीं किया।

तकनीकी विषयों की पुस्तकें

शब्दावली की सार्थकता उसके प्रयोग पर ही निर्भर है। भारत सरकार ने विविध विषयों की पुस्तकें हिन्दी में तैयार कराने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। उसके लिए प्रमुख रूप से दो प्रकार की योजनायें बनीं। एक थी अन्य भाषाओं की पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद की और दूसरी योजना थी विविध विषयों की पुस्तकों को मूल रूप से हिन्दी में लिखवाने की।

कुछ पुस्तकें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग अथवा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के माध्यम से सीधे ही अनुवादकों द्वारा अथवा संबंधित विषयों के विद्वानों द्वारा तैयार कराई गई हैं। पुस्तकें भारत सरकार के अनुदान से राज्यों में स्थापित हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों द्वारा प्रकाशित की गई हैं। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा अकादमियों के इन पुस्तकों की जो सूची सन् 1982 में प्रकाशित हुई है, उनमें आयुर्विज्ञान तथा भेषजी की 34 पुस्तकों, कृषि तथा पशुचिकित्सा विज्ञान की 88 पुस्तकों, गणित तथा सांख्यिकी की 69 पुस्तकों, इंजीनियरी की 38 पुस्तकों, भौतिकी की 100 पुस्तकों, रसायन की 107 पुस्तकों, प्राणी विज्ञान की 38 पुस्तकों, वनस्पति विज्ञान की 80 पुस्तकों, भूगोल की 33 पुस्तकों, भूविज्ञान की 18 पुस्तकों, गृह विज्ञान की 18 पुस्तकों तथा नृ-विज्ञान की 20 पुस्तकों, मनोविज्ञान की 27 पुस्तकों, मुद्रण कला की 3 पुस्तकों और केला की 3 पुस्तकों और सैन्य विज्ञान की 9 पुस्तकों का उल्लेख है। उपर्युक्त सूची से हिन्दी में उपलब्ध वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य की विविधता का अनुमान लगता है। इस प्रकार की पुस्तकों की विस्तृत सूची भारत सरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से तथा राज्यों की हिन्दी ग्रंथ अकादमियों से प्राप्त की जा सकती है।

सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा हिन्दी में 1965 तक प्रकाशित विशुद्ध विज्ञान तथा तकनीकी विषयों से सम्बद्ध पाठ्यपुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, बुलेटिनों रिपोर्टों एवं बाल साहित्य आदि के विषयों में एक निदेशिका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसमें 2256 पुस्तकों तथा 81 पत्रिकाओं व रिपोर्टों का विवरण दिया गया था। उसके बाद के वर्षों में तो इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है।

भारत के प्राकृतिक पदार्थों, वनस्पतियों, खनिजों, प्राणियों के बारे में वैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण दस खंडों के लगभग 5000 पृष्ठों में भारत की संपदा नामक सचित्र वैज्ञानिक विश्वकोश का प्रकाशन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की हिन्दी जगत को अनूठी देन है। परिषद ने मानव उपयोगी वनस्पतियों एवं प्राणियों के वंश जाति नामों का कोश भी प्रकाशित किया है, जिसमें जीव विज्ञान के लगभग 11000 वंश तथा जातियों के अंग्रेजी तथा लैटिन उच्चारण देवनागरी में दिए गए हैं।

गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्त नगर ने कृषि विज्ञान एवं पशु चिकिसा के विश्वविद्यालय स्तरीय प्रकाशनों के संबंध में अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है। उनके द्वारा उद्यान विज्ञान, कृषि कीट विज्ञान, सस्य विज्ञान, पादप प्रजनन, एवं आनुवंशिकी पादप रोग विज्ञान, मृदा विज्ञान, पशु पालन, प्रजनन एवं डेरी विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, उर्वरक प्रौद्योगिकी, जलवायु विज्ञान, कृषि सांख्यिकी तथा गृह विज्ञान के संबंध में सन् 1982 के प्रारम्भ तक 45 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं, 12 पुस्तकें मुद्रणाधीन थीं, 6 पुस्तकों का पुनरीक्षण हो रहा था, 17 अनूदित पुस्तकें मुद्रण के लिए विचाराधीन थीं और 75 पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद अथवा लेखन का कार्य चल रहा था।

रुड़की इंजीनियरी विश्वविद्यालय ने इंजीनियरी विषयों पर हिन्दी में अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं। कुछ ग्रन्थ अनुदित हैं और कुछ मूल रूप से हिन्दी में लिखे गए हैं। ये ग्रन्थ इंजीनियरी की विभिन्न विधाओं पर हैं।

भारत सरकार के निर्माण तथा आवास मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय भवन निर्माण संस्था इमारतों के निर्माण की तकनीक के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उन्होंने अपने अनेक ग्रन्थ हिन्दी में भी प्रकाशित किए हैं। कुछ ग्रन्थ अनुदित, कुछ मूल रूप से हिन्दी में लिखे गए हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सिविल निर्माण कार्यों तथा विद्युत कार्यों से संबंधित अपने अनेक विभागीय प्रकाशनों के हिन्दी संस्करण भी छपवा लिए हैं। रक्षा मंत्रालय में सैनिकों के प्रशिक्षण संबंधी अनेक पुस्तकें हिन्दी में छप चुकी हैं।

विभिन्न प्रकार के यंत्रों को चलाने तथा मरम्मत उनकी विधि आदि की जानकारी कराने के लिए गैर सरकारी प्रकाशकों की सैकड़ों हिन्दी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं। इनकी सहायता से साधारण शिक्षित व्यक्ति भी आसानी से काफी तकनीकी ज्ञान अर्जित कर पाता है।

मौलिक पुस्तकों के लिए प्रोत्साहन

तकनीकी विषयों से संबंधित भारत सरकार के कई मंत्रालयों ने विविध विषयों की पुस्तकों के मूल रूप से हिन्दी में लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजनाऐं आरम्भ की हैं, जिसके फलस्वरूप उन मंत्रालयों से संबंधित तकनीकी विषयों पर कई अच्छी पुस्तकें लिखी गई हैं। इस प्रकार की पुस्तक पुरस्कार योजना पहले कृषि मंत्रालय ने प्रारम्भ की। कृषि संबंधी विषयों पर अच्छी पुस्तकों पर प्रति विषय "राजेन्द्र प्रसाद पुरस्कार" देने का निर्णय किया गया। वन विभाग ने वन संबंधी पुस्तकों पर इसी प्रकार के पुरस्कार देने का निश्चय किया। विविध मंत्रालय ने भी विधि से संबंधित पुस्तकें मौलिक रूप से हिन्दी में लिखने पर पुरस्कार देने की घोषणा की। इन मंत्रालयों का उदाहरण देते हुए 28 मई, 1979 को भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने अन्य सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया कि वे अपने संबंधित विषयों की मौलिक पुस्तकें हिन्दी में लिखने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार के पुरस्कार देने के बारे में विचार करें, जिससे उन विषयों के अच्छे स्तर की मौलिक पुस्तकें हिन्दी म उपलब्ध हो सकें। अब इस प्रकार की योजनायें नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग आदि द्वारा भी आरम्भ कर दी गई हैं। फलस्वरूप अब अनेकानेक विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें तैयार होती जा रही हैं। कई अन्य मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा ऐसी ही योजनाएं आरम्भ के विषय में विचार हो रहा है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों के भाषण

वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी की प्रगति केवल पुस्तक लेखन तथा उनके प्रकाशन तक सीमित नहीं रही है। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद ने कई वर्ष पूर्व वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषण माला प्रारम्भ की। उसके अन्तर्गत राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली के निदेशक डा० अजित राम वर्मा का प्रथम भाषण "राष्ट्रीय मानक" विषय पर प्रयोगशाला सभागार में 16 फरवरी, 1974 को हुआ। द्वितीय भाषण श्री छत्रपति जोशी द्वारा 'पुलिस संचार और इलैक्ट्रोनिक्स सन् 2000 ई० में' विषय पर हुआ। इसी प्रकार अन्य भाषण भी विविध वैज्ञानिक विषयों पर जैसे वायु प्रदूषण, भूकम्प अभियान्त्रिकी, तारों में ऊर्जा उत्पादन, उपग्रह संचार, अन्तर्दहन इंजन, लेसर, सौर ऊर्जा, दूर संचार आदि उन विषयों के विद्वान अधिकारियों द्वारा हिन्दी में हुए। इन भाषणों से इस तथ्य की पुनः पुष्टि हुई कि हिन्दी में तकनीकी विषयों के विचार भली-भांति व्यक्त किए जा सकते हैं।

परिषद की इस भाषण माला योजना के अन्तर्गत दिल्ली में 8 भाषण, कानपुर में 7, रुड़की में 5, बम्बई में 4, लखनऊ और आगरा में 2-2 और गोरखपुर, भोपाल, देहरादून, मथुरा, वाराणसी और झांसी में 1–1, भाषण आयोजित किए गए। इन भाषणों के अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालयों में संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। परिषद ने इन भाषणों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया है। कुछ भाषणों के विषय इस प्रकार हैं :—

"राष्ट्रीय मानक," पुलिस संचार और इलैक्ट्रोनिक्स सन् 2000 ई० में, "दैनिक जीवन में क्रिस्टल का महत्व", "अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार सेवा", "दूर संचार स्विचिंग प्रणालियां", "टेलीफोन और उसकी कार्य पद्धति", "अब-जल निस्तार यन्त्र", "वायु प्रदूषण तथा नागरिकों के स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव", "आवृत्ति प्रसारण", "अनुसन्धान द्वारा सस्ते मकान", "ऊर्जा", "भूकम्प अभियान्त्रिकी के महत्वपूर्ण सिद्धान्त", "ठोस अवस्था भौतिकी में कुछ आधुनिक खोजें", "तारों में ऊर्जा उत्पादन", "भारत में उपग्रह संचार", "ठोस पदार्थों से निष्क्रिय गैसों की नियुक्ति", "परिस्थिति विज्ञान," "कुष्ठ रोग", "अन्तर्दहन इंजिन के निष्पादन", "श्वेत क्रान्ति", "लेसर प्रयोगशाला से रण क्षेत्र तक"। भाषणकर्ताओं में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा अपने-अपने विषयों के विद्वान शीर्षस्थ वैज्ञानिक थे।

संगोष्ठियां

एक समय था जब वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर संगोष्ठियों, सम्मेलनों, तथा बैठकों में चर्चा अंग्रेजी में ही हुआ करती थी। सौभाग्य से अब अनेक तकनीकी संगोष्ठियां हिन्दी में होने लगी हैं। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुड़की शाखा की ओर से रुड़की विश्वविद्यालय के सहयोग से अप्रैल, 1978 में एक अखिल भारतीय तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें विषय था "ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी का योग"। संगोष्ठी में 23 अन्य संस्थाओं ने भी भाग लिया था। इसी श्रृंखला में 5, 6 और 7 जुलाई 1984 को केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुड़की में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

संगोष्ठी का विषय है —"ऊर्जा संसाधन विकास एवं परियोजनायें।" इस अवसर पर एक कार्यशाला भी आयोजित की जायेगी जिसका विषय होगा—"तकनीकी हिन्दी का विकास।" इसके दो भाग होंगे—1—हिन्दी में इन्जीनियरी शिक्षा—समस्यायें और समाधान—2— शोध की नयी दिशायें।

इस गोष्ठी के वृत्त और उसमें प्रस्तुत निबन्ध, जरनल आफ दी इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) के हिन्दी विभाग के दिसम्बर, 1978 के "तकनीकी संगोष्ठी विशेषांक" में प्रकाशित किए गए थे। सन् 1978 के अन्त में भारत सरकार के इलैक्ट्रोनिकी आयोग द्वारा एक विशाल संगोष्ठी विज्ञान भवन में आयोजित की गई। इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि कम्प्यूटरों में भारतीय लिपियों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। इसमें कुछ वक्ताओं ने अपने विचार हिन्दी में प्रस्तुत किए और कुछ ने अंग्रेजी में। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की अनेक तकनीकी संगोष्ठियां हिन्दी माध्यम से आयोजित हो रही हैं। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा समय समय पर तकनीकी विषयों से संबंधित कई गोष्ठियों का हिन्दी में आयोजन होता रहा है। सरकारी उद्यम ब्यूरो में भी तकनीकी विषयों पर गोष्ठियां हो चुकी हैं, जिनमें सम्मिलित हुए सभी अधिकारियों ने अपने विचार हिन्दी में व्यक्त किए। 12 मई, 1980 को "भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर" विषय पर एक गोष्ठी केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा आयोजित की गई।

निबंध

सन् 1978 से केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों की हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन करना आरम्भ किया है। प्रति वर्ष सर्वोत्तम निबन्ध पर 500 रु० का पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रतियोगिता में प्रस्तुत किए गए उच्च स्तर के निबन्ध इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वैज्ञानिक विषयों की अभिव्यक्ति के लिए भी हिन्दी समर्थ भाषा है।

पत्र-पत्रिकायें

भारत मे स्वाधीनता से पूर्व विज्ञान संबंधी पत्रिकाओं का प्रकाशन होता रहा है। आजकल इस प्रकार की पत्रिकायें अच्छी संख्या में निकलती हैं। उदाहरण के लिए "वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद विज्ञान प्रगति पत्रिका" तथा "बाल विज्ञान" प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम द्वारा "आविष्कार" नामक उच्च स्तर की पत्रिका का प्रकाशन होता है। इंस्टीच्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) भारत के इंजीनियरों की एक विशाल संस्था है। उनका जरनल हिन्दी में भी प्रकाशित होता है, जिसमें इंजीनियरी संबंधी मौलिक शोध सामग्री तथा विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान केन्द्रों में हो रहे अनुसन्धान कार्यों की रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं। इस जरनल के अनेक विशेषांक भी प्रकाशित हो चुके हैं। इसके "पर्यावरण विशेषांक" का विमोचन 27 जनवरी, 1981 को प्रधान मन्त्री निवास में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा हुआ। सिंचाई इंजीनियरी से संबंधित पत्रिका "भगीरथ" उच्च स्तर की पत्रिका है। परमाणु जैसे विषय पर बम्बई से पत्रिका प्रकाशित होती है। विभिन्न, अकादमियों द्वारा "वानस्पतिकी", "भौतिकी", "इंजीनियरी", "प्राणी लोक" तथा "आयुर्विज्ञान" आदि पत्रिकायें प्रकाशित हो रही हैं। सरकार के कुछ विभाग और उनके अधीन संगठन अपनी शोध परक वैज्ञानिक पत्रिकाओं में कई मूल लेख हिन्दी में देने लगे हैं। बैंकों की कुछ पत्रिकाओं में भी ऐसा होने लगा है। यह सब हिन्दी की प्रगति का द्योतक है और इसके भावी विकास का शुभ लक्षण है। परन्तु कई विभागों तथा संस्थानों की अपनी शोध पत्रिकायें केवल अंग्रेजी में प्रकाशित होती हैं तथा उनमें हिन्दी में लिखे शोध निबन्ध स्वीकार नहीं किए जाते तथा उन्हें द्विभाषी नहीं बनाया गया है। उसके पीछे बहुधा यह आधारहीन तर्क दिया जाता है कि द्विभाषी बनाने से पत्रिका का स्तर गिर जाएगा, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि अधिकांश भारतीय लेखक अपने अच्छे शोध निबन्ध विदेशी पत्रिकाओं को भेज देते हैं। यह बात भी भुला दी जाती है कि कई देशों की शोध पत्रिकायें द्विभाषी रूप में छपती है और ऐसा करते हुए वे कभी हीन भावना अनुभव नहीं करते।

तकनीकी कार्यों में हिन्दी

कुछ लोगों की यह धारणा रही है कि तकनीकी विषयों के काम हिन्दी में नहीं हो सकता। मैंने देखा है कि भारत सरकार के कई इंजीनियर अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करते रहे हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक इंजीनियर श्री विश्वम्भर प्रसाद गुप्त ने सन् 1961 से अपना तकनीकी सरकारी काम हिन्दी में करना आरम्भ कर दिया था। उन्हीं दिनों आकाशवाणी के एक तमिल भाषी इंजीनियर श्री सुब्रह्मण्यम ने यह इच्छा प्रकट की थी कि वह दूरदर्शन के सम्बन्ध में अपनी एक पुस्तक मूल रूप से हिन्दी में लिखेंगे। श्री सुब्रह्मण्यम ने एक तकनीकी गोष्ठी में अपने विचार हिन्दी में प्रकट किये थे। आकाशवाणी के एक इंजीनियर श्री रमेश चन्द्र विजय ने कई तकनीकी पुस्तकें मूल रूप से हिन्दी में लिखी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शा प्रकाशन निदेशालय का काफी कार्य सन् 1970 के आसपास हिन्दी में होने लगा था। उस विभाग द्वारा जिन नये स्थानों का सर्वेक्षण किया जाता है, उन स्थानों के नाम स्थानीय भाषा की लिपि के साथ-साथ देवनागरी लिपि में लिखने की परम्परा बहुत समय से है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पहले समस्त नक्शे अंग्रेजी में तैयार करता था वह विभाग जब कई नक्शे हिन्दी में भी प्रकाशित कर चुका है। रेल विभाग के अनेक कार्यालयों मे, विशेषकर पूर्वोत्तर रेलवे के मण्डलों में, अनेक नक्शे केवल हिन्दी में तैयार किये जा रहे हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनेक नक्शों के शीर्षक हिन्दी में दिये जाते हैं। अनेक डिजाइन भी हिन्दी में होते हैं। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग के नक्शों में उनके शीर्षक तथा अनेक संकेत चिह्न हिन्दी एवं अंग्रेजी में दिये जा रहे हैं। 6–7 वर्ष पूर्व भारतीय पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री सिद्दीकी को मैंने अपनी निरीक्षण टिप्पणियां तकनीकी विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में लिखते देखा था। उन्हीं ने कार्यालय के एक

तमिल भाषी अधिकारी अपने हस्ताक्षर से अपने अनेक पत्र मूल रूप से हिन्दी में भिजवाते थे। वीर भद्र ऋषिकेश में स्थित एन्टीबायोटिक्स फैक्ट्री में मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ वर्ष पूर्व वहां तकनीकी किस्म की अनेक टिप्पणियां काफी समय तक हिन्दी में लिखी जाती रही थीं। संचार मंत्रालय के अधीन अनुश्रवण संगठन का कार्य अधिकांशतः तकनीकी है। उनके कई केन्द्रों का काफी पत्राचार अब हिन्दी में होता है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का काफी तकनीकी पत्राचार हिन्दी में हो रहा है। रेलवे कार्यालयों में स्थिति और उत्साहजनक है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल कार्यालय में 30 जून, 1982 को समाप्त हुई तिमाही में कुल 7354 पत्र जारी हुए, इनमें 5788 पत्र हिन्दी में जारी हुए तथा 1566 अंग्रेजी में। इनमें तकनीकी शाखाओं की स्थिति सराहनीय रूप में इस प्रकार थी:—

शाखा का नाम	कुल जारी हुए	हिन्दी में जारी	अंग्रेजी में
1. परिचालन	232	189	43
2. निर्माण	574	439	135
3. सिगनल	491	254	147
4. विद्युत	582	470	112
5. यांत्रिक	737	530	207

कई अन्य विभागों, कार्यालयों तथा संस्थाओं में भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलेंगे। यदि उन उदाहरणों को प्रकाश में लाया जाये और तकनीकी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने की सम्मिलित योजना बनाई जाये तो इस क्षेत्र में हिन्दी की प्रगति और अधिक हो सकती है तथा इस धारणा को दूर करने में सहायता मिल सकती है कि तकनीकी कार्य हिन्दी में भली भांति नहीं किये जा सकते।

यांत्रिक सुविधाएं

एक समय था, जब लिखाई का कार्य हाथ से ताड़ के पत्तों आदि पर होता था। आधुनिक युग यंत्रों का युग है। विदेशी भाषाओं के लिये विशेष प्रकार की यांत्रिक सुविधायें हिन्दी के लिये उपलब्ध रही हैं। सौभाग्य से अब विभिन्न प्रकार की यांत्रिक सुविधायें हिन्दी के लिये भी उपलब्ध हैं। परन्तु कुछ सुविधायें अपर्याप्त हैं और कुछ का अभी सर्वथा अभाव है। हिन्दी के कार्य के लिये आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त तकनीकी सुविधायें उपलब्ध नहीं होंगी तो हिन्दी के प्रयोग का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं बन पायेगा, जितना सामान्य रूप से अपेक्षित है। उससे हिन्दी की प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी यांत्रिक सुविधाओं की स्थिति इस प्रकार है:—

(क) साधारण प्रकार के टाईपराइटर

हिन्दी के टाइपराइटर वर्षों से बनते रहे हैं, किन्तु इनका कुंजी पटल शुरू से अब तक एक जैसा नहीं रहा है। उनमें कई बार परिवर्तन हुए हैं। कुंजी पटल के परिवर्तन से टाइपिस्टों को बड़ी कठिनाई होती है। जिस व्यक्ति ने एक प्रकार के कुंजी पटल पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसे यदि दूसरे प्रकार के कुंजी पटल वाले टाइपराइटर पर काम करना पड़े तो वह कर नहीं सकता। कुंजी पटल में कुछ परिवर्तन 4–5 वर्ष पूर्व भी हुए हैं। कुंजी पटल का मानकीकरण भारत सरकार द्वारा बहुत पहले कर दिया गया है और देश में एक जैसे कुंजी पटल के ही हिन्दी टाइपराइटर बन रहे हैं। इस बात के प्रयत्न होते हुए हैं कि हिन्दी टाइपराइटरों का उत्पादन मांग के अनुरूप हो सके। ज्यों ज्यों सरकारी कार्यालयों में तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है, तदनुसार टाइपराइटरों की मांग बढ़ती जा रही है। टाइपराइटर बनाने वाली कम्पनयों का भी प्रयत्न रहा है कि हिन्दी टाइपराइटरों का उत्पादन बढ़े। रेमिंग्टन कम्पनी ने 1975–76 में 2124, 1976–77 में 3186, 1977–78 में 3996, वर्ष 1979 में 5351 हिन्दी टाइपराइटर बनाये थे। वर्ष 1979 में गोदरेज ने 3925, रायला ने 1480 और फैसिट एशिया ने 2282 हिन्दी टाइपराइटरों का निर्माण किया। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से जिन कम्पनियों को टाइपराइटर बनाने के आशय पत्र पर (लैटर आफ इन्टेंट) जारी किये गये हैं, उनमें यह शर्त लगाई गई है कि ये कम्पनियां वर्ष में कितने भी टाइपराइटर बनायेंगी, उनमें कम से कम 50 प्रतिशत टाइपराइटर भारतीय भाषाओं के कुंजीपटल के बनाये जायेंगे। अब बाजार में हिन्दी टाइपराइटरों के मिलने में पहले के समान विलम्ब नहीं होता। टाइपराइटर के अक्षरों को सुधारने तथा मशीन को अधिक अच्छा बनाने की दिशा में भी कई कदम उठाये गये हैं। हिन्दी टाइपराइटरों में कई वर्ष आधा स्पेस की सुविधा रही थी। नये टाइप राइटरों में हाफ स्पेस हटा दिया गया है।

(ख) बिजली चालित हिन्दी टाइपराइटर

इस प्रकार के टाइपराइटर कई वर्ष पूर्व आई बी एम कम्पनी द्वारा विदेशों में बनाये जाते थे और भारत के कई कार्यालयों और संस्थानों में उनका प्रयोग हो रहा था। कई वर्षों से इन टाइपराइटरों का आयात बन्द है। इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि हिन्दी के बिजली चालित टाइपराइटर हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर, मद्रास द्वारा बनाये जायें। वह योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सकती है। हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर लि० ने एक विदेशी कम्पनी से समझौता किया है। उस कम्पनी के सहयोग से पहले रोमन के बिजली चालित टाइपराइटर बनाये जायेंगे और फिर हिन्दी टाइपराइटरों का उत्पादन आरम्भ किया जायेगा।

भारत से लगभग बारह हजार मील दूर फीजी जैसे छोटे से देश में हिन्दी के बिजली चलित टाइपराइटर काम में लाये जा रहे हैं। हिन्दी की कम्प्यूटर कम्पोजिंग भी प्रचलित है।

(ग) पिन-प्वाइंट टाइपराइटर

इनका प्रयोग चैक, बैंक ड्राफ्ट लाइसेंस आदि बनाने के लिये किया जाता है। टाइपराइटर पर छोटे बिन्दुओं से बने अक्षर साथ संख्याएं टाइप होती हैं। इस प्रकार के टाइपराइटर अभी तक रोमन लिपि में ही उपलब्ध होते थे। कई वर्षों इस बात की कोशिश होती रही कि ऐसे टाईपराइटर देवनागरी लिपि के भी बनें। अब इनका उत्पादन भारत में भी होने लगा है। उससे बैंकों के चैक, ड्राफ्ट आदि हिन्दी में बनने लग गये हैं।

(घ) इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर

ऐसे टाइपराइटर अंग्रेजी काम के लिये मिलने लगे हैं। देवनागरी लिपि में न तो उपलब्ध हैं और न उनके उत्पादन के विषय में कोई प्रारम्भिक विचार ही हुआ मालूम होता है।

(ङ) वेरी टाइपराइटर

इस प्रकार के टाइपराइटर अभी रोमन लिपि में ही उपलब्ध हैं। किसी कम्पनी ने देवनागरी लिपि में नहीं बनाये हैं। ऐसे टाइपराइटर में गेंद जैसे गोलों पर बने विभिन्न प्रकार के अक्षरों से तरह-तरह की लिखाई में सामग्री टाइप की जा सकती है और उसका फोटो लेकर अथवा रोटा स्टेंसिलों पर टाइप करवाकर उस सामग्री की कई हजार प्रतियां निकाली जा सकती हैं। इस प्रकार के टाइपराइटर हिन्दी कार्य के लिये उपलब्ध नहीं हैं, उसके लिये ठोस प्रयत्नों की आवश्यकता है।

(च) टेलीप्रिन्टर

भारत में जब टेलीप्रिन्टरों का प्रचलन आरम्भ हुआ, तब वे रोमन लिपि के ही उपलब्ध थे। बाद में हिन्दी संवाद समितियों के कार्य के लिये तथा तार घरों में उपयोग के लिये देवनागरी लिपि के टेलीप्रिन्टर विदेशों से मंगवाये जाने लगें थे। अब देवनागरी लिपि के टेलीप्रिन्टर भारत में भी बन रहे हैं। हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर लि० अब तक देवनागरी लिपि के दो हजार से अधिक टेलीप्रिन्टर भारत में बना चुकी है। किन्तु उनके द्वारा निर्मित रोमन लिपि के टेलीप्रिन्टरों की संख्या उससे कई गुना अधिक हैं। ऐसे द्विलिपि टेलीप्रिन्टर भी प्रायोगिक आधार पर बनाए गये हैं, जिनमें देवनागरी तथा रोमन लिपि दोनों का ही प्रयोग सम्भव है। देवनागरी के वर्तमान टेलीप्रिन्टरों में कई आवश्यक अक्षरों तथा चिह्नों का अभाव कठिनाई पैदा करता रहा है। कुछ अक्षर स्पष्ट भी नहीं छपते। बताया जाता है कि इलैक्ट्रानिकी टेलीप्रिन्टर आ जाने पर इन कठिनाइयों का समाधान हो जायेगा।

(छ) मुद्रण

मुद्रण में लिपि की बात मुख्यतः कम्पोजिंग में उठती है। एक समय था, जब अक्षरों आदि की कम्पोजिंग हाथ से ही हुआ करता था। अब जिस प्रकार रोमन लिपि के लिये साइनो टाइप तथा सोनोटाइप मशीनें उपलब्ध हैं, उस प्रकार की मशीनें हिन्दी के लिये भी उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में और आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। अब फोटो कम्पोजिंग का युग है, जिसमें घन्टों का काम मिनटों में होता है। सौभाग्य से इस प्रकार की आधुनिकतम मशीनें हिन्दी कार्य के लिये भी बन रही है। ऐसी मशीनें भारत सरकार के बड़े-बड़े मुद्रणालयों में तथा कई गैर सरकारी मुद्रणालयों में लग चुकी हैं। कुछ व्यावसायिक फर्म केवल फोटो कम्पोजिंग का कार्य कर रही हैं।

(ज) कम्प्यूटर

भारत में आम धारणा रही है कि कम्प्यूटरों में केवल रोमन लिपि का ही प्रयोग सम्भव है। इन पंक्तियों के लेखक ने कुछ वर्ष पूर्व सरकारी बैठकों में यह बात उठाई थी कि जब विभिन्न देशों में रूसी, चीनी, जापानी, अरबी तथा हेबरू आदि लिपि के कम्प्यूटर है तो कम्प्यूटरों में देवनागरी लिपि का प्रयोग क्यों नहीं सम्भव हो सकता। प्रारम्भ में इस बात पर गम्भीर चर्चा के लिये कोई भी तैयार नहीं होता था। किन्तु जब अनेक बार विभिन्न स्तरों पर इस बात की चर्चा उठाई गई, तो अन्ततः यह स्वीकार कर लिया गया कि कम्प्यूटरों में जिस प्रकार अन्य लिपियों का प्रयोग सम्भव है, उसी प्रकार देवनागरी लिपि का प्रयोग हो सकने वाले कम्प्यूटर भी बनने संम्भव हो सकते हैं। इस प्रकार में प्रयोग का नमूना सर्वप्रथम हैदराबाद में इलैक्ट्रोनिकी कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० ने प्रस्तुत किया। इसका प्रदर्शन उन्होंने संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष किया। बाद में वह नमूना विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मार्च, 1978 में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर भी प्रदर्शित किया गया। उस प्रदर्शन को भारत सरकार के अनेक केन्द्रीय मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा। उस समय कम्प्यूटर में देवनागरी लिपि का मुद्रण डाट मैट्रिसो के द्वारा हुआ था। उसमें अक्षर बहुत साफ नहीं थे। अब उसमें बहुत सुधार हो चुका है। विभिन्न तकनीकी संस्थानों के अनेक वैज्ञानिकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। जो नवीनतम प्रोटो टाइप तैयार हुए हैं, उनके नमूने दो वर्ष पूर्व राजभाषा विभाग तथा अन्य केन्द्रीय विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाये गये थे। जापान की एक फर्म ने यह बहुत अच्छा नमूना भारत सरकार के इलैक्ट्रोनिकी आयोग को भेजा था। नवम्बर–दिसम्बर, 1982 में ऐशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह तथा समापन के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विशाल स्कोर बोर्ड पर अनेक विवरण कम्प्यूटर के द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किये गये। अब कई कम्पनियां देवनागरी लिपि के कम्प्यूटर बना रही हैं। इन पर हो सकने वाले काम का प्रत्यक्ष प्रदर्शन तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर अक्तूबर, 1983 में इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम, नई दिल्ली में किया गया। इस क्षेत्र में हुई प्रगति अत्यन्त सराहनीय है।

हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि

सामान्यतः समझा जाता है कि हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि की गति अंग्रेजी टाइपराइटिंग तथा अंग्रेजी आशुलिपि की गति से बहुत कम होती है। यह धारणा तथ्यों के आधार पर निर्मूल सिद्ध हो चुकी है। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् सन् 1960 से अखिल भारतीय आधार पर हिन्दी टाइपराइटिंग का और उसके कुछ समय बाद से हिन्दी आशुलिपि की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रही है। उनमें सफलता प्राप्त करने वालों की गति बहुत ऊंची रही है। हिन्दी टाइपराइटिंग में अब तक की उच्चतम शुद्ध गति 91.7 शब्द प्रति मिनट रही है और हिन्दी आशुलिपि की गति का रिकार्ड 250 शब्द प्रति मिनट का है। इससे प्रतीत होता है कि हिन्दी टाइपिंग का भविष्य उज्ज्वल है तथा हिन्दी टाइपिस्ट एवं हिन्दी आशुलिपिक कार्य कुशलता में अंग्रेजी वालों से किसी प्रकार कम नहीं हैं।

अवरोध तथा समाधान

प्रगति का जो विवरण ऊपर दिया गया है, वह केवल यह दिखाता है कि हिन्दी एक विकसित तथा समर्थ भाषा है, जिसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संभव है। किन्तु स्थिति पूर्णतः सन्तोषजनक नहीं है। प्रगति इससे अधिक हो सकती थी तथा होनी चाहिये। जिस प्रकार प्रशासनिक क्षेत्र में अभी अंग्रेजी का बोलबाला है, उसी प्रकार भारत में तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी अंग्रेजी का वर्चस्व है। वह इसलिये नहीं कि हिन्दी दुर्बल है, अपितु इसलिये कि भारत वासियों को अपनी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था तथा उन्होंने इन क्षेत्रों में हिन्दी अपनाने का निश्चय दृढ़तापूर्वक नहीं किया। यदि हिन्दी की प्रगति की जानकारी व्यापक रूप में कराई जाये, उपलब्ध साधनों का उपयोग समन्वित रूप में किया जाये तथा मानसिक हीन भावना को दूर हटा दिया जाये तो हिन्दी की प्रगति विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में और भी अधिक तीव्रगति से होती दिखाई पड़ेगी। ●●●

कथा शब्दों की

आज की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शब्द है अनुशासन। यह शब्द अंग्रेजी के (Discipline) शब्द के अर्थ को अभिव्यक्त करता है। इसका अर्थ है "वह विधान अथवा व्यवस्था जो किसी संस्था या वर्ग के सब सदस्यों को ठीक तरह के कार्य या आचरण करने के लिए बाध्य करे।"

अनुशासन शब्द अनु उपसर्गपूर्वक/शास धातु से ल्युट् प्रत्यय लग कर बना है। इसका अर्थ हुआ निर्देश अथवा आदेश। ऋग्वेद (10.32.7) में इसी अर्थ में यह आया है—"एतदवे भद्रमनुशासनस्योतिम्"। उपनिषदों में अनुशासन का प्रयोग किसी विषय के निरूपण अथवा शिक्षा के अर्थ में किया गया है—"एतदनुशासनम्" तैत्तिरीयोपनिषद् 1-11-64।

अनुशासन शब्द उपदेश, आज्ञा, संचालन, शासन आदि के अर्थ में भी प्रयुक्त होता रहा है। प्राचीन हिन्दी में इसका प्रयोग आज्ञा के अर्थ में हुआ है। तुलसीदास ने गीतावली के लंका काण्ड में अनुशासन का प्रयोग इसी अर्थ में किया है—"जो हौं अब अनुशासन पावौं"।

अंग्रेजी में भी (Discipline) शब्द का मौलिक अर्थ आज्ञा ही है। वास्तव में (Discipline) शब्द लैटिन के (Discipulus) शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है शिक्षा प्राप्त करने वाला। स्वयं (Discipulus) शब्द (Disco) से बना है जिसका अर्थ है शिक्षा लेना या सीखना। तैत्तिरीयोपनिषद् के शिक्षाध्याय में दिए हुए "आचार्यानुशासन" का यही अर्थ है।

अनुशासन नवीन भावों के लिए एक गृहीत शब्द है। हिन्दी में इसका रूढ़िगत अर्थ है वह विधान अथवा व्यवस्था जो किसी संस्था या वर्ग के कार्य या आचरण करने के लिए बाध्य करे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग

—डा० मुकुल चंद पांडेय

[भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों और विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों के सदस्य, हिन्दी विज्ञान लेखक और विज्ञान पत्रकार डा० मुकुल चन्द पांडेय के ही सुझाव पर राजभाषा भारती का यह तकनीकी अंक प्रकाशित हो सका है। प्रस्तुत है डा० पांडेय का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी-प्रयोग पर विवरणात्मक लेख—]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश ने चहुंमुखी प्रगति की है। अपनी असाधारण उपलब्धियां, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक तथा अन्य अनेक विकासशील देशों के लिये भारत मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में समर्थ है। सुदूर अन्तरिक्ष से लेकर सागर की अतल गहराइयों तक हमारी पैनी दृष्टि प्रकृति की पहेली को समझने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है। चाहे अन्टार्कटिका अभियान हो अथवा ईस्टर्नवीका प्रक्षेपण, हर क्षेत्र में भारत ने अनिर्वचनीय सफलता हासिल की है, किन्तु इसको सर्वसाधारण तक पहुंचाने की दिशा में प्रयत्न बहुत थोड़े हुए हैं।

आजादी की लड़ाई लड़ते समय हमने यह कामना की थी कि स्वतन्त्र राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होगी, जिससे देश एकता के सूत्र में सदा के लिये जुड़ा रहेगा, किन्तु कालान्तर में हमने इसे भुला दिया और अन्य मोर्चों पर ज्यादा तत्परता से काम करते रहे। इसके साथ ही हम आम आदमी से दूर कहीं अनन्त में भटकने लगे। विदेशी भाषा का मोह और कतिपय स्वार्थी अंग्रेजी भक्तों के भुलावे में आकर हम यह मान बैठे कि हमारी वैज्ञानिक प्रगति कदाचित अंग्रेजी के बिना संभव नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय अनुसन्धान कार्यों से हम अलग-अलग और असंपृक्त हो जायेंगे, ऐसी थोथी दलील और झूठे तर्क दिये जाने लगे। फलतः हमने विदेशी भाषा का दामन पकड़ कर प्रगति की सीढ़िया चढ़ने का दावा किया। हम शायद भूल गए की हमारी अपनी अस्मिता और हमारा स्वाभिमान भाषायी परतंत्रता में पिस रहा है। विज्ञान के ज्ञान को मात्र विदेशी भाषा में ही पढ़ने समझने की एक विचित्र सनक हमारे मन-मस्तिष्क पर छा गई और अपनी मौलिकता का गला घोंट कर विदेशी चंगुल में जकड़ते चले गये, अब स्थिति काफी शोचनीय हो चली है, हालांकि इसके बावजूद भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है।

हमारे पूर्ववर्ती वैज्ञानिक मनीषियों ने आज से 70 वर्ष पहले इस स्वप्न को साकार करने का बीड़ा उठाया था और सन् 1913 में प्रयाग में विज्ञान परिषद् नामक एक हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य-सृजन की संस्था की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि हिन्दी के माध्यम से विज्ञान के बढ़ते हुए ज्ञान को जन-साधारण तक पहुंचाया जाय और इस ध्येय की पूर्ति के लिये "विज्ञान" नामक मासिक पत्रिका लगभग 70 वर्ष पहले प्रकाशित की गई, जो अब भी चल रही है। इस भगीरथ प्रयत्न के लिये समस्त हिन्दी जगत को रामदास गौड़, सालिगराम भार्गव, गोरख प्रसाद, फूलदेव सहाय वर्मा तथा स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती जी ऐसे महानुभावों का आभारी होना चाहिये, जिसके सतत निःस्वार्थ प्रयासों के फलस्वरूप विज्ञान के विविध विषयों पर इतनी बृहत् सामग्री उपलब्ध हो सकी, जो प्रायः परवर्ती लेखकों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। यह वह समय था, जब हमारे देश पर एक विदेशी शासन था, जिसके राजकाज की भाषा अंग्रेजी थी; वह कंटकमय समय था, परन्तु विज्ञान-मनीषियों में स्वदेश प्रेम और राजभाषा के प्रति गहरा अनुराग था, लगन थी, निष्ठा थी, जिसके फलस्वरूप उस समय एक लहर पूरे देश में हिन्दी के प्रति फैली थी। वह यदि अपने क्षणिक स्वार्थ से वशीभूत अंग्रेजी न रोकते तो 3–4 दशकों में आज तक सब क्षेत्रीय भाषायें अधिक उन्नत स्तर पर होतीं और हिन्दी सब क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने वाली संपर्क भाषा या राष्ट्र भाषा के रूप में निर्विवाद रूप से स्वीकृत होती।

कोई कारण नहीं कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे समाज विज्ञान के विषयों का तो पठन-पाठन स्वतन्त्रता के दो-एक साल बाद ही कुछ विश्वविद्यालयों में आरम्भ हो गया, परन्तु विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा शास्त्र ऐसे विषयों के लिये मुख्य समस्या उपयुक्त शब्दावली की थी। इस कमी को भी शिक्षा मंत्रालय के अधीन विज्ञान शब्दावली बोर्ड के मार्ग-दर्शन में सन् 1952 में यह कार्य आरम्भ हो गया। सन् 1960 में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना हुई और इसके कठिन परिश्रमों के फलस्वरूप 1973 तक विभिन्न विज्ञान विषयों के स्नातकोत्तर स्तर के लिये एक लाख तीस हजार शब्दों का वृहत् पारिभाषिक शब्द संग्रह प्रकाशित किया गया। गत कुछ वर्षों से वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग विभिन्न विषयों में शब्दों के पारिभाषिक कोष लिखवाने का प्रयत्न कर रहा है तथा विज्ञान के अतिरिक्त इंजीनियरिंग और चिकित्सा शास्त्र, ऐसे

विषयों में भी शब्दकोष तथा पठन-पाठन की सामग्री उपलब्ध करवाने की ओर अग्रसर है।

दृढ़ इच्छा-शक्ति का अभाव

सब कुछ होने के बाद भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग में क्या अड़चनें हैं, विचारणीय विषय है? इसका सीधा सा उत्तर है हमारी मानसिकता और इच्छा-शक्ति का अभाव। आजकल हिन्दी क्षेत्रों के अधिकतर स्कूलों में सब विषयों की पढ़ाई हिन्दी में होनें लगी है। हो सकता है सभी विषयों में पर्याप्त संख्या में अच्छी पुस्तकें उपलब्ध न हों तो भी पहले से और विशेष रूप से विभिन्न अकादमियों के पिछले दशक के प्रयत्नों के फलस्वरूप कठिन से कठिन विषयों पर अच्छी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। इन सब परिस्थितियों की अनुकूलता के होते हुए भी हमारा विद्यार्थी अंग्रेजी के माध्यम को पसंद करता है, जिसमें कुछ समझ पाना और भी कठिन हो रहा है, क्योंकि उनकी बुनियादी पढ़ाई हिन्दी में हुई है। इसका मुख्य कारण ढुलमुल शिक्षा और भाषा नीति का कार्यान्वयन पक्ष, देश में उपयुक्त नौकरी का न मिल पाना और विदेशी नौकरियों का सहज आकर्षण है। नतीजा यह हो रहा है कि अंग्रेजी के अधकचरे ज्ञान के कारण विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण कराने के साधन-स्वरूप सस्ते नोट्स के सहारे परीक्षा पुस्तिका पर अनपचे ज्ञान को उलट रहा है। हिन्दी की तो दुर्गति हो ही रही है, उसके साथ ही इस विज्ञान में पठन-पाठन के स्तर में जो गिरावट आ रही है, उसके कारणों में प्रमुख हमारी भाषा से संबंधित ढुलमुल नीति है।

जन-जन तक विज्ञान-प्रौद्योगिकी का संदेश

आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य कितना महत्वपूर्ण है, इसको दुहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रायः उच्च-स्तर पर विज्ञान की शिक्षा अपनी मातृभाषा में हो, इसके विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि उच्चतम ज्ञान का भण्डार अंग्रेजी में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और अपनी मातृभाषा में शिक्षित विद्यार्थी इस ज्ञान से पूरा लाभ न उठा सकेंगे। जब रूसी, चीनी, जापानी, फ्रांस, जर्मन अपनी भाषाओं में विज्ञान की शिक्षा, उच्चतम अनुसंधान और सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्य कर सकते हैं तो भारतीय भाषाओं, खास कर हिन्दी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, यह बात गले से नहीं उतरती। यदि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ देर के लिए अंग्रेजी के महत्व को स्वीकार भी कर लिया जाए तो जन-जन तक विज्ञान के संदेश को क्या किसी विदेशी भाषा के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है? अंग्रेजी के समर्थक यह कहते सुने जा सकते हैं कि जनता को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की पत्रिका "विज्ञान प्रगति", प्रयाग से छप रही "विज्ञान" और बम्बई से प्रकाशित "वैज्ञानिक" की हजारों-लाखों प्रतियां कैसे बिक रही हैं?

विज्ञान और तकनीक की जानकारी प्राप्त करने की दिशा में जनमानस इतना अधिक जागरुक है कि लगभग सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञान स्तंभ, विज्ञान विषयक लेख और विज्ञान सामग्री अनिवार्य रूप से प्रकाशित होती है, यह इसका जीवंत प्रमाण है। अब प्रश्न केवल उच्च स्तर पर तथा विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक अनुसंधानशालाओं में उच्च अध्ययन तथा शोध कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न करने का उठता है। इसके लिए सन् 1978 में मैंने एक अखिल भारतीय विज्ञान गोष्ठी का आयोजन इलाहाबाद में किया था। वह देश में अपनी तरह की पहली और ऐतिहासिक गोष्ठी थी, जिसमें देश की सभी प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों के विज्ञान प्राध्यापक, हिन्दी के विज्ञान पत्रकार, विज्ञान लेखक और हिन्दी समर्थक विद्वान एकत्रित हुए थे। सबने एक स्तर से यह संकल्प किया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग में कोई बाधा नहीं है, केवल रोजगार की समस्यायें आड़े आती हैं, यह हमारी गुलामी और मानसिकता का प्रश्न है, क्योंकि हिन्दी माध्यम से विज्ञान पढ़े हुए विद्यार्थी नौकरियों में मात खा जाते हैं, यही कारण है कि विद्यार्थी अपना भविष्य अंधकारमय बनाने से कतराता है और अंग्रेजी को अपना पैर जमाने का अनंतकालीन अवसर प्राप्त हो रहा है। दुःख और दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दी प्रदेशों के विज्ञान विषयों के प्राध्यापक प्रायः हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों को हीन भावना से देखते हैं, भले ही वे उन्हीं के द्वारा तैयार की गई है। वे अनंतकाल तक अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए यह घृणित और राष्ट्रद्रोही कार्य करने में रंचमात्र भी संकोच नहीं करते।

भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार हेतु राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना की थी, किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसमें हिन्दी के विज्ञान लेखकों और पत्रकारों को सदस्य मनोनीत नहीं किया गया। यही स्थिति हिन्दी सलाहकार समिति की है, जिसमें विज्ञान के लोगों को न रख कर हिन्दी के साहित्यकारों को सदस्य नामित किया गया है, इसका परिणाम यह है कि सरकारी स्तर पर हिन्दी को श्रेय मिलने के बजाए हतोत्साह और उपेक्षा मिल रही है।

प्रगति के संकेत : भावी कार्य-योजनाएं

इतनी विषम परिस्थिति के बावजूद भी स्थिति असंतोषजनक नहीं है। इस दिशा में काफी प्रयत्न किए जाते रहे हैं और भविष्य में यदि सतत प्रयास जारी रहेंगे तो इस कार्य को गति मिल सकती है। भारत सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सैकड़ों पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अनुसार आयुर्विज्ञान

और भेषज की 34 पुस्तकों, कृषि तथा पशु चिकित्सा विज्ञान की 88 पुस्तकों, गणित और सांख्यिकी की 69 पुस्तकों, इंजीनियरी की 138, भौतिकी की 100, रसायन की 107 जंतुविज्ञान की 41, वनस्पति विज्ञान की 80, गृह विज्ञान की 18, नृ-विज्ञान की 20 तथा सैन्य विज्ञान की 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा निजी प्रकाशकों तथा गैर सरकारी संस्थाओं ने विशुद्ध विज्ञान और तकनीकी की सैकड़ों पुस्तकें अब तक प्रकाशित की हैं। "भारत की संपदा" वनस्पतियों और प्राणियों के वंश तथा जाति नामों का कोश भी तैयार हो चुका है।

गोविन्द वल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर ने कृषि विज्ञान एवं पशुचिकित्सा के विश्वविद्यालय स्तरीय प्रकाशनों के संबंध में सराहनीय कार्य किया है।

रुड़की विश्वविद्यालय ने इंजीनियरी विषयों पर हिन्दी में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किये हैं। कुछ अनूदित हैं और कुछ मूल रूप से तैयार किये गये हैं। ये इंजीनियरी की विभिन्न विधाओं पर हैं। भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय भवन निर्माण संस्थान इमारतों के निर्माण की तकनीक के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उन्होंने अपने अनेक ग्रंथ हिन्दी में भी प्रकाशित किये हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सिविल निर्माण कार्यों तथा विद्युत् कार्यों से संबंधित अपने अनेक विभागीय प्रकाशनों के हिन्दी संस्करण भी छपवा लिए हैं। अनेक प्रकार के यंत्रों की मरम्मत विधि आदि की जानकारी कराने के लिए गैर सरकारी प्रकाशकों की सैकड़ों पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं।

वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों के भाषण भी अब मूल रूप में हिन्दी में दिये जाने लगे हैं। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् इस प्रकार के 40 भाषणमालाओं का आयोजन विभिन्न स्थलों पर कर चुका है। संगोष्ठियों की श्रृंखला में तकनीकी संगोष्ठियां अब हिन्दी में होने लगी हैं। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के तत्वावधान में अप्रैल, 1978 में "ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी का योग" विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें 23 अन्य संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया और अपने शोध निबंध हिन्दी में पढ़े। इसी प्रकार से भारत सरकार के इलैक्ट्रानिकी आयोग द्वारा कम्प्यूटरों पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें अनेक वक्ताओं ने अपने विचार हिन्दी में व्यक्त किये। इसी प्रकार की एक संगोष्ठी आगामी 5–7 जुलाई, 1984 को केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की में आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है—"ऊर्जा संसाधन, विकास एवं परियोजनायें" इसमें शोध की गई दिशाओं पर भी अलग से सत्र होगा।

अब अनेक पत्र-पत्रिकायें मूल रूप से हिन्दी में प्रकाशित होने लगी हैं। वानस्पतिक "भौतिकी, इंजीनियरी, प्राणिलेख, आयुर्विज्ञान, आविष्कार, विज्ञान, विज्ञान प्रगति, विज्ञान-प्रवाह, आदि। इसके अतिरिक्त कई विभागीय पत्रिकाओं के द्विभाषी अंक भी छप रहे हैं, इसमें बीरबल साहनी पुरातनस्पति संस्थान, लखनऊ की पत्रिका "पैलियो-बाटनी" उल्लेखनीय है।

अनेक वैज्ञानिक अपने सरकारी कामकाज से संबंधित नोट हिन्दी में लिख रहे हैं, साथ ही पत्राचार आदि में राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों का पालन आरंभ हो गया है।

हिन्दी का भविष्य उज्जवल है, किन्तु इसमें अधिक तप, लगन, निष्ठा और उद्यम की आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र व्यापक है। नित नूतन आविष्कारों के चकाचौंध में हिन्दी को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इसमें वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और उनके साथ ही जागरूक विज्ञान लेखकों को भी इसे जन सामान्य तक पहुंचाने और आंतरिक कामकाज में इसके व्यवहार पक्ष में प्रबल करने में योगदान देना होगा। राष्ट्रीयता का पर्याय हिन्दी हो, ऐसा संकल्प ही इस ओर प्रभावी साबित होगा।

210, त्रिवेणी नगर,
सीतापुर।

राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है।

—राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन

कृषि विज्ञान और हिन्दी

—अजलाल उनियाल

[हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और कृषि विज्ञान के समान अधिकारी, श्री उनियाल का कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी की स्थिति और संभावनाओं को उजागर करने वाला लेख। विद्वान लेखक ने कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी के प्रायः सभी पहलुओं का विश्लेषण किया है।]

विज्ञान तथ्य की खोज करता है और भाषा उस तथ्य को अभिव्यक्ति देती है। इसलिए भाषा की प्रगति विज्ञान के लिए और विज्ञान की प्रगति भाषा के लिए वरदान है। और इन विज्ञानों में क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण विज्ञान खेती नहीं है? सारा दारोमदार रोजी-रोटी पर आ टिकता है। इस खेती के विज्ञान का संबंध है भारत के आम किसान से, जोकि पिछले 34 वर्षों में खेती की नयी तकनीकें अपनाकर अभूतपूर्व क्रांति का अग्रदूत बना है। कहां तो भारत की उपज 1950 में लगभग 6 करोड़ 70 लाख टन थी और वहां इस वर्ष की रिकार्ड उपज लगभग 15 करोड़ टन हो गई है यानी दुगुने से भी कहीं अधिक। विश्व-विश्रुत शांति पुरस्कार विजेता और बौने गेहूं के क्रांति दूत प्रो० नार्मन बोर्लोग तक ने भारत के किसानों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है और कहा है कि संसार में शायद ही कोई भारत जैसा उदाहरण मिले। इस क्रांति के पीछे जहां भारत के कृषि वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम व सूझबूझ थी, वहां उन तक नयी प्रौद्योगिकी को उनकी ही भाषा में पहुंचाने का भागीरथ प्रयत्न भी था।

यों तो कृषि विज्ञान के नये तौर तरीकों को किसानों तक यानि प्रयोगशाला से खेतों तक पहुंचाने का प्रयत्न जारी है पर ये प्रयत्न विज्ञान के बढ़ते हुए तूफानी कदमों से कदम मिलाकर नहीं चल पाते। कारण, अधिकांश साहित्य अंग्रेजी में तैयार होता है और जब तक हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं में उसका अनुवाद होकर छपता है तब तक उस प्रौद्योगिकी को पीछे छोड़ती हुई नयी प्रौद्योगिकी आ धमकती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि खेतीबाड़ी की सुधरी प्रौद्योगिकी देने वाला वैज्ञानिक साहित्य सीधे किसान के लिये सरल, सुबोध शैली में लिखा जाए।

विज्ञान-साहित्य और अभिव्यक्ति

यों तो भारत में विज्ञान-साहित्य की परम्परा बहुत पुरानी है पर अंग्रेजों के शासनकाल में "हिन्दी में" विज्ञान-साहित्य का प्रकाशन लगभग नगण्य रहा। पिछले चार सौ वर्षों में विज्ञान ने अभूतपूर्व उन्नति की है। कहा जाता है कि पिछले पन्द्रह वर्षों में जीवन की सबसे जटिल प्रक्रियाओं जैसे जीन की प्रकृति, प्रोटीन संश्लेषण आदि के विषय में इतना कुछ जान लिया गया है जितना कुल मिलाकर पिछली सदियों में सीखा नहीं जा सका। जिस विज्ञान ने मानव को इतना सुख-सम्पन्न बनाया है और चांद पर उतरने के सपने को साकार बनाया, उस पर लिखने वाले हिन्दी में बहुत ही कम हैं।

तर्क यही दिया जाता है कि हिन्दी कठिन विषयों की अभिव्यक्ति में सक्षम नहीं है। जिस अंग्रेजी की अधिकांश भारतीय दुहाई देते नहीं अघाते, वह भी सत्रहवीं शती में विद्वानों की भाषा नहीं समझी जाती थी। न्यूटन जैसे विश्व-विख्यात वैज्ञानिक ने अपना अपूर्व ग्रंथ "प्रिन्सिपिया" 1687 में लैटिन में लिखा जिसका 1728 में अंग्रेजी अनुवाद किया गया। बाद में वे अपने भाषा-प्रेम से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने अपना दूसरा ग्रंथ अंग्रेजी में ही लिखा।

गणना से पता चला है कि आज की अंग्रेजी में केवल 15 प्रतिशत शब्द मूल अंग्रेजी के हैं शेष 85 प्रतिशत विदेशी मूल के हैं। मजेदार बात तो यह है कि अंग्रेजी में वर्णसंकर शब्दों की भरमार है। बाइसिकल शब्द में "बाइ" उपसर्ग लैटिन है और "साइकिल" ग्रीक "कुकलोस" (वृत्त) से बना है। "ब्यूटीफुल" और "कोर्टली" के केवल प्रत्यय अंग्रेजी के हैं। "स्कूटर" स्केन्डेनेविया, "ऑमनीबस" लैटिन, "लारी" फ्रेंच और "लूट" हिन्दी मूल का है। आश्चर्य तो इस बात का है कि हजारों साल पुरानी हिब्रू में अब धड़ाधड़ वैज्ञानिक साहित्य प्रकाशित हो रहा है।

यदि विश्व की इतनी समृद्ध भाषाएं दूसरी भाषाओं के शब्द आत्मसात् कर अभिव्यक्ति में शीर्षस्थ बन सकती हैं तो क्यों हिन्दी विदेशी वैज्ञानिक शब्दावली अपनाकर अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम नहीं बन सकती? निश्चय ही कृषि विज्ञान पर तो विज्ञान के लिए लिखे जाने वाला साहित्य हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में ही अधिकतर लिखा जाना चाहिए।

भाषा कैसी हो ?

हिन्दी में कृषि विज्ञान पर साहित्य प्रकाशित करने का संगठित प्रयास आजादी के बाद ही किया गया पर बात ऐसी नहीं है कि देश के मनीषी इस अपेक्षा से बेखबर थे।

गांधी जी ने श्री तोताराम को आजादी से बहुत पहले खेती के महत्व के बारे में लिखा था। यह पत्र भा० कृ० अनुसंधान परिषद् की पत्रिका "खेती" में छापा गया है। गांधी जी ने ही "हरिजन" में खेती पर कई लेख स्वयं लिखे थे। उनकी भाषा की एक बानगी देखिए--"नोनिया जमीन में अगर सोयाबीन बोई जाए तो वही जमीन सुधर जाती है। ऐसी जमीन में खाद अधिक देनी चाहिए। बिजबिजाया हुआ गोबर घास-पत्तियां और गोबर की घूरे की खाद सोयाबीन की खेती के लिए बहुत ही मुफीद है।" कितनी सुबोध और सरल भाषा है। नोनिया शब्द बहुत ही सरल है जबकि इसके स्थान पर नोनिया के लिए लवणीय और जमीन के लिए मृदा और बिजबिजाये के लिए किण्वित शब्द निस्संदेह किसान के लिए दुरूह होते। मुझे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में सम्पादन करते समय प्रायः कई अटपटे दुरुह शब्दों से पाला पड़ता था। "रस्ट" के लिए "किट्ट" शब्द का प्रयोग अखरता था क्योंकि "किट्ट" है तो संस्कृत शब्द परन्तु इसके लिए हिन्दी में रतुआ शब्द मौजूद है और तीनों "रस्ट" के लिए क्रमशः रतुआ, हरदा और गेरुई शब्द मौजूद हैं। फिर भी लेखक जटिल और अप्रचलित शब्द का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार "स्मट" के लिए "कण्ड" के स्थान पर "कंडवा" शब्द अत्यधिक प्रचलित है। सैकडों शब्द ऐसे हैं जिनके लिए हिन्दी में सरल पर्याय मौजूद हैं और किसानों के लिए इन शब्दों का ही प्रयोग वांछनीय है।

वैज्ञानिक शब्दावली

जहां तक हिन्दी में शब्द-रचना का प्रश्न है, इसकी तुलना में शायद ही कोई भाषा टिक सके क्योंकि इसकी जननी संस्कृत अकल्पनीय शब्द-सर्जनशील है। एक ही दृश धातु से दृष्टि, दर्शन, दर्शनीय, द्रष्टव्य, दर्शयिता, दृक्, द्रष्टा बन सकते हैं। सूर्य के लिए लगभग बीस शब्द हैं। इस सबके बावजूद, हमें नये-नये शब्दों की रचना करने के स्थान पर प्रचलित शब्दों और अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। हमें, धड़ल्ले से आक्सीजन, नाइट्रोजन पोटाश, कल्चर, मोलीब्डेनम, फासफोरस, प्रीस्ट, अल्फा, ग्लुटेन, पेनिसिलीन माइसीलियम, ऐन्थ्रेक्स आदि शब्दों का प्रयोग करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और कृषि साहित्य

परिषद् की स्थापना सन् 1929 में की गई थी। परिषद् पिछले 55 वर्षों से भारत में कृषि, पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा और प्रबंध के लिए शीर्षस्थ स्वायत्त संस्था है। इसके अंतर्गत 37 अनुसंधान संस्थान काम कर रहे हैं।

परिषद् ने धीरे-धीरे अनुवाद के काम को कम करते हुए मौलिक रचनाओं पर जोर देना शुरू किया है। हिन्दी में "खेती" "कृषि चयनिका" और "फल फूल" जैसी पत्रिकायें तो निकल ही रही हैं, साथ ही उच्च कोटि का मौलिक कृषि साहित्य भी धड़ाधड़ प्रकाशित किया जा रहा है। और तो और, अत्यंत जटिल वैज्ञानिक विषयों पर परिषद् ने ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। परिषद् के "कृषि ज्ञान कोष" और "पशु-पालन विज्ञान" पर दो बड़े संदर्भ ग्रंथ हैं।

हिन्दी में प्रकाशित दो पुस्तकों पर कृषि विज्ञान साहित्य पर प्रतिवर्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद पुरस्कार दिया जाता है। अब तक कुल मिलाकर 200 पुस्तकें, बुलेटिन तथा रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं। कुछ ऐसे विषय की पुस्तकें भी हैं जिन पर हिन्दी में या तो लिखा ही नहीं गया या बहुत ही कम प्रामाणिक सामग्री प्रकाशित हुई है। "जीवाणु-उर्वरक", "मिश्रित मछली पालन", "वन और मानव", "फसलों में जल प्रबन्ध", "गुलाब", "कपास", कुछ ऐसे ही विषय हैं। पौध आनुवंशिकी संस्थान को राष्ट्रीय ब्यूरो ने हिन्दी में एक ऐसी ही बेजोड़ पुस्तक आनुवंशिकी संसाधन पर निकाली है। "शूकर-पोषण", पर भी एक पुस्तक प्रकाशनाधीन है। "गुलाब" पर प्रकाशित होने वाली पुस्तक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डा० पाल की कृति है। हिन्दी में यह अपनी किस्म की शायद पहली पुस्तक होगी।

"अजोला" और "नील हरित शैवाल" के प्रयोग से महंगी नाइट्रोजनीय खादों की बचत की जा सकती है, रेह वाली बंजर मिट्टियों में फसलें उगायी जा सकती हैं, इन विधियों से गरीब किसान लाभ उठा सकते हैं। पर इन्हें किसानों तक कैसे पहुंचायें, इसके लिए परिषद्, "जेबी किताबों की कृषि-क्रांति माला" प्रकाशित करने की योजना बना रही है।

उच्च शिक्षा के लिए कृषि विज्ञान की पुस्तकें

कृषि विज्ञान की शिक्षा हिन्दी माध्यम से देने का कार्यक्रम अब भारत में कई कृषि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि विज्ञान की शाखाएं इतनी अधिक और जटिल हो गई हैं कि हिन्दी में तकनीकी शब्दावली एक बड़ी समस्या है। जो शब्द हिन्दी में है भी प्राध्यापक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाये होने के कारण, उन्हें या तो जानते ही नहीं या वे हिन्दी में उन्हें जानने का व्यर्थ (?) कष्ट नहीं उठाना चाहते। इसका उपाय यही है कि अधिकांश अंग्रेजी शब्दावली को कठिन विषयों के लिए ज्यों का त्यों ले लिया जाए और जहां भी संभव हो, हिन्दी पर्याप्त दिये जाएं। इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा विश्वविद्यालयों को मिलकर काम करना श्रेयस्कर होगा। परिषद् तथा पन्तनगर विश्वविद्यालय ने तो काफी पुस्तकें उच्च स्तर की प्रकाशित की हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन में हिन्दी

खाद्य और कृषि-संगठन के दिल्ली कार्यालय को यह श्रेय है कि उसने हिन्दी में, उसकी लोकप्रियता और आवश्यकता को ध्यान में रखकर, कुछ विषयों पर वैज्ञानिक लेख जारी किये थे। इस प्रेस फीचर सेवा में "समुद्र से भोजन", "जंगल से मंगल", "मरुस्थल में हरियाली"

और "मुर्गीपालन" पर लेख छपे हैं। इसके अतिरिक्त "ताल तलैयों में मछली पालन" और "खुंभी की खेती" प्रकाशित की गई है। "किसानों का अधिकार पत्र" और "बाधाओं को तोड़ना" दो पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई हैं। किसानों के लिए "बेहतर खेती" पुस्तक-माला में चार किताबें प्रकाशित की गई।

शोध लेख

खेद है कि कृषि विज्ञान में शोध करने वाले प्रायः सभी छात्र अब भी अपने शोध लेख अंग्रेजी में लिखते हैं। क्या हिन्दी में शोधकार्य पर लिखा नहीं जा सकता या कि शोध कार्य केवल अंग्रेजी पढ़े-लिखे विद्वान ही लिख सकते हैं? इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि एक पर्वतीय अध्यापक चन्द्र शेखर लोहुमी ने "कूरी खाने वाले कीड़े" पर हिन्दी में एक शोध-पुस्तक लिखी जिसकी सराहना डा० स्वामीनाथन जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक तक ने की और उन्हें पुरस्कृत भी किया। यदि सूझबूझ के धनी अध्यापक कृषि विज्ञान पर, इतनी सुन्दर शोध-पुस्तक लिख सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि हिन्दी भाषा-भाषी कृषि वैज्ञानिक इस दिशा में अपनी प्रतिभा का परिचय न दें।

क्या प्रसिद्ध मनीषी डा० के० एस० पणिक्कर के ये शब्द हमें नहीं ललकारते?

"मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि भारत की राजभाषा हिन्दी न होकर अंग्रेजी होनी चाहिए। 150 वर्ष तक राज्य का संरक्षण और प्रोत्साहन पाने पर भी केवल 2 प्रतिशत आदमी अंग्रेजी सीख सके। देश के इतने कम आदमियों के हाथ में सत्ता के केन्द्रित हो जाने के कारण इस देश में जनतंत्र नहीं पनप सकता।"

जैसे नौसिखिया तैराक पानी से भय खाना छोड़कर ही तैरना सीख सकता है वैसे ही हमारा देश उस काल्पनिक भय को (हाय! अंग्रेजी गई तो क्या होगा!) तिलांजलि देकर ही आगे बढ़ सकता है। कृषि विज्ञान में तो निश्चय ही हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन और प्रचार को तेज किया जा सकता है जिसकी आवश्यकता भी है क्योंकि सन्न तो अनन्त काल तक किया जा सकता है।

"जन्न की इन्तहा होती है, सन्न की इन्तहा नहीं होती"।

के०-38 एफ, साकेत,
नई दिल्ली-1100017

थोड़े से अभ्यास से विज्ञान पर एक सीमा तक हिन्दी में अच्छी तरह लिखा और बोला जा सकता है ——— ।

अगर भारत की सोई हुई वैज्ञानिक प्रतिभाओं को जगाना है, तो विज्ञान की शिक्षा का माध्यम हिन्दी को बनाना होगा । इसके बिना भारतीय जनता और वैज्ञानिक विचारों के बीच विद्यमान दूरी को खत्म नहीं किया जा सकता और ऐसी दशा में जनता से सम्पर्क स्थापित करने के लिए जनभाषा का सहारा लेना बहुत जरूरी है ।

—डॉ० जयन्त विष्णु नार्लीकर

हिन्दी की विभिन्न क्षेत्रों—विशेषतः तकनीकी क्षेत्रों में उपलब्धि

—डा० महेशचन्द्र गुप्त

(चार्टरित इंजीनियर, हिन्दी के पी० एच० डी० और संभावित डि० लिट०। हिन्दी के प्रचार और प्रसार में समर्पित डा० गुप्त का तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी की उपलब्धियों के अनेक तथ्यों को उद्घाटित करने वाला वर्णनात्मक और विचारोत्तेजक लेख)

हिन्दी केवल कविताओं कहानियों की भाषा नहीं है। गत कुछ दशकों में हिन्दी भाषा के विकास में नई-नई उपलब्धियां हुई हैं। प्रारंभ में हिन्दी का टाइपराइटर भी बहुत अच्छा नहीं था किन्तु विकास की गति जैसे जैसे तीव्र हुई वैसे वैसे हिन्दी टाइपिंग में नए-नए कीर्तिमान स्थापित हुए। प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन नागपुर में मारीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री शिवसागर रामगुलाम जी की और तत्कालीन विदेश मंत्री श्री यशवन्तराव चह्वाण जी की उपस्थिति में वहां प्रदर्शन किया गया था। उस समय हिन्दी टाइपिंग की अधिकतम सकल गति 110 शब्द प्रति मिनट आई थी। शुद्ध गति 100 शब्द प्रति मिनट से भी अधिक थी। इस प्रकार हिन्दी आशुलिपि में भी केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं के आधार पर 250 शब्द प्रति मिनट की गति का कीर्तिमान स्थापित हुआ है।

हिन्दी सेवी संस्थाओं के सतत् प्रयत्नों के फलस्वरूप सबसे पहले हिन्दी की पतालेखी यानी एड्रोसोग्राफ मशीन से हिन्दी में प्लेट बनाने का काम कई वर्षों के प्रयत्न के बाद शुरू हुआ, देवनागिरि टेलीप्रिन्टर भी उपलब्ध हुये हैं। कई वर्षों के प्रयत्नों के फलस्वरूप अब देवनागिरि का कम्प्यूटर भी उपलब्ध हो गया है और डी० सी० एम० ने 'सिद्धार्थ' नाम का हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं से प्रिंट करने वाला कम्प्यूटर बाजार में उपलब्ध करा दिया है। टाटा बरोज लि० बंबई ने भी देवनागिरि कम्प्यूटर का आविष्कार कर दिया है। यह कार्य भी केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिकी विभाग आदि के समन्वित प्रयासों से हुआ है। जहां तक तकनीकी क्षेत्रों में हिन्दी के विकास का प्रश्न है इस मामले में हिन्दी का बड़ी तीव्रता से विकास हुआ है। सिविल, विद्युत् इंजीनियरी आदि में डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई कई वर्षों से हिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी में हो रही है। 400–500 पुस्तकें विभिन्न इंजीनियरी विषयों पर अब हिन्दी में उपलब्ध हैं। अनेक प्रसिद्ध लेखकों की उच्चस्तरीय इंजीनियरी पुस्तकें हिन्दी में पढ़ने को मिलती हैं। यह अवश्य है कि कई भर्ती परीक्षाएं हिन्दी मे न शुरू होने के कारण बहुत अधिक संख्या में पुस्तकें हिन्दी में नहीं आ सकी हैं। इसके अलावा डिग्री स्तर की पढ़ाई में विकल्प के तौर पर हिन्दी माध्यम शुरू करने के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग भी अपनी इंजीनियरी की भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कार द्वारा ली जाने वाली भर्ती में यदि हिन्दी माध्यम का विकल्प दे दे तो यह निश्चित है कि बहुत अच्छे ढंग से इंजीनियरी की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से हो सकेगी और बाजार में इंजीनियरी विषयों पर उच्चस्तरीय पुस्तकें आ जायेंगी। भारत सरकार के इंजीनियरी विभागों में अब अनेक तकनीकी उच्च स्तर के काम हिन्दी में हो रहे हैं। उदाहरण के लिए रेलवे, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, केन्द्रीय जल आयोग केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि में अनेक तकनीकी नक्शे हिन्दी में बन रहे हैं। प्रगति की गति बहुत तीव्र तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों में संकल्प की कमी है। जिस प्रकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि में अनेक वास्तुकीय और संरचनात्मक नक्शे, भवनों के अनुमान आदि हिन्दी में बन रहे हैं, इंजीनियर्स इंडिया में गत 6 वर्षों से सारे चैक हिन्दी में बन रहे हैं, जीवन बीमा निगम के अनेक कार्यालयों में 60 से 70 प्रतिशत तक कार्य हिन्दी में हो रहे हैं बीमा पालिसियां द्विभाषी होने लगी हैं रेलवे में रेलवे रसीदें भारी संख्या में हिन्दी में बन रही हैं। उसी प्रकार दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि विभागों में ये सब काम हिन्दी में हो सकते हैं। यदि दिल्ली के इन कार्यालयों में ये कार्य हिन्दी में होने लगें तो दिल्ली में भी वातावरण बदलेगा और दिल्ली के गणमान्य लोग भी हिन्दी अपनाने की तरफ झुकेंगे। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि में इंजीनियरी के डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई हिन्दी में हो रही है उसी प्रकार दिल्ली, चंडीगढ़ आदि क्षेत्रों में भी इस दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। दिल्ली चूंकि भारत की राजधानी है और अन्य प्रदेश यहां पर चल रहे प्रयोगों का अनुसरण करते हैं। इसलिये यह बड़ी आवश्यकता है कि दिल्ली में हिन्दी को अपनाने के लिये उच्चस्तरीय प्रयास हो और नए नए क्षेत्रों में भी हिन्दी को स्थान मिले। विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से विद्यार्थियों को दी जाए और 11वीं

12वीं और उच्च कक्षाओं में विज्ञान हिन्दी माध्यम से पढ़ाया जाए। यदि हिन्दी माध्यम के योग्य छात्रों को हिन्दी माध्यम से विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था अन्य हिन्दी प्रदेशों की तरह हो जाए तो उसका प्रभाव देश के अन्य भागों में भी पड़ेगा। दिल्ली में तो मैनेजमेंट, औद्योगिक मैनेजमेंट, विधि कानून, इंजीनियरी के सभी विषयों आदि की शिक्षा का प्रबन्ध हिन्दी माध्यम से शुरू करने की बड़ी आवश्यकता है। नेपाल में इंजीनियरी के नाते कार्य करते हुए एक बार नेपाल में इजरायल के राजदूत महोदय को महात्मा बुद्ध जी के जन्म स्थान लुम्बिनी ले जाते समय चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि वहां पर इस प्रकार की अकादमी है। जिसमें विश्व के विभिन्न भाषाओं में छपने वाली उच्च स्तर की विज्ञान की और तकनीकी पुस्तकों को हिब्रू भाषा में तीन-चार महीनों के भीतर उपलब्ध करा देने की व्यवस्था है। यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि पिछले 20–25 वर्षों में हिन्दी में लगभग सभी वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों के शब्द आ गये हैं और उनका इस्तेमाल भी हो रहा है। हमारी जानकारी के अनुसार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने अपने मंत्रालयों से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लिखे जाने पर अच्छे पुरस्कार देने की योजना बनाई है। कृषि मंत्रालय, कार्मिक विभाग, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और विधि मंत्रालय आदि ने हिन्दी में मौलिक पुस्तकों पर पुरस्कार देने की व्यवस्था चालू कर रखी है। इस सन्दर्भ में इस बात की आवश्यकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय विज्ञान और उच्च शिक्षा से संबंधित विषयों पर हिन्दी माध्यम से शोध ग्रंथ लिखे जाने को प्रोत्साहित करे।

वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में उच्चस्तरीय पत्रिकायें अब हिन्दी में निकल रही हैं। उदाहरण के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स अपना हिन्दी जरनल प्रकाशित करता है। आविष्कार, परमाणु, अंतरिक्ष आदि जैसी उच्च शोध पत्रिकायें भी हिन्दी में निकल रही हैं। विद्यालयों में ये पत्रिकायें मंगवाई जा सकती हैं। क्योंकि इनमें क्लिष्ट लेख नहीं होते बल्कि विज्ञान की तरफ रूझान पैदा करने के लिए बहुत उपयोगी सामग्री इनमें रहती है। हमारे देश के लोग योग्यता में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है कि जिससे यह समझा जाए कि किसी भी प्रकार का कार्य हिन्दी में न हो सकता हो और उच्च शिक्षा हिन्दी माध्यम से न दी जा सकती हो। यह जानकारी मिली है कि "फार्माकोपिया इण्डिका" का भी हिन्दी में अनुवाद हो रहा है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों में भी दिन और तारीख आदि अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी दी जा रही हैं। भारत सरकार के कारखानों में उत्पादित माल पर सभी विवरण हिन्दी में भी दिये जाने लगे हैं। सभी मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टें और उनकी पत्रिकाएं हिन्दी में भी निकल रही हैं। इस सब स्थिति को देखते हुए यह भली प्रकार समझा जा सकता है कि हिन्दी भारत संघ की एक सशक्त और विकासशील राजभाषा है। यह भाषा सदियों से राजकाज की भाषा रही है। राजस्थान राज्य के अभिलेखागार में इस प्रकार की सामग्री का विशाल भंडार है, जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि देश की विभिन्न रियासतों के बीच लगभग चार सौ वर्ष से हिन्दी में पत्र-व्यवहार होता रहा है। कुछ विद्वानों के अनुसार तो दक्षिण भारत में दक्खिनी हिन्दी भी अनेक वर्षों तक काम काज की भाषा रही है। इसलिये यह माना जा सकता है कि हिन्दी एक विकसित प्राचीन और साथ-साथ विकासशील राजभाषा है।

नागरी लिपि में हिन्दी भाषा प्रकाशन

यह एक आम धारणा रही है कि हिन्दी प्रकाशन का प्रारम्भ 19वीं सदी के आरम्भ में हुआ, किन्तु आधुनिक शोधों के आधार पर उपलब्ध सामग्री से इस धारणा का खण्डन हो जाता है। इससे यह तथ्य सामने आता है कि हिन्दी प्रकाशन का प्रारंभ सन् 1800 के बाद नहीं बल्कि उससे भी 133 वर्ष पूर्व भारत से बहुत दूर एमस्टरडम में हुआ था। सन् 1667 में किरनेर की प्रसिद्ध पुस्तक "चायनाइलुस्ट्राट" का प्रकाशन एमस्टरडम में हुआ था। इस पुस्तक में विष्णु के 10 अवतारों में से 9 अवतारों का नाम हिन्दी भाषा और नागरी लिपि में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। इस प्रकार नागरी लिपि में हिन्दी भाषा के प्रकाशन के क्षेत्र में एमस्टरडम, चायनाइलुस्ट्राट सन् 1667, और किरनेर का ऐतिहासिक महत्व हो जाता है। चायनाइलुस्ट्राट प्रकाशन के बाद सन् 1678 में प्रकाशित "ह्यू रोक्स बान रीड टाट डु केस्टोनस होरटस इन्डीकस मालाबारिकना एडोरनेटस" की भूमिका में नागरी लिपि में तिथियों को तथा सन् 1668 में प्रकाशित टामस ह्वाइट के "हिस्टोरिया प्लैंबीलुडो" में पृष्ठ 132–137 पर "हाथी" के लिए बारह भिन्न शब्दों को नागरी वर्णों में मुद्रित होने का अवसर मिला।

विज्ञान--प्रौद्योगिकी की वाहिका हिन्दी—कुछ प्रयोग और अनुभव

—डा. नटवर दवे

[5, 6 और 7 जुलाई, 1984 को केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान में "ऊर्जा संसाधन विकास एवं परियोजनाएं" विषय पर आयोजित संगोष्ठी तथा "तकनीकी हिन्दी का विकास" विषय पर आयोजित कार्यशाला के संगठन मंत्री, मूलतः अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के रसायन शास्त्री डा० दवे का मत है कि "हिन्दी एक सशक्त भाषा है। अनुभूति एवं अभिव्यक्तिकरण की अद्भुत क्षमता इसमें है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वाहिका के रूप में कार्य करने में यह सभी प्रकार से समर्थ है।"]

आज के युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। पिछले लगभग 100 वर्षों में विज्ञान ने इस प्रकार प्रगति की है वह आशातीत तो है ही, उसने मनुष्य के विकास की सम्भावना बहुत बढ़ा दी है। आज का मनुष्य शून्य में जाकर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर सकता है, चन्द्रमा पर जाकर विचरण कर सकता है तथा अन्तरिक्ष में अनेक प्रकार के प्रयोग कर सकता है। वह मनुष्य ही जहाँ अणुबम और हाइड्रोजन बम का निर्माण करके अपने तथा समस्त ब्रह्मांण्ड के अस्तित्व का नाश कर सकने की क्षमता रख सकता है, अनेक प्रकार की जीवाणुओं के वातावरण में मिश्रित करके मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों को समूल नष्ट करने के लिए कृत संकल्प हो सकता है, वहीं नाभिकीय विघटन से प्राप्त ऊर्जा का संचय करके उसको संसार के विकास में उपयोगी बना सकता है तथा राजयक्ष्मा, कैन्सर तथा अनेकानेक प्रकार के मारक व्याधियों के निराकरण के लिए अचूक औषधियों का निर्माण कर सकता है।

स्पष्ट है कि विज्ञान सिर्फ एक साधन है और उसका उपयोग इच्छा के अनुसार विकास अथवा विनाश किसी के लिए भी किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान मानव का सेवक ही बना रहे तथा मानव के सही प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए उन्नति की सम्भावनाओं को पूरा कर सके। यदि विज्ञान का इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से उपयोग किया जाए तो यह अनुचित होगा तथा विज्ञान ज्ञान का विपरीत बनकर केवल विनाशक ही रह जाएगा।

प्रौद्योगिकी से अभिप्राय विज्ञान द्वारा प्राप्त स्थापनाओं, पदार्थों एवं विधियों को ऐसा स्वरूप प्रदान करना है कि वे मानव समाज के लिए उपयोगी हो सके। अनेक प्रकार की नूतन विधियों का विकास और उसको समाज की आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए सही रूप प्रदान करना, यह प्रौद्योगिकी का वास्तविक स्वरूप होना चाहिए।

भाषा की सार्थकता :

भाषा का उद्देश्य भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सही रूप में पहुंचाना होता है। वस्तुतः वह भावों की वाहिका ही होती है। भाव जहां कालिदास के शब्द बनकर यक्ष की आर्त पुकार को व्यक्त कर सकता है, तुलसी के लोक रक्षक राम की संस्थापना कर सकता है, वहीं कार्ल मार्क्स के "डार्ल्स कैपीटल" का रूप ले सकता है अथवा आईस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत को प्रतिपादित कर सकता है। यदि किसी कारण से वाहिका अपने इस उद्देश्य से पूरा नहीं कर पाती अर्थात् वक्ता से श्रोता तक भावों को सही रूप में नहीं पहुंचा पाती, तो उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाता और उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसका वक्ता एवं श्रोता दोनों को ठीक-ठीक प्रकार से ज्ञान हो। यदि इन दोनों में से एक भी माध्यम से भली प्रकार से परिचित न हो तथा उससे जूझता ही रह जाए तो निश्चय ही ज्ञान को व्यक्त अथवा ग्रहण करने की क्षमता का ह्रास होगा। इस बात को संसार के अनेकानेक विद्वानों एवं मनीषियों ने माना है। राष्ट्रीय एकता समिति ने भी 1962 में अपनी रिपोर्ट में लिखा है "यह समिति शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन करने के लिए सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विचारों को उतना महत्व नहीं देती जितना कि विषयवस्तु को समझने और पकड़ने की शैक्षणिक आवश्यकता को। भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों के लोग ज्ञान के प्रसार और विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार में अपना अधिकतम योगदान देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, यदि उनके, प्राविधिज्ञों कारीगरों के तथा आम लोगों के बीच देश की भाषा में आदान-प्रदान नहीं हो पाएगा। समिति का विचार है कि इससे सभी और प्रतिभा का ह्रास होगा।

हमारी वैज्ञानिक धरोहर :

भारत के लोगों को अपनी, विश्व की प्राचीनतम, संस्कृति पर गर्व है। हमारी संस्कृति में जहां द्वारिका और जगन्नाथ

पुरी के मन्दिर सारनाथ और सांची के स्तूप, रामेश्वरम् और मदुरै के देवालय, गंगा और कावेरी नदियों, अजन्ता और एलोरा की चित्रकारी, दिल्ली और चित्तौड़ के विजय–स्तम्भ, वहीं चरक और सुश्रुत भास्कराचार्य और कणाद, आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर आदि की वैज्ञानिक उपलब्धियां भी हैं। अग्नि की खोज महर्षि अंगिरा ने हिमालयों को पहाड़ियों में की थी। अब से आठ हजार वर्ष पूर्व दीर्घतमा ऋषि ने पृथ्वी सूर्य तथा अन्य नक्षत्रों की चालों का विस्तृत अध्ययन करके 4 वर्षों का मान 1461 दिन निश्चित किया था। तीन हजार वर्ष पूर्व कणाद मुनि ने अपनी पुस्तक "वैरोषिका" के 370 सूत्रों में अणु–परमाणु के सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया था। शून्य और बीज गणित के सिद्धांत आविष्कार आर्यभट्ट ने चार हजार वर्ष पूर्व किया था। पहिए की खोज भी भारत में ही हुई थी और यह ही आज भी सभी प्रकार के यन्त्रों का आधार है।

और पवित्र भागीरथी की धारा की भांति वैज्ञानिक उपलब्धियों का यह प्रवाह निरन्तर बना रहा। छत्रपति शिवाजी को शासन करने के लिए कुछ ही वर्षों का अवसर प्राप्त हो पाया किन्तु इस छोटी सी अवधि में ही उन्होंने "राजकोष" की रचना करवाई। 19 वीं शताब्दी में जब इस धरोहर के लिए हुए आधुनिक हिन्दी का जन्म हो रहा था तब भी "औषधि कल्पना विद्या" "पदार्थ विज्ञान" तथा क्षेत्रीय भूमिति" नामक पुस्तक हिन्दी में रची गई और वे आज भी उपलब्ध हैं।

हिन्दी के वैज्ञानिक शब्द :

काशी की नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ई० में हुई। उल्लेखनीय है कि स्थापना वर्ष में ही उसने हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य के निर्माण का प्रयत्न आरम्भ कर दिया। 5 वर्ष उपरान्त देश भर के शीर्ष के 33 वैज्ञानिकों और भाषाविदों की एक समिति स्थापित की गई जिसको वैज्ञानिक शब्द कोष बनाने का कार्यभार दिया गया। इस समिति ने अथक परिश्रम किया और 33,000 से अधिक शब्दों का एक कोष निर्मित किया।

प्रयाग में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना होने से प्रयाग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई और उन्होंने विज्ञान परिषद् की स्थापना की। इस संस्थान ने हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य की रचना के लिए बहुत कार्य किया। डा० गोरख प्रसाद, डा० निहाल करण सेठी, डा० सत्य प्रकाश तथा अन्य कई वैज्ञानिकों ने हिन्दी के वैज्ञानिक साहित्य के सृजन का मार्गदर्शी कार्य किया।

इसके उपरांत अन्य अनेक वैज्ञानिकों ने भी इस कार्य में अपना योगदान दिया। वैज्ञानिक कोष के निर्माण कार्य में डा० रघुबीर का योगदान अविस्मरणीय है। उनकी अपनी पार्श्वभूमि विज्ञान की नहीं थी फिर भी उन्होंने अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा के आधार पर एक अद्वितीय वैज्ञानिक कोष का निर्माण किया। इस कोष में अंग्रेजी शब्दों के समानार्थी शब्द स्वतन्त्र रूप से निर्मित करके संकलित किए गए। उनमें आनुवादीय जकड़न नहीं आ पाई।

स्वतन्त्रता के बाद वर्षों में भारत सरकार ने वैज्ञानिक साहित्य के निर्माण के लिए सरकारी स्तर पर समितियों का निर्माण किया। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग स्थापित किया गया। इस आयोग के तत्वावधान में अनेक विषयों की शब्दावलियाँ बनाई गई और तीन लाख से भी अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के हिन्दी स्वरूप निश्चित किए गए।

वैज्ञानिक साहित्य निर्माण की सम्भावना :

शब्दावलियां तथा कोष बनाने का काम इतने वर्षों से होता चला आया है। अब हिन्दी में सभी प्रकार के वैज्ञानिक साहित्य का निर्माण करना सम्भव है। समर्थ शब्दावली तो हमारे पास है ही। कई हजार पाठ्य पुस्तकें मौलिक रूप में लिखी जा चुकी हैं। बहुत सी विदेशी पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि हिन्दी राज्यों के अधिकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया जा चुका है। स्नातकीय तथा कहीं-कहीं स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी विज्ञान के विषयों का अध्ययन कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। केन्द्र एवं राज्य की सरकारें वैज्ञानिक पुस्तकों के निर्माण के लिए अनुदान तथा पुरस्कार भी प्रदान कर रही है।

20वीं शताब्दी के आरम्भ में हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य के सृजन के मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयां थीं। किन्तु फिर भी जिस प्रकार का कार्य किया गया वह स्तुत्य है। अब अनेक प्रकार के कोष और पाठ्य पुस्तकें बहुत वर्षों से उपलब्ध हैं, किन्तु यह अनुभव किया जा रहा है कि प्रगति का मार्ग कुंठित हो चुका है।

स्नातकोत्तर स्तर तक की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के बाद यह स्वाभाविक ही था कि अनुसन्धान के कार्य को हिन्दी में किया जाए तथा शोध-पत्र अनेकानेक पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाएं। खेद का विषय है कि यह कार्य हो नहीं रहा। शोध–पत्र या तो हिन्दी में लिखे ही नहीं जा रहे और यदि लिखे भी जा रहे हैं तो वह मुख्यतः पुनरीक्षण–पत्र ही अधिक हैं। यह भी खेद का विषय है कि हिन्दी में शोध-पत्रों को लिखा भी जाता है तो उनको प्रकाशित करने के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं। अनेक जमी-जमाई शोध-पत्रिकायें हिन्दी में शोध-पत्रों को स्वीकार ही नहीं करतीं। एक–दो शोध पत्रिकायें हिन्दी में निकलती भी हैं तो वे समुचित स्तर को प्राप्त नहीं कर पाई।

हिन्दी में शोध-पत्र लेखन :

रुड़की में वैज्ञानिक तथा इंजीनियरी विषयों पर अनुसन्धान करने वाली अनेक संस्थायें हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि यदि उनके शोध-पत्र हिंदी में लिखे जा सकें तो वे जनता तक

सरलता से पहुंच सकेंगे और अधिक उपयोगी हो सकेंगे। इस संबंध में अनेक प्रकार के प्रयोग किए गए और उनका वर्णन यहां किया जायेगा।

"वैज्ञानिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग" शीर्षक से एक गोष्ठी 1965 में आयोजित की गई थी। जब इसके लिए शोध कार्य में संलग्न वैज्ञानिकों एवं अध्यापकों से शोध पत्र देने की प्रार्थना की गई, तो अधिकांश लोगों को हिन्दी में वैज्ञानिक शोध-पत्र लिखना विचित्र सा लग रहा था। कई लोगों ने तो शोध-पत्र लिखने की प्रार्थना का उपहास सा ही किया। बहुत से लोगों ने इस कार्य में सिद्धान्ततः सहमति प्रकट की और लिखने की स्वीकृति भी दी, इसमें से अनेक लोगों ने थोड़ा बहुत प्रयत्न भी किया—किन्तु अन्ततः हथियार डाल दिए। जब गोष्ठी हुई तो उसमें 4 से अधिक शोध-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

इससे थोड़ी निराशा तो हुई किन्तु 4 शोध पत्र प्राप्त करना भी एक प्रकार से उपलब्धि ही थी। इस प्रयत्न से मार्ग थोड़ा सा खुल भी गया, किन्तु खुला थोड़ा सा ही।

इसके 2 वर्ष के उपरांत पुनः इस प्रकार की एक गोष्ठी आयोजित की गई। अनेक वैज्ञानिकों को फिर से लिखने का आग्रह किया गया। स्थिति में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हो पाया किन्तु प्राप्त शोध-पत्रों की संख्या 6 तक पहुंच गई। उत्साहवर्धक एक बात यह हुई कि इन 6 में से 5 लेखक पहले वाले लेखकों से भिन्न थे।

इन दोनों ही गोष्ठियों में जो शोध-पत्र प्रस्तुत किए गए वे अन्य भाषाओं से लिए गए और प्रकाशित किए जाने वाले शोध-पत्र की कोटि के ही थे। लेखकों को काफी भाग दौड़ तो करनी ही पड़ी। किन्तु उनको अपने लेखन से असन्तोष न हुआ। कार्य सिद्धि और कुछ कर पाने का सुख प्राप्त हुआ।

इन दो गोष्ठियों में जो अनुभव प्राप्त हुए और भरसक प्रयत्न करने पर उसके अनुरूप परिणाम की प्राप्ति नहीं हुई तो उत्साह कुछ भंग हुआ और कई वर्ष तक इस दिशा में कुछ प्रगति नहीं हो पाई। इस बीच में 2 संस्थायें यहां संस्थापित हुई और उनके परस्पर सहयोग से एक बहुत विशाल प्रदर्शनी "हिन्दी का बढ़ता हुआ प्रयोग" शीर्षक से आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में हिन्दी के अधिकाधिक हो रहे उपयोग तथा हो सकने वाली सम्भावनाओं को प्रदर्शित किया गया। कार्यकर्ताओं की संख्या कुछ बढ़ी और पहले का भंग उत्साह पुनर्जीवित हुआ तो पुनः शोध-पत्र लिखने का विचार बना। इस बार संयुक्त रूप से एक गोष्ठी आयोजित की गई और इसमें 12 शोध-पत्र प्राप्त हुए। यह भी उल्लेखनीय है कि शोध-पत्रों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनका स्तर उचित ही बना रहा। सही स्तर को प्राप्त न करने वाली रचनाओं को सम्पादकों ने भली प्रकार से संशोधन परिवर्धन कराकर ही उनको गोष्ठी में प्रस्तुत कराया। इस गोष्ठी का उद्घाटन रुड़की विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति श्री मुल्कराज चोपड़ा ने किया।

इन सभी प्रयत्नों के परिणामस्वरूप वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में हिन्दी में शोध-प्रबन्ध लिखने की रुचि जाग्रत हुई। झिझक दूर हो गई। संकोच नष्ट हुआ। यह अनुभव किया गया कि अपने परिणामों और स्थापनाओं को हिन्दी में अधिक सरलता से और अधिक सही रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसलिए काफी शोध-पत्र हिन्दी में लिखे गए। इंजीनियरों की संस्था "दी इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) का जरनल" नामक पत्रिका एक हिन्दी विभाग भी प्रकाशित करती है। इस पत्रिका को 1964 में स्थिति यह थी कि पूरे वर्ष में केवल 12 शोध-पत्र ही छपे थे जिनमें से सात अन्य भाषाओं के लेखों से अनूदित थे अर्थात केवल पांच शोध पेत्र ही मूल रूप से प्राप्त हुए थे। 1975 तक स्थिति यह आ गई कि प्रतिवर्ष 40 से 50 तक शोध पत्र प्रकाशित होने लगे और पृष्ठ संख्या में वृद्धि होने पर भी छापने के लिए एक एक वर्ष तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता पड़ने लगी।

अखिल भारतीय संगोष्ठी :

इस शृंखला की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी 24–25 अप्रैल, 1975 को आयोजित अखिल भारतीय संगोष्ठी थी। अखिल भारतीय संगोष्ठी करने का विचार तो पहले से था किन्तु इसमें अनेक प्रकार की शंकायें और बाधायें दिखाई दी थीं। किन्तु अनेक उत्साही कार्यकर्ताओं के आग्रह से इस बार यह कार्य कर ही डालना निश्चित हुआ। एक बार जब कार्य आरम्भ हो गया तो सभी प्रकार की कठिनाइयां उत्साह के आवेग में उड़ गई। इस संगोष्ठी के लिए देश के सभी भागों से उच्च स्तर के शोध-पत्र प्राप्त हुए। इसमें से 44 शोध पत्र इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृत किए गए। लगभग 250 प्रतिनिधि दूर दूर से आकर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए जिनमें अहिन्दी भाषी प्रदेशों—त्रिवेन्द्रम, धारवाड़, नागपुर, बम्बई आदि से भी अनेक प्रतिनिधि आए। पांच विश्वविद्यालयों के कुलपति, 2 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशक, अनेक शीर्ष के वैज्ञानिक, प्राध्यापक तथा छात्र इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष डा० आत्मा राम ने किया। इसका समाचार देश के लगभग सभी भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ।

यह कार्यक्रम तथा इसमें सम्मिलित शोध पत्र इतने उच्च स्तर के थे कि "दी इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया)" की जरनल में इसको प्रकाशित करने के लिए एक विशेषांक निकाला (उल्लेख है कि इस पत्रिका ने इससे पहले कभी कोई न तो कोई विशेषांक निकाला न किसी संगोष्ठी का कार्य वृत्त प्रकाशित किया)। इस विशेषांक का विमोचन राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राज्य मंत्री मिर्जा आरिफ बेग ने किया।

इसी कार्यक्रम के अवसर पर "हिन्दी का वैज्ञानिक मंच" शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम भी रखा गया। इसमें लगभग 20 वैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रकट किए तथा काफी विवेचन के उपरांत यह निश्चित हुआ कि हिन्दी का एक वैज्ञानिक मंच स्थापित किया जाए। नई संस्था खड़ी करने का उद्देश्य नहीं था,

किन्तु अभीष्ट यही था कि हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं को उनका समुचित स्थान प्राप्त हो सके। मंच के निम्न उद्देश्य निश्चित किए गए :—

(1) विभिन्न राज्य सरकारों से सम्पर्क करके हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को विज्ञान अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की शिक्षा का माध्यम एवं रोजगारपूरक बनाने का प्रयास करना;

(2) विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के केन्द्रीय संस्थानों में हिन्दी प्रयोग की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करना;

(3) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के लिए प्रयोगात्मक परीक्षाओं एवं साक्षात्कार के लिए हिन्दी प्रयोग को अधिक से अधिक गति देने का प्रयास करना;

(4) सभी राष्ट्रभाषाओं को और अधिक निकट लाने हेतु (क) राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली का विकास एवं व्यवहार हेतु प्रयास करना;

(ख) अतिरिक्त लिपि के रूप में देवनागरी लिपि का भारत की विभिन्न भाषाओं के लिए विकास के प्रयत्नों में सहयोग देना;

(5) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास, प्रसार एवं प्रचार में कार्य करने वाले यंत्रों, उपकरणों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को विकसित करना,

(6) विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर संगोष्ठी, सम्मेलन प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।

उपसंहार

हिन्दी एक सशक्त भाषा है। अनुभूति एवं अभिव्यक्तिकरण की अद्भुत क्षमता इसमें है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वाहिका के रूप में कार्य करने में यह सभी प्रकार समर्थ है। अनेक प्रयोगों और अनुभवों से यह बात सिद्ध की जा चुकी है। अब यह आवश्यक है कि देश के भविष्य के निर्माण के लिए विश्वविद्यालय में हिन्दी को पूरी तरह शिक्षा का माध्यम बनाया जाय और भविष्य की ओर दृष्टि रखते हुए अनुसंधान का माध्यम भी केवल हिन्दी ही रखी जाए। अनेकानेक कारणों से निहित स्वार्थों वाली संस्थाएं तथा व्यक्ति हिन्दी के मार्ग में रोड़े अटकाते रहे हैं, इसकी चिन्ता और बाधा को छोड़कर सभी वैज्ञानिक संस्थाओं को अपनी कार्यवाही हिन्दी में करनी चाहिए तथा शोध पत्रिकाएं भी हिन्दी में ही प्रकाशित करनी चाहिए। अभी जो शोध पत्रिकाएं निकल रहीं हैं उनमें अन्य भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी में भी शोध पत्र छापे जाने चाहिए।

इस दिशा में किया गया कार्य तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की सफलता माना जाएगा।

राष्ट्रभाषा की चेतना जगाएं

"संस्कृति तब तक गूंगी रहती है, जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती, राष्ट्रभाषा नहीं होती। राजनीतिक पराधीनता की हमारी हथकड़ी-बेड़ी जरूर कटी है, किन्तु अंग्रेजी और अंग्रेजियत के रूप में हमारे मनोजगत में जो दासता के चिह्न विद्यमान हैं, उन्होंने हमें निष्क्रिय बना रखा है। भाषा परिधान-मात्र नहीं, राष्ट्र का व्यक्तित्व है। हमारे बहुभाषी देश के ही समान रूस भी बहुभाषी देश है, जिसमें 42 भाषायें बोली जाती हैं, किन्तु उनकी राष्ट्रभाषा रूसी है। हमारी संस्कृति के गोमुख से निकली हुई सब भारतीय भाषायें हमारी हैं, किन्तु उनमें अपनी व्यापकता, आरम्भ से ही जनविद्रोह और जन-संघर्ष को वाणी देते रहने के कारण एवं जीवन के हर क्षेत्र को सम्हालने में समर्थ होने के कारण हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। केवल संविधान में लिख देने मात्र से यह बात पूरी नहीं हो पाती, इसे राष्ट्र के जीवन में, प्रतिष्ठित करना होगा, अन्यथा स्वतंत्रता का क्या मूल्य है? विश्व-चेतना जगाने के पहले अपने देश में राष्ट्रभाषा की चेतना जगाएं।"

—महादेवी वर्मा

हिन्दी विज्ञान पत्रकारिता के नए आयाम

—मुकुल चंद पांडेय

(भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों और विभागों की सलाहकार समितियों के सदस्य, हिन्दी विज्ञान लेखक और विज्ञान पत्रकार डा० मुकुल चन्द पांडेय का हिन्दी की विज्ञान पत्रकारिता का विकास और संभावनाओं को दर्शाने वाला लेख)

हिन्दी पत्रकारिता अब अपने उत्कर्ष की ओर निरन्तर अग्रसर होती जा रही है। विविध सामग्री, ललित निबन्ध और देश–विदेश के समाचारों के अतिरिक्त आजकल वैज्ञानिक (विज्ञान–प्रोद्योगिकी संबंधी) रचनाएं लगभग सभी पत्र–पत्रकाएं नियमित रूप से प्रकाशित करने लगी हैं। सम्पादक और प्रकाशक जन भावनाओं और पाठकों की रूचि का समुचित आदर करते हुए इस ओर कुछ अधिक सहिष्णु हो गए हैं, इसलिए वातावरण सर्वेक्षण अनुकूल प्रतीत हो रहा है।

विज्ञान के नित नूतन आविष्कारों, अध्ययमों तथा गवेषणाओं की ओर आधुनिक समाज का विज्ञान और प्रौद्धोगिकी ने प्रति सुझाव, जिज्ञासाओं और प्रकाशित सामग्री की भरपूर खपत को देखकर सम्पादकों और प्रकाशकों की बड़े पैमाने पर बेझिझक इस व्यवसाय में पूजी लगाकर अच्छी पत्रिकाएं निकालने की स्पर्धा बढ़ती जा रही है। भारत में विज्ञान लेखन को लोकप्रियता प्रदान करने का श्रेय वस्तुतः स्वतंत्र रूप से लेखन करने वालों को है जिन्होंने 100 वर्षों के अपने अथक तथा साहसिक प्रयत्नों के फलस्वरूप जनसाधारण में विज्ञान के प्रतिजागृति उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की है।

गौरवमय अतीत

हिन्दी में विज्ञान सामग्री का समावेश वस्तुतः उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में हुआ जब हिन्दू कालेज (प्रेसीडेंसी कालेज) की स्थापना कलकत्ता में हुई। यह बात सन् 1817 की है। लगभग इसी समय श्रीरामपुर मिशन तथा कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी ने भी क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान सामग्री के निर्माण का कार्य काफी आगे बढ़ाया। लगभग 156 वर्ष पहले कुछ बंगला भाषा की विज्ञान पत्रिकाएं आरम्भ की गई। दिग्दर्शन मासिक में भौतिक रसायन, ज्योतिष, जीव विज्ञान तथा भूविज्ञान की सामग्री का समावेश किया गया था। इसकी स्थापना 1818 में हुई। बाद में **ज्ञानरेक्षप** (1836) **विज्ञान संग्रह** (1833) तथा अन्य अनेक विज्ञान संबंधी पत्रिकाएं प्रकाश में आयी। यूरोपीय विज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनुदित करने के लिए **विज्ञान सुबोध** (1832) नामक मासिक पत्रिका आरम्भ की गई। सन् 1842 में प्रकाशित **विज्ञान दर्शन** (जून 1842) मासिक ने उन दिनों अच्छे विज्ञान साहित्य से परिचय कराया।

इनमें से कोई भी पुरानी भारतीय भाषाओं की पत्रिका अधिक दिनों तक टिक नहीं पायी परन्तु इससे यह बात स्पष्ट है कि विज्ञान पत्रिकाएं प्रकाशित करने का प्रयास निरन्तर चलते रहे। आज से 71 वर्ष पहले सन् 1913 में प्रयाग में विज्ञान परिषद् नामक संस्था की स्थापना हुई थी जिसका मुख्य ध्येय ही था कि हिन्दी माध्यम से विज्ञान के बढ़ते हुए लाभ को जनसाधारण तक पहुंचाया जाए और इसी ध्येय पूर्ती के लिए "**विज्ञान**" नामक मासिक पत्रिका लगभग 71 वर्षों से लगातार प्रकाशित होती रही है। समस्त हिन्दी जगत को राम दास गौड़, सालिग्राम भार्गव, गोरखप्रसाद, फूलदेव सहाय वर्मा तथा स्वामी सत्यप्रकाश जी ऐसे महानुभावों का आभारी होना चाहिए कि इनके सतत निःस्वार्थ प्रयासों के फलस्वरूप विज्ञान के विविध विषयों पर इतनी वृमेत् सामग्री उपलब्ध हो सके जो प्रायः आगामी लेखकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। बिना किसी आर्थिक या इस शताब्दी के चौथे दशक में मिली अत्यल्प सहायता के सहारे प्रतिकूल वातावरण में इतना वृहद कार्य चला पाना कितना कठिन रहा होगा।

संगठित प्रयास की आवश्यकता

विज्ञान के इस चरमोत्कर्ष के युग में विज्ञान पत्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। अधिक व्यवस्थित ढ़ग से तथा संगठिन प्रयासों के फलस्वरूप बहुत अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। स्थिति यह है कि कुछ चुने हुए समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को छोड़कर अन्य सभी में विज्ञान के लिए कोई जगह नहीं होती। इस तरह की व्यवस्था में विज्ञान कदापि लोकप्रिय नहीं हो सकता। हालांकि इन सब के बावजूद भी विज्ञान के स्तम्भों को पहले की अपेक्षा काफी स्थान मिलने लगा है किन्तु यह आवश्यकता को देखते हुए कम है।

आमतौर पर विज्ञान लेखक दो श्रोतों से सामग्री एकत्रित करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेन्सियों द्वारा स्थापित सिंडीकेटों से प्राप्त सामग्री तथा भारत की विज्ञान शाखाओं से उपलब्ध छिटपुट बिखरी आधी अधूरी सामग्री। इससे यथासाध्य काम चलता है किन्तु स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। भारत में विज्ञान के समाचार तथा फीचरों को पूर्णरूपेण संग्रहीत नहीं किया जा सका। येन–केन प्रकार से विज्ञान रचनाएं तैयार कर भेजने वाले नवोदित पत्रकारों से पूरी स्थिति का सही रूप में मूल्याकिन नहीं किया जा सकता। जिसके फलस्वरूप निराशा होती है।

भारतीय परंपरा : कड़वे मीठे अनुभव

पत्र–पत्रिकाओं को अनुसंधानात्मक कार्यों पर आधारित सही प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करनेने काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये संस्थाएं सरकार द्वारा संचालित अथवा अनुपोषित हैं। विज्ञान शालाओं के वैज्ञानिक बहुधा पत्रकारों को सूचना देने में आनाकानी करते हैं और विशेष दिलचस्पी नहीं लेते। इससे विज्ञान पत्रिकारिता को गहरा धक्का लगता है।

वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित अधिकांश सूचनाएं विज्ञान-शालाओं के जनसम्पर्क अधिकारियों अथवा सूचना अधिकारियों द्वारा दी जाती है। ये सूचनाएं अगिनत होने के कारण प्रकाशनोपयोगी नहीं होती। विज्ञान शालाओं में प्रायः कुछ जीवंत रोचक अनुसंधान कार्य होते रहते हैं जिनकी जानकारी सूचना अनुभाग को तब तक नहीं मिलती जब तक खोज कार्य पूरा न हो जाए। देर से प्राप्त सूचनाओं में से अधिकांश कालातीत हो जाने के कारण जनता के लिए उपयोगी नहीं होती जब कि इनमें कुछ सूचनाएं बड़े काम की होती हैं। यही समस्या फोटोग्राफरों के साथ है। प्रायः काम में अरुचि, शिथिलता तथा विभागीय कार्यों को ही प्राथिमकता देने के कारण पत्रकारों को फोटो आदि सामग्री देने में आनाकानी करते हैं, यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अपने विभागाध्यक्षों की अनुमति न मिल पाने के कारण अज्ञात नामों अथवा छद्मनामों से वैज्ञानिक समाचारों को प्रकाशित करने के कारण अनुसंधानात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन नहीं मिलता। यह बात समझ में नहीं आती कि कोई भी कनिष्ठ वैज्ञानिक यदि सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा है तो उसे अपनी बात प्रेस तक पहुंचाने और अपने नामों से छपवाने में हिचक क्यों होता है। हां, बिना काम किए ही किसी का नाम छप जाए तो ऐसे लोगों को निश्चय ही दण्डित किया जाना चाहिए।

हिन्दी की पत्र–पत्रिकाओं का योगदान

जैसाकि पहले बताया जा चुका है स्वाधीनता के पूर्व भी विज्ञान संबंधी कई पत्रिकाओं का प्रकाशन होता रहा है। आजकल इस प्रकार की पत्रिकाएं अच्छी संस्था से निकलती हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद **"विज्ञान प्रगति"** तथा **"खाद्य विज्ञान"** पत्रिकाए प्रकाशित करता है, तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (नेशनल रिसर्च डिवलपमेंट कारपोरेशन) **"आविष्कार"** नामक उच्चस्तर की पत्रिका का प्रकाशन करता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई से परमाणु हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद बम्बई से **"वैज्ञानिक"** भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर से **"विज्ञान परिचय"** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से "खेती" फलफूल **"कृषि चयनिका"** कृषि अनुसंधान परिषद से **"उन्नत कृषि"** तथा दिल्ली से **"विज्ञान प्रवाह"** प्रकाशित होते हैं। इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) भारत के इंजीनियरों की एक विशाल संस्था है। उनका जनरल हिन्दी में भी प्रकाशित होता है जिसमें इंजीनियरी संबंधी मौलिक शोध सामग्री तथा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान कार्यों की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस 'जरनल' के अनेक विशेषांक भी प्रकाशित किए जाते हैं इसके **"पर्यावरण"** विशेषांक का विमोचन 27 जनवरी 1981 को प्रधान मंत्री निवास में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा हुआ। इसके अतिरिक्त आगरा से **"विज्ञान लोक"** इलाहाबाद से **"विज्ञान जगत"** लखनऊ से **"उद्योग"** एवं **"विज्ञान जगत"** पन्तनगर से **"विज्ञान डाइजेस्ट"** और विज्ञान परिषद **"अनुसंधान पत्रिका"** आदि पूर्ण रूपेण विज्ञान की समर्पित पत्रिकाएं हैं। इनमें कुछ समाप्त हो गई हैं परन्तु कुछ अभी भी धीमी गति से प्रकाशित हो रही हैं।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रायोजित अकादमियों द्वारा **"वानस्पतिकी"** **"भौतिकी इंजीनियरी"** **"प्राणीलोक"** तथा "आयुर्विज्ञान" आदि पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती रही हैं। सरकार के कुछ विभाग और उनके अधीन संगठन अपनी शोधपरक वैज्ञानिक पत्रिकाओं में कई मूल लेख हिन्दी में भी देने लगे हैं। अभी भी अनेक विभाग और संस्थानों की अपनी शोध पत्रिकाओं में केवल अंग्रेजी में लेख प्रकाशित होते हैं। उनमें हिन्दी में लिखे गए शोध निबन्ध स्वीकार नहीं किए जाते तथा उन्हें द्विभाषी भी नहीं बनाया गया है। इसके लिए बहुधा यह आधार हीन तर्क दिया जाता है कि द्विभाषीय बनाने से पत्रिकाओं का स्तर गिर जाएगा जबकि वस्तु स्थिति यह है कि अधिकांश भारतीय लेखक अपने अच्छे शोध निबन्ध विदेशी पत्रिकाओं में भेज देते हैं यह बात भी भुला दी जाती है कि कई देशों की शोध पत्रिकाएं द्विभाषी रूप में छपती हैं और ऐसा करते हुए वे कभी हीन भावना का अनुभव नहीं करते।

आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक ज्ञान को जन साधारण तक पहुंचाने का कार्य कितना महत्वपूर्ण है इसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उच्च स्तर की विज्ञान की शिक्षा भी अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। परन्तु इसके विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि उच्चतम ज्ञान का भंडार अंग्रेजी में सब से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और अपनी मातृभाषा में शिक्षित विद्यार्थी इस ज्ञान से लाभ नहीं उठा सकेंगे। जब रूसी, चीनी, जापानी सब इस अंग्रेजी के ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं तो अंग्रेजी की इतने पुराने वातावरण में पले विद्यार्थियों को कठिनाई क्यों आएगी। यह तर्क समझ में तो नहीं आता परन्तु कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए तो भी यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक ज्ञान को जन साधारण तक पहुंचाने का कार्य कठिन विदेशी भाषा के माध्यम से नहीं हो सकता, अपनी भाषा में ही हो सकता है।

"विज्ञान प्रगति" मासिक पत्र का प्रकाशन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने 1954 में आरंभ किया किन्तु सौतेले व्यवहार के कारण 1962 तक इसका वितरण 200-250 से ज्यादा नहीं हो पाया। पं० नेहरु के विशेष प्रयत्नों से इसका वितरण दो तीन वर्षों में एक लाख से भी ऊपर पहुंच गया। इससे स्पष्ट है कि हमारे जन साधारण में नए ज्ञान की ओर विरक्ति नहीं है वरन हमारे प्रयत्नों में ही कमी रह जाती है जिसके कारण नए ज्ञान की लहर से वे वंचित रह जाते हैं।

हिन्दी विज्ञान पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान पत्रकार का समाज के प्रति गहरा दायित्व है। उन्हें पूरी तरह सजग रहना होगा कि गर्म खबर तैयार करने के लोभ में वे कहीं समाचारों को अतिरंजित न कर दें। वैज्ञानिकों और पत्रकारों के बीच परस्पर सौहार्द का होना नितांत आवश्यक है। इसके लिए समय-समय पर पत्रकारों को सम्मेलन और गोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार की एक ऐतिहासिक विज्ञान गोष्ठी का आयोजन 1978 में उ० प्र० हिन्दी संस्थान के तत्वावधान में हुआ किन्तु उसके बाद यह क्रम सदा के लिए टूट गया। अब रुड़की में पुनः आयोजन किया जा रहा है। जिसकी जिम्मेदारी सरकार और उनके उच्च स्तरीय साहित्यकारों पर है। □□□

अनुवाद--प्रविधि के दौरान भाषिक समन्वय

—डा० एन० ई० विश्वनाथ अय्यर

हाल ही में समाचार पत्रों में पढ़ा था कि आकाशवाणी में बाईस भारतीय भाषाओं में समाचार-बुलेटिन तैयार की जाती है। गृह मंत्रालय में भी इतनी ही क्या, इनसे अधिक भाषाओं में अनुवाद-कार्य किया जाता होगा। अभी-अभी समाप्त कामन वैल्थ राष्ट्रों के महासम्मेलन में अंग्रेजी का प्रयोग मुख्यतः रहा हो; पर इसके पहले जो गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन था, उसमें अनुवादकों की बड़ी मांग रही होगी। "यूनेस्को दूत" के सितम्बर, 1983 के अंक में यह खबर पढ़कर विशेष हर्ष हुआ कि यूनेस्को के सदस्य राष्ट्रों में जितना वांड्मय तैयार होता है, उसको 39 प्रतिशत अनुवाद है। अब हम एक नया नारा लगा सकते हैं—"अनुवादको आगे बढ़ो" क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है।"

अनुवाद की इस लोकप्रियता पर सोचते-सोचते मुझे बिहारी लाल स्मरण आते हैं। वैसे बिहारीलाल से बढ़ कर चतुर अनुवादक कौन है? संस्कृत और प्राकृत के अनेक सूक्तिश्लोकों का भाव ग्रहण कर उन्होंने ब्रजभाषा के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया। वह इतना अच्छा रहा कि कोई मूल छंद ढूंढने की व्यर्थ चेष्ठा नहीं करता। बिहारी ने एक दोहे में भगवान से निवेदन किया—

थोरेई गुन रीझते बिसराई वह बानि।
तुमहू कान्ह मनो भये आज काल्ह के दानि॥

इस दोहे के "दानि" शब्द की व्याख्या में नटबाज से नया खेल खेलाने के लिये 'नाहीं' 'नाहीं' कहने वाले दर्शक दानी की बात उचित है। मेरा ख्याल है कि अनुवाद के विषय में भी यही अनुभव होता है। अनुवादक कितनी ही मेहनत से क्यों न करे, समीक्षक पाठक मूल के प्रति अतिशय ममता के कारण "नाहीं नाहीं" कहता है।

और एक दोहा अनुवाद की प्रविधि के दौरान लक्ष्य भाषा पर होने वाला उपकार सूचित करता है। दूसरों का उपकार करने वालों को उपकृत लोगों का सुख देख कर जो सुख अनुभव होता है, उसकी तुलना दोहाकार ने मेहदी बांटने वाली के हाथ की ललाई से की है—"बांटनवारे को लगे ज्यों मेहदी को रंग।" यहां भी मैं अनुवादक को ही देख रहा हूं। लक्ष्य भाषा जब स्त्रोतभाषा की किसी रचना का अनुवाद करती है, तब आयातित रूप से और अनजाने स्रोत भाषा के कुछ तत्व लक्ष्य भाषा में समा जाते हैं। यह भाषिक समन्वय अपना कार्य चुपचाप करता रहता है। अनुवाद की चर्चा में विद्वान शब्दावली के औचित्य अनोचित्य पर अन्त शास्त्रार्थ करते जाते हैं। मगर उनके जाने बिना भाषिक समन्वय हो जाता है। इस पहलू पर कुछ विचार करें।

अनुवाद में भाषिक समन्वय पर हम जब विचार करते है, तब अनुवाद की दो कौटियां हमारे सामने उपस्थित होती है—(1) प्रधान या व्यापक क्षेत्र की प्रमुख भाषाओं से सीमित क्षेत्र की भाषा में अनुवाद, (2) सीमित क्षेत्र की भाषा से व्यापक क्षेत्र की भाषा में अनुवाद। फिलहाल अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में या हिन्दी से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रथम कोटि में आता है। मलयालम या तेलुगु जैसी भाषा से हिन्दी में अनुवाद द्वितीय कोटि में आता है। भाषा प्रेमियों में सामान्यतः यह झूठा दम्भ होता है कि हमारी भाषा बड़ी संपन्न है और तभी अमुक-अमुक भाषायें हमारी कृतियां अनुदित करती हैं। वे यह आशा भी रखते हैं कि दूसरी भाषायें हमारी भाषा की सभी रचनाएँ अनुदित करें। यह तो उसी तरह है जिस तरह गांव के साहूकार कर्ज देते हुए मानते हैं कि सारा गांव मेरा ऋणी। मगर वही सेठ जी समय-समय पर हुंडी या चिट्ठी देकर बड़े धन्नासेठ से रूपये लेते हैं। तभी वे अपने ग्राहकों को रुपये दे पाते हैं। मतलब इतना ही है कि हर भाषा दूसरी भाषाओं से किसी न किसी रूप में सामग्री लेती है। अगर वह दावा करती है कि मैं आत्म निर्भर हूं तो वह या तो डींग मारती है या बिल्कुल पिछड़ी रह जाती है।

अनुवाद-प्रविधि के दौरान भाषिक समन्वय के कई स्तर होते हैं। जैसे (1) ध्वनि और वर्ण (2) शब्द (3) अर्थ (4) शब्दो की रूप प्रक्रिया (5) वाक्य संरचना (6) मुहावरे (7) शैली। सामान्यतः लोगों के लिये भाषा का प्रयोजन विचारों के आदान-प्रदान के साधन के रूप में सीमित है। उन्हें इसकी फिक्र नहीं कि कामता प्रसाद गुरू और किशोरी दास वाजपेयी अमुक प्रयोग के विषय में कितना मतभेद रखते हैं। गहराई में पैठने पर ही हम भाषिक समन्वय की प्रकृति को पहचान सकते हैं। इस छोटे लेख में उक्त भाषिक समन्वय के विभिन्न स्तरों का दिग्दर्शन ही संभव है।

(1) ध्वनि और वर्ण

अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करते समय हम बहुत से अंग्रेजी शब्दों को ज्यों का त्यों या हिन्दीकृत रूप में अपनाते हैं। अंग्रेजी शब्दों का हिन्दीकरण अनुवाद कला की दृष्टि

से महत्व रखता है। जब अंग्रेजी शब्दों का अंग्रेजी उच्चारण भारतीय शब्दों के उच्चारण क्रम के अनुकूल नहीं रहता, तब उसका हिन्दीकरण किया जाता है—उदा० अस्पताल (हास्पिटल) लालटेन (लैटर्न) रंगरूट (रेक्रूट) आदि। सड़क की मिट्टी हाथ में लेने पर खुरदरी लगती है और खरोंच भी होती है। लेकिन नदी के भीतर पानी के बहते-बहते पत्थर मुलायम व चिकना हो जाता है। उसे हाथ में लेने पर कोई कष्ट नहीं होता। यह प्यारा भी लगता है। हिन्दीकरण का लाभ यही है। अनुवाद में अनेक अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी के हुक्लैवर में हिन्दी में लाये जाते हैं। इस प्रसंग पर भाषिक समन्वय संगत है। हम शब्द शुद्धि के लिये अंग्रेजी की ध्वनि को हिन्दी में सुरक्षित रखना चाहते हैं। व्याकरण ग्रंथों में जो वर्णमाला तथा ध्वनि पटल दिये जाते हैं, वे औपचारिक हैं। हर भाषा के स्वनिम अन्य भाषा के ध्वनियों से भिन्न होते हैं। उदा० अंग्रेजी के कालिज, काफी, आदि खास स्वनिम है। हिन्दी में इन ध्वनियों के चिह्न नहीं हैं। अतएव इन अंग्रेजी स्वनिमों के लिये "μ" का अतिरिक्त चिह्न बनाया जाता है। "कै" का एक खास अंग्रेजी उच्चारण रखा जाता है। ऐसी ध्वनियां हिन्दी के ध्वनिपटल में शामिल हो जाती है और कालान्तर में समा जाती है।

अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करते समय हिन्दी में वर्णों की कमी की शिकायत नहीं हो सकती। परन्तु मलयालम, तमिल जैसी भाषाओं के कुछ वर्ण हिन्दी वर्णमाला में नहीं है। अतएव उन भाषाओं के शब्दों का लिप्यंतरण अनुवाद-विधि में करते हुए आंतरिक लिपि चिह्नों की जरूरत अनुभव की जाती है। हिन्दी पर नाज करने के नाते इन अतिरिक्त वर्णों को अस्वीकार करना अवैज्ञानिक बात है। यों नये वर्णों को भी वर्णमाला में स्थान देना पड़ता है। इनके लिये वर्तमान वर्णों को ही विशेष चिह्नों से तैयार कर लेते हैं।

(2) शब्द

अनुवाद प्रक्रिया में लक्ष्य भाषा को स्रोत भाषा के अनेक शब्द उधार रूप में ग्रहण करने पड़ते हैं। वे बाद में लक्ष्य भाषा के शब्द हो जाते हैं। फारसी, अरबी के बहुत सारे शब्दों का हिन्दी में विलयन प्रसिद्ध है। कितने ही हिन्दी शब्द दक्खिनी के प्रभाव से और सीधे भी मलयालम व तमिल में आ गये हैं। मीठा "लड्डू" और नमकीन "चटनी" न हो तो दक्षिण में बरातियों को खुश नहीं किया जा सकता यह पहलू इतना सुपरिचित है कि इस पर अधिक विस्तार आवश्यक नहीं है।

(3) अर्थ

सामान्यतः सारे भाव मात्र मानव-मन में उदय होते हैं। इस दृष्टि से हर भाषा में सारे अर्थों के लिये बोधक शब्द मिलना चाहिये। परन्तु कई कारणों से एक भाषा के सारे अर्थ दूसरी भाषा के शब्दों से बताये नहीं जाते। ऐसी हालत में नये-नये अर्थों का ज्ञापन कराने के लिये दो वैकल्पिक उपाय होते हैं। पहला स्रोत भाषा के शब्द को उसके अर्थ सहित उधार लेना है। दूसरा अपनी भाषा के प्रचलित शब्दों से योग व योग रूढ़ि आदि शब्द शक्तियों से अथवा उपसर्ग-प्रलय के विधान से नये अर्थ को प्रस्तुत करना है। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में युग विकास के अनुसार नई संकल्पनायें जन्म लेती हैं। उदाहरणार्थ राजनीति में गणतन्त्र की संकल्पना यद्यपि प्राचीन भारत में थी तथापि आधुनिक युग में प्रजातांत्रिक संविधान का जो स्वरूप है, वह पश्चिमी प्रभाव से बना है। उसके बोधक शब्द प्राचीन भाषा में नहीं होते। अतः नये अर्थ में नये शब्द गढ़ने पड़ते हैं। प्रचलित शब्दों की ही कई अर्थ कल्पना की जाती है.—उदा० बहुमत मतदान, स्वत्वाधिकार आदि। यों विज्ञान के क्षेत्र में कई तकनीकी अर्थ छवियों को सूचित करने के लिये प्रचलित शब्दों से ही काम लेते हैं। उदा० टेंपरेचर के लिये ताप "शब्द" विधि के क्षेत्र में अधिनियम (एक्ट) अध्यादेश (आर्डिनन्स), नियम (रेगुलेशन) आदि शब्द गढ़ जाते हैं।

प्रचलित शब्दों से नये अर्थ की रचना में सभी भारतीय भाषायें संस्कृत शब्दों का उपयोग करती हैं। मगर प्रत्येक भाषा के शब्द-चयन में अन्तर पाया जाता है। शब्दार्थ की दृष्टि से सभी समानार्थ का ही बोध कराते हैं। इसलिये पर्याय कहलाने योग्य हैं। फिर भी प्रयोग में फर्क होता है। उदा० अंग्रेजी नावल मल०—आख्यायिका हिं० उपन्यास "क्रिटिसिसम" निरूपण समीक्षा :

भाषिक समन्वय के फलस्वरूप हिन्दी में अन्य भारतीय भाषाओं में प्रचलित शब्द भी आ सकते हैं। उनको प्रयोग में साधुता देने से भाषा के शब्द कोष की वृद्धि हो सकती है।

(4) शब्दों की रूप प्रक्रिया

मानी हुई बात है कि व्याकरण भाषा की आत्मा का परिचय देता है। भाषा व्यवहार की परम्परा व्याकरण द्वारा अभिव्यक्ति होती है। इसीलिये विद्वान इसका आग्रह करते हैं कि व्याकरण शुद्ध प्रयोग ही अनिवार्यतः करना चाहिये। अनुवाद में भी लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक गठन को बिगाड़े बिना लिखने की जरूरत मानी गई है। फिर भी जब किसी सशक्त भाषा का अनुवाद अन्य भाषा में होता है, तब स्रोत भाषा की रूप प्रक्रिया की व्याकरणात्मक विशेषता लक्ष्य भाषा की रूप प्रक्रिया की व्याकरणात्मक विशेषता लक्ष्य भाषा में कहीं-कहीं अनजाने आ जाती है। प्रयोग करने वाले जब प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, तब उसे अशुद्ध कहना असंभव होता है। उदाहरणार्थ पंडित जवाहर लाल नेहरू जी अक्सर "चरचे" शब्द पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग करते थे। अंग्रेजी की नकल में "हम आपको कहते हैं" आदि प्रयोग चल पड़े तो अचरज नहीं है। अखिल भारत की सामाजिक संस्कृति की प्रतीक होने के नाते हिन्दी में अन्य भारतीय भाषाओं

की रूप प्रक्रिया कुछ चल रहे तो उसे भी सही मानना उचित है। प्रादेशिक रूपों को काले केशों के बीच से श्वेत केश की तरह उखाड़कर फैंकने का प्रयास सराहनीय नहीं माना जा सकता।

(5) वाक्य-संरचना

भारतीय भाषाओं की वाक्य संरचना प्रायः एक सी होती है। यहां कर्त्ता, कर्म, क्रिया का क्रम, विषेषण क्रियाविशेषण की रचना, वाक्य गठन आदि प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में समान होते हैं फिर भी इन भाषाओं में अंग्रेजी से अनुवाद का जो भारी असर पड़ता है, उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। चालीस-पचास वर्ष पहले अंग्रेजी से अनभिज्ञ लेखक जैसे वाक्य लिखते थें, उन वाक्यों की संरचना से अंग्रेजी में कुशल लेखकों के लेखन की तुलना करने पर यह अन्तर स्पष्ट हो सकता है। हिन्दी, मलयालम और सभी भारतीय भाषाओं ने अंग्रेजी से परोक्ष कथन, कर्मणिप्रयोग, संकरवाक्स आदि कई कथन भंगिमायें स्वीकार की है। इन अंग्रेजी संरचनाओं का अधिकाधिक प्रयोग प्रशासनिक और वैज्ञानिक ग्रंथों में किया जाता है। अंग्रेजी के समान जब मलयालम आदि भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद किया जाता है, तब उनकी वाक्य संरचना भी हिंन्दी में आती है। ऐसी शैली को प्रश्रय देना और उसका विकास करना होगा। भाषा की शुद्धि के पक्षपातियों को इस बात में कुछ आपत्ति हो सकती है। लेकन तर्कसंगत नहीं है।

(6) वाक्यांश और मुहावरे

शोर सैनी अपभ्रंश से व्युत्पन्न खड़ी बोली ने अपने लम्बे विकास काल में कितनी ही भाषाओं से मेल कर उनसे वाक्यांश और मुहावरे लिये है। परन्तु आधुनिक युग के प्रारम्भ में हिन्दी जिस रूप की रही, उसी को हिन्दी का मूल रूप माना गया है। इसके बाद अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करते हुए अनेक अंग्रेजी वाक्यांशों और मुहावरों का शब्दानुवाद हिन्दी में किया गया। प्रारम्भ में यह पाठकों को भद्दा जरूर लगा होगा। परन्तु शीघ्र ही वे हिन्दी में चल पड़े। उदाहरणार्थ टेंक ए डिसीजन—निर्णय देना; टू वि रिमुवड फ्राम मेम्बरशिप—सदस्यता की सूची से निकाला जाना, फेथफुल्ली, विश्वासभाजन आदि। प्रशासनिक पत्र-व्यवहार में उत्तम पुरुष के प्रयोग से यथासंभव बचने एवं कर्मणि प्रयोग करने से कई वाक्यांश ऐसे बनते हैं, जो हिन्दी के लिये सहज नहीं है। ये सब अनुवाद के ही कारण हुए हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी ने हिन्दी को प्रभावित किया, उसी प्रकार उसने मलयालम आदि भाषाओं को भी अनुवाद से प्रभावित किया है। और उनमें भी ऐसे वाक्यांश स्वीकार्य हो चुके हैं। नये विषयों की चर्चा में नये प्रयोग अनिवार्य होते हैं। भाषा की मूल प्रकृति को नष्ट किये बिना इन नये प्रयोगों का स्वागत करना ही भाषा विकास के लिये अनुकूल रहेगा।

वाक्यांश की तरह मुहावरे भी विचारणीय है। मुहावरे अक्सर पारम्परिक होते हैं। इनमें खास रोचकता, चमत्कार और शब्दालंकार की चातुरी होती है। भाषा में सरल व मीठे मुहावरे जल्दी चालू हो जाते हैं। विदेशी मुहावरे भाषा में मुश्किल से घुल-मिल जाते हैं। फिर भी अनुवाद करते समय स्रोत भाषा के कुछ मुहावरे उचित शब्दावली में लक्ष्यभाषा में अनुदित किये जा सकते हैं। हमारे दैनिक भाषा समाचार-पत्रों की भाषा में अंग्रेजी के कितने ही मुहावरे चलते हैं—जैसे शैतान और समुद्र के बीच, जलती कड़ाही से चुल्हे में, गाड़ी को घोड़े के आगे जोतना आदि। संस्कृत के अनेक मुहावरे, भिन्न-भिन्न रूप में सारी भारतीय भाषाओं में चलते हैं। इसी प्रकार मलयालम, तमिल जैसी भाषाओं से अनुवाद करते-करते उनके कुछ मीठे मुहावरे, कहावतें और पहेलियां हिन्दी में सहजता से चला दे तो कुछ समय बाद वे भी हिन्दी के अंग बनेंगे।

(7) शैली

भारतीय काव्यशास्त्र में बैदर्भी, गौडी और पांचाली नामक तीन रीतियों के बारे में पढ़ते समय शुरू में कुछ अटपटी बात सी लगती थी। एक ही भाषा विदर्भ गोड और पांचाल में कैसे भिन्न-भिन्न रीति या शैली की हो? मगर भाषा विज्ञान सीखते-सीखते यह भ्रम दूर हुआ। संस्कृत आचार्यो ने रीति प्रकरण में यह मर्म स्पष्ट किया है कि एक ही भाषा की शैली प्रांत के अनुसार बदलती है। वह प्रांत के अनुसार ही नहीं, वृत्तियों के अनुसार भी बदलती है। उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्तियां मनोवृत्ति के भेदों को सूचित करती है।

आधुनिक युग में भाषा की शैली का रूपायन प्रयोजन पर भी निर्भर करता है। काव्य शैली नाटक शैली, विज्ञान शैली विधि शैली, प्रौद्योगिकी शैली, राजनीतिक शैली, पत्रकारिता शैली आदि।

शैली कुछ समीक्षकों ने व्यक्तित्व की प्रतिच्छवि कहा है। यह कथन भी तथ्याश्रित है। आधुनिक युग की ही बात है। प्रेमचन्द, प्रसाद और चतुरसैन शास्त्री समसामयिक जरूर थे। तीनों कहानीकार भी रहे। पर उनकी शैलियों में कितना अन्तर था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय और महादेवी वर्मा ने गद्य लिखा है। इनके गद्य लेखन की शैलियों में कैसा अन्तर है। यह शैलीगत अन्तर उनके व्यक्तित्व का अन्तर सूचित करता है।

अनुवाद की सफलता व कुशलता मूलभाषा के भावों को लक्ष्य भाषा में किसी न किसी रूप में उतार देना नही है। अनुवादक की भूमिका गायक की संगत करने वाले बैला-वादक या सितार-वादक की सी होती है। बैलावादक को गायक की ही शैली में राग अलापना पड़ता है। जब गायक बदलता है और उसकी अलाप शैली बदलती है, तब बैलावादक को नये गायक की नई अलापशैली में बजाना है। अगर वह यह कर नहीं पाता तो असफल माना जाता है।

मलयालम, तमिल जैसी भाषाओं की रचनाओं का अनुवाद करते समय हिन्दी के व्याकरण और मुहावरेदार भाषा का

पूरा ध्यान अनिवार्य है। फिर भी अनुचित ग्रंथ में स्रोत भाषा की शैली का कुछ-कुछ प्रभाव पड़े बिना नहीं रह जाता। जैसे हिन्दी के आंतरिक प्रयोग उसमें सहजता से स्वीकार होते हैं, वैसे इन प्रांतीय शैलियों प्रयोगों को भी माधुता लेनी पड़ती है। इंग्लैंड का टापू कितना छोटा है। उसकी भाषा संसार भर में जब फैली, तब उसने कितनी ही शैलियों को स्वीकार्य किया है। फिर भी उसकी मूल प्रकृति सुरक्षित ही रहती है। हिन्दी भाषी क्षेत्र अपने में काफी विस्तृत हैं और अपनी मूल प्रकृति को सुरक्षित रहने में उसे कोई वैधानिक या अन्य कष्ट नहीं है। अध्यापक, आचार्य और भाषा संस्थापित गलत प्रयोगों को आलोचना के अंकुश से रोक सकते हैं और रोकना चाहिये। परन्तु भाषा नदी जल की तरह प्रवाहमान होती है। रास्ते के छोटे पत्थर व बड़ी चट्टानें उसको रोकने की कोशिश तो करती हैं मगर पानी अपना रास्ता बना कर आगे बढ़ता जाता है।

उपसंहार

उपर्युक्त अनुच्छेदों से मेरी विनीत स्थापना यही है कि अनुवाद-प्रविधि के दौरान भाषिक समन्वय हो जाता है "भाषिक समन्वय" स्वयं एक अनुदित शब्द हैं। अंग्रेजी के "लिग्विस्टिक इंटग्रेशन" के अनुवाद के रूप में मैंने यह शब्द गढ़ा है। यह आपत्ति उठ सकती है कि अनुवाद से स्रोत भाषा, का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर जरूर पड़ता है और लक्ष्य भाषा स्रोत भाषा की ऋणी बनती है, पर इसे भाषिक समन्वय कैसे कहें। और तो और, समन्वय परस्पर होता है, एक पक्षीय नहीं। मेरा मंतव्य यह है कि अनुवाद करते-करते स्रोत भाषा के कई तत्व लक्ष्य भाषा के अंग हो जाते हैं। हम कुछ हद तक इसे पहचानते हैं। कुछ हद तक इसे नहीं पहचानते। यह समन्वय लम्बी अवधि के दौरान और अनजाने हो जाता है। यह समन्वय स्वाशीकरण (assimilation) के रूप में होता है। यद्यपि इस प्रवृत्ति को भाषा वैज्ञानिक "इन्टरफियरन्स" कहते हैं, तो भी साधारण लोगों को उस शब्द में व्यंग्य ही अधिक अनुभव होता है। "भाषिक समन्वय" शब्द सार्थक और उचित लगता है।

26/2035, कालेज लेन,
तिरुवेन्द्रम-695001

मैं जहाँ अंग्रेजी का इसलिए विरोधी हूँ कि अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति अपने को दूसरों से बड़ा समझने लगता है, और उसकी एक अलग क्लास सी बनती चली जा रही है वहाँ मैं अपने बारे में भी यह साफ़ कर देना चाहता हूँ कि मैं खुद अंग्रेजी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे उसकी आदत पड़ी हुई है। लेकिन यह भी मैं महसूस करता हूँ कि सही बात यह होगी जो मैं उसी भाषा में बोलूँ, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग समझते हों। मैं समझता हूँ मुझे वैसा करना चाहिए

जवाहरलाल नेहरू

बिहार में राजभाषा हिन्दी : विकास के नए आयाम

—सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर

(राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि के लिये हिन्दी कार्य की मानसिकता की तैयारी आवश्यक है। इसी का व्याख्यात्मक परिचय देते हैं राजभाषा विभाग, बिहार के राजभाषा पदाधिकारी की जमुआर।)

बिहार में राजभाषा हिन्दी, विकास के आलोक पथ पर सतत अग्रसर होती रही है। आज हमारा राजभाषा विभाग हमारे नए मुख्य सचिव एवं साहित्य प्रेमी श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव के, जो भारत सरकार के राजभाषा विभाग के सचिव पद पर कार्य कर चुके हैं, कुशल निर्देशन में सरल एवं सुबोध हिन्दी को बढ़ावा देने की दिशा में यत्नशील है। वैसे राज्य सरकार की भाषा नीति का निर्धारण एवं कार्यान्वयन राजकीय साहित्य का हिन्दी अनुवाद (गजेटियर एवं विधि पुस्तकों के अनुवाद कार्य सहित), हिन्दी में सरकारी काम काज करने हेतु मार्ग-दर्शक साहित्य का निर्माण एवम प्रकाशन, पारिभाषिक शब्दावली का संकलन, निर्माण एवं प्रकाशन, सरकारी सेवकों के लिये हिन्दी प्रशिक्षण एवं परीक्षा का संचालन आदि 14 कार्य बिहार के राजभाषा विभाग के जिम्मे हैं, किन्तु अब इसके कार्य क्षेत्र का काफी विस्तार हो गया है। विभाग के प्रधान सचिव श्री सतीश भटनागर तथा निदेशक डा० बदरी दास के निर्देशानुसार, विभाग कई आयामों की ओर उन्मुख हो चुका है, जैसे राजभाषा सम्बन्धी सम्मेलन, गोष्ठी, प्रदर्शनी आदि का आयोजन तथा इस निमित्त सम्बन्धित संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करना, सरकार के विभिन्न विभागों में हो रहे राजभाषा सम्बन्धी कार्यों का समन्वय करना, साहित्यकारों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करना तथा हिन्दी प्रगति समिति, बिहार की अनुशंषाओं पर अमल करना आदि। अक्तूबर, 1983 में पुनर्गठित हिन्दी प्रगति समिति बिहार के सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण करती है। इसके नये अध्यक्ष बिहार के भूतपूर्व राजभाषा मंत्री श्री विद्याकर कवि है तथा तीन दर्जन से अधिक सम्मान्य सदस्य हैं। यह समिति 1976 में हिन्दी के प्रख्यात कवि एवं पत्रकार श्री रामदयाल पाण्डेय की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष पद पर पटना विश्व विद्यालय के हिन्दी विभाग के सेवा निवृत्त रीडर डा० राजाराम रस्तोगी भी कार्य कर चुके हैं। (जून, 1981 से सितम्बर, 1983 तक) यह समिति सचिवालय के विभिन्न विभागों तथा राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण कर, सरकार को रिपोर्ट देती है। सम्प्रति, समिति की अनुशंषा पर सरकार, पटना में एक "हिन्दी भवन" का निर्माण करने जा रही है।

बिहार सरकार राजभाषा हिन्दी के साथ ही राज्य की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं एवं अल्पसंख्यकों की भाषाओं के विकास एवं उन्नयन की दिशा में सदा से सचेष्ट रही है। जून, 1981 में सरकार ने 'उर्दू' को राज्य के कतिपय क्षेत्रों में द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया। विभाग द्वारा अनेक संहिताओं, अधिनियमों, अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, रिपोर्टों फारमों आदि का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। विभाग द्वारा तैयार कराये गये पाकेट साइज के हिन्दी अंग्रेजी और अंग्रेजी हिन्दी कोश मुद्रणाधीन है। विभाग के फ्रेश कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सम्बन्धी छह ग्रंथों के अनुवाद सम्पन्न हो चुके हैं। (1) तेंदुलकर रचित "गांधीजी इन चम्पारन" (2) सुरेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा लिखित "बिरसा भगवान" (3) जार्ज गियर्सन का "बिहार पीजेन्टस लाइफ" (4) बिहार थ्रू द एजेज सम्पादक : श्री आर० आर० दिवाकर (5) जार्ज हाल्टन का "बिहार" द हार्ड आफ इण्डिया" और (6) भूमिज-रिवोल्ट श्री जगदीश चन्द्र झा। प्रथम ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद "जब गाँधी जी चम्पारन आये" नाम से प्रकाशित हो चुका है। दूसरा ग्रन्थ "बिरसा भगवान" छप कर तैयार है। तीसरा अनुदित ग्रन्थ "बिहार का देहाती जीवन" प्रेस में है। अन्य तीन ग्रन्थों के प्रकाशन के सम्बन्ध में कर्रवाई चल रही है। विभाग में अब तक "राजभाषा" नामक पत्रिका के कुल तीन अंक निकाले हैं।

राजभाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रचार-प्रसार के लिये भी विभाग सदैव प्रयत्नशील रहा है। इस प्रयोजनार्थ, विभाग द्वारा पटना में "हम पंछी एक डाल के" कवि सम्मेलन (2-4-81), कौमी एकता सप्ताह के अन्तर्गत सोनपुर में सर्वभाषा कवि सम्मेलन (21-11-81), विश्व हिन्दी पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध चेक हिन्दी विद्वान डा० ओदोसेन स्मेकल के सम्मान में हिन्दी के विद्वान कवि एवं आलोचक डा० कुमार बिमल की अध्यक्षता में बिहार के भूतपूर्व राजभाषा मंत्री श्री योगेश्वर प्रसाद "योगेश" के टेलर रोड, पटना स्थित आवास पर एक कवि गोष्ठी (13-2-82) का आयोजन किया गया। प्रचार-प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत साहित्यकारों का स्वागत, सत्कार एवं सम्मान भी विभाग जब-तब करता रहा है। सूरीनाम में

भारत के राजदूत एवं हिन्दी सेवी श्री बच्चू प्रसाद सिंह को पटना में 11–6–1982 को, "कादम्बिनी" सम्पादक श्री राजेन्द्र अवस्थी एवं दक्षिण भारत के हिन्दी विद्वान श्री बाल शौरि रेड्डी को (14–9–82) सम्मानित किया गया। हाल ही 28–4–84 को विहार के जाने माने कवि एवं बाल साहित्य लेखक श्री रामप्रिय मिश्र "लाल धुआं" का राजकीय अभिनन्दन किया गया। राज्य सरकार द्वारा हिन्दीकरण की दिशा में उठाये गये कदम और राजभाषा की प्रगति से अवगत कराने वास्ते विहार राज्य के तीन प्रमुख मेलों, हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) राजगीर (नालन्दा) एवं सिंहेश्वर स्थान (अन्धेपुरा) में "राजभाषा के बढ़ते चरण" नामक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। उक्त अवसरों पर विभागीय प्रकाशनों के विक्रय की व्यवस्था रहती है। राजभाषा के विकास पर उन्नयन हेतु साहित्यिक संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन (नई दिल्ली) के आयोजन में (29 अक्तूबर, 83) सहयोग स्वरूप विभाग द्वारा पांच लाख रुपये का अनुदान दिया गया। हिन्दी परिषद् भारी अभियंत्रणा निगम, रांची द्वारा हिन्दी प्रदेशीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करने और आल इण्डिया उर्दू राइटर्स एवं जर्नलिस्ट फोरम के सम्मेलन के लिये क्रमशः पन्द्रह एवं तीस हजार रूपये के अनुदान वर्ष 1981-82 में दिये गये। इसके अतिरिक्त, अनेक साहित्यकारों को उनकी पांडुलिपियों के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

सम्प्रति विहार की कार्य-पालिका में नब्बे प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है। न्यायपालिका एवं विहार सरकार द्वारा स्थापित निगमों, निकायों में भी पूर्ण हिन्दीकरण हेतु सरकार सचेष्ट है। निगमों, निकायों में पूर्ण रूपेण राजभाषा हिन्दी के माध्यम से कामकाज किये जाने वास्ते मुख्य सचिव के स्तर से परिपत्र जारी किये जाते हैं। न्यायपालिका में हिन्दीकरण को त्वरित गति प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग के अधीन पटना में सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति श्री विश्वनाथ मिश्र के निदेशकत्व में "न्यायिक हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान" स्थापित किया गया है (12–12–82), जो अपने आप में राज्य सरकार का विलक्षण प्रयास है और हिन्दी विकास की दिशा में सर्वथा नूतन उपलब्धि है। इस संस्थान में न्यायिक पदाधिकारियों को हिन्दी में निर्णय लेखन आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। लोक उद्यम ब्यूरो के सहयोग से राज्य सरकार के उपक्रमों में हिन्दीकरण की नीति कार्यान्वित कराने के अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी के व्यवहार हेतु अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से कई कदम उठाये गये हैं। विहार में राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन वृद्धि वास्ते "हिन्दी टिप्पण प्रारूपण" एवं "हिन्दी लिखने पढ़ने की योग्यता परीक्षा" में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दोनों परीक्षाएं वर्ष में दो तीन बार आयोजित की जाती हैं। सरकारी सेवकों की सुविधा के लिए सचिवालय, प्रमंडल और जिला स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था है। राज्य के सात प्रमण्डलों में हिन्दी आशुलेखन एवं टंकण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसा केन्द्र प्रमण्डलीय राजभाषा उपनिदेशक के नियंत्रणाधीन हैं।

पुरस्कार–सम्मान योजना, विहार के राजभाषा विभाग द्वारा शुरू की गई विशिष्ट विकास –योजना है। वर्ष 1981–82 के दौरान हिन्दी में उत्कृष्ट लेखन को प्रोत्साहत करने के लिए प्रयोजनार्थ राज्य सरकार ने अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार की एक नई योजना का सूत्रपात किया। भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारत विद्या आदि पांच विषयक हिन्दी ग्रन्थों को पुरस्कृत किया गया। राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वास्ते सरकारी सेवकों को भी कई प्रकार के प्रोत्साहन पुरस्कार Incentive award दिए जाते हैं। हिन्दी आशुलिपिकों एवं टंककों को भी प्रशंसनीय कार्य करने पर पुरस्कृत किया जाता है। राजभाषा वर्ष (1979) के दौरान वरिष्ठ हिन्दी सेवियों को सम्मानित करने की योजना प्रारम्भ की गई। 1979 वर्ष में विहार के 119 वयोवृद्ध साहित्यकारों तथा 1981 में 107 वरिष्ठ हिन्दी सेवियों और 17 आदिवासी साहित्यकारों को राजकीय स्तर पर सम्मानित किया गया। पटना में विगत 19 मार्च, 1982 को विहार के 8 यशस्वी कवियों सर्वश्री वियोगी, प्रभात, केसरी, आरसी, पौद्दार रामावतार अरुण, डा० किशोर का राजकीय सम्मान किया गया। आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री ने दस हजार रुपये का पुरस्कार लेने से इन्कारकर दिया।

हिन्दी के सर्वतोमुखी विकास हेतु हिन्दी सेवियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने की व्यापक योजना स्वीकृत की गई है। हिन्दी–दिवस (14 सितम्बर, 1983) के अवसर पर 'विशिष्ट हिन्दी–सेवा के लिए सम्मान' योजनान्तर्गत विशिष्ट हिन्दी–सेवा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर उन छः व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने न्याय एवं प्रशासन (न्यायमूर्ति श्री सतीशचन्द्र मिश्र), पत्रकारिता (कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर'), प्रचार कार्य (डा० मोटूरि सत्यनारायण), अन्य भाषाओं से हिन्दी अनुवाद (नन्द कुमार अवस्थी), कोष–निर्माण (डा० हरदेव बाहरी), रचनात्मक साहित्य (सच्चिदानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय') के क्षेत्रों में हिन्दी भाषा का और उसके निर्माण में महत्वपूर्ण अंशदान किया है। उन्हें सम्मान–स्वरूप पन्द्रह–पन्द्रह हजार रुपए के छह पुरस्कार दिए गए। विहार संबंधी दो पुस्तकों पर श्री हवलदार त्रिपाठी सहदय एवं डा० शान्ति जैन को पांच–पांच हजार रुपए के दो पुरस्कार दिए गए। 'हिन्दी में नवलेखन के लिए विहार की नई पीढ़ी की प्रोत्साहन–पुरस्कार योजना' के अन्तर्गत ग्यारह नए रचनाकारों को (दो से चार हजार रुपए के दो) पुरस्कृत किया गया। विगत 16 अगस्त 1983 को हिन्दी के विकास हेतु हिन्दीतर भाषियों की सम्मान–योजना के अन्तर्गत पांच हिन्दीतर भाषी साहित्यकारों सर्वश्री प्रो० ना० नागप्पा, डा० विश्वनाथ अय्यर, बालशौरि रेड्डी, नीलमणि मिश्र एवं शिवनकृष्ण रेणा को हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास में योगदान हेतु ग्यारह–ग्यारह हजार के पांच पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

हिन्दी को समृद्ध एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से हिन्दी में लिखित विषयों और विधाओं की मौलिक एवं अनुदित पुस्तकों पर

पांच हजार के पन्द्रह पुरस्कार देने के कार्यक्रम वर्ष 1983–84 में शुरू किया गया है । ये पुरस्कार बिहार की विभूतियों के नाम पर चलाए जाएंगे, किन्तु ये अखिल भारतीय स्तर के होंगे । अन्य उल्लिखित पुरस्कार चलते रहेंगे । इस वर्ष रचनात्मक साहित्य के स्थान पर विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अंशदान पर पन्द्रह हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा । इस वर्ष पांच की जगह केवल तीन हिन्दीतर भाषियों को ग्यारह-ग्यारह रु० के तीन पुरस्कारों से सम्मानित करने का कार्यक्रम है । केवल एक बिहार संबंधी पुस्तक पर पांच हजार रु० का एक पुरस्कार तथा नवलेखन-योजना के अन्तर्गत बिहार की नई पीढ़ी के तीन रचनाकारों को तीन पुरस्कार दिए जाएंगे । राजभाषा विभाग द्वारा 'कामिल बुल्के-पुरस्कार योजना' के अन्तर्गत प्रख्यात हिन्दी साहित्यकार डा० कामिल बुल्के की स्मृति में एक विशेष नामित पुरस्कार योजना आरम्भ की गई है । इस योजना के अधीन हिन्दी के उच्चकोटि के ग्रन्थों पर दो पुरस्कार दिए जाएंगे—मौलिक एवं अनूदित ग्रन्थों के लिए क्रमशः पन्द्रह एवं दस हजार रुपए का एक-एक पुरस्कार । ये पुरस्कार हिन्दीतर भाषा तथा हिन्दी भाषा दोनों प्रकार के लेखकों को देय होंगे । विभाग द्वारा एक आदिवासी (जन–जातीय) उपबोजना भी तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत आदिवासियों के जीवन पर लिखित दुर्लभ अंग्रेजी ग्रन्थों का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करने, हिन्दी-संथाली आदि द्विभाषी शब्दकोष प्रकाशित करने का प्रस्ताव है । इस दिशा में राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है और इस योजना को शीघ्र अन्जाम देगी । इस प्रकार, सामान्य प्रशासन के अतिरिक्त निगमों, निकायों, न्यायालयों और विश्वविद्यालयों के कामकाज में पूर्णतः प्रयोग पर बल देकर बिहार सरकार ने हिन्दीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं । विकास के नए-नए सोपानों पर अग्रसर होते हुए हमारा विभाग राज्य में सम्पूर्ण हिन्दी-कार्य की मानसिकता तैयार करने में जुटा हुआ है । वस्तुतः विभाग ने सरकार की भाषा संबंधी नीति और कार्यक्रम को नई गति दी है । नव्य आयाम प्रदान किया है तथा उसके द्वारा राजभाषा के चतुर्दिक विकास हेतु श्लाघनीय कदम उठाए गए हैं ।

राजभाषा पदाधिकारी,
वन्दन कुटीर, दुषण, पटना

"आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल कमल के समान है, जिसका एक एक दल एक-एक प्रांतीय भाषा और उसकी साहित्य संस्कृति है । किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा ही नष्ट हो जाएगी । हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रांतीय बोलियां जिनमे सुन्दर साहित्य-सृष्टि हुई है, अपने-अपने घर में (प्रांत में) रानी बन कर रहें, प्रांत के जन-गण को हार्दिक चिन्तन की प्रकाश भूमि-स्वरूप कविता की भाषा होकर रहे और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्य मणि 'हिन्दी' भारत भारती होकर बिराजती रही ।

---गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर

चित्र समाचार

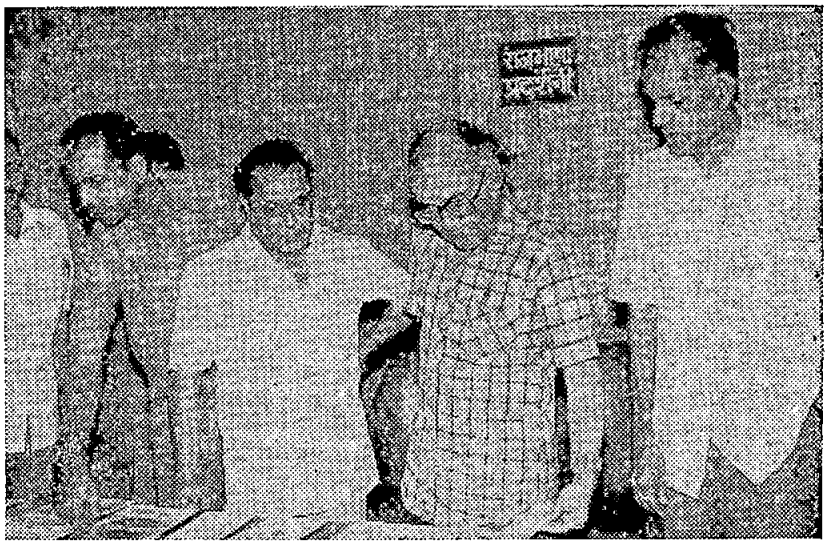

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद में राजभाषा प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सचिव, राजभाषा विभाग श्री आर० के० शास्त्री उनके दायीं ओर हैं श्री ए० के० चटर्जी, निदेशक (उत्पादन), वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी एवं श्री वी पी० सिंह, उप-सचिव (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग तथा बाएं हैं श्री ए० खालिक, सर्व-कार्यभारी अधिकारी (राजभाषा)।

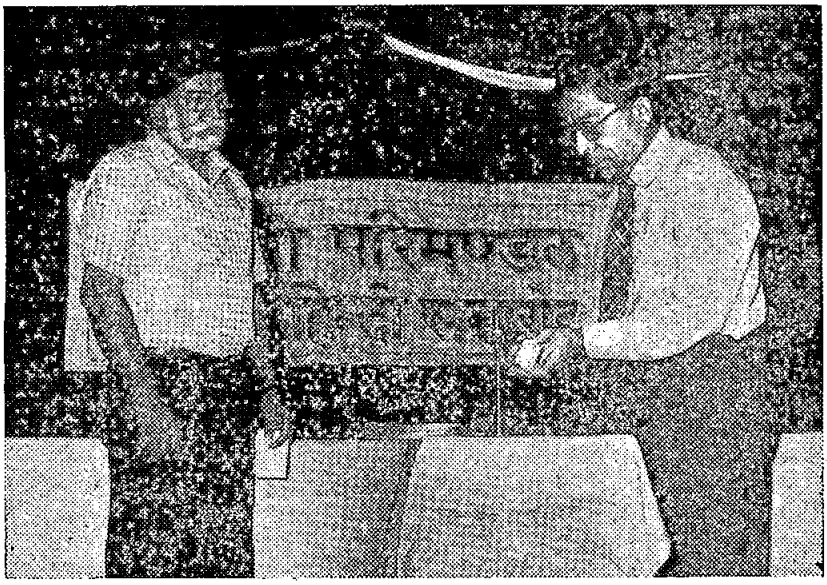

भारतीय सर्वेक्षण विभाग की उत्तरी सर्किल, देहरादून में नौवें हिन्दी समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि मेजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल भारत के महासर्वेक्षक, दीप जला कर समारोह का उद्घाटन करते हुए सामने खड़े हैं—श्री गुरबक्श सिंह ओबराय, निदेशक, उत्तरी सर्किल।

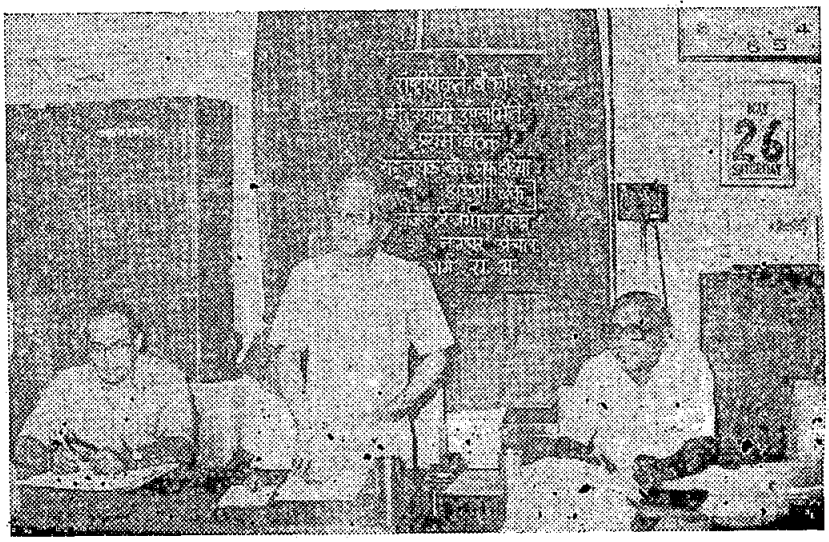

नागपुर में राष्ट्रीयकृत बैंकों की राजभाषा संबंधी स्थाई उपसमिति की प्रथम बैठक को संबोधित करते हुए श्री सी० एस० दिवे, उप आंचलिक प्रबन्धक, नागपुर अंचल, साथ में बैठे हैं—श्री सुमन गर्ग, राजभाषा अधिकारी एवं राज किशोर, हिन्दी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर अकादमी, नागपुर।

नेशनल मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लि० हैदराबाद में हिन्दी सप्ताह के आयोजन के अवसर पर अतिथि वक्ता के रूप में बोलते हुए श्री वी० रा० जगन्नाथन, प्रोफेसेर एवं केन्द्र प्रभारी, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हैदराबाद।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर की अर्ध वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए सचिव (राजभाषा) श्री राजकुमार शास्त्री, साथ में बायें से श्री सुशीलचन्द आनन्द, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) अध्यक्ष श्री वी० दौरेस्वामी, महालेखाकार लेखा तथा सचिव, श्री एस० राजाराम, वरिष्ठ उप महालेखाकार एवं सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना।

राजभाषा सम्मेलन एवं चतुर्थ राजभाषा शील्ड वितरण समारोह के अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री हर किशनलाल भगत से प्रथम पुरस्कार के रूप में शील्ड ग्रहण करते हुए, खान विभाग के संयुक्त सचिव श्री शारदा प्रसन्न सिंह। मंत्री महोदय के दाहिनी ओर हैं राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र एवं बायीं ओर हैं भूतपूर्व गृह मंत्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी।

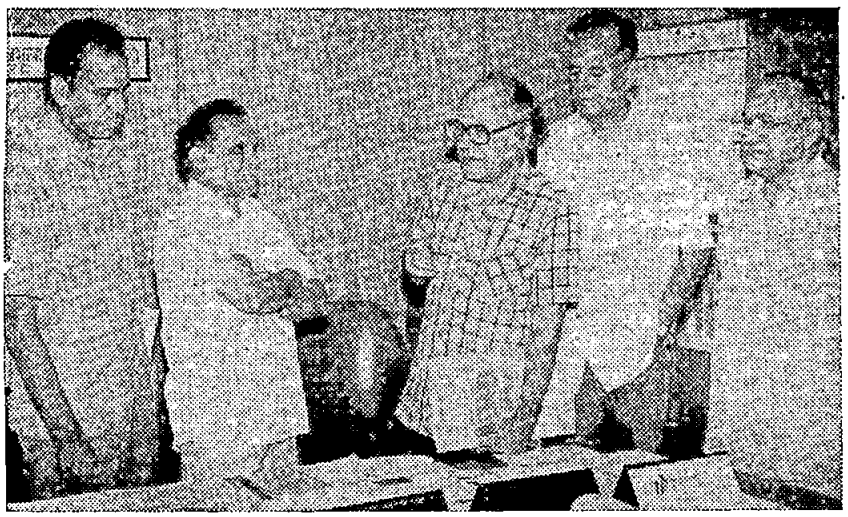

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण करने के पश्चात् राजभाषा विभाग के सचिव श्री आर० के० शास्त्री, निगम के निदेशक श्री ए० के० चटर्जी से हिन्दी के प्रयोग की स्थिति पर विचार विमर्श करते हुए।

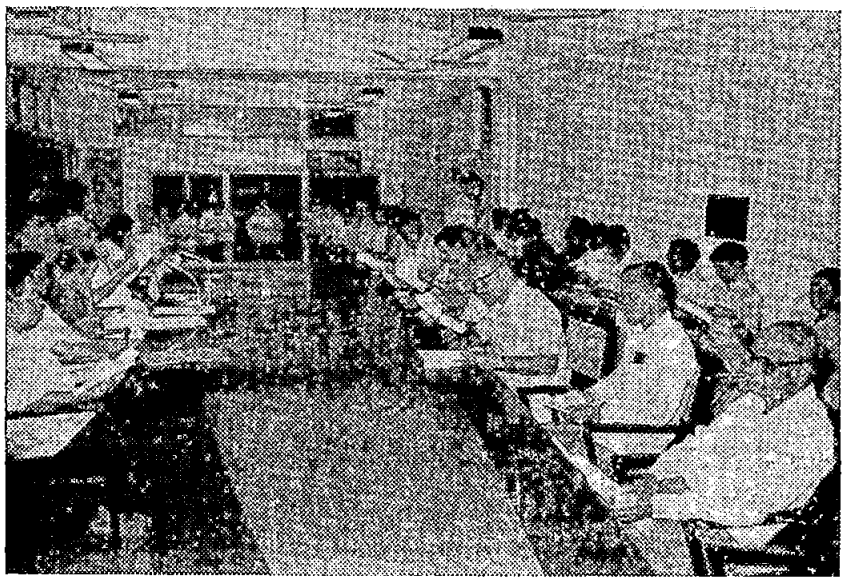

महालेखाकार, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के कार्यालय से प्रकाशित हिन्दी पत्रिका "कलिका" के गणतन्त्र दिवस अंक का विमोचन करते हुए मुख्य अतिथि श्रीमती पदमा सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड।

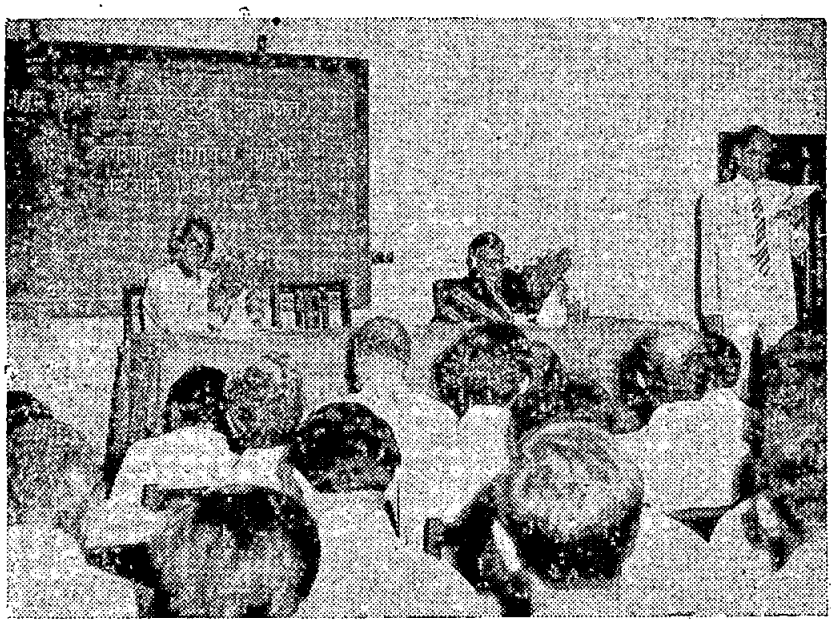

मौसम विज्ञान कार्यालय, पुणे में हिन्दी कार्यशाला के समापन समारोह में बोलते हुए मौसम विज्ञान के महानिदेशक, श्री एस० के० दास। बाईं ओर से हैं – मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसन्धान) श्री एच० एम० चौधरी और हिन्दी शिक्षण योजना, पुणे की सहायक निदेशक श्रीमती आंसुमति अ० दुनाखे। मंच के सामने बैठे हैं वरिष्ठ अधिकारी गण।

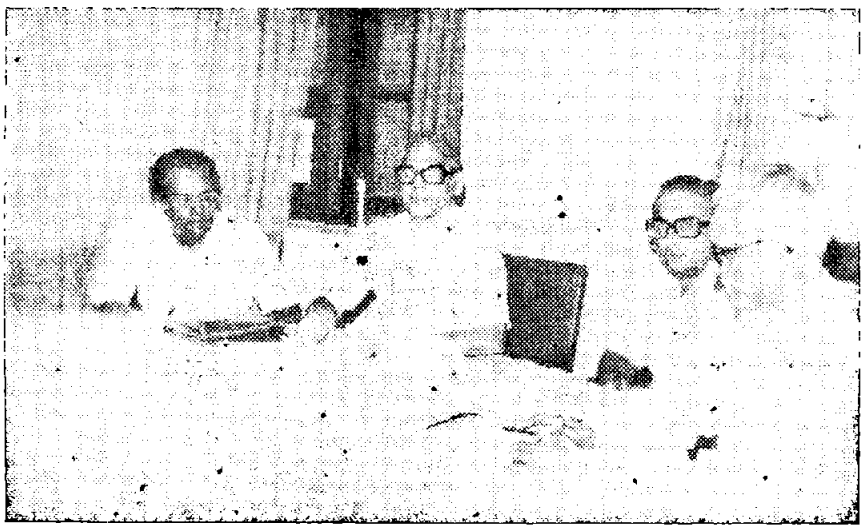

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विशाखापत्तनम की 5वीं बैठक में सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष एवं मण्डल रेल प्रबंधक श्री रमेश चन्द्र वर्मा।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के विभिन्न तकनीकी विभागों की फाइलों में हिन्दी कार्य का निरीक्षण करते हुए राजभाषा सचिव श्री आर० के० शास्त्री।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद में 7 अप्रैल, 1984 को आयोजित राजभाषा समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देती हुई श्रीमती कमलारत्नम। उनके बाएं बैठे हैं--निगम के अध्यक्ष--सह-प्रबंध निदेशक श्री प्रेमचन्द गुप्ता

राजभाषा का स्वरूप और विकास—भाग-2

—डॉ० कैलाश चन्द्र भाटिया

(भारतीय भाषा परिषद्, कलकत्ता के तत्वावधान में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा व्याख्यानमाला के अन्तर्गत डॉ० भाटिया के शोधपूर्ण व्याख्यान के पहले भाग में हिन्दी शब्द की उत्पत्ति और पृथ्वीराज चौहान के सिंहासनारूढ़ (सन् 1178) के समय उसके उल्लेख से लेकर भारतीय संविधान में हिन्दी का राजभाषा के रूप में प्रावधान तक का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास के परिप्रेक्ष्य में अनेक महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए गए। अब प्रस्तुत है राष्ट्रपति के 1952 के आदेश से लेकर लगभग अद्यतनतम जानकारी।)

भारतीय संविधान लागू होने पर हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश 27 मई 1952

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के परन्तुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया जिसमें (I) राज्यों के राज्यपालों, (II) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, तथा (III) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी और अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी के अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत किया।

राष्ट्रपति का आदेश 3-12-1955

राष्ट्रपति ने "संविधान (सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा) आदेश, 1955" नामक एक अन्य आदेश जारी किया जिसमें संघ के निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया।

(1) जनता के साथ पत्र-व्यवहार।

(2) प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकायें और संसद में की जाने वाली रिपोर्टें।

(3) सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियम।

(4) जिन राज्य-सरकारों ने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपना लिया है उनसे पत्र-व्यवहार।

(5) संधियां और करार।

(6) अन्य देशों की सरकारों और उनके दूतों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र-व्यवहार।

(7) राजनयिक और कौंसलीय पदाधिकारियों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किये जाने वाले औपचारिक दस्तावेज।

राजभाषा आयोग के गठन का आदेश दिनांक 7-6-1955

संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के अनुसरण में सन् 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। पहली बैठक 15-7-1955 को हुई। 930 व्यक्तियों की गवाहियां ली गई। आयोग की 76 बैठकें हुईं। प्रतिवेदन 1956 में दिया गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (4) के अनुसार लोकसभा के 20 सदस्यों और राजसभा के 10 सदस्यों की एक समिति गठित की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन सन् 1957 में प्रस्तुत किया जिस पर संसदीय समिति ने 1957 से विचार किया। समिति की 26 बैठकें हुईं। संसदीय समिति की सिफारिशें परिशिष्ट में दी गई हैं। सन् 1960 में कोई आयोग गठित नहीं किया गया।

राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के फलस्वरूप हिन्दी के पक्ष तथा विपक्ष में जितना लिखा गया संभवतः उतना किसी अन्य मामले पर नहीं। आयोग को 1094 लिखित उत्तर/ज्ञापन प्राप्त हुए। आयोग की रिपोर्ट में विसम्मतियां भी लगी हुई हैं। आयोग द्वारा की गई 64 सिफारिशों में 20 सिफारिशें परिशिष्ट में दे दी गई है। आयोग की रिपोर्ट तथा सिफारिशों पर विचार करने के लिए दिनांक 3-9-1957 को गठित संसदीय समिति की प्रथम बैठक 16-11-1957 को हुई और अन्तिम बैठक दिनांक 28-11-1958 को हुई। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 8-2-1959 को प्रस्तुत की।

अंग्रेजी से हिन्दी के परिवर्तन की प्रक्रिया कैसी हो इस पर बड़े स्पष्ट विचार संसदीय समिति ने प्रस्तुत किये। भाषाई परिवर्तन एक साथ करना असंभव था, यह एक चरणबद्ध प्रोग्राम के अनुसार ही किया जा सकता था और यही किया भी गया। 'पहले चरण में, प्रारम्भिक उपायों को पूरा करने पर जोर दिया गया, क्योंकि इससे संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में सुविधा रहती।' (पृ० 13, पैरा 23)

समिति ने भाषायी परिवर्तन के सहज रूप की ओर पैरा सं० 24 में ध्यान दिलाया। समिति अंग्रेजी के जाने से उत्पन्न रिक्तता की ओर भी सतर्क थी। (पृ० 10, पैरा 17) फिर भी समिति का इस मामले में बड़ा पक्का विचार था कि, 'किसी प्रजातंत्रात्मक सरकार के लिए अनिश्चित काल तक अपना कामकाज ऐसी भाषा में चलाना संभव नहीं है, जिसे देश में कुछ लोग ही समझते हों।' (पृ० 8, पैरा 16 से)

समिति की रिपोर्ट पर संसद में लोकसभा 2–4 सितम्बर, 1959 तथा राज्यसभा 8–9 सितम्बर, 1959 को चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने चर्चा में भाग लेते हुए दिनांक 4–9–1959 को भाषण दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व फ्रैंक एन्थेनी ने संविधान की अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए संसद में एक बिल रखा था जिस पर गर्मागरम बहस हुई। अन्ततः इस आश्वासन पर कि नेहरू जी इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे, एन्थेनी ने बिल वापस ले लिया। नेहरू जी ने अंग्रेजी की पर्याप्त प्रशंसा करते हुए भी स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि "अंग्रेजी निश्चय ही एक थोपी गई भाषा है। इसने हमारे लिए ज्ञान विज्ञान की खिड़कियां जरूर खोलीं और हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया भी, पर इस पर एक ऐसी भाषा होने का लांछन भी है जो हमारी अपनी भाषाओं और हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं के ऊपर जमकर बैठ गई है।

इन बहसों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति ने अप्रैल 1960 में आदेश जारी किया।

राष्ट्रपति का आदेश 27-4-1960

संविधान के अनुच्छेद 344 खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने इस संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा प्रकट किये गये मंतव्य के संदर्भ में 27 अप्रैल, 1960 को एक आदेश जारी किया। यह आदेश काफी लम्बा है जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर आदेश जारी किये गये :—

1. शब्दावली
2. प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद
3. प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिन्दी का प्रशिक्षण
4. हिन्दी प्रचार
5. केन्द्रीय सरकारी विभाग के स्थानीय कार्यालयों के के लिए भर्ती
6. प्रशिक्षण संस्थान
7. अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती परीक्षा का माध्यम
8. अंक
9. अधिनियम में, विधेयकों इत्यादि की भाषा
10. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा
11. विधि क्षेत्र में हिन्दी में काम करने के लिए आवश्यक प्रारम्भिक कदम
12. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजना का कार्यक्रम

मोटे तौर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण निदेश समाविष्ट हैं :—

1. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय को एक स्थायी आयोग स्थापित करना चाहिए।
2. शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अतिरिक्त सभी मैनुअलों तथा कार्य विधि-साहित्य का अनुवाद हाथ में ले और भाषा में एकरूपता सुनिश्चित करने की आवश्यकता की दृष्टि से यह काम केवल एक ही अधिकरण को सौंपा जाए।
3. एक मानक विधि शब्दकोष बनाने, हिन्दी में विधि के पुनः अधिनियम और विधि शब्दावली के निर्माण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कानून के विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग स्थापित किया गया।
4. तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों और कुछ अन्य कर्मचारियों को छोड़कर उन सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी का सेवा-कालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाय जिनकी आयु दिनांक 1–1–61 को 45 वर्ष से कम हो। गृह मंत्रालय, टंककों और आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण तथा आशुलेखन प्रशिक्षण देने के लिए भी प्रबंध करें।

सन् 1960 से राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जहां विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता आई वहां दूसरी ओर 1965 ज्यों-ज्यों समीप आता गया हिन्दी-विरोध प्रबल तथा अंग्रेजी समर्थनकारी उग्र होते गए।

सन् 1961 में **"वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग"** गठित किया गया। वैसे इससे पूर्व ही 1953 के प्रारम्भ में छोटी-छोटी शब्दावली पुस्तिकाएं प्रकाशित हो चुकी थीं तथा 1956 तक पदनाम तथा सामान्य प्रशासन संबंधी 15000 शब्दावली का काम पूरा हो गया था और आशा थी कि शेष काम 1960 तक पूरा हो जाएगा। शब्दावली आयोग को कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए कि (1) शब्दावली की सरलता, यथार्थता, स्पष्टता की ओर ध्यान दिया जाए (2) अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली अपनायी जाए और

यथासंभव उनका अनुकूलन (व्युत्पन्न शब्दों का भारतीयकरण) कर लिया जाए (3) अधिकतम एकरूपता हो (4) केन्द्र-राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए समुचित प्रबन्ध हो (5) विज्ञान/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं में एकरूपता हो। यह अपने में पृथक् विस्तृत विषय है, अब तक लगभग चार लाख शब्दों को (विज्ञान—एक लाख तीस हजार, मानविकी-समाज विज्ञान—अस्सी हजार, आयुर्विज्ञान—पचास हजार, इंजीनियरी—पचास हजार, कृषि—बीस हजार, विविध प्रशासन आदि—सत्तर हजार) विकसित किया जा चुका है।

आठ जून के संकल्प के आधार पर "**राजभाषा विधायी आयोग**" ने भी कार्य प्रारंभ किया। पर्याप्त अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है। उल्लेखनीय कार्य 'विधि शब्दावली' का प्रकाशन है जिसका प्रथम संस्करण 1970 में प्रकाशित हुआ और संशोधित परिवर्द्धित संस्करण सन् 1979 ई० में। सभी भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली तैयार करते समय अधिकतम संभाव्य एकरूपता का प्रयास करने का निर्देश राजभाषा आयोग ने दिया था।

इसी वर्ष हिन्दी के उत्तरोतर प्रयोग को सुनिश्चित करने के के लिए योजनाबद्ध रूप से स्पष्ट कार्यक्रम दिनांक 27–3–1961 को प्रस्तुत किया गया। कुछ कार्यक्रम इससे पहले ही प्रारम्भ हो गए, जैसे गृह मंत्रालय के 21–5–1960 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सभी सरकारी समारोहों के लिए निमंत्रण-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में जारी करने की पद्धति अपनायी गई। समय-समय पर इस नियम की ओर ध्यान दिलाया गया (दिनांक 19–5–1970 तथा 10–6–1974)। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा पंजियों में प्रविष्टियां हिन्दी में करने के आदेश काफी पहले सन् 1957 में ही जारी कर दिए गए। इस वर्ष इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया और बाद में 19–8–1968 के कार्यालय ज्ञापन में इन बातों का पुनः स्मरण दिलाया गया।

सन् 1962-63 से भारत के राजपत्र (गजट) में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशन की व्यवस्था [दिनांक 27–3–1961 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3(5) के अनुसार] निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रारम्भ की गई:

भाग–I	असंवैधानिक सूचनाएं
भाग–III	संघ लोक सेवा आयोग, संघ शासित हिन्दी भाषी क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों द्वारा जारी अधिसूचनाएं
भाग–IV	गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन/सूचनाएं
भाग–V	जन्म-मृत्यु के आंकड़े

लेकिन इसका अनुपालन समुचित रीति से नहीं हुआ। श्री सुधाकर द्विवेदी ने (गृह मंत्रालय में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं) 'हिन्दी : अस्तित्व की तलाश' में स्पष्ट किया है कि नवम्बर 1963 में देखा गया कि "अक्टूबर के राजपत्र खण्ड–1 में अधिकांश अधिसूचनाएं केवल अंग्रेजी में छपी थीं जबकि उन्हें हिन्दी में भी प्रकाशित होना था।" वैसे गजट का प्रकाशन सन् 1852 से प्रारम्भ हुआ। 1857 ई० में बाधा पड़ी, जोर पुनः 1861 में प्रारम्भ होकर 1882 ई० तक रहा।

समय-समय पर इस ओर ध्यान दिलाया गया। दिनांक 11–8–1968 को सभी मंत्रालयों को लिखा गया कि संकल्पों, नियमों, अधिसूचनाओं, नोटिसों आदि का हिन्दी में प्रकाशन सांविधिक रूप से आवश्यक है अतएव हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशन के लिए सामग्री एक साथ भेजें। इस सम्बन्ध में आगे चलकर 20–3–1970 को तो मुद्रण और लेखन-सामग्री के मुख्य नियंत्रक से ही अनुरोध किया गया कि जो भी आवश्यक सामग्री केवल अंग्रेजी में प्राप्त हो उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए स्वीकार न करें। सांविधिक नियमों आदि के प्रकाशन की व्यवस्था राजपत्र के भाग II के खण्ड 3–क में पृथक् दिनांक 20–3–1970 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा की गई।

इसी वर्ष हिन्दी पत्रों का उत्तर निश्चयात्मक रूप से हिन्दी में देने के आदेश दिए गए। मूल रूप से हिन्दी में लिखने की आज्ञा भी दी गई साथ ही मंत्रालयों से प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जा सकता है। गृह सचिव की अध्यक्षता में **हिन्दी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति** का गठन भी किया गया।

येह सब होते हुए भी यदि सम्पूर्ण स्थिति का जायजा लिया जाय तो इस समय तक (1962) लगभग एक लाख पृष्ठों की सामग्री में से मात्र आठ हजार पृष्ठों का अनुवाद किया जा सका और तीन लाख कर्मचारियों में से उन्नीस हजार कर्मचारी प्रशिक्षित किए जा सके। दूसरी ओर अंग्रेजी समर्थकों का दबाव और दक्षिण भारत में हिन्दी के विरुद्ध इतने अधिक उग्र प्रदर्शन हुए कि दिनांक 26–1–1965 से आगे भी अंग्रेजी को जारी रखने के लिए 'राजभाषा विधेयक' प्रस्तुत करने की तैयारी होने लगी।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (तथा संशोधन 1967)

संविधान के अनुच्छेद 343 खण्ड (3) के अधीन इस अधिनियम को लोकसभा में तत्कालीन गृहमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा वैशाखी के दिन दिनांक 13–4–1963 को काफी हंगामे के बाद यह प्रस्तुत किया जा सका। बाद में 3–5–1963 को राज्य सभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य था कि 15 वर्ष की अवधि (26 जनवरी, 1965) के बाद अंग्रेजी भाषा के प्रयोग करने के बारे में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। इस अधिनियम (मूल विधेयक सं० 19 परिशिष्ट में दिया जा रहा है) की धारा 3 के अनुसार संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए अंग्रेजी 26 जनवरी, 1965

के तत्काल पहले प्रयुक्त की जाती थी, इसके बाद भी हिन्दी के अलावा अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकता है। माननीय गृह मंत्री ने यह भी घोषणा की कि 'इस विधेयक की धारा–3 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अंग्रेजी जारी रहेगी। **परन्तु यह व्यवस्था हिन्दी के** अलावा होगी।' शास्त्रीजी ने यह भी कहा कि हम अंग्रेजी की वर्तमान स्थिति कायम नहीं रख सकते और न रहनी ही चाहिए। कोई राष्ट्रीय औचित्य न हो तब तक अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी और देश की अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को अपनाने में अनिश्चितता बनाये रखना भी उपयुक्त नहीं है, अनन्त काल तक अंग्रेजी की वर्तमान स्थिति नहीं चलने दी जा सकती है।' शास्त्रीजी के भाषणों के लिए द्रष्टव्य है : लोकसभा डिबेट्स, दिनांक 23–4–1963, सं० 11385–11397, दिनांक 25–4–1963, सं० 11973–12017 तथा 27–4–1963 पृ० 125061–5)

काफी लम्बी तथा गर्मागर्मी से भरी बहस के बाद यह बिल सं० 19 पारित होकर 10–5–1963 को हस्ताक्षरित हुआ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के बनने के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू के दिये गये आश्वासनों को लेकर निरन्तर दक्षिण भारत में हंगामें चलते रहे (यद्यपि बिल की सम्पूर्ण बहस के समय पं० नेहरू संसद में उपस्थित रहे और भाग लिया।) फलतः तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में संशोधन का आश्वासन दिया और राष्ट्रपति ने दिनांक 17–2–1965 को अपने भाषण में कहा कि 'नेहरूजी द्वारा दिये गये आश्वासनों को बिना किसी शर्त पूरा किया जाएगा।' देश में कुछ ऐसी परिस्थिति रही कि अन्ततः सन् 1967 में यह संशोधन 27–11–1967 को रखा जा सका और दिनांक 16–12–1967 को पारित हुआ और आठ जनवरी, 1968 को हस्ताक्षरित हुआ।

यह ठीक है कि सन् 1965 के बाद हिन्दी राजभाषा के पद पर आसीन हो गई। पर अंग्रेजी सहभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाने के बाद राजभाषा की द्विभाषिक स्थिति कायम हो गई और इसके फलस्वरूप निम्नलिखित अनिवार्य रूप से हिन्दी-अंग्रेजी में जारी करने का उपबन्ध है :—

1. संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं।
2. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गये प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागजपत्रों के लिए।
3. केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों के लिए।

संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी कागजात हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। किसी कारण से हिन्दी रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत नहीं किया जा सके तो उन कागजात को प्रस्तुत करते समय राज्यसभा/लोकसभा के सभापटल पर उन कारणों का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत किया जाए।

कांग्रेस कार्य-समिति भी समय-समय पर 'राजभाषा' पर विचार करती रही है। इस दृष्टि से विचार दिनांक 24–2–1965 को किया गया जिसमें कहा गया कि (1) भारत सरकार को हिन्दी तथा अन्य सभी राष्ट्रीय भाषाओं के प्रयोग और विकास की ओर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए (2) त्रिभाषासूत्र का प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जाए (3) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी तथा प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं को भी वैकल्पिक माध्यम बनाया जाए (4) नेहरू जी के आश्वासनों के आधार पर राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन किया जाए आदि। वस्तुतः इसके आधार पर ही सन् 1967 में विधेयक में संशोधन किया गया और संसद के दोनों सदनों ने 'संकल्प' दिनांक 18–11–1968 को पारित किया।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धाराओं का कार्यान्वयन

1. प्रधान धारा 3 दिनांक 26–1–1965 से लागू हो गई।
2. धारा 4 में यह प्रावधान रखा गया कि जिस तारीख से धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राजभाषा के संबंध में एक समिति संसद द्वारा गठित की जाएगी जिसमें तीस सदस्य (20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा) होंगें। यह समिति संघ के राजकीय प्रयोजनों के लए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन कर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इस प्रकार की संसदीय राजभाषा समिति का गठन पहली बार जनवरी 1976 में हुआ। यह समिति पुनः तीन उपसमितियों में बंटी हुई है। इस **'राजभाषा संसदीय समिति'** को 1977 तथा 1979 में लोकसभा भंग होने पर जुलाई 1977 तथा 1980 में पुनर्गठित किया गया है। समिति अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में व्यस्त है।

3. धारा 5 : केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद से संबंधित है जिसको 25–2–1970 से लागू किया गया। बाद में 26–8–1970 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इसकी उपधारा 2 में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया :

सरकारी विधेयकों के हिन्दी अनुवाद का प्राधिकरण और अधिप्रमाणन

राजभाषा (विधायी) आयोग का एक अधिकारी, जिसे इस प्रयोजन के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया गया है, सरकारी विधेयकों के अनूदित पाठों पर यह प्रमाणित करेगा कि वे सही हैं और इस प्रकार प्राधिकृत किया गया अनुवाद, विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले संबंधित मंत्री द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

4. धारा 6 : राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद से संबंधित है।

5. धारा 7 : यह धारा उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग [संविधान अनुच्छेद 348(2)] से संबंधित है। इसमें यह प्रावधान है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के फैसलों, आदेशों आदि के लिए हिन्दी या राज्य की राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। दिनांक 7–3–1970 से लागू इस प्रावधान का उपयोग अभी तक चार हिन्दी भाषी राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान) में किया गया है जहां राज्यपालों ने उच्चतम न्यायालयों में हिन्दी प्रयोग को प्राधिकृत किया है। इसके अन्तर्गत बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्रमशः चार, पच्चीस, ग्यारह प्राधिकृत अनुवाद हुए।

6. धारा 8 : इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को राजभाषा नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकने का प्रावधान है। इसके आधार पर ही केन्द्रीय सरकार ने संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए 'राजभाषा नियम, 1976' (17 जुलाई 1976 के गजट में प्रकाशित) इन नियमों के अनुपालन के लिए ही विविध आदेश निकाले जाते हैं। इन नियमों की मुख्य-मुख्य बातें परिशिष्ट में दी जा रही हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के संशोधन (1967) के बाद सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 6–7–1968 को विस्तृत अनुदेश जारी किये गये। इन अनुदेशों का समुचित ढंग से पालन हो रहा है अथवा नहीं इसके लिए अनेक व्यवस्थाएं—राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा सलाहकार समिति आदि की गई।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में राजभाषा-आदेशों का कार्यान्वयन ठीक-ठीक चलाने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन कार्यालय ज्ञापन सं० 6/63/64–रा० भा० दिनांक 10–12–1964 के आधार पर सन् 1965 में किया गया। इस समिति के सुपुर्द मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्य सौंपे गये :

1. हिन्दी के प्रयोग के संबंध में गृह मंत्रालय के अनुदेशों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना और उस बारे में आरम्भिक तथा अन्य कार्रवाई करना।
2. तिमाही प्रगति रिपोर्टों का पुनरीक्षण करना।
3. कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयों को देखना और उनका हल निकालना।
4. हिन्दी के प्रशिक्षण के बारे में अनुदेशों का परिपालन तथा हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को उपयुक्त संख्या में भेजना।

केन्द्रीय हिन्दी समिति की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार समिति के काम की देख-रेख मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव के अधिकारी को, विशेषतः प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह भी ध्यान रखा गया है कि समिति के सदस्यों की संख्या 15 से अधिक न हो। इस समिति की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य होनी चाहिए।

उक्त आदेश के अनुसार समितियां लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों में गठित की गईं। बाद में सन् 1968, 1969 तथा 1975 में इसके ठीक-ठीक अनुपालन की ओर ध्यान दिलाया गया। आगे चल कर सन् 1976 में हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अधिकारियों को और गैर-सरकारी व्यक्तियों को सदस्य बनाने का प्रावधान भी किया गया। यह भी सुझाव दिया गया कि कार्यालय विशेष के गठन को देखते हुए उचित अनुपात में अहिन्दी भाषी अधिकारियों को रखा जाए। कोशिश यह हो कि किसी भी समिति में जहां तक हो सके, आधे सदस्य अहिन्दी भाषी हों।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की सफलता देखते हुए यह अनुभव किया गया कि जिन नगरों में केन्द्रीय सरकार के 10 या उससे अधिक कार्यालय हों वहां नगर समिति का गठन किया जाए। सन् 1976 के ज्ञापन के अनुसार सन् 1977 से ऐसी अनेक समितियां सफलता से काम कर रही हैं। समन्वय की दृष्टि से इन सम्मिलित बैठकों से

काफी लाभ हुआ । सन 1979 से इसके कार्यों में विस्तार भी कर दिया गया। इस समय 25 से अधिक नगरों में इस प्रकार की समितियां कार्य कर रही हैं।

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार की अध्यक्षता में सभी मंत्रालयों/विभागों की कार्यान्वयन समितियों में समन्वय का कार्य यह समिति करती है । विभिन्न समितियों के अध्यक्ष (संयुक्त सचिव पद के समान) तथा मंत्रालयों में राजभाषा का कार्य सम्पादन करने वाले निदेशक तथा उप सचिव इसके सदस्य होते हैं।

हिन्दी समिति/हिन्दी सलाहकार समितियां

राजभाषा हिन्दी के समुचित कार्यान्वयन और उससे सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए सर्वप्रथम गृह मंत्रालय में 'हिन्दी सलाहकार समिति' का गठन 1964 ई० में किया गया और आवश्यकता पड़ने पर उप समितियां भी गठित की गई, बाद में सन् 1967 में इसका पुनर्गठन किया गया साथ ही इस प्रकार की समिति का गठन 'विधि मंत्रालय' में भी कर दिया गया पर यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार एक सर्वोच्च समिति भी गठित की जाए जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हिन्दी कार्यान्वयन पर निगरानी रखे । फलत: 5–9–1967 को ऐसी समिति का गठन किया गया जिसकी पहली बैठक 2-12-1967 को हुई । यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार में 'हिन्दी सलाहकार के पद' का सृजन भी सन् 1965 में हो चुका था और हिन्दी सलाहकार ही इस सर्वोच्च समिति, जिसको 'केन्द्रीय हिन्दी समिति' कहा जाता है, का सदस्य-सचिव होता है । इस समिति द्वारा लिए गए निर्णय प्रकारान्तर से भारत सरकार के निर्णय माने जाते हैं क्योंकि सभी प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री/सचिव तथा कई प्रदेशों के मुख्य मंत्री भी इस समिति के सदस्य होते हैं । इस समिति की समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं । पिछले वर्ष इस समिति को पुनर्गठित किया गया है ।

केन्द्रीय हिन्दी समिति की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी मंत्रालयों को हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा उत्तरोत्तर प्रयोग से सम्बन्धित विषयों पर हिन्दी सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए । गृह और विधि मंत्रालय के बाद सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में इसी प्रकार की सलाहकार समिति का गठन सन् 1968 में किया गया कालान्तर में अन्य मंत्रालयों में भी इस प्रकार की समितियां गठित की गई। लेकिन पहली बार इन समितियों के गठन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत राजभाषा विभाग ने (जिसका पृथक् गठन सन् 1975 में किया गया और तत्कालीन हिन्दी सलाहकार श्री रमाप्रसन्न नायक जी इस विभाग के सचिव नियुक्त किए गए) दिनांक 18–9–1975 को विभिन्न मंत्रालयों को भेजे । इसमें यह स्पष्ट किया गया कि इसमें कितनी सदस्य संख्या हो और उनका वर्गवार विभाजन (क) सरकारी सदस्य (ख) गैर-सरकारी सदस्य] कितने हों साथ ही गैर-सरकारी सदस्यों के अन्तर्गत कैसे व्यक्तियों को नामित किया जाए । राजभाषा विभाग से परामर्श तथा समिति के कार्यक्षेत्र को भी स्पष्ट किया गया । इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सन् 1975–76 में सभी मंत्रालयों में ऐसी सलाहकार समितियां गठित की गई । राजभाषा विभाग ने समय-समय पर इन समितियों की कार्य पद्धति पर भी सलाह दी । सन् 1978 में इस प्रकार की राय भी दी गई कि इन बैठकों को नियमित रूप से हर [तीन महीने बाद करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए । समय-समय पर इन समितियों का पुनर्गठन किया जाता है । सन् 1980 के बाद पुन: इन समितियों को पुनर्गठित किया गया है । सामान्यत: इन समितियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है । इन समितियों में लिए गए निर्णय भी तत्सम्बन्धी मंत्रालय पर नियमत: लागू माने जाते हैं । इन सलाहकार समितियों से पर्याप्त लाभ हुआ है ।

इस द्विभाषिक अवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान किस गति से प्राप्त करते हैं । वर्तमान कर्मचारियों में से अधिकांश को अंग्रेजी का ज्ञान पहले से ही है, आने वाले कुछ वर्षों में ऐसे कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के सम्बन्ध में जोर देना होगा जिन्हें सन् 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के अधीन निर्धारित परीक्षाएं पास करनी आवश्यक हैं। हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन चलाई जाने वाली कक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए ऐसे कर्मचारी भेजने के हेतु विस्तृत अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं । कर्मचारियों की **गहन हिन्दी शिक्षण** की योजनाओं को भी केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के दिल्ली केन्द्र के माध्यम से सन् 1971 से चलाया जा रहा है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के तत्वावधान में पत्राचार द्वारा हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था है । पत्राचार का माध्यम अंग्रेजी के साथ-साथ अब तमिल और मलयालम भी है ।

अखिल भारतीय सेवाओं—भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा तथा केन्द्रीय सेवाओं के परिवीक्षाधीनों (प्रोबेशनरों) का प्रशिक्षण कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में होता है । यहां हिन्दी के साथ सभी भारतीय भाषाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था है । नवीन प्रशिक्षण पद्धतियां, भाषाशास्त्र तथा परम्परागत प्रशिक्षण पद्धति का समन्वित रूप कक्षा अध्यापन तथा भाषा प्रयोगशाला माध्यम के संयोजक से विकसित हुआ है । आधारित पाठ्यक्रम में हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण करना सबके लिए अनिवार्य है । भाषा के प्रशासनिक पक्ष—फंक्शन पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है । भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपने वृत्तिक पाठ्यक्रम को भी अकादमी में पूरा करते हैं जबकि शेष अधिकारी अपने-अपने प्रशिक्षण संस्थान में चले जाते हैं । जिस प्रकार हिन्दी का प्रशिक्षण आगे अकादमी में दिया जाता है उसी प्रकार की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में की जानी

चाहिए और आधारिक पाठ्यक्रम के बाद वृत्तिक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण में तारतम्य रहना आवश्यक है ।

अब तो सन् 1969 से कोठारी समिति की सिफारिशों के आधार पर हिन्दी तथा अन्य सभी भारतीय भाषाएं (संविधान की आठवीं अनुसूची में परिगणित) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम भी बन चुकी हैं।

संघ लोक सेवा आयोग में हिन्दी

भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए समुचित व्यक्तियों के चयन करने के उद्देश्य से ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

स्वतन्त्रता से पूर्व अंग्रेजों ने भारत में प्रशासन चलाने के लिए 'इण्डियन सिविल सर्विस (आई० सी० एस०)' का प्रचलन किया था जो सेवा वस्तुतः न इण्डियन [भारतीय] थी, न सिविल और न ही सेवा । यह ब्रिटिश शासन का 'स्टील फ्रेम' कहा जाता रहा। पहले परीक्षा इंगलैण्ड में होती थी, बाद में ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन के ढांचे पर सन् 1926 में भारत में ही लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई जो कि 1935 के एक्ट के बाद 'संघीय' कहलाया । परीक्षा की प्रक्रिया समय-समय पर बदलती रही । भारतीय नौकरशाही अंग्रेजी शासन की देन है जिसका आरम्भ सन् 1855 में हो गया था जो कालान्तर में 1870 के अधिनियम के अनुसार परिवर्तित हुआ । सन् 1947 के बाद आई० सी० एस० के स्थान पर आई० ए० एस० (भारतीय प्रशासन सेवा) तथा आई० पी० के स्थान पर आई० पी० एस० (भारतीय पुलिस सेवा) नाम दिया गया। मात्र के नाम परिवर्तन से परिवर्तन नहीं होता, चुनाव के रूप में मात्र अंग्रेजी ही स्वीकृत होने के कारण इन सेवाओं में प्रवेश भी उच्च तथा उच्च मध्यवर्गीय परिवारों तक सीमित रहा।

उच्च सेवाओं का प्रवेश द्वार भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित या कहें मध्य तथा निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से आए अभ्यर्थियों के लिए बन्द रहा। इस समस्या की ओर सर्वप्रथम ध्यान अप्रैल, सन् 1954 में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दिया गया और वहीं प्रस्ताव पास किया गया कि अंग्रेजी के साथ हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाया जाए जिसके आधार पर तत्कालीन माननीय गृह मन्त्री ने संसद में 2–5–1955 को घोषणा की कि इस सम्बन्ध में रूपरेखा तैयार की जा रही है और राजभाषा आयोग से राय लेकर इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा । यह भी सोचा गया कि हिन्दी को पहले प्रारम्भ कर दिया जाए, अन्य भारतीय भाषाएं बाद में प्रारम्भ की जाएं, भर्ती के समय हिन्दी के सामान्य ज्ञान की परीक्षा हो। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर संसदीय समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर राष्ट्रपति से अनुशंसा की :

1. माध्यम के रूप में अंग्रेजी चलती रहनी चाहिए, और हिन्दी वैकल्पिक माध्यम के रूप में कुछ समय बाद प्रारम्भ की जा सकती है तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं अभ्यर्थियों के लिए जब तक आवश्यक हों चलती रहें।
2. उचित समय देकर समान स्तर के दो प्रश्न-पत्र एक हिन्दी में तथा दूसरा अन्य भारतीय भाषा में अनिवार्य कर देने चाहिए।
3. माध्यम परिवर्तन के बाद भी अंग्रेजी का एक प्रश्न-पत्र सभी के लिए अनिवार्य हो । जब तक पूरी तरह अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी न आ जाए।
4. भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए कमेटी नियुक्त की जाए।

राष्ट्रपति ने संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार कर 27 अप्रैल, 1960 को आदेश जारी किया 'तृतीय श्रेणी के नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों और कार्यप्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर उन सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी का सेवा कालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए जिनकी आयु दिनांक 1–1–1961 को 45 वर्ष से कम हो।'

इस बीच संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श के उपरांत यह समझा गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की 1963 की परीक्षाओं से हिन्दी को प्रारम्भ करना सम्भव होगा। इसी आधार पर असिस्टेंट तथा अवर श्रेणी के लिपिकों की परीक्षा में निबन्ध तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र के लिए माध्यम के रूप में सन् 1964 में हिन्दी को मान्यता प्रदान की गई बाद में 1974 से गणित भी सम्मिलित कर लिया गया। तत्कालीन गृह मंत्री महोदय ने 12–3–1964 को मुख्य मंत्रियों की बैठक में घोषणा भी की कि सितम्बर 1965 में होने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी भी परीक्षा का माध्यम होगा । राजभाषा अधिनियम, 1963 के विरोध में आग इतने जोर की भड़की कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 11–2–1965 को अंग्रेजी के चलते रहने का आकाशवाणी से प्रसारण किया और इसी प्रकार की घोषणा संसद के दोनों सदनों में दिनांक 25–2–1965 को की गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पूर्व कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह मामला पुनः आया जिसमें हिन्दी तथा अन्य सभी भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने वाली बात दुहराई गई जिसको फिर एक बार दिनांक 2–6–1965 को बैठक में दुहराया गया । इसके आधार पर दिसम्बर 1965 में आयोग को सूचित किया गया कि अखिल भारतीय तथा उच्च केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को माध्यम बनाया जाए।

तीन साल के अन्तराल के बाद संसद के दोनों सदनों में संकल्प दिनांक 18 जनवरी, 1968 को पारित किया गया जिसके अंश में कहा गया :

'कि परीक्षाओं की भावी योजना प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं सम्बन्धी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी ।'

संघ लोक सेवा आयोग ने आई० ए० एस० आदि की परीक्षा वर्ष 1969 से निबन्ध तथा सामान्य ज्ञान (दो अनिवार्य विषयों) के प्रश्न-पत्रों के लिए हिन्दी माध्यम की छूट प्रारम्भ की, साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं में भी लिखने की छूट दी गई।

1968 में पारित संकल्प के कार्यान्वयन के लिए आयोग पर निरन्तर दबाव पड़ता रहा। अतएव फरवरी 1974 में एक समिति को यह काम सौंपा गया जिसके अध्यक्ष सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्री डॉ० दौलत सिंह कोठारी थे। इस समिति ने सिविल सेवा परीक्षा को एक नयी योजना से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अध्यक्ष के नाम से इस समिति की सिफारिशें "कोठारी समिति" के नाम से जानी जाती है। समिति ने परीक्षा की प्रणाली, माध्यम आदि के सम्बन्ध में विस्तृत सुझाव दिए।

कोठारी समिति ने माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ-साथ संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को मान्यता प्रदान की जिसको काफी हद तक वाद-विवाद के बाद सर्वप्रथम 1979 की परीक्षाओं में प्रारम्भ किया जा सका। यह भी व्यवस्था की गई कि विभिन्न भाषाओं में दिए गये उत्तरों के मूल्यांकन में समतुल्यता बनी रही। पहली बार नये प्रकार की परीक्षा प्रणाली से उत्तीर्ण होकर अधिकारी 1980 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आए। हिन्दी माध्यम के द्वारा भी अनेक अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा में आए जिनसे उनकी समस्याओं पर डॉ० हर्ष नन्दिनी भाटिया द्वारा लिए गए साक्षात्कार साप्ताहिक हिन्दुस्तान के 12 सितम्बर, 1982 के अंक में प्रकाशित हुए। इस प्रकार भारतीय भाषाओं के माध्यम से आने वाले अधिकारियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।

कोठारी समिति की अन्य सिफारिश के अनुसार कोई भी एक भारतीय भाषा का प्रश्न-पत्र अनिवार्य (उत्तर-पूर्वी राज्यों को इससे छूट दी गई) कर दिया गया है। इस प्रकार हिन्दी संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा को लिया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अधिकांशतः अभ्यर्थियों द्वारा हिन्दी भाषा को लिया जा रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनेक अहिन्दी भाषा-भाषियों द्वारा हिन्दी को अपनाया जा रहा है।

मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों में भी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इस परीक्षा के लिए आयोग ने जो पाठ्यक्रम तैयार किया है उसमें काफी सूझबूझ का परिचय दिया है। दो प्रश्न-पत्र रखे गए हैं :—

1. हिन्दी भाषा, 2. हिन्दी साहित्य। हिन्दी भाषा का पाठ्यक्रम मैं उद्धृत करना चाहूंगा जिससे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इन विषयों को उचित स्थान दिया जा सके। आवश्यकता तो इस बात की है इस पाठ्यक्रम के सन्दर्भ में बी० ए० के पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाए जिससे परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी लाभान्वित हों :—

1. अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारम्भिक हिन्दी की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं।
2. मध्यकाल के दौरान अवधी और ब्रजभाषा का, साहित्यिक भाषा के रूप में विकास।
3. 19वीं शताब्दी के दौरान खड़ी बोली हिन्दी का, साहित्यिक भाषा के रूप में विकास।
4. देवनागरी लिपि के साथ हिन्दी भाषा का मानकीकरण।
5. स्वाधीनता संघर्ष के दौरान हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास।
6. स्वाधीनता के बाद हिन्दी का, भारत संघ की शासकीय भाषा के रूप में विकास।
7. हिन्दी की प्रमुख बोलियों और उसका पारस्परिक सम्बन्ध।
8. मानक भाषा की प्रमुख व्याकरणिक विशेषताएं।

शताब्दियों की अंग्रेजी की जकड़ स्वतन्त्रता के बाद और अधिक मजबूत होती जा रही है, उसके स्थान पर भारतीय भाषाओं की स्थापना के लिए निरन्तर प्रयास करना पड़ा। अनेक विघ्न बाधाओं के होते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव 1954 में पारित किया, संसद के दोनों सदनों ने जो संकल्प 1968 में लिया वह संघ लोक सेवा आयोग में 1979 से कार्यान्वित किया जा सका। अभी तो यात्रा का प्रारम्भ मात्र हुआ है, आगे सरकारी कामकाज में शत-प्रतिशत हिन्दी को लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करना होगा और हिन्दी भाषा-भाषियों को समय-समय पर सूझ-बूझ का परिचय भी देना होगा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षाओं में 1969 से दो प्रश्न-पत्रों—निबन्ध तथा सामान्य ज्ञान—वैकल्पिक माध्यम की सुविधा का बहुत कम परीक्षार्थिओं ने लाभ उठाया। फिर भी सभी भारतीय भाषाओं में से हिन्दी के सर्वाधिक परीक्षार्थियों ने लाभ उठाया, जैसे निबन्ध के प्रश्न-पत्र में जिन्होंने लिखा : 877/1207 [1969], 791/1068 [1970], 932/1243 [1971], 1148/1489 [1972], 1566/2066 [1973], 1917/2506 [1974], 2098/2746 [1975], 2529/3253 [1976], 2933/3794 [1977]। यह उल्लेखनीय है कि यह संख्या निरन्तर बढ़ती गई और इस वर्ष 1983 के संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षाफल

के आधार पर 1982 की अन्तिम परीक्षा में जो भारतीय भाषाओं में 1308 उम्मीदवार बैठे, उनमें से 89 प्रतिशत का माध्यम हिन्दी था ।

संघ सरकार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश—दिल्ली ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे रखी है । उत्तर प्रदेश ने अक्तूबर 1947 ई० में विधान परिषद् में एक प्रस्ताव पारित कर राजभाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता दे दी थी और बाद में 26–1–1950 को भारत का संविधान लागू होने पर संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की भाषा भी हिन्दी को बना दिया गया । बाद में भी कई अधिनियम बनते रहे । बिहार ने सन् 1948 में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया । मध्य प्रदेश ने राजभाषा अधिनियम, 1957 बनाया जिसके फलस्वरूप 7 फरवरी, 1958 से हिन्दी का उपयोग अनिवार्य हो गया । वैसे इससे बहुत पूर्व मध्य भारत शासकीय भाषा विधान, 1950 के द्वारा समस्त शासकीय कार्यों के लिए हिन्दी राजभाषा घोषित की गई । राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1952 एवं राजभाषा अधिनियम, 1956 पारित किए । हरियाणा ने 26-1-1959 से हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी । हिमाचल प्रदेश ने सरकारी अधिसूचना द्वारा 26–1–1965 से हिन्दी को राजभाषा घोषित कर दिया था परन्तु 26–1–1971 से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने पर उसके विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया । इस प्रकार हिन्दी राजभाषा के रूप में उक्त छह राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में मान्यता प्राप्त है साथ ही सम्पर्क भाषा के रूप में पंजाब, महाराष्ट्र तथा गुजरात तथा अण्डमान निकोबार और चण्डीगढ़ (के० शा०) ने इसको मान्यता दे रखी है । इसको अपना पृथक् इतिहास है पर यह मानना पड़ेगा कि नियमतः शत-प्रतिशत राजभाषा हिन्दी में कार्य यदि इतने विशाल प्रदेश में होने लगे तो स्थिति काफी बदल सकती है । खेद है, अनुशासनिक कार्रवाई की (कुछ राज्यों में) व्यवस्था होते हुए भी स्थिति बहुत अधिक सन्तोषप्रद नहीं है ।

स्वतन्त्रता के बाद पिछले 36 वर्षों में हिन्दी में अपार साहित्य प्रकाशित हुआ है, राजभाषा के रूप में भी मौलिक तथा अनूदित साहित्य की रचना हुई है । द्विभाषिक स्थिति होने से कहीं हिन्दी कहीं अंग्रेजी और कहीं दोनों का प्रयोग करना पड़ता है । सरकार ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि टिप्पणी हिन्दी (प्रधान भाषा) अथवा अंग्रेजी (सहभाषा) किसी में भी लिखी जा सकती है और अनुवाद की आवश्यकता नहीं है । यह भी स्पष्ट किया गया है कि हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों को भेजे जाने वाले हिन्दी के पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद भेजने की आवश्यकता नहीं है । यह भी अधिनियम 1963 में स्पष्ट किया गया है कि यह देखा जाए कि जो व्यक्ति संघ के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवा कर रहे हैं, और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं, वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है ।

द्विभाषिक स्थिति में अनुवाद कार्य की पर्याप्त मात्रा को देखते हुए गृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक 'केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो' की स्थापना 1 मार्च, 1971 में की गई । ब्यूरो केन्द्रीय मंत्रालयों से सम्बन्धित कागजात, मैन्युअल कार्यविधि केन्द्रीय नियम आदि का अनुवाद करता है । समय-समय पर अनुवाद प्रक्रिया पर अनुवादकों का पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है जिससे सरकारी कामकाज करने में उन्हें सुविधा हो । ऐसे पाठ्यक्रम सन् 1973 से प्रारम्भ हुए और सन् 1980 तक 28 सत्र पूरे हो चुके थे ।

गैर-सरकारी तौर पर दो राजभाषा सम्मेलन हो चुके हैं । सरकारी तौर पर 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' 1-3 मार्च, 1978 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ । सम्मेलन काफी सफल रहा और उसने राजभाषा के विभिन्न पक्षों पर पैंतालिस सिफारिशें भी प्रस्तुत कीं जिन पर विचार-विमर्श होता रहता है । इस सम्मेलन की ही सिफारिश पर वर्ष 1978-79 राजभाषा वर्ष के रूप में मनाया गया । राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम भी बनाया जाता है । राजभाषा विभाग से 'राजभाषा भारती' का प्रकाशन भी सन् 1978 से प्रारम्भ हुआ है । राजभाषा विभाग का कार्यान्वयन एकक इन पर निगरानी रखता है । इस प्रकार प्रत्येक मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति, विभागीय कार्यान्वयन समिति, नगर कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति और सर्वोपरि गैर-सरकारी संस्था केन्द्रीय हिन्दी सचिवालय परिषद् के माध्यम से राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की देखभाल रखी जाती है । वैसे, बाधक तत्वों की कमी नहीं है फिर भी यदि भाषा के सरल तथा प्रवाही कामकाजी रूप को ध्यान में रखा जाए और अनुवाद के स्थान पर मौलिक लेखन को प्रोत्साहित किया जाएगा तो राजभाषा के रूप में हिन्दी का भविष्य आशावादी है ।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी,
मसूरी

महाराष्ट्र में उपलब्ध हिन्दी-गद्य के प्राचीनतम नमूने
चित्रगुप्त की बखर में हिन्दी-गद्य

डॉ० प्रभात

हिन्दी गद्य के संबंध में अंग्रेजी शासकों, भारत विद्या विशारदों (?) तथा भाषाविदों ने बहुत सी भ्रामक बातें फैलाई हैं। जार्ज गियर्सन जैसे साधक और समझदार लेखक ने अपने ग्रंथ "माडर्न लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान" में लिखा—

"It was the period of the birth of the Hindi language invented by the English and first used as a vehicle of literary prose composition in 1803 under Gilchrist's tuition, by Lalluji Lal the author of Prem Sagar".

एक अन्य अंग्रेजी विद्वान थे—आर० डब्ल्यू० फ्रेजर जिन्होंने भारतीय साहित्य का इतिहास लिखा था। (या उनके शब्दों में कहना चाहिए कि भारत का साहित्यिक इतिहास लिखा था—ए लिटरेरी हिस्ट्री आफ इंडिया)। इसमें उन्होंने साफ-साफ घोषणा की कि

"The modern Hindi language (Khadiboli or High Hindi) may be regarded in a manner as the creation of two Pandits—Lalluji Lal and Sadal Mishra".

(महाराष्ट्र में उपलब्ध हिन्दी गद्य के प्राचीनतम नमूने/ 149)

अंग्रेजी ही नहीं भारतीय विद्वानों में भी कुछ ऐसे थे, जो भारतीय इतिहास के सुसंस्कृत युग का जन्म आंग्ल महाप्रभुओं के पदार्पण से ही सिद्ध करना चाहते थे। नलिनीमोहन सान्याल जैसे विद्वानों ने आग्रहपूर्वक इसी मत को दुहराया है। पर यह सब साम्राज्यवादी मानसिकता या अज्ञान का परिणाम था। खड़ीबोली हिन्दी गद्य के जन्म के प्रमाण तो लगभग एक हजार वर्ष पूर्व के ग्रंथ "कुवलयमाला कहा" में मिल जाते हैं। उसके बाद इस गद्य की एक लम्बी परम्परा मिलती है, पर मध्यकालीन गद्य जिन हस्तलिखित प्रतियों में सुरक्षित है, उनकी प्रामाणिकता और लिपिकाल एक समस्या है। फिर भी इतना निश्चित सिद्ध हो जाता है कि इसकी एक अनवरत परम्परा रही है और यह परम्परा हिन्दी प्रदेश में ही नहीं, उसके बाहर भी जीवन्त रूप में आगे बढ़ती रही है।

महाराष्ट्र में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का इतिहास काफी प्राचीन है। यह संत काव्यधारा के प्रवर्तक नामदेव के युग से प्रारम्भ होता है। पर, आधुनिक युग में खड़ीबोली गद्य के जो प्रामाणिक ग्रंथ मिले हैं, विशेष कर प्रयोजनमूलक हिन्दी के, राज-काज (प्रशासन) के क्षेत्र में, उनमें हिन्दी गद्य की परम्परा के इतिहास में महाराष्ट्र का और भी उल्लेखनीय योग है। यहां शिवाजी के समय के अनेक पत्र उपलब्ध हैं, जिन में हिन्दी का प्रयोग है। उनके पश्चात् बखरों में हिन्दी के अंश मिलते हैं, जो राजकाजी प्रशासनिक हिन्दी के अहिन्दी प्रदेश में उपलब्ध प्राचीन-तम नमूने कहे जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में चित्रगुप्त के बखर के कुछ अंश यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं। चित्रगुप्त एक चिटणीस था, जिसने शिवाजी के जीवनकाल की घटनाओं का वर्णन "शिवाजी महाराजांची बखर" नामक ग्रंथ में किया है। उसकी इस बखर का मूलाधार है : "छत्रपति श्री शिवप्रभूंचे चरित्र" अर्थात् 'कृष्णजी अनंत सभासदाची बखर')।

मराठी में शिवाजी के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में तीन 'बखरें' प्रसिद्ध हैं। एक है "शिव छत्रपति चरित्र" जिसके लेखक मल्हार रामराव चिटणीस हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के प्रामाणिक प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से यह विशेष विश्वसनीय नहीं मानी जाती। इसमें लेखक ने मूलग्रंथों तथा पत्रों और रिकार्डस की चिंता किए बिना तथ्य और कल्पना का एक मिश्रण प्रस्तुत कर दिया है। काल की दृष्टि से भी यह सबसे नई है। सबसे प्राचीन बखर है "91 कलमी बखर" जिसे दत्तो विलमल वाकेनवीस ने 1685 ई० के आस-पास रचा था और 40 वर्ष बाद 1725 ई० के लगभग खण्डो अण्णजी मलकरे (मंत्री) ने उसकी प्रतिलिपि तैयार की थी। (यह बड़ौदा से 1930 में प्रकाशित हुई है)। तीसरी बखर इन दोनों से अधिक लोकप्रिय है और यह है कृष्णजी अनंत सभासद रचित। इसे दक्षिण अरकाट जिले में स्थित जिंजी के किले में शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजाराम की आज्ञा से 1697 ई० में तैयार किया गया था। इसके कितने अंश विश्वसनीय हैं, इस विषय पर काफी चर्चा हुई। डॉ० जदुराय सरकार जैसे इतिहासकार का मत है

---

1. उसमें मध्यप्रदेश के वणिक की भाषा का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि वह ऐसे बोलता है—'तेरे-मेरे-आम्हो रे'

"Sabhasad's history is entirely derived from the memory—the half obliterated memory of an old man who had passed through many dangers and hardships. But Sabhasad's book is still the most valuable account of Shivaji".

इसी ग्रंथ को चित्रगुप्त नामक व्यक्ति ने विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है, ठीक उसी तरह जैसे नाभादास के भक्तमाल को प्रियादास ने अपनी टीका के साथ संपादित किया था। इस लेखक का पूरा नाम है "रघुनाथ यादव चित्रगुप्त"। शिवाजी महाराज के एक प्रसिद्ध समर्पित साथी थे "बालाजी आवजी", चिटणीस। उनके पुत्र संभाजी की आस्था बहुत जल्दी हिल जाती थी स्वामी की किसी आशंका के कारण (पर कदाचित किसी बिना अपराध के) आवजी राजकोप के शिकार हो गए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उन्हीं का पौत्र था चित्रगुप्त। वास्तव में इस संवेदनशील व्यक्ति को शैशव से ही आतंक में जीना पड़ा था। और दो पीढ़ियों का भय उसकी शिराओं में व्याप्त था। इसलिए उसने एक छद्म नाम रखा "चित्रे" जो उसके व्यवसायिक नाम चिटणीस से कुछ मिलता-जुलता था। (उसका जीवनकाल है 1708–1761 ई०) इसी नाम से वह कोल्हापुर रियासत के संभाजी महाराज (1693–1760 ई०) के दरबार में चालीस वर्ष तक चिटणीसी (चिट्ठीनवीसी) करता रहा। उसने सन् 1761 ई० में अपने ग्राम तोरगल में प्रस्तुत बखर की रचना की। इस व्यक्ति ने अपनी बखर में बातचीत के रूप में कुछ हिन्दी के वाक्य उद्धृत किए हैं। इतने विस्तार से यह बात कहने का आशय यही है कि चित्रगुप्त एक ऐसा लेखक था, जो मराठी परिवार की राजनीति के केन्द्र में रहता था और तीन पीढ़ियों से ऐसी सेवा का कार्य (चिट्ठीनवीसी) करता था, जिससे उस युग में उसे मराठा राजपुरुषों द्वारा प्रयुक्त भाषा का बड़ी अन्तरंगता से ज्ञान था। मराठी में विवरण देते समय उसने यों ही अकारण हिन्दी का प्रयोग नहीं किया है। वह यह जानता था, कि मराठे सरदार मुसलमान सामंतों से बात करते थे, तो मराठी की जगह मिश्रित हिन्दी का प्रयोग करने लगते थे। यह परम्परा बहुत पुरानी है। एकनाथ के भारूड़ों में ब्राह्मण लोग मराठी भाषा बोलते हैं, पर मुसलमान खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं।

शिवाजी परिवार के एक चिटणीस द्वारा लिखी गई इस बखर में प्रयुक्त हिन्दी का महत्व इसलिए है कि वह आज से दो सौ वर्ष पहले मराठी सरदारों द्वारा प्रयुक्त हिन्दी के प्रामाणिक नमूनों का रिकार्ड सुरक्षित करके यह बताती है कि उन दिनों हिन्दी उत्तर की ही भाषा नहीं थी, दक्षिण में भी चल रही थी। आज इस सत्य के साथ ही इस बात को सामने रखें कि 200 साल पहले बंगाल में वररुचि ने व्यापारिक पत्रों के जो नमूने दिए हैं, उनमें छह पत्र हिन्दी में दिए हैं, तो यह बात सामने आ जाती है कि आज से 2–3 शती पूर्व के बंगाल और महाराष्ट्र प्रदेश इस बात के प्रमाण हैं कि खड़ी बोली हिन्दी संतों और सूफियों की कविताएं संगीतज्ञों की महफिलों में ही विराजमान नहीं थी, शासन और व्यापार के क्षेत्र में भी उसका प्रयोग हो रहा था। यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि जहां साहित्य और संगीत ब्रजभाषा का अलंकृत दामन नहीं छोड़ रहे थे, वहां व्यापार तथा राज काज ने लोक-जीवन में प्रचलित खड़ी बोली को अपना लिया था। यह स्थिति हिन्दी के आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेन्दु से सौ साल पहले की है, जब अंग्रेजी के कदम भारत की भूमि पर जमे नहीं थे। यह भ्रम वस्तुतः अंग्रेजों ने एक राजनीतिक चाल के रूप में जान बूझकर फैलाया कि हिन्दी कोई भाषा नहीं है और फोर्ट विलियम कालेज में गिलकाइस्ट की प्रेरणा से 'लल्लूजी' इसे बना रहे हैं। वैसे तो यह सच्चाई इसी बात से सामने आ जाती है कि राजनीति की खातिर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कालेज खोला कलकत्ते में, पर उन्होंने कलकत्ते या बिहार या मथुरा-आगरा की बोलियों को (यहां तक किपरिनिष्ठित ब्रजभाषा को जो साहित्य संगीत धर्म की प्रतिष्ठित भाषा थी) छोड़कर खड़ी बोली को पढ़ने-पढ़ाने की व्यवस्था की। हिन्दी अगर लोक-जीवन द्वारा स्वीकृत न होती तो अंग्रेजी राजनीति फोर्ट विलियम में न हिन्दी का विभाग खोलती और न हिन्दी के मुंशियों की नियुक्ति करती।

यह बखर एक सवाल और उठाती है। इनमें कहीं शिवाजी के मित्र कवि 'भूषण' का उल्लेख नहीं है। भूषण तो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने शिवाजी के चरित्र को अखिल भारतीय स्तर के राष्ट्रीय संघर्ष के नायकत्व से जोड़ने का प्रयत्न किया था और उन्हें राष्ट्र व्यापी ख्याति दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिवा के ऐसे समर्पित राजकवि के नाम का उनके जीवनचरित्र में उल्लेख भी न हो, यह देखकर शंका यह होती है कि शिवा का भूषण से सीधा संपर्क था तो था नहीं और यदि था तो बहुत संक्षिप्त और दूर का था। भूषण के ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां और भूषण के अपने उल्लेखों की प्रामाणिकता से यह सिद्ध हो जाता है कि भूषण शिवाजी के दरबार में आए थे। कवि चिंतामणि अकबर-साहि या उनके पिता के दरबार में गए थे, इसका पता केवल उनकी श्रृंगारमंजरी से लगता है जिसपर उन्होंने 'बड़े शाह अकबरशाह' का नाम रचयिता के रूप में लिख दिया है; और इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि 'बड़े अकबरशाह कृत कही जानेवाली' (संस्कृत श्रृंगारमंजरी में केशव की रचनाओं के उल्लेख हैं, जो उस समय आंध्रभाषा देश में चिंतामणि के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता था, पर इतिहास ग्रंथों ने चिंतामणि का कोई नोटिस नहीं लिया गया। श्री शिवाप्रभूचें चरित्र (सभासदाची बखर) में जो उल्लेख है—पुरुषोत्तक कवि तथा परमानन्द कवि के, वे बखर के संपादक श्री वि० स० वाकसकर द्वारा पाद-टिप्पण में दिए गए हैं। मूल ग्रंथ में कवियों को कोई स्थान नहीं

---

1. समाप्ति पर लिखा है ..... हो बखर संपूर्ण जाहीली। चैत्र शद्ध प्रतिपदा। ते दिवशी वर्णन समाप्त झालें। ईश्वर संवत्सर–मुक्काम चंदी शालिवाहन शके। 1616 (त) जाहली कल्लें पाहिजे। .....।
   यह तिथि 16 मार्च, 1697 को पड़ी थी पृष्ठ 104
2. शिवप्रभूचें चरित्र, पृष्ठ 4
3. इस बखर में शिवाजी के प्रिय घोड़ों तथा सिपाहियों के उल्लेख हैं, पर भूषण कवि का नाम नहीं है।

है। अतः बखरों में भूषण का अनुल्लेख[2] न शिवा भूषण के सम्पर्क के सामने प्रश्न चिन्ह ।

बखर के संबंध में एक बात पर विचार कर लेना अप्रासंगित नहीं होगा और वह है इस शब्द का मूल अर्थ।

मराठों में बखर की व्युत्पत्ति के संबंध में बहुत मतभेद है। राजाओं के जीवनवृत्त को प्रशंसात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ प्रायः बखर कहलाते हैं। प्राचीनकाल में राजा लोग अपने जीवनवृत्त लिखवाने के लिए लेखक रखते थे। अमीर खुसरो जैसे महान लेखक ने यह काम किया है। कल्हण की राजतरंगिणी तथा वाणभट्ट कृत हर्षचरित संस्कृत के ऐसे ही चरित्र ग्रंथ हैं, पर शिवाजी के जीवन चरित्र से संबंधित विवरणात्मक ग्रंथों के लिए 'बखर' शब्द कहां से आया, यह ठीक पता नहीं है। मेरा एक अनुमान है कि 'बखर' या तो संस्कृत के "वाक्यकर" शब्द से बना है, जिसका अर्थ है, झूठी या तरह-तरह की बातें "बनाने-वाला।" या 'वागर' से। वागर के अनेक अर्थों में ये भी दो अर्थ हैं: पंडित और मुमुक्ष (सं०) वाक् ऋ (प्राप्त होना आदि) अंच) आप्टे के कोश के अनुसार "वागर" के अर्थ हैं: संत, पवित्र मानव आदि।[2] इसलिए यह असंभव नहीं है कि जब संस्कृत का "वागर" (विद्यमान) या वाक्यकर (बातें बनानेवाला) लेखक के रूप में सामने आया तो उसकी रचना लोक भाषा में बकर या बखर कहलाने लगी।

मगर मुझे यह प्रतीत होता है कि "बखर" मराठी में अरबी और फारसी की परम्परा से मुगलों के माध्यम से आया। एक संभावना तो यह है कि अरबी का "खबर" शब्द वर्ण विपर्यय के कारण "बखर" बन गया। देशी भाषा में गद्य-पद्य-मय इतिहास (विशेषकर गद्य में), जीवनवृत्त या ऐतिहासिक अभिलेख "बखर" कहलाता है। मराठी हिन्दी शब्दकोष भी इसी मत का समर्थन करता है और बखर के अर्थों में "खबर या समाचार" का उल्लेख करता है। मगर इससे भी अधिक संभावना मैं यह समझता हूं कि बखर शब्द अरबी के "वकरअत" का संक्षिप्त रूप हैं। इसका अर्थ है "शक्ति, बल, ताकत, महत्व, मान-मर्यादा।" राजाओं की शक्ति और महत्ता का वर्णन करने वाले ग्रंथों के लिए यह अरबी शब्द प्रायः प्रयुक्त होता था।

सामान्यतः । ऐन जो अबबी बकरअ में 'अ' के रूप में है, भारत में बोली नहीं जाती। यही 'बकरअत' अन्तिम वर्ण के लोप के कारण "बकर" या बखर बन गया। हिन्दी में भी यह शब्द लोक-जीवन में विभिन्न अर्थों में प्रचलित है। "बकर–बकर करना" गांव का आदमी भी जानता है। आप इसका प्रयोग कहीं भी उस कथन के लिए सुन सकते हैं, जिसे श्रोता व्यर्थ की कोटि में समझता है। "बखर" की अन्य जो विद्वत्तापूर्ण व्युत्पत्तियां की गयी हैं, (भाष् आदि से) वे बहुत सही प्रतीत नहीं होती।

चित्रगुप्त की बखर के हिन्दी अंश[1]

जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है "चित्रगुप्त का बखर" का महत्व हिन्दी की दृष्टि से इसलिए है कि यह ग्रंथ दो ढाई सौ वर्ष पुरानी उस हिन्दी के नमूने अपने में सुरक्षित रखे है, जो महाराष्ट्र के राजपुरुष या उनके बखर लेखक प्रायः प्रयुक्त करते थे। यह ग्रंथ पहले "काव्येतिहास माला" में प्रकाशित हुआ था। इसमें गद्य और पद्य (कविता) दोनों के अंश हैं। इस बखर के कतिपय हिन्दी अंश यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं। (बखर के हिन्दी प्रयोग मोटे टाइप में दिए गए हैं।)

000 000 000

तेव्हां सर्धानी अर्ज केला० जे, शाहाजी राजे पादशो अमीर असता त्यांचे पुत्र शिवाजी राजे बदराहा वर्तणूक करितात हा कोण विचार? हरामखोरास शासन करावें।

म्हणून तो परवाना पाहून शाहाजी राजे धाबरे होऊन यास विचार कांय? इतराजी जाहालियावरि आपणांस पादशाहींत अणुमात्र जागा नाहीं। असें बोलोन अर्जदाप्त लिहिले जे, "शिवाजी राजे मेरे बेटे खरे। परन्तु आपणांस विधडून मेरी बात सुनत नहीं। बेदिल होकर गया। मेरे हुकुममे नहीं। इस वास्ते हमारा कुच इलाज चलता नहीं। हम हजरत पादशाहा बंदा हूं। मेरो तकसीर बिलकूल नहीं। मेरा गुन्हा अछेगा तो दिलाज्यान से हजर पादशाही जेनावमें होतां हूं इस बात में मेरे तरफ से कुच देर नहीं है। हूकूम हुआ तो हजर होता हूं। हजरतेने शिवाजी कू जित पकड़ लाना। मैं नाहक दरम्यान आया तो मेरा मुलाहिजा मत रखना। मेरो तकसीर हजरत के पावसे हरगीज नहीं। शिवाजी कू तंबीह देकर हुकूममें लाना। ही मेरी अर्ज सुनना दूसरी बात जानता नहि।" अशी लिहून शाहाजी राजे यांनी पादशाहाचे हुजुर पाठविली[1]।

000 000 000

"आधींच कैफदार मद्य सेवून, तन्मुलें देहभाव विसरोन अज्ञानपणें अविचारें दत्ताजीपंताजवल बोलो लागला, "शिवानें तरवारके जोर जादा दौलत कमाई। सब् पादशाही मुलुक खराव करुन गड कोट किल्ले जबरदस्तीन थेऊन पादशाही की खराबी केली। ऐशी सदर की बाल जाह बलम्पन्हा दिल्ली के बादशाह और बड़े-बड़े हिंदू राजनकू और दक्खन के पादशाह हैदराबाद तानाशाह व बेदर व दौलतावाद व बिजापुरका अल्ली अदलशाह पादशाहकु मी नहीं। सदरेचे मांडणीची तारीफ अजद। सन् सुनेरी कपडे आर मोतनके धोंस जडजडाव पाहून खान दंग जहाला"[2]

000 000 000

1. काव्येतिहास संग्रह (26) चित्रगुप्त विरचित शिवाजी महाराजाची बखर, संपादक व प्रकाशक: काशिनाथ नारायण साने, बी० ए०
2. कहा जाता है कि 1924 ई० में प्रकाशित चिटणीस बखर (सप्त प्रकरणात्मक चरित्र) में निम्नलिखित पंक्तियां मिलती हैं : "पेशवे सुरनीस चिटणीस उवीर, राजाज्ञा सार सेनापति, भूषण पंडित विद्या अध्ययन वैदिका नमन माझे असो" ।।5।। इसमें तुकारामजो ने शिवाजी को पत्र लिखते समय भूषण कवि को 'भूषण पंडित' कहा है। इस बखर के उल्लेखों की प्रामाणिकता अनिश्चित है।

गोष्टी महाराजांच्या खानाने ऐकून, परम श्रोधायमान होउन, मित्रभाव टाकून, अद्वातद्वा मनस्वी खावंदगिरी पेशाने बोलों लागला। यद्यपि सदन पाहतां येणेंप्रमाणें। यदर्थी श्लोक :—

शीवा तूं बरजोर क्यों कर हुवा मैं अफजला देखयो।
चलना ईस घडी हुकूम तुजकू है पैरवी रे कियो॥
मेरो बात सूनो मजाख न कियो जाने बचेगी शिवा।
पाच्छाहा इतराजिमों मत अयो कीयो वडे की दुवा॥ 1॥

शीवा तूं बदमस्त क्यौं कर हुवा तूरा लगाया बडा।
हाता ले तरवार अफजल अया शौताब होना खडा॥
कुणबी होकर तूं मजाख समजूं है बात जानो बुरी।
चलना ईस घडी डरो मत शिवा कोई न बाजा पुरी॥ 2॥

पाच्छाही सब छीन लेकर शिवा बेमान क्यों रे हुवा।
दर्या अफजल (वा) वडा वजिरमों किस्सान ते रे कुवा॥
पकडो हिम्मत जांदगी इस घडी जोर सें रे अया।
कीयो रोषन पैरवी अखनसो यह सून मेरा कहा॥ 3॥

शोवाक बरजोर माकुल नही गाफील क्यों रे हुवा।
दिखियों अफजलका दिदार अखर जानिसे ते रे मुवा॥
जादा हेतुलबात रोष किय येही बात क्यौ रे करो।
पाच्छा सें बडि जादगीच करिया कस्सिान ते रे बुरी॥ 4॥

ऐरे अफजल बाग हो कर अया देखो शिवा येह धर्डी।
अब तेरे सपडा मजाख न चले कैदेंत होरे दडो॥
नखरा ते सब छोड दे मज कियो जाने वचेगी शिवा।
पाच्छा के दरबंदगीस चलना देखो अछी रे हुवा॥ 5॥"

000 000 000

"महाराज स्वीस्तक्षेम आले। फत्ते करुन आलियाचें वृत्त राजगडास कलतांच तोफेचो सरबत्ती जहाली। जहान थोर समस्त जनांस परमानन्द जहाला। ते श्लोक :—

पाछाके दर बंदगीस अब मैं जाता नहीं ये घडी।
शस्तीको इरशा लगोच दिलमों जानो हमेशा बडी॥
जानी दौलत की न होचि मजकूं आशा कमू प्यार से।
शोवा है बरजोर रोशन कियो ज्यानोच ईमानसे॥ 2॥[2]

000 000 000

"त्या बरहुकूम वर्तन असतां गाफलपणें नामोहरम होऊन भागकर आये। हमारी बात सुनी नहीं। मोहीम सुरु न करितां माधारे आले आम्ही या गोसटीस काय कराव? इसबाव हमारी तकशीन नहीं। हम पादशाहा के दौलत की भलाई चहाते हों। उमदे पादशाहानें अमीर बड़ा अमीरुल उमराव देणें याजबराबर जाऊन खस्त होऊं" ऐसे म्हणतांच त्यास मागती दीलदिलासा होऊन पूर्वील जहागिरी करार करन बहुत खूष जहाले"[3]

000 000 000

"ऐसा करार जाहलियावरि उभयतांनी कुरनिशात करुन बर्ज केला जे, "आम्ही हजरतीचे दुवागीर। हमारे बड़े तागायत बादशाहाजे कदमों की तफावत केली नाहीं. आमचा करार जीव जमीयतनिशीं पादशाहा के दौलतकेवास्ते खर्च हो ना, और कुच जानते नहीं. शिवाकी क्या मुजाख? हम सब दक्खन काबीज पादशाहाके मेहेरसे करेंगे। ये हिमत हजरतकू रोषन है। शिवाकू पकड़लाते हैं। और इस बाबें हमारे बर्ज शिवा इमानसे दर बंदगी के हजर हुवा तो सब तक्शीर माफ करुन जादा दौलत देऊन बढती करावी। हमारेपर नेक नजर देऊन शिवाका भला केल्यानें अछी बात। इस बाबें हमारे शीरपर हात रखना। शिवाजीस हजर करितों. न व दि गरकेत्यास कौसिसहित खर्च होतों, हा करार आमचा।"[4]

000 000 000

बखर की भाषा की विशेषताओं को भाषा विज्ञान या शैली-विज्ञान की दृष्टि से विवेचन करने की आवश्यकता मैं यहां नहीं समझता। यह काम आवश्यक है और होना चाहिए, पर इस समय बखर में प्रयुक्त गद्य के इस अंश को प्रस्तुत करने का एकमात्र लक्ष्य यह स्पष्ट करना है कि महाराष्ट्र में शिवाजी के काल में हिन्दी खड़ी बोली राजकीय धरातल पर अन्तर्राज्यीय प्रयोग की भाषा बनने लगी थी। अगर केन्द्रीय तथा बड़े प्रादेशिक शासकों से शिवाजी को कुछ कहना होता था, तो वे हिन्दी का सहारा लेते थे। बखरें इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है। जैसे बंगाल में उपलब्ध वररुचि के 'पत्र' यह बताते हैं कि दो शताब्दियों के पूर्व बंग-देश में व्यापारिक पत्रकला जानने के लिए हिन्दी पत्र लेखन सीखना आवश्यक माना जाता था, उसी तरह बखर में प्रयुक्त शिवाजी की भाषा यह स्पष्ट कर देती है कि ढाई तीन सौ वर्ष पूर्व महाराष्ट्र ने अन्तप्रादेशिक बात-चीत के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में राजकीय धरातल पर हिन्दी को सहज रूप में स्वीकार कर लिया था। आज भी विरोध नहीं है और यदि विसंवादी स्वर कहीं सुनाई पड़ता है, तो उसके कारणों की खोज राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में होनी चाहिए। □ □ □

प्रोफेसर, बम्बई विश्वविद्यालय

1. शिवाजी महाराजांची बखर, पृष्ठ 7
2. वही, पृ० 21
1. वही, पृष्ठ 25
2. वही, पृष्ठ 43–44
3. वही, पृष्ठ 46
4. वही, पृष्ठ 113

पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में

देवकीनन्दन खत्री

(हिन्दी के पाठकों को देवकीनन्दन खत्री (1861–1913) का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। देवकीनन्दन खत्री का उपन्यास "चन्द्रकांता" इतना लोकप्रिय हुआ था कि अनेक लोगों ने उसे पढ़ने के लिये हिन्दी सीखी थी यह तथ्य सब जानते हैं। चन्द्रकांता संतति की रचना करते समय देवकीनन्दन खत्री ने जो कहा था वह आज भी विचारणीय है।)

"जिस समय मैंने चन्द्रकांता लिखनी आरम्भ की थी उस समय से इस समय में बड़ा अंतर है। हिन्दी के साहित्य में उस समय कविवर प्रतापनारायण मिश्र, पंडितवर अम्बिकादत्त व्यास जैसे धुरंधर किन्तु अनुद्धत सुकवि और सुलेखक विधमान थे। राजा लक्ष्मणसिंह जैसे सुप्रतिष्ठित पुरूष हिन्दी को सेवा करने में अपना गौरव समझते थे. परन्तु अब न वैसे धार्मिक कवि हैं और न वैसे सुलेखक। उस समय हिन्दी के लेखक थे परन्तु ग्राहक न थे, इस समय ग्राहक हैं पर वैसे लेखक नहीं हैं। मेरे इस कथन का यह मतलब नहीं है कि वर्तमान समय के साहित्य सेवी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हैं, बल्कि यह मतलब है कि जो स्वर्गीय सज्जन अपनी लेखनी से हिन्दी के आदि युग में हमें ज्ञान दे गये हैं वे हमारी अपेक्षा बहुत चढ़-बढ़ कर थे। उनकी लेख प्रणाली में चाहे भेद रहा हो परन्तु उन सब का लक्ष्य यह था कि इस भारत भूमि में किसी तरह मातृ भाषा का एकाधिपत्य हो, लेकिन यह कोई नियम की बात नहीं है कि वैसे लोगों से कुछ भूलें हो ही नहीं, उनसे भूल हुई तो यही कि प्रचलित शब्दों पर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया, राजा शिवप्रसाद जी के राजनीति के विचार चाहे कैसे ही रहे हों पर सामाजिक विचार उनके बहुत ही प्रांजल थे और वे समयानुकूल काम करना जानते थे, विशेषतः जिस ढंग की हिन्दी वे लिख गये हैं उसी से वर्तमान समय में हिन्दी का रास्ता कुछ साफ हुआ है।

"चाहे कोई हिन्दू हो चाहे जैन या बौद्ध हो और आर्यसमाजी व धर्मसमाजी हो क्यों न हों परन्तु जिन सज्जनों के माननीय अवतारों और पूर्वजनों ने इस पुण्यभूमि का अपने आविर्भाव से गौरव बढ़ाया है उनमें ऐसा अभागा कौन होगा जो पुण्यता और मधुरता मुक्त संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रचार चाहेगा। मेरे विचार में किसी विवेकी भारत सन्तान के विषय में केवल यह देख कर कि वह विदेशी भाषा के शब्दों का प्रचार कर रहा है यह गढ़न्त कर लेना कि वह देववाणी के पवित्र शब्दों का विरोधी है भ्रम ही नहीं किन्तु अन्याय भी है। देखना यह चाहिये कि ऐसा करने से उसका मतलब क्या है। भारतवर्ष में आठ सौ वर्ष तक विदेशी यवनों का राज्य रहा है। इसलिये फारसी और अर्बी के शब्द हिन्दू समाज में न 'पठेत यावनी भाषा' की दीवार लांघ कर उसी प्रकार घुसे जिस प्रकार हिमालय के उन्नत मस्तक लांघ कर वे स्वयं आ गये, यहां तक कि महात्मा तुलसीदास जी जैसे भगवद्भक्त कवियों को भी "गरीब निवाज" आदि शब्दों के बर्ताव दिल खोल कर करना पड़ा।

"आ सौ वर्ष के कुसंस्कार को जो गिनती के दिनों में दूर करना चाहते हैं उनके उत्साह और साहस की प्रशंसा करने पर भी हम यह करने के लिये मजबूर हैं कि वे अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग नहीं करते बल्कि जो कुछ वे कर सकते थे उससे भी दूर हटते हैं। यदि ईश्वरचन्द्र विद्यासागर सोधे-सोधे शब्दों से बंगला में काम न लेते तो उत्तर काल के लेखकों को संस्कृत शब्द के बहुत प्रचार का अवसर न मिलता और यदि, "राजा शिवप्रसादी हिन्दी" प्रगट न होती तो सरकारी पाठशालाओं में हिन्दी के चन्द्रमा की चांदनी मुश्किल से पहुंचती। मेरे बहुत से मित्र हिन्दुओं की अकृतज्ञता यों वर्णन करते हैं कि उन्होंने हरिश्चन्द्र जी जैसे देश हितैषी पुरूष की उत्तम-उत्तम पुस्तकें नहीं खरीदीं, पर मैं कहता हूँ कि यदि बाबू हरिश्चन्द्र अपनी भाषा को थोड़ा सरल करते तो हमारे भाइयों को अपने समाज पर कलंक लगाने की आवश्यकता न पड़ती और स्वाभाविक शब्दों के मेल से हिन्दी की पैसिंजर भी मेल बन जाती। प्रवाह के विरुद्ध में चलकर यदि कोई कृतकार्य हो तो निःसन्देह उसकी बहादुरी है परन्तु बड़े-बड़े दार्शनिक पंडितों ने इसको असम्भव ठहराया है। सार सुधानिधि और कवि वचन सुधा की भाषा यद्यपि भावुक जनों के लिये आदर की वस्तु थी परन्तु समय के उपयोगी न थी। हमारे "सुदर्शन" की लेख प्रणाली के धुरन्धर लेखकों और विद्वानों ने प्रशंसा के योग्य ठहराया है परन्तु साधारणजन उससे कितना लाभ उठा सकते हैं, यह सोचने की बात है। यदि महाकवि भयभूति के समान किसी भविष्य पुरुष की आज्ञा हों पर ग्रन्थकारों और लेखकों को यत्न करना चाहिये तब तो मैं सुदर्शन सम्पादक पंडित माधव प्रसाद मिश्र को भी भविष्य की आशा पर बधाई देता हूँ और यदि ग्रन्थकारों का भविष्य की अपेक्षा वर्तमान से अधिक सम्बन्ध है तो निःसन्देह इस विषय में मुझे आपत्ति है।

किसी दार्शनिक ग्रन्थ वा पत्र की भाषा के लिये यदि किसी बड़े कोष को टटोलना पड़े तो कुछ परवाह नहीं परन्तु

साधारण विषयों की भाषा के लिये भी कोष की खोज करनी पड़े तो निःसन्देह खेद की बात है। हमारी हिन्दी किसी श्रेणी की हिन्दी है, इसका निर्द्धारण में नहीं करता परन्तु यह मैं नहीं मानता हूँ कि इसके लिये कोष की तलाश करनी नहीं पड़ती। चन्द्रकांता के आरम्भ के समय मुझे यह विश्वास न था कि उसका इतना अधिक प्रचार होगा, यह मनोविनोद के लिये लिखी गई थी पर पीछे लोगों का अनुराग देखकर मेरा भी अनुराग हो गया और मैंने अपने विचारों को जिनको मैं अभी तक प्रकाश नहीं कर सका फैलाने के लिये इसी पुस्तक को द्वार बनाया और सरल भाषा में उन्हीं मामली बातों को लिखा जिसमें मैं उस मनोहर मंडली का प्रिय पात्र बन जाऊं जिनके हाथ में भारत का भविष्य सौंप कर हमें इस असार से विदा होना है। मुझे इस बात से बड़ा हर्ष है कि मैं इस विषय में सफल काम हुआ और मुझे ग्राहकों की अच्छी श्रेणी मिल गई। यह बात बहुत से सज्जनों पर प्रगट है कि चन्द्रकांता पढ़ने के लिये बहुत से पुरुष नागरी की वर्णमाला सीखते हैं। जिनकों कभी हिन्दी सीखना न था उन लोगों ने भी इसके लिये हिन्दी सीखी है।

'हिन्दी के हितैषियों में दो प्रकार के सज्जन हैं। एक तो वे जिनका विचार यह है कि चाहे अक्षर फारसी क्यों न हों पर भाषा विशुद्ध संस्कृत मिश्रित होनी चाहिये और दूसरे वे जो यह चाहते हैं कि चाहे भाषा में फारसी के शब्द मिले ही हों पर अक्षर नागरी होने चाहिये। पहले पक्ष में पंजाब के आर्य समाजियों और धर्म सभा वालों को मान लेता हूँ जिनमें वर्णमाला के सिवाय फारसी अरबी को कुछ सहारा नहीं है। सब कुछ संस्कृत का है और दूसरे पक्ष में मैं अपने को ठहरा लेता हूँ जो इसके ठीक विपरीत है। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि जिस प्रकार फारसी वर्ण माला उर्दू का शरीर और अरबी फारसी के उपयुक्त शब्द उसका जीवन है ठीक उसी प्रकार नागरी वर्ण-माला हिन्दी का शरीर और संस्कृत के उपयुक्त शब्द उसके प्राण कहे जा सकते हैं। यदि यह देश यवनों के अधिकार में न हुआ होता, यदि कायस्थादि हिन्दू जातियों को उर्दू भाषा का प्रेम अस्थि मज्जागत न हो गया होता तो हिन्दी का शरीर और जीवन पृथक पृथक दिखलाई न देता। उसी प्रकार हमारे ग्रन्थों की सजीव उत्पत्ति होती जिस प्रकार द्विज बालकों की होती है। शरीर में यदि आत्मा न हो तो वह बेकार है और यदि आत्मा को मनुष्यादि उपयुक्त शरीर न मिलकर पशु पक्षी आदि को मिल जाय तो वह भी निष्फल ही है। इसलिये पहले शरीर बनाकर फिर उसमें आत्मादेव का स्थापन करना ही न्याय युक्त और फलप्रद है। "चन्द्रकांता और सन्तति" में यद्यपि इस बात का पता नहीं लगेगा कि कब और कहां भाषा का परिवर्तन हो गया परन्तु उसके आरम्भ और अन्त ठीक वैसा ही परिवर्तन पावेंगे जैसा बालक और वृद्ध में। एकदम बहुत से शब्दों का प्रचार करते तो कभी सम्भव न था कि उतने संस्कृत के शब्द हम कुपढ़ ग्रामीण लोगों को याद करा देते जिनके निकट काला अक्षर भैंस के बराबर था हमारे इस कर्त्तव्य का आश्चर्य मय फल देखकर वे लोग भी बोधगम्य उर्दू के शब्दों को अपनी विशुद्ध हिन्दी में लाने लगे हैं जो आरम्भ में इसीलिये हम पर कटाक्षपात करते थे। इस प्रकार प्राकृतिक प्रभाव के साथ साहित्य सेवियों की सरस्वती का प्रभाव बदलता देखकर समय के बदलने का अनुमान करने कुछ अनुचित नहीं है। जो हो भाषा के विषय में हमारा वक्तव्य यही है कि वह सरल हो और नागरी वर्णों में हो क्यों कि जिस भाषा के अक्षर होते हैं, उनका खिचाव उन्ही मूल भाषाओं की ओर होता है जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है।"

2 मदनमोहन मालवीय

(29 मार्च, 1918 हिन्दी के प्रसार और प्रचार का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन इंदौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 8वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का अध्यक्षीय भाषण महात्मा गांधी ने दिया था। इस 8वें सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय जी उपस्थित नहीं हो सके थे किन्तु उन्होंने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में मालवीय जी ने जो मुद्दे उठाये थे वे आज भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।)

प्रिय भाई गांधी जी,

मुझे खेद है कि अब तक हिन्दी के विषय में आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। मुझे क्षमा कीजिएगा। अवकाश नहीं मिला था। आपको तो मालूम ही है कि मेरा यह मत है कि हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। बहुत अंश में वह अब भी है। उर्दू हिन्दी का एक विशेष रूप मात्र है और यदि कठिन संस्कृत, अबीं या फारसी के शब्द उसमें बहुतायत से काम में न लाये जायें तो जो लोग उसको एक रूप में समझ सकते हैं वह दूसरे रूप में भी समझ लेंगे। संस्कृत से निकली मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया आदि भाषाओं से इसका निकट का सम्बन्ध है। इसलिए मद्रास प्रांत को छोड़कर और सब प्रांतों के लोगों को उसका समझना कठिन नहीं। कुछ पादरियों ने लिखा है कि मध्य एशिया में भी बहुत दूर तक हिन्दी अथवा सरल उर्दू जिसे हिन्दुस्तानी कहते हैं, समझी जाती है।

पुराने समय में, जब हिन्दुस्तान में स्वदेशी राजाओं का राज्य था, संस्कृत राष्ट्रभाषा थी, पीछे प्राकृत थी। यदि इस देश में फिर स्वराज्य स्थापित होना है—जैसा कि हम आशा करते हैं कि शीघ्र होगा—तो यह आवश्यक है कि वह देशी भाषा, जिसको देश के सबसे अधिक लोग समझ सकते हैं, राष्ट्रभाषा मान ली जाए और दिन दिन सब प्रांतों के पढ़े लिखें लोग उसमें लिखने और बोलने का अभ्यास करें। संसार की वर्तमान राजनीति दिशा में जब 'जिसका लोहा उसका देश' यह सिद्धांत प्रचण्ड रूप में गरज रहा है। हिन्दुस्तान अपनी रक्षा और उन्नति तभी कर सकेगा जब इसका शासन वर्तमान के समान राष्ट्र के रूप में रहेगा। प्रान्तीय बातों में प्रांत का शासन अलग और स्वतंत्र रहना ठीक है, किन्तु उनके ऊपर जैसा अब है वैसा ही आगे भी एक राष्ट्रीय शासन रहना चाहिए। और यदि वर्तमान के स्थान में स्वराज्य की रीति का शासन स्थापित होना

है तो उसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कार्यवाई देशी भाषा में हो, जिसमें देश के सर्व साधारण लोग उसको समझ सकें और उसका समर्थन या खण्डन कर सकें। मेरी राय में हर एक स्वराज्य के चाहने वाले देश भक्त का यह कर्तव्य कि वह सब प्रान्तों में पढ़े लिखें लोगों को हिन्दी बोलने और लिखने का अभ्यास बढ़ाने के लिए प्रेरणा करें।

हमारे देश की दशा के सुधार और उन्नति के लिए हमारा सबसे बड़ा साधन विद्या है। यही अमृत है कि जिसके सेवन करने से हमारे भाई-बहन फिर बलवान, धर्मवान, ज्ञानवान् हो सकते हैं। प्रजा में विद्या का प्रचार उनकी मातृभाषा ही के द्वारा हो सकता है। जिस प्रान्त में जो भाषा प्रचलित है उस प्रांत में उसी भाषा के द्वारा ऊंची से ऊंची शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिए। अंग्रेजी के द्वारा हमारा बहुत उपकार हुआ है, किन्तु हम अंग्रेजी पढ़े लोगों को उचित था कि अब तक प्रत्येक प्रांत की भाषा की ऐसी उन्नति करते कि उसके द्वारा ऊंची से ऊंची शिक्षा हमारे भाई और बहिनों को दी जाती होती। विदेशी भाषा का ज्ञान मात्र प्राप्त करने में जितना समय हमारे युवकों को लगाना पड़ता है उतने ही समय में उनको बहुत से विषयों का बहुत ऊंचा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हर प्रांत में मातृभाषा के द्वारा ऊंची ऊंची शिक्षा देने का यत्न करना उचित है। वर्तमान समय में अंग्रेजी बहुत उपकारी भाषा है। इसलिये जहां सुविधा हो, वहां उसको दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाना उचित है। इस घोर महाभारत का अन्त होने के बाद इससे भी भयंकर एक व्यापक युद्ध प्रारंभ होगा। उसमें हमें अपनी जातीय जीवन और धन बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हम देश की कलाकौशल और वाणिज्य व्यापार संबंधी शिक्षा फैलाने का प्राणपन से यत्न करें। यह यत्न भी मातृभाषा के ही द्वारा हो सकता है, विदेशी भाषा के द्वारा जाति की शिक्षा नहीं हो सकती और बिना ऐसी शिक्षा के जातीय जीवन का वृक्ष न हरा-भरा और न पुष्ट हो सकता है, और न रक्षित रह सकता है। इसीलिए सब प्रकार से देशी भाषाओं और विशेषकर हिन्दी भाषा का प्रचार और उन्नति करना हमारा धर्म है। जो लोग कहते या समझते हैं कि हिन्दी भाषा द्वारा ऊंची से ऊंची शिक्षा नहीं दी जा सकती, उनका यह प्रयोजन हो सकता है कि इस भाषा में आधुनिक ऊंची से ऊंची विषय के ग्रंथ अभी नहीं लिखे गये। यह अति अवश्य है किन्तु इसको पूरा करने का यत्न हो रहा है। मुझे निश्चय है कि यत्न शीघ्र सफल होगा। ऐसा ही और देश भाषाओं के विषय में भी है। हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की आवश्यकता और उसके दूर तक पहुंचाने वाले लाभों को भी हमारे पढ़े लिखे भाइयों में भी थोड़े ही लोगों ने समझा है। मैं आशा करता हूं कि आपके शान्त और गंभीर नाद को सुनकर हमारे भाई सचेत होंगे और इस परम उपकारी कार्य में सहायक होंगे। जैसा कि आपको दूसरे पत्र में लिख चुका हूं, मुझे खेद है कि मैं सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। किन्तु जैसा आप जानते हैं इस कार्य में मेरी आशा आपके साथ है और मैं अपनी गति से उसकी सिद्धि के लिए यत्न कर रहा हूं।" मालवीय जी का पत्र पढ़कर गांधीजी ने पुनः कहा—

मैं दिलगीर हूं कि जो व्याख्यान सम्मेलन में देने का मेरा इरादा था वह आपके सामने नहीं रख सका हूं। मैं बड़ी झझटों में पड़ा हूं। मेरी इस समय बड़ी दुर्दशा है। इससे मैं यह काम नहीं कर सका। पर मैंने वादा किया था कि आऊंगा आ गया, जो चीज सामने रखने का इरादा था, नहीं रख सका।

यह भाषा का विषय बड़ा भारी और महत्वपूर्ण है। यदि सब नेता यह काम छोड़कर केवल इसी विषय पर लगे रहें तो बस है। यदि हम लोग भाषा के प्रश्न को गौण समझेंगे या इधर से मन हटा लेंगे तो इस समय लोगों में जो प्रवृत्ति चल रही है, लोगों के हृदयों में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वह निष्फल हो जायेगा।

भाषा माता के समान है। माता पर हमारा जो प्रेम होना चाहिए वह हम लोगों में नहीं है। मुझे भी सम्मेलन से भी वास्तविक प्रेम नहीं है। तीन दिन का जलसा होगा। तीन दिन कह सुनकर हमें जो करना होगा उसे भूल जाएंगे। सभापति के भाषण में तेज नहीं है, जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह उसमें नहीं है। इससे भारी कंगालियत में नहीं जान सकता। हम पर और हमारी प्रजा के ऊपर एक बड़ा अक्षेप है कि हमारी भाषा में तेज नहीं है। जिनमें विज्ञान नहीं है उनमें तेज नहीं है। जब हम में तेज आयेगा तभी हमारी प्रजा में हमारी भाषा में तेज आयेगा। विदेशी भाषा द्वारा आप जो स्वातंत्र्य चाहते हैं वह नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें हम योग्य नहीं हैं। प्रसन्नता की बात है कि इन्दौर में सब कार्य हिन्दी में होता है पर क्षमा कीजिएगा प्रधान मंत्री साहेब का जो पत्र आया है वह अंग्रजी में है। इन्दौर की प्रजा यह बात नहीं जानती होगी, पर मैं उसे बतलाता हूं कि यहां अदालतों में प्रजा की अर्जियां हिन्दी में ली जाती हैं पर न्यायाधीशों के फैसले पर वकील बैरिस्टरों की बहस अंग्रेजी में होती है। मैं पूछता हूं कि इन्दौर में ऐसा क्यों होता है? हां, यह ठीक है, यह मैं मानता हूं कि अंग्रेजी राज्य में यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता है, पर देशी राज्यों में तो सफल होना ही चाहिए। शिक्षित वर्ग, जैसा कि माननीय पण्डित जी ने अपने पत्र में दिखाया है, अंग्रेजी के मोह में फंस गया है और अपनी राष्ट्रीय मातृभाषा से उसे अविश्वास हो गया है। पहली माता से जो दूध मिलता है उसमें जहर और पानी मिला हुआ है और दूसरी माता से शुद्ध दूध मिलता है। बिना इस दूध के मिले हमारी उन्नति होना सम्भव नहीं है। पर जो अंधा है वह देख नहीं सकता और गुलाम नहीं जानता कि अपनी बेड़ियां किस तरह तोड़ूं। 50 वर्ष से हम अंग्रेजी के मोह में फंसे हैं, हमारी प्रजा अज्ञान में डूब रही है। सम्मेलन को इस ओर विशेष रूप से ख्याल करना चाहिए। हमें ऐसा उद्योग करना चाहिए कि एक वर्ष में राजकीय सभाओं में, कांग्रेस में, प्रांतीय सभाओं में और अन्य सभा-समाज और सम्मेलनों में एक भी अंग्रेजी का शब्द सुनाई न पड़ा, हम बिल्कुल अंग्रेजी

का व्यवहार त्याग दें। अंग्रेजी सर्वव्यापक भाषा है, पर यदि अंग्रेजी सर्वव्यापक न रहेंगे तो अंग्रेजी भी सर्वव्यापक न रहेगी। अब हमें अपनी मातृभाषा को और नष्ट करके उसका खून नहीं करना चाहिए। जैसे अंग्रेज मादरी जबान अंग्रेजी में ही बोलते और सर्वथा उसे ही व्यवहार में लाते हैं, वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। हिन्दी सब समझते हैं। इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए"।

शब्द एक अर्थ अनेक

अकबर का काव्य और संगीत प्रेम विख्यात है। एक दिन संगीताचार्य तानसेन ने दरबार में महाकवि सूरदास का यह पद गाकर सुनाया :—

"जसुदा बार-बार यों भाखै।
है कोउ ब्रज में हितू हमारो चलत गोपालहिं राखै।।"

अकबर ने इस का अर्थ जानना चाहा तो तानसेन ने बताया—"यशोदा बारम्बार ऐसा कहती हैं कि क्या ब्रज में हमारा कोई ऐसा हितैषी है जो गोपाल को मथुरा जाने से रोक सके।"

अबुल फ़जल फ़ैजी ने उत्तर दिया—"नहीं। बार बार का अर्थ "रोना" है—अर्थात् यशोदा रो-रो कर यह कहती है·····"

बीरबल विचार कर बोले—"बार-बार का अर्थ है "द्वार—द्वार"। यशोदा द्वार-द्वार जाकर लोगों से कहती फिरती है·····"

दरबार में उपस्थित एक ज्योतिषी ने बताया—"बार का अर्थ "दिन" होता है। तात्पर्य यह कि यशोदा प्रतिदिन यह कहती रहती है·····"

अंत में रहीम ने कहा—"बार का अर्थ "बाल" है। यशोदा का बाल—बाल अर्थात् रोम-रोम यह कहता है·····"

इस चर्चा को सुनकर अकबर ने पूछा—"सबने बार-बार का अर्थ भिन्न प्रकार से किया, इसका क्या कारण है। रहीम ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया—"एक शब्द के इतने अर्थ हो सकें, यह कवि का कौशल है। प्रत्येक व्यक्ति किसी शब्द का अर्थ अपनी परिस्थिति एवं चित्तवृत्ति के अनुसार लगाता है। मुझे तो बार-बार का अर्थ "रोम-रोम" ही उचित प्रतीत होता है। तानसेन गायक हैं जिन्हें आपके दरबार में बार-बार राग अलापना पड़ता है, अतः उन्होंने बार-बार का अर्थ "बारम्बार" किया। फैजी शायर हैं जिन्हें विरह वर्णन में आंसू बहाने का अभ्यास है, अतः उन्हें बार-बार में "रोना" सूझा तो इसमें क्या आश्चर्य है और बीरबल ठहरे ब्राह्मण, घर घर घूमना ही जिनका काम है। इसलिए उन्होंने बार-बार का अर्थ "द्वार-द्वार" किया। रहे ज्योतिषी जी, ये बेचारे दिन, तिथि और नक्षत्रों पर ही विचार करते रहते हैं, अतः स्वभावतः ही इन्होंने बार-बार का अर्थ "दिन" किया है।

—श्री नारायण चतुर्वेदी के
"मनोरंजक संस्मरण" से साभार

समिति समाचार

1. पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक श्री खुर्शीद आलम खान, पर्यटन और नागर विमानन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14 मार्च, 1984 को 3.30 बजे होटल सम्राट, नई दिल्ली में हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

1. श्री विट्ठलभाई पटेल, संसद सदस्य (राज्य सभा) 2. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, संसद सदस्य (राज्य सभा) 3. श्री गंगा शरण सिंह 4. श्री रमा प्रसन्न नायक 5. श्री क्षेमचन्द्र "सुमन" 6. डा० एन० चन्द्रशेखरन नायर 7. डा० विद्यानिवास मिश्र 8. डा० (प्रो०) शशि शेखर तिवारी 9. श्री घनश्याम पंकज 10. श्री राजकुमार शास्त्री, सचिव राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार 11. श्री एम० एम० कोहली, सचिव, नागर विमानन विभाग 12. कु० कुसुम लता मित्तल, सचिव पर्यटन विभाग 13. डा० नितिश सेनगुप्ता, महानिदेशक, पर्यटन विभाग 14. जितेन्द्र नाथ, कौल, संयुक्त सचिव, नागर विमानन विभाग 15. श्री सुरेंश चन्द्र, मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त 16. एयरवाइस मार्शल सी० के० एस० राजे, महानिदेशक, नागर विमानन 17. श्री एस० के० दास, महानिदेशक, मौसम विभाग 18. श्री रघु राज, अध्यक्ष आर प्रबन्ध निदेशक, एयर इंडिया 19. श्री राजन जेतली, प्रबंध निदेशक, भारत पर्यटन विकास निगम 20. श्री बी० एन० झा, निदेशक, पर्यटन विभाग 21. श्री मदन शर्मा, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी।

निम्नलिखित अधिकारी संबंधित विभागों/निगमों के अध्यक्षों की जगह, जो समिति के सदस्य हैं, बैठक में उपस्थित थे :—

1. श्री पन्ना लाल शर्मा, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद 2. कैप्टन वी० के० मेहता, उप प्रबन्ध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स 3. श्री वेद प्रकाश, सदस्य (वित्त और प्रशासन), भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण 4. श्री आर० न० रंजन, निदेशक, भारतीय होटल निगम।

मंत्रालय और इसके विभागों, निगमों आदि के संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पहले यह बैठक 22 फरवरी, 1984 को रखी गई थी लेकिन कुछ अनिवार्य कारणों से स्थगित करनी पड़ी। इसके सदस्यों को हुई असुविधा के लिए उन्होंने खेद प्रकट किया।

कार्यसूची के विषयों पर चर्चा शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातों का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि समिति के सदस्य और प्रसिद्ध हिन्दी साहित्य सेवी श्री क्षेम चन्द्र जी "सुमन" को राष्ट्रपति जी द्वारा "पद्म श्री" की उपाधि से विभूषित किया गया है। उन्होंने अपनी ओर से मंत्रालय की ओर से और हिन्दी सलाहकार समिति की ओर से श्री सुमन जी को बधाई दी। संसदीय राजभाषा समिति की ओर से उक्त समिति के दो सदस्य आचार्य भगवान देव, संसद सदस्य (लोक सभा) और श्री विट्ठलभाई पटेल, संसद सदस्य (राज्य सभा) के इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत किए जाने पर अध्यक्ष महोदय ने उनका स्वागत किया। श्री राजकुमार शास्त्री के राजभाषा विभाग के सचिव और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार नियुक्त होने और हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य बनने पर उन्होंने उनका स्वागत किया।

समिति की दूसरी बैठक में की गई सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सदस्य महानुभावों ने दूसरी बैठक में जो उपयोगी सुझाव/परामर्श दिए थे, जो सिफारिशें की थीं, उनमें से ज्यादातर को कार्यान्वित कर दिया गया है और उनकी जानकारी दी गई है। जैसा कि इस जानकारी और दूसरी मदों पर टिप्पणियों में बताया गया है, मंत्रालय और उसके विभिन्न विभाग, निगम, कार्यालय आदि हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ाने में बराबर लगे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों अपने सुझाव/परामर्श देने का अनुरोध किया।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने मंत्रालय के विभिन्न विभागों, निगमों, कार्यालयों आदि में धारा (3) के पालन में कमियों, हिन्दी कार्य को बढ़ाने के लिए हिन्दी टाइपराइटर, हिन्दी टाइपिस्ट, हिन्दी आशुलिपिक, हिन्दी पुस्तकों और हिन्दी पत्रिकाओं, हिन्दी स्टाफ आदि सुविधाओं की अपर्याप्त व्यवस्था की तरफ ध्यान दिलाया और इनकी पर्याप्त संख्या में व्यवस्था किए जाने पर जोर दिया। "नमस्कार" और "स्वागत" पत्रिकाओं में हिन्दी के अच्छे स्तर की, अधिक सामग्री देने, राजभाषा कार्यान्वयन के निरीक्षण अधिक बार किए जाने, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कारगर ढंग से काम करने और उनमें हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों पर्यवेक्षक के रूप में रखने, उन सदस्यों को मंत्रालय द्वारा "परिचय पत्र" देने, हिन्दी में अधिक और अच्छे स्तर का पर्यटन साहित्य निकालने, मंत्रालय में हिन्दी निदेशक के पद और सभी

विभागों, निगमों आदि में हिन्दी के ऊंचे पद स्तर के हिन्दी पदाधिकारी रखने, अधिकतर हिन्दी अधिकारियों/कर्मचारियों के तदर्थ आधार पर बने रहने की कमी को दूर करने, मंत्रालय के विभिन्न विषयों पर हिन्दी में अच्छी पुस्तकें तैयार करवाने और साहित्य लेखन प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को जल्दी अन्तिम रूप देने, विमानन के विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने और हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें देश के अन्य भागों में जैसे बम्बई में करने का आग्रह किया।

डा० शशि शेखर तिवारी ने बैठक के कागज-पत्रों को अच्छी तरह से तैयार किए जाने और उनमें सुव्यवस्थित जानकारी दिए जाने तथा मंत्रालय में हिन्दी कार्य लगन से किए जाने पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए इसके लिए अध्यक्ष महोदय की सराहना की। उन्होंने इस लगन का उपयोग करते हुए हिन्दी की प्रगति के लिए सक्रियता से कार्य करके अनुकूल माहौल पैदा करने, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं हिन्दी कार्य में पहल करने और अपने अधिकारियों को प्रोत्साहन देने, हिन्दी कार्य के लिए, पर्याप्त और उपयुक्त स्तर के हिन्दी पदाधिकारियों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने, हिन्दी में अधिक और अच्छा पर्यटन साहित्य निकालने, समिति के सदस्यों से लाभ प्राप्त करने और मंत्रालय की स्वतन्त्र पत्रिका निकालने पर जोर दिया।

श्री क्षेमचन्द्र "सुमन" ने अध्यक्ष महोदय और समिति के सदस्यों द्वारा उन्हें दी गई बधाई और शुभकामनाओं के लिए अध्यक्ष महोदय और समिति के सदस्यों और अधिकारियों के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किया। उन्होंने बैठक के विवरणों, टिप्पणियों, आदि में दी गई बहुत अच्छी और व्यवस्थित जानकारी और मंत्रालय में हिन्दी कार्य की प्रगति की प्रशंसा करते हुए इस प्रगति को बढ़ाने के लिए हिन्दी के अनुकूल वातावरण बनाने, हिन्दी में कार्य करने वालों को प्रोत्साहन देने, वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारियों द्वारा हिन्दी कार्य में रुचि लेने, हिन्दी की प्रगति के लिए आवश्यक साधनों और सुविधाओं की व्यवस्था तथा मंत्रालय और इसके कार्यालयों में ऊंचे स्तर के हिन्दी पद बनाने और खाली हिन्दी पदों को भरने, मंत्रालय द्वारा पत्रिका निकालने और अच्छे पर्यटन साहित्य को तैयार करने का आग्रह किया।

डा० विद्यानिवास मिश्र ने विमान परिचारिकाओं द्वारा हिन्दी में की जाने वाली घोषणाओं में हिन्दी उच्चारण के शुद्ध न होने की तरफ ध्यान दिलाया और इसे ठीक करने पर जोर दिया। उन्होंने हिन्दी में अच्छे स्तर कर प्रामाणिक पर्यटन साहित्य निकालने, उड़नगत पत्रिकाओं में हिन्दी के लेखों की संख्या बढ़ाने तथा उनका स्तर और संपादन अच्छा करने, मंत्रालय द्वारा विशेषकर पर्यटन और प्रोत्साहन के लिए अपनी पत्रिका निकालने, हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को रेल मंत्रालय के समान ही इस मंत्रालय द्वारा "परिचय पत्र" दिए जाने का सुझाव दिया और कहा कि यदि वे सदस्य मंत्रालय के किसी कार्यालय में जाते हैं, वहां हिन्दी कार्य को देखते हैं और उस बारे में वहां कुछ सुझाव देते हैं तो संबंधित कार्यालयों/अधिकारियों को उनसे लाभ उठाना चाहिए।

श्री रमाप्रसन्न नायक ने उड़ान संबंधी पत्रिकाओं में हिन्दी के लेखों में भाषा की अशुद्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें अंग्रेजी की सामग्री में भी अशुद्धियां होती हैं और इन दोनों के ही सम्पादन, लेखन, अनुवाद, आदि पहलुओं पर ध्यान दिया जाना जरूरी है।

डा० एन० चन्द्रशेखरन नायर ने बैठक के कागज-पत्रों में अपने तथा अन्य सदस्यों के सुझावों पर विस्तृत, सुव्यवस्थित और अच्छी टिप्पणियां और जानकारी दिए जाने पर अध्यक्ष महोदय की धन्यवाद दिया और हिन्दी कार्य को सक्षम रूप से और निष्ठा से चलाए जाने के प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने मंत्री महोदय की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक किए जाने के लिए अध्यक्ष महोदय की सराहना की और आशा प्रकट की कि ऐसी बैठकें अधिक बार की जायेंगी। उन्होंने कम हिन्दी पदों के होने और हिन्दी अधिकारियों और हिन्दी स्टाफ के वर्षों तक तदर्थ बने रहने और पदोन्नति के अवसर न मिलने की तरफ ध्यान दिलाते हुए आग्रह किया कि मंत्रालय में हिन्दी निदेशक का पद बनाने और इसके सभी विभागों/निगमों में हिन्दी के ऊंचे पद बनाने और सभी खाली पदों को भरने की आवश्यकता है। उन्होंने "स्वागत" और नमस्कार" में हिन्दी भाषा, अनुवाद, संपादन, लेखों के स्तर आदि में सुधार करने, मंत्रालय की अपनी पत्रिका निकालने, हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से दक्षिण में किए जाने पर बल दिया। उनका यह भी विचार था कि विमानों में लिखी गई हिन्दी सूचनाओं में कहीं-कहीं अनुवाद भ्रामक लगता है—जैसे "रक्षा पेटी कुर्सी के नीचे है" इन्हें ठीक करने की आवश्यकता है।

श्री घनश्याम पंकज ने इंडियन एयरलाइन्स से अपनी विमान यात्रा में उड़ान में विमान चालक द्वारा अच्छी और स्वाभाविक हिन्दी में की गई घोषणा के लिए सराहना की और अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध किया कि वे उक्त कप्तान को उनकी सराहना की भावना पहुंचाने की कृपा करें। उन्होंने कुछ कार्यालयों में सूचना पट्ट आदि पर लिखी गई हिन्दी भाषा और तकनीकी शब्दों के मुश्किल होने की तरफ ध्यान दिलाया और मंत्रालय की ऐसी तकनीकी शब्दावली एकत्र करने और उसे सरल हिन्दी में तैयार करने के लिए हिन्दी सलाहकार समिति की एक उप समिति बनाने का सुझाव दिया और मंत्रालय को अपनी पत्रिका निकालने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उड़ान संबंधी पत्रिकाओं में हिन्दी लेखों के स्तर और सम्पादन में कमियां हैं और लेखकों में विविधता नहीं है।

श्री विट्ठलभाई पटेल ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि जो उड़ानगत पत्रिका "नमस्कार" पहले बाहर छपती थी वह अब अपने देश में छपनी शुरू हुई है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि कलकत्ते में कुछ फार्म हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं और इस संबंध में वस्तुस्थिति देख ली जाए। उन्होंने अन्य सदस्यों

के इस सुझाव का समर्थन किया कि हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिल्ली से बाहर मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों के स्थानों में जाकर करनी चाहिए और बताया कि कुछ मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर होती रही हैं।

श्री पन्ना लाल शर्मा ने पिछली बैठक की सिफारिशों पर कार्रवाई में और सदस्यों के प्रस्तावों पर टिप्पणियों में उपयोगी और सुव्यवस्थित सूचना दिए जाने और मंत्रालय में हिन्दी की प्रगति के लिए लगन से किए जा रहे प्रयत्नों के लिए अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के पालन में मंत्रालय के अधीन विभागों, निगमों, कार्यालयों में कमियों और इंडियन एयरलाइन्स के आंकड़े इस विवरण में न दिए जाने का उल्लेख किया और इन कमियों को दूर किए जाने, विभिन्न विभागों, निगमों को इस संबंध में दिक्कतों को मंत्रालय द्वारा दूर किए जाने और विभागाध्यक्षों को इन आवश्यकताओं के पालन की जिम्मेवारी का ध्यान दिलाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की हर तिमाही में बैठकें किए जाने, नियमित राजभाषा निरीक्षण किए जाने, मंत्रालय में हिन्दी निदेशक और सभी विभागों/निगमों में ऊंचे स्तर के हिन्दी पदाधिकारी रखे जाने का आग्रह किया।

श्री गंगाशरण सिंह ने धारा 3 (3) के पालन में कमियों और कुछ विभागों/निगमों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की कम बैठकें होने तथा राजभाषा निरीक्षण दलों द्वारा कम निरीक्षण किए जाने की तरफ ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह नीति शुरु से रही है कि सरकारी कामकाज की हिन्दी भाषा सरल, बोलचाल की ओर मिलीजुली हो और इसमें हिन्दी-उर्दू शब्दों का कोई भेदभाव नहीं हो। उन्होंने कई विदेशी शब्दों को हिन्दी में अपना लेने के उदाहरण देते हुए कहा कि हिन्दी रचनात्मक भाषा है।

भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार और राजभाषा विभाग के सचिव, **श्री राज कुमार शास्त्री** ने हिन्द पदों के बनाए जाने में कठिनाइयों तथा कई हिन्दी पदों पर तदर्थ नियुक्तियां किए जाने और पदोन्नति के अवसरों के न मिलने आदि के विषय में कुछ सदस्यों द्वारा की गई चर्चा के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा उनके सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी संबंधी पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों, अर्थात वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों, हिन्दी अधिकारियों, हिन्दी अनुवादकों आदि के लिए राजभाषा विभाग के अधीन एक केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा बनाने का काम कई वर्षों से चल रहा था और इस कारण कुछ पदों पर तदर्थ नियुक्तियां होती रही। इसमें समूह "ग" के पदों, अर्थात वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों की सेवा की अधिसूचना दि० 19-9-1981 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है और इन पदों पर कार्यरत अनुवादकों को नियमित करते हुए उनकी वरिष्ठता सूची भी जारी की जा चुकी है और बाकी बचे अनुवादकों की सूची जल्दी जारी कर दी जाएगी। निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक से संबंधित अधिसूचना भी दि० 24-9-1983 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है और इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता तय करने का काम चल रहा है। अब इसके बाद इन सेवा नियमों के अनुसार इसमें शामिल सब अधिकारियों की नियमित नियुक्ति, पदोन्नति आदि का कार्य चलेगा। ऐसी आशा है कि हिन्दी का कार्य बढ़ने के साथ-साथ अधिक ऊंचे पद और अधिक संख्या में पद बनते जायेंगे और पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।

माननीय सदस्यों द्वारा रखे गए विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों के सुझावों के लिए उनको धन्यवाद दिया और उन सुझावों के बारे में स्थिति बताई।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को बताया कि पर्यटन संबंधी काफी साहित्य हिन्दी में निकाला गया है और अधिक बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन प्राचीन महत्वपूर्ण स्थानों/केन्द्रों के बारे में मानक ग्रन्थ उच्च स्तर के ग्रन्थ, क्लासिकल किताबें निकालने का काम और विशेषज्ञता शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के पास है। पर्यटन विभाग पर्यटकों की जानकारी के लिए सामान्य पर्यटन साहित्य तैयार करने का काम करता रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस मंत्रालय के अधीन एक "इंस्टीट्यूट आफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट" बनाई जा रही है और उसके लिए साहित्य जमा करना और तैयार करना उपयोगी रहेगा।

विभागीय पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकों की खरीद का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मंत्रालय के अधीन कई विभागों, निगमों, कार्यालयों में अलग से अच्छे हिन्दी पुस्तकालय और वाचनालय बनाए गए हैं और ज्यादातर विभागीय पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकें खरीदी जा रही हैं। इनके लिए धनराशि की कमी नहीं रहेगी। मंत्रालय में भी पुस्तकालय बनाने और उसमें हिन्दी पुस्तकें रखने की कोशिश की जाएगी।

उन्होंने सदस्यों को विश्वास दिलाया कि राजभाषा कार्य के लिए आवश्यक सुविधाओं, जैसे देवनागरी टाइपराइटरों, हिन्दी टाइपिस्टों, हिन्दी आशुलिपिकों आदि की व्यवस्था सामान्यतया उपलब्ध है और जहां कमी है वहां उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। हिन्दी टाइपिस्टों/हिन्दी आशुलिपिकों के लिए राजभाषा विभाग द्वारा चलाई जा रही 'हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता योजना' मंत्रालय में लागू है।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ठीक तरह से काम करने के सुझाव के बारे में बताते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मंत्रालय में और सभी विभागों/निगमों के मुख्यालयों में और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उनके वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में ये समितियां बनी हुई हैं और इनकी बैठकें भी होती हैं। मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि जिन विभागों/निगमों में वर्ष में 4 बैठकें नहीं हुई हैं आगे से उनमें हर तिमाही में बैठकें हों। इन समितियों के सदस्य हिन्दी के काम में यथासंभव योगदान देते हैं।

हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को मंत्रालय और उसके विभागों, निगमों आदि में हिन्दी के काम को सिखने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल करने और हिन्दी के कार्यों में उनसे सहयोग लेने के श्री यादव के सुझाव की चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने यह स्पष्ट किया कि हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में सलाह और सुझाव देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और राजभाषा नीति को अमल में लाने और उनके सुझावों पर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है जिसके लिए वे अपने-अपने विभागों/निगमों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें करते हैं और उनके बारे में जरूरी कार्रवाई करते हैं और उनकी आवश्यक जानकारी हिन्दी सलाहकारी समिति की बैठक में दी जाती है। समिति के सदस्यों की सलाह सुझाव वगैरह का वे हमेशा स्वागत करेंगे। इसके अलावा समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के सहयोग का लाभ उठाने के लिए उन्हें विभागों/निगमों/कार्यालयों की हिन्दी कार्यशालाओं और अन्य सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रमों में पहले से आमंत्रित किया जा रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन निरीक्षण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ज्यादातर विभागों/निगमों में राजभाषा निरीक्षण दल बने हुए हैं वे अपने अधीन कार्यालयों में जाकर हिन्दी के कामकाज की प्रगति को देखते हैं। जिन कार्यालयों में ये नहीं बने हुए हैं उनमें बना दिए जायेंगे और मंत्रालय के राजभाषा निरीक्षण दल द्वारा ज्यादा कार्यालयों का ज्यादा बार निरीक्षण किया जाएगा।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) की कानूनी आवश्यकताओं के पालन में कमियों के बारे में बताते हुए अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को यह विश्वास दिलाया कि इन कमियों को दूर कर दिया जाएगा। इंडियन एयरलाइन्स को इसके लिए आंकड़े रखने और देने की हिदायत दी जा रही है और जिन विभागों/निगमों में इन कानूनी आवश्यकताओं के पालन करने में कमियां बनी हुई हैं, उन्हें और खासकर भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय होटल निगम को ये कमियां दूर करने के लिए हिदायतें दी जा रही हैं। इसके पालन की जिम्मेवारी की तरफ विभागाध्यक्षों को ध्यान भी दिलाया जा रहा है।

कार्यविधि साहित्य के हिन्दी अनुवाद के बारे में चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने बताया कि विभागों, निगमों, कार्यालयों आदि में मैनुअल, फार्म और अन्य कार्यविधि साहित्य का हिन्दी अनुवाद तैयार करने और उन्हें हिन्दी और अंग्रेजी में छपवाने/साइक्लोस्टाइल करने का ज्यादातर काम किया जा चुका है। मंत्रालय में सब विभागों/निगमों के अधिकारियों की एक उप समिति बनी हुई है जो इस बचे हुए काम को समयबद्ध रूप में पूरा करने का काम कर रही है। यह उप समिति विभागों/निगमों की तकनीकी शब्दावली साहित्य के हिन्दी अनुवाद आदि की जांच और समीक्षा करने का काम भी करती है।

श्री घनश्याम पंकज ने कुछ सूचनापट्ट, फार्म आदि में लिखी गई हिन्दी भाषा और तकनीकी शब्दावली के मुश्किल होने की बात बताते हुए इसे आसान हिन्दी में तैयार करने के लिए हिन्दी सलाहकार समिति को एक उप समिति बनाने का जो सुझाव दिया था उसका जिक्र करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अधिकारियों की यह उप समिति यह काम कर रही है और इस पूरा कर लेने के बाद हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों से इस काम में सहयोग लिया जाएगा। इसी सिलसिले में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी को लोकप्रिय बनाने और फैलाने के लिए, सब को अपना कामकाज हिन्दी में करने के लिए बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि ऐसी हिन्दी काम में लाई जाए जो समझने, पढ़ने और बोलने में सुलभ हो।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इंडियन एयरलाइन्स के विमान-चालक द्वारा उत्तरी क्षेत्र में उड़ान में हिन्दी में की गई घोषणा के बारे में श्री घनश्याम पंकज की सराहना की भावना संबंधित विमान चालक को पहुंचा दी जाएगी। इस सिलसिले में उन्होंने सदस्यों की जानकारी के लिए बताया कि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के और भी कई हिन्दी जानने वाले विमान चालक उड़ानों में हिन्दी में घोषणा करते हैं और इन दोनों एयर लाइनों ने इस बारे में अपने सभी विमान चालकों के लिए आदेश भी दे रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को बताया कि एयर इंडिया की उड़ानगत पत्रिका "नमस्कार" अब भारत में छपने और निकलने लगी है और सब सदस्यों की जानकारी के लिए "नमस्कार" के भारत में निकले अंक की प्रति उन्हें दी गई जिससे यह दिखाई देगा कि इसमें बहुत से विषय अब हिन्दी में दिए जाने लगे हैं और हिन्दी के लेखों की संख्या एक से बढ़ाकर दो कर दी गई है और इसे बढ़ाने के लिए और इसमें सुधार करने के लिए उपाय किए जायेंगे। मंत्रालय के अलग-अलग विभागों/निगमों से निकलने वाली विभागीय गृह पत्रिकाओं में भी हिन्दी सामग्री बढ़ाई जाएगी। इन सब पत्रिकाओं में सामग्री के स्तर और सम्पादन आदि में सुधार किया जाएगा।

राजभाषा नीति को पूरी तरह से लागू करने और हिन्दी के काम को बढ़ाने के लिए जरूरी सहूलियतें दिए जाने और व्यवस्था किए जाने, प्रोत्साहक वातावरण बनाने के लिए जरूरी कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने, मंत्रालय में हिन्दी निदेशक के पद और जरूरी हिन्दी स्टाफ और सभी विभागों, निगमों में हिन्दी के उच्च पद और पर्याप्त हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था किए जाने और सभी खाली हिन्दी पद भर दिए जाने के बारे में सदस्यों के सुझाव का जिक्र करते हुए अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को विश्वास दिलाया कि इन सुझावों पर सक्रियतापूर्वक विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को बताया कि मंत्रालय से संबंधित विषयों पर हिन्दी में साहित्य लेखन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार योजना तैयार हो गई है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मंत्रालय द्वारा अपनी पत्रिका निकालने के बारे में सदस्यों के आग्रह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय की एक विभागीय पत्रिका निकालने पर विचार किया जा रहा है।

विमान परिचारिकाओं द्वारा हिन्दी में की जाने वाली घोषणाओं में उच्चारण में सुधार करने के सुझाव के बारे में उन्होंने बताया कि इसके लिए इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया ने पहले से कई उपाय किए हैं जिनके बारे में पिछली बैठक में पूरी जानकारी दी गई थी। इस पर और भी जोर दिया जाएगा।

समिति के सदस्यों द्वारा मंत्रालय के अधीन किसी पर्यटन कार्यालय, हवाई अड्डे आदि में अपने कार्य से आते-जाते समय वहां हिन्दी के काम को देखने और जानने और उस बारे में सुझाव देने के विषय में अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को यह विश्वास दिलाया कि उनके सुझावों का हमेशा ही स्वागत है और मंत्रालय के अधीन सभी विभागों, निगमों, संस्थानों, कार्यालयों को इस बारे में जरूरी हिदायतें दे दी जायेंगी। उन्होंने सदस्यों से यह अनुरोध किया कि जब वे किसी जगह जायें और वहां कोई कार्यालय देखें और उसके बारे में कोई सुझाव दें तो वे उस बारे में जानकारी और सुझाव मंत्रालय को भेज दें तो उन पर जरूरी कार्रवाई करने में आसानी होगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों के सहयोग और सुझावों के लिए आभार प्रकट किया और उन्हें फिर से यह विश्वास दिलाया कि यह मंत्रालय और इसके सभी विभाग, निगम, संस्थान, कार्यालय आदि सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने और उनके कामकाज में हिन्दी के व्यवहार को बढ़ाने के लिए पूरी लगन से कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे और इसमें जो-जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने आशा प्रकट की कि इसमें उन्हें सभी सदस्य महानुभावों का पूरा-पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों की संयुक्त सलाहकार समिति की पहली बैठक बृहस्पतिवार, 1 मार्च, 1984 को अपराह्न 2.30 बजे सम्मेलन कक्ष "एफ" विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री शिवराज वी० पाटिल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) श्री शिवराज वी० पाटिल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, अध्यक्ष।
(2) श्री दिग्विजय सिंह, पर्यावरण उपमंत्री।
(3) श्री अश्विनी कुमार, संसद सदस्य।
(4) श्री रामचन्द्र भारद्वाज, संसद सदस्य।
(5) श्री पन्ना लाल कमाण्डर, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्।
(6) श्री रामप्रसाद रावत।
(7) श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित।
(8) डा० हरशरण सिंह बिश्नोई।
(9) डा० निर्मला जैन।
(10) पो० नामवर सिंह।
(11) श्री प्रभाकर माचवे।
(12) श्रीमती कमला रत्नम।
(13) श्री कमलेश्वर।
(14) डा० ए० आर० वर्मा।
(15) श्री पी० डी० शुक्ला।
(16) श्री सुरेन्द्र शर्मा।
(17) डा० एस० वरदराजन, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।
(18) श्री त्रिलोकी नाथ खुशू, पर्यावरण विभाग।
(19) श्री जी० एस० सिद्धू, महा निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्।
(20) श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग।
(21) श्री जी० सुब्बाराव, संयुक्त सचिव, पर्यावरण विभाग।
(22) श्री ए० के० माथुर, संयुक्त सचिव, पर्यावरण विभाग।
(23) श्री आई० जी० झिंगरन, संयुक्त सचिव, महासागर विकास विभाग।
(24) श्री एम० बी० रामाकृष्णन, प्रमुख (वित्त), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्।
(25) मेजर जनरल जी० सी० अग्रवाल, भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून।
(26) श्री जी० चटर्जी, वित्तीय सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।
(27) श्री जी० के० दत्त, निदेशक, राष्ट्रीय एटलस तथा थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कलकत्ता।
(28) डा० एस० के० जैन, निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, हावड़ा।
(29) डा० बी० के० टीकादेर, निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कलकत्ता।
(30) डा० एस० एम० नायर, निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली।
(31) श्री एम० एस० भसीन, जनसम्पर्क अधिकारी, नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली।
(32) श्री विनय शंकर, संयुक्त सचिव (प्रशासन) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।

मंत्री महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और महासागर विकास

विभागों के कार्य की सदस्यों को संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यद्यपि दूसरे विभागों की तुलना में हमारे वैज्ञानिक विभागों में हिन्दी में काम करना कठिन है, तथापि इन सभी विभागों में हिन्दी के कार्य में प्रगति के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। हिन्दी की प्रगति का जायजा लेने के लिये तीनों विभागों की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस संबंध में सदस्यों के सुझावों का स्वागत करेंगे और उनके अनुसार स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास किये जायेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह, पर्यावरण उपमंत्री ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि पर्यावरण की विचारधारा 1970 से जनमानस में पैठी। यह नया विभाग है इसका कार्य पर्यावरण की रक्षा करना, पशुओं, पक्षियों और वनस्पतियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना है। पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टी० वी० आदि के माध्यम का भी यह विभाग उपयोग करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यों से जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उन्हें कार्यान्वित करने के लिये विचार किया जायेगा।

श्री पी० डी० शुक्ला ने सुझाव दिया कि विभाग/संस्था/परिषद्/पद आदि के नाम द्विभाषिक रूप से न रह कर मूलतः हिन्दी में रखे जायें।

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने बताया कि इन विभागों द्वारा कुछ सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप से जारी नहीं किये गये, जबकि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार सभी सामान्य आदेश शत-प्रतिशत द्विभाषिक रूप में जारी किये जाने चाहिये। श्रीमती कमला रत्नम ने भी यह बात दोहराई कि रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि वस्तुस्थिति ऐसी ही है। इस पर मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि हिन्दी में प्राप्त कुछ पत्रों के उत्तर देने अपेक्षित नहीं थे। श्रीमती कमला रत्नम ने सुझाव दिया कि जिन पत्रों के उत्तर देना अपेक्षित न हो, उनकी प्राप्ति की सूचना हिन्दी में दे दी जाये।

श्री प्रभाकर माचवे ने सुझाव दिया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो देश की दूसरी भाषाओं में कार्य हो रहा है, उसका भी लेखा-जोखा होना चाहिये। "विज्ञान परिचय" जैसी पत्रिकाओं की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इसी प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कोई भी पत्रिका निकले, उसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाये और उन्हें जनता तक पहुंचाया जाये। श्री जगदीश चन्द्र बोस जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की जीवनी की पुस्तिकायें भी प्रकाशित की जायें।

श्री पी० डी० शुक्ला ने सुझाव दिया कि इस समय देश में हिन्दी के कम्प्यूटर उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग विभागों द्वारा किया जाना चाहिये, बल्कि सरकार की द्विभाषिक नीति को ध्यान में रखते हुए द्विभाषिक कम्प्यूटर लगाये जायें। राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने श्री शुक्ला के सुझाव का अनुमोदन किया। उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि देवनागरी और रोमन दोनों लिपियों में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं। उन्होंने यह बताया कि राजभाषा विभाग ने इलैक्ट्रानिकी विभाग को यह लिखा है कि चैक प्वाइन्ट द्विभाषिक रूप से बनाई जाये। श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने यह भी बताया कि हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने के लिये सरकार की ओर से प्रोत्साहन के लिये पुरस्कार की योजना का भी विभागों में व्यापक प्रचार करना चाहिये। उन्होंने यह भी सूचना दी कि यद्यपि सामान्य तौर पर नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध है, परन्तु हिन्दी पदों को इस प्रतिबन्ध से छूट दी गई है।

श्री अश्विनी कुमार ने रिपोर्टों के अध्ययन करने पर वैज्ञानिक विभागों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति को सन्तोषजनक पाया। उन्होंने कहा कि भारत में वैज्ञानिक विषयों पर सुश्रुत, चरक, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों की उपलब्धियां सभी भाषाओं में उपलब्ध थीं अब ऐसा ही किया जाना चाहिये हिन्दी की पत्रिकाओं का प्रसार, किया जाना चाहिये। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जो नई पत्रिकायें निकले, वे स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों में भेजी जायें, ताकि इन क्षेत्रों में जो भी कार्य हुआ है, उसकी जानकारी आम लोगों को मिलें।

श्री रामचन्द्र भारद्वाज ने कहा कि वैज्ञानिक विभागों में हिन्दी का काम पर्याप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में उन्होंने सी० एस० आई० आर० द्वारा प्रकाशित हिन्दी पुस्तकों और अन्तरिक्ष विभाग द्वारा प्रकाशित सभी उपग्रहों पर निकाली गई पुस्तकों का भी उल्लेख किया। इसके लिये उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को बधाई दी।

श्री हरशरण सिंह बिश्नोई ने कहा कि आम प्रचलन के अंग्रेजी शब्द विटामिन, हार्मोंस, आदि हिन्दी द्वारा अपनाये जाने चाहिये। उन्होंने इसके साथ-साथ इस बात का भी संकेत किया है कि भारत सरकार, राज्य सरकारों के कार्यालयों में हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों के उपयोग में एकरूपता नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि ऐसी संस्था बनाई जाये, जो एकरूपता लाने का जिम्मा ले।

श्री ए० आर० वर्मा ने बताया कि सोवियत संघ में अनुवाद के लिये एक स्थायी समिति है। जब विश्व की किसी भाषा में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कोई सामग्री प्रकाशित होती है तो उसका अनुवाद शीघ्र करा लिया जाता है। अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों में रूस में प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण प्रलेखों का पश्चिमी भाषाओं और अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाता है। यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी साहित्य का निरन्तर हिन्दी में अनुवाद हो। इसके लिये यहां भी अनुवाद के लिये एक स्थायी

समिति बनाई जानी चाहिये। इससे भारत में उपलब्ध अनुवाद किया हुआ साहित्य भी अपेक्षाकृत नवीन रहेगा।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के उप प्रधान, श्री पन्ना लाल शर्मा ने बताया कि विधि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग आदि में हिन्दी की मौलिक पुस्तकें लिखने पर नगद पुरस्कार देने की योजना चल रही है। वैज्ञानिक विभागों द्वारा भी ऐसी योजनायें चलाई जानी चाहिये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में हुए निर्णयों और उन पर की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में रिपोर्टें भी सदस्यों को हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक होने से पहले भिजवा दी जायें, ताकि वे विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति से पूरी तरह से अवगत हो सकें। इसके अलावा ये विभाग जितनी भी पत्रिकायें हिन्दी में निकालें, उन सभी की प्रतियां सब सदस्यों को भिजवाई जायें। विभागों में कभी-कभी गोष्ठियों का आयोजन किया जाये, जिनमें हिन्दी में भाषण दिए जायें।

अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया कि विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की रिपोर्टें तथा इस समिति में सम्बद्ध विभागों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की प्रतियां भविष्य में हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि निम्न सुझावों पर विचार किया जायेगा :—

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मौलिक पुस्तकों पर नगद पुरस्कार प्रदान करना।

(2) द्विभाषिक कम्प्यूटर उपलब्ध कराना।

(3) विभागों में हिन्दी गोष्ठियां करना।

3. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर की आठवीं अर्द्ध वार्षिक बैठक गत 27 जुलाई को महालेखाकार कार्यालय में सम्पन्न हुई। इसकी अध्यक्षता श्री वी० दोरेस्वामी (महालेखाकार—लेखा) ने की तथा मुख्य अतिथि थे—भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव (राजभाषा) श्री राज कुमार शास्त्री। जयपुर स्थित केन्द्रीय कार्यालयों से लगभग एक सौ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में सर्वश्री पी० एल० कनौजिया तथा जे० पी० सिंह ने भाग लिया तथा भाषा विभाग, राजस्थान के निदेशक श्री कलानाथ शास्त्री विशेष आमंत्रण पर पधारे।

समिति के सचिव श्री एस० राजाराम (वरिष्ठ महालेखाकार) ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए जयपुर स्थित कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिये हम कृत संकल्प हैं। उन्होंने अध्यक्ष श्री दोरेस्वामी से मार्च 1984 को समाप्त होने वाली छमाही रिपोर्ट की समीक्षा प्रस्तुत करने की प्रार्थना की।

अध्यक्ष श्री दोरेस्वामी ने 41 कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित मदवार निम्नलिखित समीक्षा प्रस्तुत की:—

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान

694 राजपत्रित एवं 4360 अराजपत्रित कर्मचारियों से केवल 19 तथा 82 क्रमशः कर्मचारियों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान अर्जित करना शेष है।

हिन्दी टंकण एवं आशुलिपिक प्रशिक्षण

महालेखाकार भवन में चल रहे हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र में अब तक 298 टंककों तथा 69 आशुलिपिकों को प्रशिक्षित किया गया है। सभी शीर्षस्थ अधिकारियों से अपने कार्यालय के आशुलिपिकों को अधिक से अधिक संख्या में नामित करने का अनुरोध किया गया है।

हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद

41 कार्यालयों में देवनागरी के 184 तथा 374 रोमन टाइपराइटर उपलब्ध हैं। स्पष्ट है कि हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या अंग्रेजी टाइपराइटरों की तुलना में बहुत कम है। समस्त कार्यालयों से अनिवार्यतः 50 प्रतिशत देवनागरी टाइपराइटर खरीदने का अनुरोध किया गया है।

सामान्य आदेशों का द्विभाषी रूप में जारी करना

समीक्षावधि में कुल 4847 सामान्य आदेशों में से केवल 1,186 द्विभाषी जारी हुए। शेष केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में जारी किये गये। कार्यालयाध्यक्षों से राजभाषा अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देना

समीक्ष्य रिपोर्ट के अनुसार हिन्दी में प्राप्त कुल 1,36,458 पत्रों में से केवल 78,100 पत्रों के उत्तर दिये गय। शेष अनुत्तरित रहे अथवा फाइल कर दिये गये। इन 78,100 पत्रों में 74,232 का उत्तर हिन्दी में दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने भविष्य में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में देने का अनुरोध किया।

मूल पत्रों की स्थिति

राजभाषा नियम 1976 के नियम 3(1) के अनुसार 'क' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, कार्यालय का व्यक्ति से पत्र व्यवहार केवल हिन्दी में किया जाना चाहिये, अपवादस्वरूप, यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो

उसके साथ हिन्दी अनुवाद भेजना अपेक्षित है। इस दृष्टि से जयपुर स्थित कार्यालयों के आंकड़े निम्न प्रकार है :—

	भेजे गये	हिन्दी में जारी	प्रतिशत
"क" एवं "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा व्यक्तियों को	1,33,314	68,032	51
"क" क्षेत्र के केन्द्रीय कार्यालयों को	1,38,155	60,993	44

मूल पत्रों के हिन्दी में जारी करने का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

हिन्दी में जारी किए गए तार

इस अवधि में कुल चारी 4037 जारों में से 1753 तार हिन्दी में जारी करते हुए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया।

हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

महालेखाकार कार्यालय में 16–1–84 से 14–2–84 तक हिन्दी कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार दो अन्य कार्यालयों में भी कार्यशालायें आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय ने अपने वक्तव्य के अन्त में सभी शीर्षस्थ अधिकारियों से राजभाषा अधिनियम के अनुपालन का अनुरोध किया तथा मुख्य अतिथि श्री शास्त्री जी से भारत सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डालने की प्रार्थना की।

राजभाषा सचिव श्री शास्त्री जी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे हिन्दी का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। तीन चार मास पूर्व राजभाषा विभाग में पदभार संभालने के बाद सरकारी कामकाज हिन्दी में करना जरूरी था। अतः इस अल्पावधि में ही, मैं थोड़ा सा प्रयास करने पर हिन्दी में कार्य करने लगा हूं। अतः अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आप लोग हिन्दी में काम करने का मानस बना लें तो फिर कोई कठिनाई आपको नजर नहीं आयेगी। अपने कार्य निष्पादन में सहज और सरल भाषा का प्रयोग करें और आवश्यकता होने पर दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करें उन्होंने सुझाव दिया कि हिन्दी के प्रचलन हेतु 25 कर्मचारियों ("घ" वर्ग के कर्मचारियों को छोड़कर) से अधिक संख्या वाले कार्यालयों में कार्यान्वयन समितियां गठित की जायें और उनकी बैठकें प्रत्येक मास आयोजित की जायें। इन बैठकों में मिल-बैठकर हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार किया जाये और आवश्यकता होने पर राजभाषा विभाग के अधिकारियों से सहयोग प्राप्त किया जाये।

सचिव महोदय ने हिन्दी को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रोत्साहन योजनाओं का विवरण देते हुए बताया कि निश्चित मात्रा में हिन्दी में टिप्पण आलेखन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की योजना सरकार ने स्वीकृत की है। इसी प्रकार अंग्रेजी टंककों तथा आशुलिपिकों द्वारा हिन्दी में टंकण कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि प्रतिमास 20 तथा 30 रुपये क्रमशः दिये जाने की योजना लागू हो चुकी है। अतः अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने के लिये प्रेरित करें।

सचिव महोदय ने 80 से 41 कार्यालयों द्वारा छमाही रिपोर्ट भेजने पर असन्तोष प्रकट करते हुए कहा कि अधिकांश कार्यालयाध्यक्षों द्वारा राजभाषा नीति को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। रिपोर्ट न भेजकर वे केवल हिन्दी की अनदेखी नहीं कर रहे हैं अपितु अपने सरकारी उत्तरदायित्व के प्रति विमुखता दर्शा रहे हैं। उन्होंने समिति के अध्यक्ष से ऐसे सभी कार्यालय अध्यक्षों की सूची राजभाषा विभाग को भेजने के लिये कहा।

इस बैठक की एक विशेषता यह रही कि समिति के अध्यक्ष श्री वी० दोरेस्वामी तथा सचिव श्री एस० राजाराम अहिन्दी भाषी होते हुए भी दोनों अधिकारियों ने अपने भाषण हिन्दी में दिये।

अन्त में, राजभाषा विभाग में उप निदेशक श्री पी० एल० कनौजिया ने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत राजभाषा सम्बन्धी प्रश्नों तथा हिन्दी में कार्य करने की दिशा में उत्पन्न कठिनाइयों के समाधान प्रस्तुत किये। उन्होंने विभाग की ओर से कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को बैठक के सफल आयोजन तथा उसमें भाग लेने वाले समस्त अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया।

—डा० जी० एस० बजाज,
सहायक निदेशक,
हिन्दी शिक्षण योजना, महालेखाकार भवन, जयपुर।

4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भावनगर

समिति, की दिनांक 8–6–84 को 16.00 बजे मण्डल रेल प्रबन्धक, भावनगर परा के बोर्ड रूम में 8वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

(1) सु० वेंकट रामन, मण्डल रेल प्रबन्धक, अध्यक्ष।

(2) ह० प्रसाद, प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय नमक संस्थान।

(3) मनोज भुलानी, प्रतिनिधि, भारतीय जीवन बीमा निगम।

(4) सूरज सिंह चौहान, प्रतिनिधि, सिण्डीकेट बैंक।

(5) संजीव निगम, राजभाषा अधिकारी, देना बैंक।

(6) महेन्द्र प्रसाद पाण्डे, विशेष अधिकारी (राजभाषा), स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र।

(7) बिहारी लाल पवार, प्रतिनिधि, बैंक आफ इण्डिया।

(8) पी० बी० मेहता, प्रतिनिधि, इण्डियन ओवरसीज बैंक।

(9) पी० सी० दवे, प्रतिनिधि, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया।

(10) अ० क० आचार्य, प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक।

(11) एच० एन० मावाणी, प्रतिनिधि, बैंक आफ बड़ौदा।

(12) गो० भी० जोगडीया, प्रतिनिधि, इण्डियन एयर-लाइन्स।

(13) गजानन्द आर्य, प्रतिनिधि, भारतीय खाद्य निगम।

(14) कि० स० वोरा, आयकर अधिकारी, आयकर।

(15) रमेश चन्द्र गुप्त, प्रतिनिधि, कर्मचारी, राजस्व बीमा निगम।

(16) एन० पी० के० अमीन, मण्डल, राजभाषा अधिकारी, प० रे० भा० परा।

(17) ह० सी० लश्करी, सहायक हिन्दी- अधिकारी एवं सचिव।

जिन कार्यालयों ने भाग नहीं लिया वे थे—

(1) केन्द्रीय सीमा शुल्क।

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क।

(3) एन० सी० सी०।

(4) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी।

(5) ओरिएण्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी।

(6) इण्डियन आयल कारपोरेशन।

(7) मण्डल अभियन्ता (तार)।

(8) केन्द्रीय तार घर।

(9) डाक तार।

(10) एस० डी० ओ० फोन्स।

(11) इण्डियन बैंक।

(12) केनरा बैंक।

(13) बैंक आफ महाराष्ट्र।

(14) यूनियन बैंक आफ इण्डिया।

(15) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक।

(16) पंजाब नेशनल बैंक।

(17) भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन।

आरम्भ में मण्डल रेल प्रबन्धक एवं समिति के अध्यक्ष श्री सु० वेंकटरामनजी ने सबका स्वागत किया। परस्पर परिचय के बाद कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही शुरू हुई।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री वेंकटरामनजी ने कहा कि मैं इस बैठक में पहली बार शामिल हो रहा हूं। इस प्रकार की समितियां अनेक नगरों में कार्य कर रही हैं। मैं जानता हूं कि समिति के कई कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग अभी-अभी शुरू हुआ है। इस परिवर्तन में अनेक प्रकार की छोटी-मोटी कठिनाइयां आती रहती हैं। मुझे पता है कि यहां की क्षेत्रीय और जन-व्यवहार की प्रचलित भाषा गुजराती है। फिर भी मेरा विश्वास है कि गुजराती भाषियों के लिये हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के व्यवहार में थोड़े से प्रयास से सफलता मिल सकती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मस्टर रोल, पे-सीट जैसे कामों में हिन्दी का प्रयोग शुरू किया जा सकता है। छोटी छोटी टिप्पणियां हिन्दी में लिखी जा सकती है। हम हिन्दी समाचार पत्र और पत्र-पत्रिकाओं की मदद ले सकते हैं। जहां तक सूचना पट्ट, नाम बोर्ड और रबड़ स्टैम्प आदि का सवाल है, इन्हें द्विभाषा में बनाने के लिये कार्यवाही की जाये। मुझे विश्वास है कि हमारी यह समिति क्रमशः परन्तु धीरे-धीरे प्रगति करके दिखायेगी।

इसके बाद सचिव ने छः माही प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की। संक्षेप में आपने सदस्यों को बताया कि बहुत से कार्यालयों में प्रोफार्मा में पूरी जानकारी नहीं भरी जाती है, उदाहरण के लिये पत्राचार के आंकड़े। इसी तरह कई कार्यालयों में अभी तक राजभाषा समिति का गठन नहीं किया गया है। हिन्दी टाइपराइटर खरीदने और उस मशीन का उपयोग करने के लिये कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिये कार्यवाही आरम्भ करना जरूरी है, ताकि आगामी एक या दो वर्ष में इसमें सफलता मिल सकेगी। समीक्षा के बाद विचार-विमर्श किया गया। इस विचार-विमर्श में मुख्यतः अध्यक्ष, केन्द्रीय नमक संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी श्री प्रसाद, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधि श्री मुलानी, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के विशेष अधिकारी श्री महेन्द्र प्रसाद पाण्डे और देना बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री निगम ने विशेष योगदान दिया। सदस्यों को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्राप्त वर्ष 84-85 के वार्षिक कार्यक्रम से अवगत कराया गया। श्री पाण्डे जी और मुलानी ने कहा कि—

बैंकों और निगमों आदि का कामकाज जन साधारण के साथ रहता है, इसलिये क्षेत्रीय भाषा का प्रचलन बरकरार रखना जरूरी है। अध्यक्ष ने इसकी व्यवहार्यता स्वीकार करते हुए कहा कि अपने क्षेत्रीय अथवा प्रधान कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों के पत्राचार में धीरे-धीरे हिन्दी का उपयोग आरम्भ करें। जहां तक जनता के साथ व्यवहार का सम्बन्ध है, क्षेत्रीय राजभाषा का प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि ग्राहक ही "राजा" है। नमक संस्थान के श्री प्रसाद ने कहा कि हिन्दी के प्रयोग में संस्थान क्रियाशील है, परन्तु कई

बार वैज्ञानिक विषय में और विभिन्न राज्यों से आये हुए विद्वानों के बीच गोष्ठी और परामर्श में हिन्दी में सम्पर्क में कुछ कठिनाइयां आती है। फिर भी अंग्रेजी शब्दों का खुलकर समावेश किया जाता है। श्री मुलानी ने सुझाव दिया कि हम सभी काउण्टर पर बातचीत में, जहां तक हो सके, हिन्दी को बढ़ावा दें।

समिति की आगामी बैठक का आयोजन केन्द्रीय नमक संस्थान के सभाकक्ष में किया जायेगा।

—ह० सी० लश्करी

5 वालतेरू नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 5वीं बैठक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का 5वीं बैठक श्री रमेश चन्द वर्मा, मण्डल रेल प्रबन्धक, वालतेरू की अध्यक्षता में हुई। सदस्यों का स्वागत करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि यह समिति ऐसा एक सूत्र या धागा है, जिसमें नगर की सभी इकाईयां एक-एक मणि के समान गुंथे हुए हार की तरह हैं और यह माला देश की एकता की प्रतीक राजभाषा को अर्पित है। इसमें कुछ ईकाइयां काफी साधन सम्पन्न हैं और कुछ साधनों में बौने हैं, किन्तु इसमें सभी का उद्देश्य एक है और वह है राजभाषा के बढ़ते चरण को आगे बढ़ाना। कोई अपने को कमजोर बताकर यह बहाना भी नहीं कर सकता है कि उससे क्या होगा ? यह भी तब होता, जब अपनी-अपनी ढफली और अपना-अपना राग होता। यहां तो सब एक पथ के राही हैं। मजा तब आता, जब सभी यह कहते कि हम क्या किसी से कम हैं। उन्होंने आगे कहा कि यहां आने के बाद समिति की दूसरी बैठक है, जिसमें मैं भाग ले रहा हूं। इस बीच मैंने अपने मण्डल के राजभाषा समारोह में सभी इकाइयों को निमंत्रित किया, ताकि हिन्दी का अनुकूल माहौल बने, किन्तु परिणाम कोई उत्साहवर्द्धक न रहा। उन्होंने सदस्यों से निवेदन किया कि समिति को कागजी घोड़ा ना बनाया जाये, वरन इसमें किये गये निर्णयों को एक दूसरे के सहयोग से ईमानदारी के साथ कार्यान्वयन किया जाये।

कुछ सदस्यों ने यह शिकायत की कि प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण हिन्दी प्रशिक्षण का काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिये पत्र व्यवहार करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर श्री वर्मा ने वालतेरू मण्डल के उन अधिकारियों वा कर्मचारियों को पुरस्कृत किया, जिन्होंने नवम्बर, 83 की प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किये थे तथा उन रेल कर्मियों को एक मुश्त पुरस्कार दिये गये, जिन्होंने उक्त परीक्षायें अपने निजी प्रयास से पास की थीं। श्री वर्मा ने पुरस्कार विजेताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं राजभाषा के प्रति अच्छी लगन और रुचि के लिये आप सब को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी रुचि को अपने दैनिक कार्यालय के कामकाज में भी बरकरार रखेंगें।

—रामधारसिंह यादव,
हिन्दी सहायक अधिकारी,
मण्डल रेल प्रबन्धक (क), वालतेरू।

हिन्दी के विकास के लिए . . . .

"हिन्दी के विकास के लिए जरूरी है कि प्रकाशनों में तेजी आए। यूरोप में एक भाषा में पुस्तक निकलती है तो उसका अनुवाद अन्य भाषाओं में फौरन निकल जाता है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना हमारी नीति है और जहां तक भारत सरकार से होगा वह अपनी इस नीति को आगे बढ़ाएगी तथा अपनी भाषा नीति का पालन करेगी।"

—श्रीमती इन्दिरा गांधी

राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण

1. हिन्दी में श्रेष्ठ विधि-पुस्तकें पुरस्कृत

भारत सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि साहित्य प्रकाशन प्रति वर्ष प्राइवेट सैक्टर में हिन्दी में लिखी गई श्रेष्ठ विधि-पुस्तकों के लेखकों और प्रकाशकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। इस वर्ष मंत्रालय की ओर से 20 और 21 अप्रैल, 1984 को ग्वालियर में पुरस्कार समारोह एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। 20 अप्रैल, 1984 को "विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की समस्याएं और उनका समाधान" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन लक्ष्मीबाई नेशनल कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन हाल, ग्वालियर में सायं 4.30 बजे किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय श्री शिवदयाल जी, भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा की गई। माननीय न्यायमूर्ति श्री गोवर्धन लाल ओझा, मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य अतिथि को तथा डा. के.के. तिवारी, कुलपति जीवजी विश्वविद्यालय ने विशेष अतिथि का पद ग्रहण किया। दूसरे दिन 21 अप्रैल, 1984 को उसी स्थान पर सायं 4.30 बजे पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति श्री गोवर्धन लाल ओझा, मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने की। माननीय श्री जगन्नाथ कौशल, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ने 1981 और 1982 में हिन्दी में विधि की श्रेष्ठ पुस्तक लिखने वाले लेखकों तथा पुस्तकों के प्रकाशनों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर माननीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ने ग्वालियर निवासी डा. हरिहर निवास द्विवेदी को विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त करने में अनेक विधि मौलिक योगदान के लिए तथा डा. नरेन्द्र कुमार पटोरिया को चिकित्सा न्यायशास्त्र विषय का उत्कृष्ट हिन्दी अनुवाद करके विधि के क्षेत्र में हिन्दी की श्रीवृद्धि करने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया और उन्हें ताम्र-पत्र प्रदान किए। पुरस्कार पाने वाले लेखकों के नाम इस प्रकार हैं :—

1.	श्रीमती मृदुल श्रीवास्तव एवं श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	5,000.00 रु.
2.	डा. अच्छे लाल	4,000.00 रु.
3.	श्री गुलाबचन्द्र गोयल	3,000.00 रु.
4.	श्री मदन लाल जैन	3,000.00 रु.
5.	डा. बी. एल. वर्मा	3,000.00 रु.
6.	श्री अमर सिंह यादव और श्रीमती विमला यादव	2,000.00 रु.
7.	श्री बद्री विशाल भार्गव	2,000.00 रु.
8.	श्री जुगेन्द्र सिंह और श्री एस. कुमार	2,00.00 रु.
9.	श्री के. एल. सेठी	2,000.00 रु.
10.	न्यायमूर्ति श्री कैलास नाथ गोयल	2,000.00 रु.
11.	श्री गंगा सहाय शर्मा	2,000.00 रु.
12.	श्री योगेन्द्र तिवारी	1,000,00 रु.
13.	डा. एन. डी. शर्मा	1,000.00 रु.
14.	श्री जी. एस. पाण्डे	1,000.00 रु.
15.	डा. जगदीश कुमार	1,000.00 रु.

इस समारोह में श्री ना. कृ. शेजवलकर, संसद सदस्य, श्री बी. एल. भार्गव, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, ग्वालियर ने भाग लिया तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति जैसे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (ग्वालियर पीठ) के सभी माननीय न्यायाधीश, ग्वालियर नगरपालिका निगम के महापौर, विद्वान अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारी, विधि प्राध्यापक तथा मध्य प्रदेश प्रशासन के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। माननीय श्री जगन्नाथ कौशल, केन्द्रीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा— ऐसे समारोह का उद्देश्य यह है कि पुरस्कार प्राप्त लेखकों से दूसरों लोगों को भी प्रोत्साहन मिले। इन्सान यदि किसी चीज का भूखा है तो वह अपनी ख्याति या नाम का भूखा है।' प्रतिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली राशि तात्विक नहीं है। हमारे विभाग ने प्रशंसनीय कार्य किया है। उसकी सराहना करनी चाहिए। उच्च न्यायालय में निर्णयों को हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ लिखे जाने की परेशानी को देखते हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 7 में संशोधन करना स्वीकार कर लिया गया है। लोगों की आम शिकायत यह है कि जो हिन्दी हम बना रहे हैं, वह मुश्किल है। लेकिन जब हम मानक पुस्तक लिखना चाहते हैं, तब हमें मानक शब्दावली की जरूरत पड़ती है। जिस शब्द के व्युत्पन्न शब्द नहीं निकलते, उस शब्द से कोई भाषा नहीं बन सकती। अतः संस्कृत से शब्द ग्रहण करने पड़ते हैं। यह गलतफहमी है कि हम अंग्रेजी भाषा में अपने को अधिक अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपने विधि कार्यों में हिन्दी के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हमारे देश की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, जिस देश की कोई भाषा नहीं होती, उसका राष्ट्रीय गर्व नहीं होता। हम अपनी

मातृभाषा में ही अपने को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपने पुरस्कार पाने वालों में उत्तर प्रदेश की संख्या कम होने पर चर्चा करते हुए कहा कि जब तक बड़े राज्य इस दिशा में नहीं सोचेंगे, समुचित विकास नहीं होगा। पत्रिकाओं में गति करने की जरूरत है, यह मैं मानता हूं। अकेली सरकार हिन्दी आगे नहीं ला सकती, इसमें सभी को आगे आना चाहिए, तभी यह कार्य संपन्न होगा।

माननीय न्यायाधीश श्री गोवर्धन लाल ओझा, मुख्य न्यायाधिपति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने व्यक्त करते हुए कहा —"हिन्दी हमारे स्वाभिमान का विषय है। जो अंग्रेजी पर स्वाभिमान कर रहे हैं, वे वास्तविकता को नहीं जानते। भाषा उपयोग से ही विकसित होगी। यह कहना बेमानी है कि पहले भाषा विकसित हो और फिर उपयोग में लाई जाए। किसी भी भाषा में कोई अंतिम कोश नहीं बन पाया है। भाषा जीवन्त वस्तु है। शब्द आते जाएंगे और बनते जाएंगे। जब भाषा को बंधन में बांधने की कोशिश की जाएगी, तो भाषा मर जाएगी। हिन्दी निर्णयों का अंग्रेजी अनुवाद देना आवश्यक नहीं होना चाहिए। विधि साहित्य की कमी सरकार ही पूरी करे, यह संभव नहीं। शब्दों के मामले में हिन्दी अंग्रेजी के मुकाबले अधिक सक्षम भाषा है। उच्च न्यायालय में हिन्दी निर्णय के साथ अंग्रेजी रूपान्तर देने का बंधन हटने पर विधि के क्षेत्र में प्रचुर हिन्दी साहित्य का सृजन होगा। अगर देश का नागरिक अपनी भाषा में उच्च न्यायालय में कुछ कहना चाहेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि उसमें हिम्मत एवं सामर्थ्य है तो उसकी बात किसी भी न्यायालय में हिन्दी में सुनी जाएगी।

विधि के उपयोग में आने वाली भाषा और आम भाषा में कम फर्क होना चाहिए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा आसान हो जो आम आदमी की समझ में आ सके। इस विभाग ने बड़ा ही भागीरथ कार्य किया है। मैं विधि मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने राजभाषा अधिनियम की धारा 7 में संशोधन करना स्वीकार किया है। यह संशोधन जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। ऐसा अवसर मिले कि हम अपने जीवनकाल में देख पाएं कि विधि के हर पहलू पर हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। मैं विधि मंत्री का बहुत आभार मानता हूं।

डा. हरिहर निवास द्विवेदी ने इस अवसर पर अपने भाषण में कहा—भारत सरकार का विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। लगभग सभी केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत अनुवाद इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है तथा विधि के अनेक मानक ग्रंथ प्रकाशित किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों के मासिक पत्रों का प्रकाशन भी यह मंत्रालय हिन्दी में कर रहा है। तथापि, विधि के विभिन्न विषयों पर लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लेखकों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत करके प्रोत्साहित करने की इस मंत्रालय की योजना सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध होने वाली है। किसी भी भाषा का निर्माण और विकास राज्य द्वारा नहीं, उस भाषा के विद्वानों द्वारा होता है। विधि क्षेत्र में कार्य कर रहे विद्वानों को राज्य द्वारा प्रोत्साहित और सम्मानित करना स्वस्थ और उपयोगी परम्परा है। अपने सम्मानित किए जाने की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा नहीं, वरन् उन सभी व्यक्तियों का है, जिनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से सन् 1940 के आसपास विधि के क्षेत्र में हिन्दी की स्थापना का अथक प्रयास किया गया था।

डा. नरेन्द्र कुमार पटोरिया—ने बताया कि उन्हें "चिकित्सा न्यायशास्त्र और विषत विज्ञान" पुस्तक का अनुवाद करने में 4.5 साल लगे तथा इसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ा। कभी-कभी समकक्षी शब्द नहीं मिलते। उन्होंने अनुवाद की भाषा साधारण बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अनुवाद कार्य को प्रोत्साहन दें और इसके लिए दिए जाने वाले परिश्रमिक को बढ़ाएं।

श्री शिवदयाल, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा—विधि भाषा में एकरूपता होनी चाहिए। उसमें मान्यता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 7 का संशोधन किए जाने की संभावना है। इस समय टीकाओं और डाइजेस्टों का अभाव है। विधि प्राध्यापक इसके लिए आगे आएं और सहयोग दें।

पिछले दो वर्षों में किसी ने प्रथम पुरस्कार नहीं पाया। उन्हें क्रोल प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि अधिक अच्छी पुस्तकें लिखी जाएं। उन्होंने उन बातों को बताया, जिन पर पुस्तकों का चयन किया जाता है तथा उन्हें पुरस्कृत किया जाता है।

संगोष्ठी का आरम्भ करते हुए माननीय श्री ना. कृ. शेजवलकर, संसद सदस्य ने कहा कि पहले हमें यह बात मन से निकालनी होगी कि अंग्रेजी में ही सामर्थ्य है। हिन्दी के मार्ग में जो बाधाएं हैं, उन्हें हटाने की आवश्यकता है। कम-से-कम हिन्दी प्रदेशों में तो हम इसका आग्रह कर ही सकते हैं। कुछ कठिनाई संवैधानिक भी है। यदि हम दृढ़ निश्चय करें तो हम हिन्दी को उसका स्थान दिला सकते हैं। आपने भारतीय प्रशासकीय सेवा और लेखा परीक्षा में हिन्दी के प्रोत्साहन का पक्ष प्रस्तुत किया। आपने कहा कि विधि के क्षेत्र में ऐसे हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया जाए, जो सरल हों और सभी भाषाओं में अंगीकार होने की क्षमता रखते हों।

डा, के. के. तिवारी, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा—हिन्दी के प्रयोग में समस्या शब्दों की नहीं, हिन्दी के प्रयोग की है। हिन्दी को मात्र अनुवाद की भाषा बना दिया गया है। इसमें मौलिक लेखन होना चाहिए। भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जब तक हमारे शीर्ष-स्तर न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, तब तक हिन्दी अनुवाद की भाषा बनी रहेगी।

श्री पी. डब्ल्यू. सहस्त्रबुद्धे, अधिवक्ता ने कहा---अगर हिन्दी को कोई स्थान देना है तो पहले अभिभाषक वर्ग के बीच रुचि पैदा करें। केवल यह कहना कि शासन अपना कर्तव्य कर रहा है, पर्याप्त कर्तव्य नहीं है। आपने विधि शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को हिन्दी करण का काम सौंपने का भी सुझाव दिया। आपने कहा कि विधि के लिए रुचि उत्पन्न करने हेतु 12 साल से 16 साल की आयु के विद्यार्थियों के सामने निष्ठावान और उच्चकोटि के अभिभाषकों के चरित्र रखे जाने चाहिए। उसके बाद पुस्तकों का हिन्दीकरण 16 से 21 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों द्वारा कराने से उनमें हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ेगी। इससे उन विद्यार्थियों को, जो हिन्दी माध्यम लेते हैं, यह आश्वासन मिलेगा कि उनके ज्ञान का उपयोग होगा। हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करना आवश्यक है।

अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद सिंघल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा---हिन्दी भाषा का प्रयोग विधि के क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। केवल प्रश्न यह है कि उसे अवसर दिया जाए। हमारे संविधान में अनुच्छेद 348 का कड़ा प्रतिबंध हिन्दी भाषा के उपयोग के विरुद्ध लगा दिया गया है। फिर हिन्दी का प्रसार, प्रयोग, प्रचलन कैसे होगा? अभी प्रारम्भ में प्रयोगात्मक रूप में हिन्दी भाषी क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों में हिन्दी भाषा घोषित की जाए एवं न्यायाधीश द्वारा स्वयं अपने हिन्दी निर्णय का अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रतिबंध हटाया जाए।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री वी. एल. भार्गव ने कहा---हमारे विधि विद्यार्थी हिन्दी में पढ़ते हैं। बार कौंसिल की अंग्रेजी की परीक्षा पास करनी होती है। यह एक विडम्बना है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से न्यायालयों में जो निर्णय अंग्रेजी में दिए जाते हैं, वह अधिकृत माने जाते हैं। यह हमारी हीनभावना है कि जो हिन्दी में बोलते हैं, उन्हें हीन भावना से देखा जाता है।

विधि संकाय, बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय, वाराणसी के विधि संकाय के डीन डा. कृष्णबहादुर ने कहा---उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, किसी सीमा तक हरियाणा ऐसे प्रदेश हैं, जहां कि विधि विद्यार्थी अंग्रेजी के लिए लालायित नहीं हैं। विधि मंत्रालय ही सब सामग्री को उपलब्ध नहीं करा देगा। जनता के लिए आगे आना जरूरी है। अन्य बाहर की पत्रिकाओं का अनुवाद कैसे हो यह भारत सरकार से आशा नहीं की जा सकती। विधि विद्यार्थियों की हिन्दी के प्रति कड़ी आस्था है। माननीय श्री सजहर अली शाह ने अपना मत व्यक्त किया कि विधि में अपनाई गई शब्दावली रोजमर्रा के अदालती कार्य के लिए व्यवहारिक बनाई जानी चाहिए। ग्वालियर में हिन्दी विधि व्यवसाय में प्रारम्भ से रही है।

श्री बृजकिशोर शर्मा, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, विधि मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने प्रस्तावित भाषण में विधायी विभाग के राजभाषा खंड एवं विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित कार्यों को बताया तथा कार्यवाही का संचालन किया। श्री जगत नारायण प्रधान सम्पादक, विधि साहित्य प्रकाशन, भारत सरकार ने संगोष्ठी के अंत में आभार प्रकट किया और पुरस्कार समारोह में लेखकों का परिचय प्रस्तुत किया, जिन्हें माननीय केन्द्रीय विधि मंत्री ने पुरस्कार प्रदान किए।

---सुरेश चन्द्र माथुर, सहायक सम्पादक।

2. खान विभाग में हिन्दी का बढ़ता प्रयोग

खान विभाग एक वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन है, जिसके अंतर्गत खनिज और धातुओं की भूगर्भीय खोज, सर्वेक्षण, विदोहन खान और खनिज कानूनों के प्रवर्तन तथा खनिज पट्टों के अनुदान विषयक विवादों में पुनरीक्षण याचिकाएं सुनने और उन पर अर्द्धन्यायिक आदेश पारित करने का कार्य होता है। विभाग में पुरस्कार की राजभाषा नीति के अनुसार हिन्दी के प्रयोग की शुरूआत राजभाषा नियम (जून) 1976 जारी होने से काफी पहले हो गई थी। खान विभाग का एक प्रमुख काम खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा खनिज अनुदान नियमावली, 1960 के अंतर्गत देश भर में खानों और खनन पट्टों के अनुदान को लेकर राज्य सरकारों और आवेदक जनता के बीच उत्पन्न विवादों पर अपील/पुनरीक्षण याचिकाएं सुनने का है। इसके लिए विभाग में दो न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) हैं, राज्य सरकारों के खिलाफ हर साल ऐसी लगभग 500/600 याचिकाएं दायर होती हैं, ये अंग्रेजी में ही होती है लेकिन हिन्दी भाषी क्षेत्र के खनिपट्टों की याचिकाओं पर वहां की राज्य सरकारों की टीकाएं और अन्य कागजात सन् 1965 के बाद केवल हिन्दी में ही प्राप्त होते हैं। शुरू में इन इन हिंदी कागजातों आदि को अंग्रेजी में अनुवाद करके याचिकाओं पर सुनवाई की जाती थी। लेकिन सन् 1974 में विभाग के प्रभारी अपर सचिव (श्री सुभाष कुमार मुखर्जी) एवं संयुक्त सचिव (श्री एस. के. एस. चिब) ने इस प्रसंग में दो आंतरिक आदेश जारी किए- (1) हिन्दी में प्राप्त कागजातों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं होगा तथा (2) स्वमेव अस्वीकृत (डीम्डरिजेक्शन)। से संबंधित याचिकाओं पर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के प्रसंग में सभी ट्रिब्यूनल आदेश (अर्द्धन्यायिक आदेश) के बल हिन्दी में जारी किए जाएंगे। और इन पर तत्काल अमल शुरू हो गया था। यही नहीं इन याचिकाओं से संबंधित दो अनुभागों में अनेक हिन्दी भाषी कर्मचारियों ने हिन्दी में नोट और मसौदा लिखना भी शुरू कर दिया था। इसका एक अच्छा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा था, क्योंकि उस समय खान विभाग में 80% से भी काफी कम लोगों को हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान था। जुलाई, 1975 में आयी गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार तथा बाबू गंगभक्त सिंह जैसे हिन्दी साहित्य मनीषी ने प्रत्येक अनुभाग में जाकर हिन्दी के बढ़ते हुए प्रयोग का जायजा लिया था और उसकी मक्तकण्ठ से तारीफ की थी। गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिती की 1973 की निरीक्षण रिपोर्ट में इसका उल्लेख है।

राजभाषा नियम, 1976 लागू होने के बाद विभाग में हिन्दी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। अर्द्धन्यायिक ट्रिब्यूनल में अप्रैल, 1981 में यह ऐतिहासिक निर्णय किया कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में विद्यमान खनिजों और खनन पट्टों से संबंधित सभी अनुदान आदेश तथा याचिकाओं पर ट्रिब्यूनल के निर्णय हिन्दी में जारी किए जाएंगे और इस निर्णय का भी तत्काल पालन शुरू हो गया। इसके फलस्वरूप कार्यक्रम वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-1984 के दौरान क्रमशः 395, 622 तथा 518 अर्द्धन्यायिक आदेश हिन्दी में जारी हुए।

संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार भी खान विभाग में विभिन्न सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग में क्रमशः वृद्धि होती रही है। विभाग के सचिवालय में हिन्दी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देना पाप समझा जाता है। सभी सामान्य आदेश सांविधिक आदेश परिपत्र, अधिसूचनाएं, संकल्प, नियम प्रशासनिक रिपोर्ट आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी की जाती है। हिंदी भाषी राज्यों और वहां की जनता के साथ मूल पत्राचार में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस समय इस श्रेणी में 68% मूल पत्र हिन्दी में जारी हो रहे हैं। गत लगभग 4-5 वर्षों से कर्मचारियों की सेवा पंजियों में हिंदी में इन्दराज हो रहे हैं, हाजरी रजिस्टर में हिन्दी में नाम लिखे जा रहे हैं।

एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि सन् 1981 से वेतन और वेतन ब्यौरे केवल हिन्दी चैक ही तैयार किए जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप रोकड़ अनुभाग में समूची लिखा-पढ़ी का काम केवल हिन्दी में होता है। वर्ष 1983-84 के दौरान 3010 वेतन चैक/ब्यौरे हिन्दी में जारी हुए। विभाग में चौदह में से तीन अनुभागों में लगभग 50% सरकारी काम हिन्दी में होता है। 5 अनुभागों में 5 से 25 प्रतिशत तक काम हिन्दी में होता है। स्थापना/प्रशासन आदि अनुभागों से हिन्दीभाषी कर्मचारियों के नाम नियुक्ति प्रस्ताव छुट्टी आवेदन मंजूरी आदि पत्र केवल हिन्दी में जारी होता है। विभाग के अधिसंख्य कर्मचारी भी अपनी छुट्टी आदि के आवेदन पत्र केवल हिन्दी में देते हैं।

खान विभाग में इस समय उप निदेशक श्रेणी का वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, 2 अनुवादकों और तीन टाइपिस्टों का एक हिंदी अनुभाग है। उक्त कर्मचारी संख्या जुलाई 1973 से है। अप्रैल, 1981 में जारी न्यूनतम हिन्दी पदों के मानक के अनुसार अनुवादकों के दो पद और सृजित किए जाने हैं जिनके लिए कार्रवाई चल रही है। राजभाषा अधिनियम के अनुसार हिन्दी अनुभाग की भूमिका सन् 1974 से काफी महत्वपूर्ण रही है। हिन्दी अनुभाग के सभी कर्मचारी मिशनरी और मशीनरी दोनों ही भावनाओं से कार्य करते हैं। इसके फलस्वरूप (क) हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष प्रतिवर्ष कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाने के फलस्वरूप अब केवल 12 अधिकारियों ही प्रशिक्षण के लिए शेष हैं, (ख) हिन्दी में नोट और मसौदा लेखन के व्यावहारिक प्रशिक्षण की हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने के बाद सन् 1981 से ही काफी अधिक कर्मचारी हिन्दी सरकारी काम कर रहे हैं। तथा (ग) खान विभाग से संबंधित भू-विज्ञान धातुकी, खनिज विज्ञान आदि से सम्बंधित विषय पर मौलिक हिन्दी पुस्तक लेखन के प्रोत्साहन हेतु द्विवार्षिक पुरस्कार योजना मई 1982 में जारी की गई है। इस तरह सरकार की राजभाषा नीति के पालन में सतत अग्रणी है जिसका प्रमाण है कि खान विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच 1981-1982 के द्वितीय पुरस्कार स्वरूप राजभाषा तथा 1982-83 के प्रथम पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड प्राप्त करने में सफल हुआ है। यही नहीं खान विभाग के अधीन विभिन्न संगठनों/उपक्रमों में हिन्दी का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हिन्दी भाषी क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी में तो 70% के लगभग कार्य हिन्दी में हो रहा है। विभाग के उच्च स्तरीय मार्गदर्शन के फलस्वरूप सभी 6 उपक्रमों और दोनों अधीनस्थ कार्यालयों में उच्चतम अधिकारियों की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें होती हैं। सभी उपक्रमों में समय-समय पर राजभाषा गोष्ठियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन हिंदी सप्ताह आयोजित किए जाते हैं। तिमाही नकद पुरस्कार योजना लागू है। सार्वजनिक उपयोग के सभी उत्पादों पर हिंदी में अंकन होता है। सचिव (खान) के निर्देश पर विभाग के नियंत्रण में कारी कंपनी हिन्दुस्तान जिंक लि. सन् 1981 से ही अपनी विभिन्न इकाइयों में अखिल भारतीय स्तर पर राजभाषा सेमिनार का आयोजन करती है। राजभाषा विभाग के निर्देश के अनुसार विभाग के अधिकारी समय-समय पर विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति का सन् 1975 से ही निरीक्षण करते आ रहे हैं और मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की निरीक्षण टोली तथा संसदीय राजभाषा समिति भी देश भर में फैले विभाग के लगभग सभी कार्यालयों/उपक्रमों कारखानों का निरीक्षण कर चुकी है और वहां हो रहे हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण सुझाव देती रही है। गत 10 वर्षों के दौरान विभिन्न अवसरों पर हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए इस्पात और खान मंत्रियों द्वारा अपीलें जारी की जाती रही हैं। इन सब का ही यह परिणाम है कि आज खान विभाग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच, वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग होते हुए भी, शीर्षस्थ स्थान पर पर है।

—जयवीर सिंह चौहान
उपनिदेशक, खान विभाग

3. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में हिन्दी

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस एक ऐसा बल है जिसे देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बार-बार देश के एक भाग से दूसरे भाग में हस्तांतरित होना पड़ता है। दूसरे इस बल का गठन विभिन्न प्रांतों के बहु भाषा-भाषियों, धर्मों, जातियों के व्यक्तियों से मिलकर हुआ है। अतः इस बल का अपने आपमें बहुभाषी होना स्वाभाविक ही है। किन्तु जहां तक कार्यालयों में काम-काज करने का संबंध है वहां केवल हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो रहा है।

(1) हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था:

बल के मुख्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु एक हिन्दी अधिकारी, एक-एक हिन्दी अनुवादक ग्रेड-। व ग्रेड-।।

तथा तीन हिन्दी टाइपिस्ट की व्यवस्था है। चारों सैक्टर पुलिस महानिरीक्षकों के कार्यालयों, आंतरिक सुरक्षा अकादमी के. रि. पु. बल माउंट-आबू तथा सत्रह ग्रुप केन्द्रों में एक-एक हिन्दी अनुवादक ग्रेड-।। की व्यवस्था है।

(2) राजभाषा अधिनियम 1963 तथा इसके अधीन बनाए गये रा. भा. नियम-1976 की मदों का अनुपालन :

कथित अधिनियम और नियम के उपबंधों को सरकारी काम-काज में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गये हैं जैसे-विभिन्न प्रशिक्षण-पंफलैटों का हिन्दीकरण किया गया, प्रशिक्षण साहित्य का हिन्दी अनुवाद किया गया तथा प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण और परीक्षाओं में माध्यम का विकल्प हिन्दी व अंग्रेजी दोनों ही रखे गये हैं।

(3) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन :

बल के सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन हो चुका है तथा उनकी बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं। बैठकों में पिछले निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाइयों तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। पाई गई कमियों से मुख्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत कराया जाता है।

(4) के. स. हिन्दी परिषद की प्रतियोगिताओं में बल के अधिकारियों/कर्मचारियों ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किये :

भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की अठारवीं अखिल भारतीय हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता में इस बल के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों ने उनके नाम के आगे लिखे विशिष्ठ स्थान प्राप्त कर माननीय विदेशमंत्री श्री श्री नरसिंहराव के कर कमलों द्वारा पदक तथा प्रशंसा-पत्र प्राप्त किये—

(1) श्री सुरेन्द्र प्रकाश शर्मा, कमांडैन्ट—अधिकारी पुरस्कार ग्रुप केन्द्र-।, के. रि. पु. बल, अजमेर अधिकारी पुरस्कार

(2) श्री रामकुमार वत्स, सहा. कमांडैन्ट—ग्रुप केन्द्र, के. रि.पु. बलरामपुर अधिकारी पुरस्कार

(3) श्री उमाशंकर शर्मा, स. उ. नि. (लिपिक) ग्रुप केन्द्र-। अजमेर, दूसरा स्थान

(4) श्री पी. पी. चन्द्रन, स. उ. नि. (लिपिक) ग्रुप केन्द्र, रामपुर, तीसरा स्थान

(5) दिनांक 22-9-1983 को संसदीय समिति द्वारा मुख्यालय का दौरा :

संसदीय समिति ने अपने दौरे के समय बल में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया तथा कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने का सुझाव दिया। समिति ने निरीक्षण के दौरान जायजा लेते समय पाया कि—

(1) 'क' और 'ख' क्षेत्रों के साथ करीब 57% पत्र व्यवहार हिन्दी में हुआ।

(2) 50 प्रतिशत सामान्य-आदेश द्विभाषा में जारी किये गये।

(3) सभी रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइन-बोर्ड, स्टेशनरी की मदें तथा गाड़ियों पर कार्यालयों के नाम आदि द्विभाषा में लिखवा दिये गये हैं।

(4) प्रशिक्षण-साहित्य की 29 पुस्तकों में से 21 पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(5) मुख्यालय के पुस्तकालय में हिन्दी की 12 पत्रिकाएं तथा 2 हिन्दी समाचार-पत्र नियमित रूप से मंगाये जा रहे हैं।

(6) बल के मुख्यालय में कुल 73 रोमन-टाइपराइटर तथा 21 देवनागरी की टाइपराइटर मौजूद हैं।

(7) बल की त्रैमासिक पत्रिका "कैपलर" दोनों भाषाओं हिन्दी व अंग्रेजी में नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है।

(8) सभी सैक्टर पुलिस महानिरीक्षक और उप-महानिरीक्षक अपने दौरे के समय हिन्दी की प्रगति का जायजा लेते हैं।

(6) गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण :

गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, हाल ही में अप्रैल 1984 के दौरान मंत्रालय के उप-सचिव व हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य सचिव श्री मदन मोहन शर्मा ने इम्फाल, शिलांग और गौहाटी में स्थित इस बल के कार्यालयों में राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन तथा उनके काम-काज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें यह प्रसन्नता हुई कि इन सभी कार्यालयों के अधिकारीगण व कर्मचारी सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग राजभाषा नियमों के अनुसार करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इनका प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाने में बहुत ही रुचि ले रहे हैं।

4. आयुध निर्माणी वरनगांव में राजभाषा के बढ़ते चरण

महाराष्ट्र के एकान्तिक स्थल में स्थित आयुध निर्माणी संगठन की इस महत्वपूर्ण इकाई में राजभाषा संबंधी गतिविधियों का कार्यक्षेत्र निरन्तर विस्तृत होता जा रहा है। निर्माणी में मार्च 1982 से प्रथक राजभाषा अनुभाग के गठन के बाद राजभाषा संबंधी आदेशों/निर्देशों के कार्यान्वयन का कार्य त्वरित एवं योजनाबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया है जिसका विहंगम विवरण निम्नानुसार है :—

(1) निर्माणी में हिन्दी अनुवादक की नियुक्ति की गई है तथा पृथक राजभाषा अनुभाग गठित किया गया है।

(2) निर्माणी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसकी नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा लिए गए निर्णयों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाती है। समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री आर.ओ. रस्तोगी, उपमहाप्रबन्धक सदस्य सचिव श्री एन.के. वार्ष्णेय कार्यशाला प्रबंधक प्रशासन हैं।

(3) राजभाषा-अधिनियम 1967 की धारा 3(3) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार सभी सामान्य आदेशों का द्विभाषी या केवल हिन्दी में प्रकाशन किया जा रहा है।

(4) सामान्य आदेशों की द्विभाषी साइक्लोस्टाइलिंग/मुद्रण पर नजर रखने के लिए स्थापना अनुभाग, प्रिन्टिंग अनुभाग एवं राजभाषा अनुभाग में जांच बिन्दु बनाये गये हैं। जांच बिन्दु द्वारा सामान्य आदेशों की साइक्लोस्टाइलिंग/मुद्रण पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(5) 1982 से ही हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम चलाया गया है। चालू सत्र में प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ कक्षाओं में लगभग 50 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त "हिन्दी टाइपराइटरों" की पर्याप्त संख्या में (वर्तमान संख्या-12) व्यवस्था करने के पश्चात् पिछले सत्र से लिपिकों के लिए अनिवार्य हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। चालू सत्र में 13 निम्न श्रेणी लिपिकों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(6) कर्मचारियों के प्रयोग में आने वाले अधिकांश फार्म/प्रोफार्म द्विभाषी रूप में परिवर्तन कर दिए गए हैं।

(7) निर्माणी में शत-प्रतिशत साइन बोर्ड, नामपट्टल आदि द्विभाषी रूप में परिवर्तित कर दिए गए हैं। शत-प्रतिशत रबर स्टैम्पों के द्विभाषीकरण से संबंधित कार्रवाई प्रगति पर है।

(8) सभी अधिकारियों/अनुभागों को हिन्दी कार्य में सुविधा हेतु सहायक साहित्य (शब्दावली चार्ट) कार्यालय सहायिका उपलब्ध कराया गया है।

निर्माणी में जहां राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रशासकीय कार्यों में हिन्दी को अधिकाधिक अपनाने के हर संभव उपाय किए किए जा रहे हैं वहीं कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति स्नेह एवं अभिरुचि जागृत करने का स्पहणीय कार्य केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की स्थानीय शाखा द्वारा किया जा रहा है परिषद की शाखा के वर्तमान अध्यक्ष निर्माणी के महाप्रबन्धक श्री जे. जी. जगवानी तथा सचिव श्री राजकृष्ण दीक्षित, कार्यशाला प्रबन्धक के उत्साहपूर्ण मार्गदर्शन में वर्ष 1983-84 में तो परिषद की गतिविधियों का यथेष्ट विस्तार हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

(1) 14 सितम्बर 1983 के हिन्दी दिवस समारोह को उपलक्ष्य में दिनांक 12-9-83 से 17-9-83 तक निर्माणी में "हिन्दी सप्ताह" मनाया गया, जिसमें स्थानीय मूर्धन्य विद्वानों हिन्दी के सारगर्भित व्याख्यान हुए तथा हिन्दी निबन्ध, वाद-विवाद, कविता-पाठ एवं हिन्दी टंकण प्रतियोगिता आयोजित की गई। समापन दिवस पर महाप्रबन्धक द्वारा विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किए गए।

(2) 26 नवम्बर से 30 नवम्बर तक हिन्दी एकांकी नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें निर्माणी के विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेता सांस्कृतिक संगठन "बंगभारती" को चल वैजयन्ती प्रदान की गई।

(3) दिनांक 8-10-83 को क्षेत्रीय स्तर हिन्दी कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों ने भाग लिया।

(4) दिनांक 28 अप्रैल, 1984 को अखिल भारतीय हिन्दी कवि सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें देश के प्रतिष्ठित कवियों सर्वश्री मधुप पाण्डेय (नागपुर), कुंवर "बेचैन" (गाजियाबाद), प्रदीप चौबे (ग्वालियर), वेद प्रकाश "सुमन" (मुरादनगर) तथा वेद कुमार "राही" (वरनगांव) ने भाग लिया। कार्यक्रम की रिकार्डिंग आकाशवाणी के जलगांव केन्द्र द्वारा प्रसारित की गई।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता, टंकण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिनमें कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजयी प्रतियोगियों को परिषद् द्वारा नगद पुरस्कार दिए गए।

इसके अतिरिक्त निर्माणी में कार्यरत साहित्यिक संस्था "साहित्य परिषद्" द्वारा अर्धवार्षिक पत्रिका 'अंकुर' का प्रकाशन किया जा रहा है जिसका तृतीय अंक आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया जाएगा।

हमारा दृढ़ संकल्प है कि निर्माणी के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्नेह एवं सहयोग से निर्माणी के दैनन्दिन प्रशासकीय कार्यों में राजभाषा हिन्दी का ही प्रयोग करेंगे। हमारे

वर्तमान महाप्रबंधक श्री जे. जी. जगवानी द्वारा स्वयं अधिकारियों एवं कर्मचारी वर्ग को अपना दैनिक सरकारी कार्य राजभाषा के माध्यम से ही करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि निकट भविष्य में निर्माणी से होने वाले अधिकतम बाह्य तथा आन्तरिक पत्राचार को हम राजभाषा के माध्यम से ही कर सकेंगे तथा हिन्दी हमारी कार्य पद्धति का अंग बन सकेगी।

राजकृष्ण दीक्षित
हिन्दी शिक्षण योजना, आयुध निर्माणी वरनगांव
कार्यशाला एवं सर्व कार्यभारी अधिकारी।

5. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के शाखा प्रबंधकों के लिए एक दिवसीय गोष्ठी

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के दिल्ली के शाखा प्रबंधकों के लिए एक दिवसीय हिन्दी सेमिनार का आयोजन दिल्ली के इण्डिया इन्टरनेशनल हाल में किया गया। बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री वी. के. सिब्बल मुख्य अतिथि थे तथा बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री प्रेमजीत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। इस अवसर पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशक श्री वी. के. मजोत्रा ने प्रमुख वक्ता के रूप में सेमिनार को संबोधित किया।

श्री वी. के. मजोत्रा, निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने भाषा नीति से संबंधित संवैधानिक स्थिति, राजभाषा अधिनियम एवं नियम, 1976 के विभिन्न प्रावधानों से शाखा प्रबंधकों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राजभाषा नीति के अनुपालन की जिम्मेदारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों पर है और वे हस्ताक्षर करते समय यह देखें कि राजभाषा अधिनियम का अनुपालन हो रहा है या नहीं?

मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री वी. के. सिब्बल ने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि सेन्ट्रल बैंक को लगातार हिन्दी के क्षेत्र में दो बार भारतीय रिजर्व बैंक की शील्ड मिल चुकी है। उन्होंने शाखा प्रबंधकों से कहा कि अगर वे मन में संकल्प लें कि हिन्दी में काम करना है तो अन्य कमियां अपने आप दूर हो जायेंगी। उन्होंने बैंक कर्मचारियों को आह्वान किया कि राष्ट्रीयकरण के बाद उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वे सरल हिन्दी में काम करना तुरंत आरंभ कर दें।

बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री प्रेमजीत सिंह ने शाखा प्रबंधकों से अनुरोध किया कि वे बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जनता की भाषा में काम करें। हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जिसके माध्यम से हम शीघ्र निर्णय ले सकते हैं। बात को सही प्रकार से तथा जल्दी समझ सकते हैं।

दिल्ली क्षेत्र के सहायक महा प्रबंधक, श्री के. एल. कालड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया तथा दिल्ली क्षेत्र की 10 और शाखाओं को हिन्दी में काम करने के लिए अधिसूचित करवाने की घोषणा की। प्रथम सत्र के अंत में क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक, श्री ए. के. चिगोटे ने अतिथियों को धन्यवाद दिया।

—कृ. मो. मिश्र, उपमुख्य अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया लिंक हाउस, नई दिल्ली।

6. सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सम्मेलन और राजभाषा हिन्दी

भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का सम्मेलन प्रतिवर्ष होता रहता है। ऐसा ही राजभाषा सम्मेलन दिनांक 24 जनवरी, 1984 को लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन के संबंध में श्री सुभाष चन्द्र पालीवाल, प्रधान राजभाषा अधिकारी, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता को एक परचा प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने निदेश दिए थे। चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसे "राजभाषा भारती" में प्रकाशित किया जा रहा है।

हम देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को तब तक सार्थक नहीं कर सकते, जब तक कि सरकारी कार्यालयों में जनता का काम जनता की ही भाषाओं में न हो। इसी कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा स्वीकार की गई है। अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत सरकार पर यह जिम्मेदारी भी डाली गई है कि वह हिन्दी का विकास इस प्रकार करे कि हिन्दी भारत की सामाजिक संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

श्री बी. जी. खेर आयोग (1955) और जी. बी. पन्त समिति (1957) की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया (1967 में संशोधित) और

विभिन्न मतों तथा दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया कि 1965 के पश्चात् केवल हिन्दी ही संघ की राजभाषा होगी, किन्तु अंग्रेजी के इस्तेमाल की छूट तब तक बनी रहेगी, जब तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए संकल्प न पारित करें और उनके संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद के दोनों सदन भी ऐसा ही न करें।

इस प्रकार अब हम एक द्विभाषिक दौर में से गुजर रहे हैं और इस बीच सरकार को हिन्दी का कार्य क्षेत्र क्रमशः एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार विस्तृत करना है।

राजभाषा अधिनियम 1963 (1863 का अधिनियम संख्या 19) यह निर्धारित करता है कि निम्नलिखित दस्तावेजों और प्रलेखों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य है:--

(क) 1. संकल्प,
2. सामान्य आदेश,
3. नियम,
4. अधिसूचनाएं,
5. प्रशासनिक प्रतिवेदन
6. अन्य प्रतिवेदन,
7. प्रेस विज्ञप्ति।

(ख) 8. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र।

(ग) 9. संविदा,
10. करार,
11. अनुज्ञप्ति (लाइसेंस),
12. अनुज्ञापत्र (परमिट),
13. सूचना (नोटिस)
14. निविदा प्ररूप (टेंडर फार्म)।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के निगमों, कम्पनियों आदि पर यह बाध्यता है कि उपर्युक्त 14 दस्तावेजों आदि को हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किया जाए। इसीलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों आदि के लिए भी यह अनिवार्य हो गया है कि वे उपर्युक्त 14 दस्तावेजों आदि में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का भी प्रयोग करें।

उपर्युक्त बात से यह भी स्पष्ट होता है कि भारत में अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती रहेगी, परन्तु इससे हिन्दी की प्रगति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। राजभाषा से सम्बन्धित इन संविधिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित भारत सरकार के सभी कार्यालयों को, तमिलनाडु राज्य समेत, पूरे देश में करना जरूरी है।

परन्तु यह भी सच है कि इन उपबन्धों का अनुपालन भारत भर में बिखरे समस्त सरकारी कार्यालयों में एकदम से नहीं किया जा सकता। इसके लिए बृहद् रूप से तैयारियां करनी होंगी, जिनमें अनुवाद की व्यवस्था, हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था, अहिन्दी कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था, हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की हिन्दी में लिखने की झिझक को दूर करने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं की व्यवस्था करना आदि कार्य बहुत जरूरी हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत राजभाषा नियम जून, 1976 में ही बन पाए। परन्तु इस अन्तराल की अवधि के दौरान अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सरकारी आदेशों द्वारा करवाया जाता रहा। राजभाषा नियम तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होते हैं। तथापि, नियमों के अंतर्गत यह निर्दिष्ट किया गया है कि "राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन सभी दस्तावेजों को हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में तैयार किया जाता है, निष्पादित किया जाता है या जारी किया जाता है"।

उपर्युक्त सांविधिक अपेक्षाओं का शत-प्रतिशत अनुपालन न होने के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :--

1. आदेश के प्रति समुचित जागरूकता का अभाव :

भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंक की 41,000 से भी अधिक शाखाएं हैं। यह देखा गया है कि राजभाषा के प्रयोग संबंधी आदेशों पर सभी स्तरों पर गंभीर रूप से विचार नहीं किया जाता है। कहीं-कहीं तो इन आदेशों को सिर्फ सूचना के लिए प्रेषित किया हुआ माना जाता है। आज तो ऐसी स्थिति बन गई है कि यदि हिन्दी के लिए आदेश जारी भी होते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि यह मात्र औपचारिकता है तथा इनका अनुपालन कर्मचारियों की मनमर्जी पर है। जिस प्रकार दूसरे अधिनियमों एवं नियमों का अनुपालन करना सरकारी कर्मचारियों का कर्तव्य है, उसी प्रकार उन्हें चाहिए कि वे राजभाषा अधिनियम एवं नियमों को कार्यान्वित करने के लिए भी भरपूर प्रयत्न करें। दरअसल राजभाषा अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन करना सरकारी आदेश एवं नियमों का कार्यान्वयन मात्र नहीं है, बल्कि यह उनका राष्ट्रीय दायित्व है। यदि कर्मचारियों में यह भावना पनपे कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के साथ राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न जुड़ा हुआ है तो राजभाषा के प्रयोग संबंधी निर्देशों का अनुपालन आसानी से सुनिश्चित हो सकेगा और इस में गति भी आएगी।

विधि विशेषज्ञ इस मुद्दे पर भी विचार करें कि यदि संसद में पारित अधिनियम का उल्लंघन कर उपर्युक्त दस्तावेज सिर्फ अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं, तो क्या वे वैध दस्तावेज हैं।

2. बुनियादी सुविधाओं का अभाव :

यह आवश्यक है कि राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन के लिए सभी स्तरों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। हिन्दी टंकक, हिन्दी आशुलिपिक, हिन्दी टाइप-राइटर, अनुवादक, हिन्दी अधिकारी आदि विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध होने चाहिए। यह देखा गया है कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा हर तरह के प्रयास किए जाने के बावजूद हिन्दी टंकक एवं हिन्दी आशुलिपिक उपलब्ध नहीं होते हैं। इससे राजभाषा के प्रयोग संबंधी कार्यों की देखभाल के लिए निपुण अनुवादक एवं हिन्दी अधिकारी भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं।

इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि जब तक राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का हार्दिक सहयोग एवं सक्रिय योगदान प्राप्त नहीं होगा, तब तक इस कार्य में वांछित गति नहीं आ सकेगी। राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति का उत्तरदायित्व सिर्फ हिन्दी कक्षों/अनुभागों का ही नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इन्हें तो बैंकों में दिशा सूचक या प्रकाश स्तंभ के रूप में मानना चाहिए और बेहतर तो यही होगा कि यह कार्य हर संभव स्तर पर किया जाए।

3. प्रशिक्षण की सुविधाओं का अभाव :

हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की सुविधाएं भारत के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों में उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी फैली हुई हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए एवं ग्रामीण, अर्ध शहरी एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत बैंक कर्मचारियों के लिए वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त सी प्रतीत होती है। यह जरूरी है कि कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यह भी अपेक्षित है कि प्रारम्भिक भर्ती के समय अधिक से अधिक ऐसे लोगों की भर्ती की जाए, जिसे हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि का ज्ञान हो। हिन्दी प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने एवं कार्यशाला लगाने की दिशा में भी तेजी लाई जानी चाहिए तथा प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता का सही उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि बैंकों को भारत में पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत अधिक काम करना होता है, क्योंकि इस विशाल देश में ये सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के साधन भी हैं। हमारे देश में बैंकिंग सेवाओं के बड़े पैमाने पर एवं तेजी से विस्तार के कारण बैंकों के लिए अभी तक अपने कर्मचारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण देना संभव नहीं हो सका है। निर्धारित लक्ष्यों को बैंक तभी पूरा कर सकेंगे, जब उनके पास पूर्ण-रूपेण प्रशिक्षित एवं समर्पित भाव से काम करने वाले कर्मचारी हों। एक ओर जहां समुचित प्रशिक्षण अनिवार्य है, वहीं दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि हिन्दी के इस चुनौतीपूर्ण कार्य के प्रति योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने हेतु इस संवर्ग में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं एवं उन्हें प्रशासनिक अधिकार और अन्य सुविधाएं मुहैया की जाएं, जिससे कि वे अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सफल हो सकें। यदि हिन्दी अधिकारी केवल कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के साधन ही समझे जाते रहे तो राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती।

वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग के योग्य मार्गदर्शन में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने निस्संदेह महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। लेकिन हम अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने बहुत कुछ काम करना बाकी पड़ा है। हमें ऐसे मंचों पर एवं अन्यत्र भी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना होगा तथा भविष्य के लिए प्रभावी योजनाएं बनानी होंगी।

हम सब इस बात से सहमत होंगे कि भाषा के बदलाव का कार्य आसान नहीं है, लेकिन एक बार यदि कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो शुरू में धीमी प्रगति हो सकती है पर धीरे-धीरे वातावरण अनुकूल होता जाएगा। जहां चाह वहां राह। राजभाषा नीति को स्पष्ट रूप से समझना और इसका सही रूप में कार्यान्वयन करना ही वर्तमान समय की मांग है। हमारे समक्ष राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा करने का चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसलिए हमें इस चुनौती को स्वीकार कर अपने कर्तव्यों का पालन समर्पित भाव से करना चाहिए।

सुभाष चन्द्र पालीवाल
प्रधान राजभाषा अधिकारी, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक,
प्रधान कार्यालय, 10, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता-700001

7. दरीबा माइन्स, उदयपुर में राजभाषा गोष्ठी

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की राजपुरा दरीबा माइन्स उदयपुर में आयोजित राजभाषा गोष्ठी में अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए इकाई प्रधान श्री एन. सी. जैन ने कहा कि हिन्दी को अपनाना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। अहिन्दी भाषी इसे सीखने को तत्पर हैं, परन्तु हिन्दी भाषियों को भी अन्य भाषाओं में कम से कम एक भाषा को अवश्य सीखना चाहिए। इससे भाषायी सौहार्द बढ़ेगा और हिन्दी समूचे देश में अपनायी जायेगी। इस गोष्ठी में उदयपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के रीडर डा. के. के. शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने दीप प्रज्जवलित कर राजभाषा गोष्ठी का उद्घाटन किया।

गोष्ठी के प्रारंभ में इकाई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री मतीसिंह सामर ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए हिन्दी के प्रयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की। गोष्ठी में जोधपुर विश्वविद्यालय के डा. शक्तिदान कविया ने अपना पत्र-वाचन "राजभाषा के लिए हिन्दी ही क्यों? विषय पर किया। उदयपुर विश्वविद्यालय के डा. के. के. शर्मा ने "क्या हिन्दी थोपी जा रही है" विषय पर अपना पत्र-वाचन किया। इसी प्रकार श्री राजेन्द्र सक्सेना के पत्र-वाचन का विषय था "हिन्दी का प्रशासनिक प्रयोग" "समस्यायें और समाधान"।

विद्वान साहित्यकारों ने राजभाषा के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किये। गोष्ठी के अंत में सशक्त कवियों जैसे राजेन्द्र सक्सेना, श्री पुरूषोत्तमे छंगाणी, श्री इन्द्रदेव विद्यार्थी, श्री शमशेर बहादुरसिंह तथा श्री केशव राय ने काव्य-पाठ कर गोष्ठी को सरस एवं रोचक बनाया। श्री एस. के कुण्डू ने धन्यवाद ज्ञापन किया। गोष्ठी का संचालन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री पुरूषोत्तम छंगाणी ने किया।

8. नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड "पायनियर हाउस", सीमाजीगुडा, हैदराबाद में हिन्दी सम्मेलन का 31 मार्च, 1984 से 7 अप्रैल, 1984 तक भव्य आयोजन

हैदराबाद स्थित भारत सरकार के उपक्रम, नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड में 31 मार्च, 1984 से 7अप्रैल, 1984 तक हिन्दी-सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अन्तर्गत 6 अप्रैल, 1984 को "सरकारी उपक्रमों" में "राजभाषा हिन्दी के प्रयोग" विषय पर सेमिनार तथा 7 अप्रैल, 1984 को राजभाषा समारोह के आयोजन हुए। इस अवसर पर हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग, हिन्दी निबन्ध और हिन्दी वाक् प्रति-योगिताओं के भी आयोजन हुए और विजयी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

6 अप्रैल, 1984 : राजभाषा सेमिनार:

'राजभाषा सेमिनार' में हैदराबाद-सिकन्दराबाद स्थित दर्जनों सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों के राजभाषा अधिकारी तथा अन्य सम्बद्ध कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रमुख आमंत्रित वक्ता थे, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हैदराबाद के प्रोफेसर और केन्द्र प्रभारी, डा. वी. रा. जगन्नाथन तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद के हिन्दी विभाग के रीडर, डा. विजेन्द्र नारायण सिंह।

आयोजन के अध्यक्ष थे निगम के निदेशक (वित्त) और राज-भाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री आत्मकूरि रामचन्द्र राव।

निगम के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, श्री गोवर्धन ठाकूर ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में आज सरकारी उपक्रमों का बहुत बड़ा योगदान है, जहां इसके लिए काफी कुछ किया जा रहा है।

समारोह के अध्यक्ष, श्री आत्मकूरि रामचन्द्र राव ने अति-थियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए उन्हें बताया कि एन. एम. डी. सी. राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सरकारी नियमों के अनुपालन के प्रति तो सजग है ही, इसके प्रचार-प्रसार के प्रति भी सचेष्ट है।

डा. जगन्नाथन ने अपने वक्तव्य के क्रम में यह स्पष्ट किया कि हिन्दी का प्रयोग दिनोंदिन बढ़ रहा है और यह अपने आप विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच संपर्क हेतु एक कारगर माध्यम बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि हिन्दी केवल केन्द्रीय सरकार के कामकाज के लिए ही नहीं, हमारे बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए भी नितान्त आवश्यक है। डा. सिंह का कहना था कि विश्व का कोई छोटे से छोटा देश क्यों न हो उसकी भी अपनी भाषा होती है, जिस पर वह गर्व करता है। हिन्दी का प्रयोग भारत जैसे विशाल देश की प्रतिष्ठा की रक्षा के साथ बंधी है।

7 अप्रैल, 1984 : राजभाषा समारोह

7 अप्रैल, 1984 को राजभाषा-समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थी, इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सदस्या, श्रीमती कमला रत्नम् और अध्यक्ष थे, निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, श्री प्रेमचन्द गुप्ता। प्रमुख वक्ता में उस्मानिया विश्वविद्यालय के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, डा. रामनिरन्जन पाण्डेय, वर्तमान विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर, डा. (श्रीमती) ज्ञान आस्थाना तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के प्रोफेसर एवं केन्द्र प्रभारी डा. वी. रा. जगन्नाथन।

समारोह का प्रारंभ "निराला" के "वर दे वीणा वादिनि वर दे" के स्वर के साथ मुख्य अतिथि श्रीमती कमला रत्नम् जी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। इस अवसर पर निगम की राज-भाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, श्री आत्मकूरि रामचन्द्र राव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए निगम में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए जा रहे अनवरत प्रयत्नों की चर्चा की इस दिशा में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति, विभिन्न विद्वानों और सम्बद्ध अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्रीगोवर्धन ठाकूर के निगम में हिन्दी के प्रयोग बढ़ाने तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रबन्ध की ओर से किए गए प्रयत्नों तथा भावी योजनाओं से उपस्थित अतिथियों को परिचित कराया।

उक्त अवसर पर बोलते हुए डा. रामनिरंजन पाण्डेय ने कहा कि हमें, "राजभाषा समारोह" की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि हम राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। "जर्मनी, कनाडा या अन्य देशों की भाषा के लिए समारोह करने की आवश्यकता नहीं होती।"

डा. (श्रीमती) ज्ञान आस्थाना के विचार थे कि "एक छोटी लकीर होती है और एक बड़ी लकीर। बड़ी लकीर को छोटी लकीर को खत्म नहीं करना चाहिए, उसे बड़ी करनी चाहिए। ..... हम हिन्दी को अलग न करें, हम इसे भारतीय भाषाओं के साथ ही चलने दें तो हमारा विश्वास है कि हमारी दिक्कत अपने आप हट जाएगी।"

"हमारी मानसिकता में यह आ गया है कि अब तो सरकार का काम हो गया है कि हिन्दी का विकास करे, इसलिए शिथि-लता आ गई। परन्तु, सरकार कोई रिंग मास्टर नहीं है, जो कोड़े लगा-लगा कर हिन्दी का विकास करे।"

"हिन्दी किसी की मातृभाषा नहीं है। किसी प्रदेश की भाषा नहीं है। यह संपूर्ण राष्ट्र की भाषा है।"

डा. वी. रा. जगन्नाथन का कहना था कि, "हिन्दी पढ़ने की ओर हमारा ध्यान तब जाता है, जब हम अपनी मातृभाषा पर गर्व अनुभव करते हैं यह एक प्रकार से अपनी अस्मिता का सवाल है।"

श्रीमती कमला रत्नम् जी मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहती हैं" हममें समानता की बातें बहुत हैं, केवल उन्हें पहचानने की आवश्यकता है।" फिर कहती हैं "मेरी एक नहीं, सोलह भाषाएं हैं और उसके मूल में एक भाषा है जिससे ये विकसित हुई हैं--संस्कृत।"

नेशनल मिनरल में आयोजित डेवलपमेंट लि. हैदराबाद में आयोजित राजभाषा समारोह की एक झांकी

अन्त में निगम के अध्यक्ष, श्री प्रेम चन्द गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय भाषण में समारोह में उपस्थित अतिथियों का अभिनन्दन करते हुए निगम में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में किए गए कुछ विशेष प्रसंगों की चर्चा की। उन्होंने कहा--"हिन्दी का प्रयोग तभी बढ़ पाएगा, जब हमारे उच्च अधिकारी खुद पहल करें। उन्हें स्वयं छोटे-मोटे नोट लिखने तथा आम पत्र व्यवहार करने में हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस संबंध में आपने सभी विभागाध्यक्षों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्षों को लिखा था और मुझे प्रसन्नता है कि कुछ अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया है और वे खुद भी हिन्दी में थोड़ा-बहुत काम कर रहे हैं। हमें आशा है, जिन्होंने इस दिशा में प्रयास शुरू न किया है, वे भी आगे आएंगे।"

अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि "निगम में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के साथ ही हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी समारोहों, कवि-सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के आयोजन हर वर्ष काफी धूम-धाम के साथ किए जाते हैं। यह और भी प्रसन्नता की बात है कि निगम का मुख्यालय अहिन्दी भाषी क्षेत्र हैदराबाद में है, फिर भी हिन्दी के कार्यक्रमों में हमारे अपने कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी तो काफी उत्साह के साथ भाग लेते ही हैं, दूसरे संगठन भी इनमें काफी रुचि लेते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में नगरेद्वय (हैदराबाद---सिकन्दराबाद) के भारत सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों और संस्थानों तथा भाषा और साहित्य से रुचि रखने वाले अनेक व्यक्तियों के साथ-साथ हम कुछ बाहर के सम्बद्ध अधिकारियों को भी आमंत्रित करते हैं। हमारे इन कार्यकलापों का बड़ा ही अच्छा प्रभाव रहा है।"

समारोह के अन्त में अध्यक्ष महोदय ने विजयी कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किये।

निगम के सर्वकार्यभारी अधिकारी (राजभाषा), श्री ए. खालिक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह सम्पन्न हुआ।

□□□

9. मौसम विज्ञान के अपरमहानिदेशक (अनुसंधान), पुणे के कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधीनस्त कार्यालय, मौसम विज्ञान के अपरमहानिदेशक (अनुसंधान), पुणे में सरकारी काम-काज में टिप्पण और आलेखन में हिन्दी के प्रयोग का प्रशिक्षण देने के लिए दि. 20-2-1984 से 9-3-1984 तक एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन दि. 20-3-84 को मौसम विज्ञान के अपर-महानिदेशक (अनुसंधान), श्री एच. एम. चौधरी ने किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि काफी लम्बे समय से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते रहने के कारण हिन्दी में काम करना शुरू शुरू में थोड़ा कठिन अवश्य होगा; लेकिन यदि हम सब अपना उत्साह दिखाएं और यह निश्चय कर लें कि हम प्रतिदिन थोड़ा काम हिन्दी में करेंगे तो धीरे धीरे यह कठिनाई खत्म हो जाएगी। श्री चौधरी ने अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में ही करने का अनुरोध किया। तदुपरांत मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक (जलवायु विज्ञान तथा भू-भौतिकी), पुणे श्री नूतन दास ने हिन्दी कार्यशाला के उद्देश्य और उसमें दिए जाने वाले प्रशिक्षण व्याख्यानों पर प्रकाश डाला।

इस कार्यशाला में पुणे में स्थित मौसम विज्ञान विभाग के सभी कार्यालयों से 20 कर्मचारियों ने हिन्दी टिप्पण और आलेखन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। व्याख्यानकर्ताओं में विभाग के मुख्यालय के हिन्दी अधिकारी, डा. वीरेन्द्र सक्सेना नागर विमानन विभाग (मुख्यालय), दिल्ली के हिन्दी अधिकारी श्री कृष्ण कुमार शर्मा भी थे, जिन्होंने राजभाषा नीति और उसकी व्यावहारिक पहलुओं के बारे में दो-दो व्याख्यान दिए।

दि. 12-3-1984 को उक्त हिन्दी कार्यशाला का समापन समारोह मौसम विज्ञान के महानिदेशक, श्री एस. के. दास के शुभ-कमलों से सम्पन्न हुआ। महानिदेशक महोदय अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल कर इस समारोह के लिए नई दिल्ली से पुणे गए। समापन समारोह में बोलते हुए उन्होंने पुणे के अधिकारियों को बधाई दी कि उन्होंने हिन्दी स्टाफ के न होते हुए भी हिन्दी कार्यशाला को सफलता-पूर्वक सम्पन्न किया। उन्होंने कहा कि गैर-तकनीकी प्रकृति का बहुत-सा कामकाज बिना विशेष कठिनाई के हिन्दी में किया जा सकता है और कार्यशाला इस दिशा में काफी उपयोगी होगी। महानिदेशक ने सूचित किया कि संचार और नागर विमानन मंत्रालय के हमारे मंत्री महोदय राजभाषा के कार्य में काफी रुचि ले रहे हैं और हम भी यह प्रयत्न कर रहे हैं कि राजभाषा संबंधी कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन में कोई कमी न आने पाये। उन्होंने टिप्पण और आलेखन को बढ़ावा देने के लिए इस विभाग द्वारा लागू नकद पुरस्कार योजना पर भी प्रकाश डाला।

बाद में हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को महानिदेशक महोदय ने प्रमाण-पत्र वितरित किए। अन्त में श्री बी. बी. चक्रवर्ती स.मौ.वि. (प्रशा.) ने सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और प्रेम और सद्भावना के बीच समारोह की समाप्ति की घोषणा की।

—डा. वीरेन्द्र कुमार सक्सेना,
हिन्दी अधिकारी,
मौसम विज्ञान के महानिदेशक का
कार्यालय, लोधी रोड, नई दिल्ली

10. 'कलिका' के विशेषांकों का विमोचन

महालेखाकार -आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के कार्यालय से प्रकाशित होने वाली हिन्दी पत्रिका 'कलिका' के छठवें एवं गणतंत्र दिवस अंक का विमोचन समारोह कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में दिनांक 25-1-1984 को कार्यालय के समिति कक्ष में सम्पन्न हुआ।

श्री टी. सी. कृष्णन, महालेखाकार—प्रथम आं. प्र, ने समारोह की अध्यक्षता की तथा मुख्य अतिथि श्रीमती पद्मा, सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड, ने पत्रिका का विमोचन किया।

मुख्य अतिथि श्रीमती पद्मा ने अपने भाषण में कहा कि राजभाषा हिन्दी के विकास के लिए इस अहिन्दी-भाषी क्षेत्र में किया जा रहा यह प्रयास प्रशंसनीय है और उन्होंने यह उत्साह बनाये रखने को कहा।

कार्यक्रम की शुरुआत श्री अवधनाथ राय, लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-गीत से हुई।

श्री नरहर देव, लेखा परीक्षक, हिन्दी अनुभाग ने मुख्य अतिथि तथा श्रोतागणों का स्वागत किया और उन्हें समारोह के संबंध में संक्षेप में परिचय दिया। परिचय के बाद मुख्य अतिथि के द्वारा पत्रिका का विमोचन किया गया। पत्रिका के संपादक श्री गोपाल कृष्ण बीड़कर ने पत्रिका का संपादकीय लेख प्रस्तुत किया।

श्री नरहर देव लेखा परीक्षक, हिन्दी अनुभाग द्वारा महालेखाकार प्रथम, महालेखाकार-द्वितीय तथा 'कलिका' के पाठकों से प्राप्त शुभ-कामना संदेश पढ़कर सुनाये गये।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री टी. सी. कृष्णन, महालेखाकार ने कहा कि कलिका के प्रकाशन में किया जा रहा निरन्तर प्रयास और पाठकों से प्राप्त प्रशंसा-पत्र देख कर 'कलिका' के उज्ज्वल भविष्य का संकेत मिलता है।

श्रीमती रमामुरलि, वरिष्ठ उपमहालेखाकार द्वारा धन्यवाद किए जाने के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ।

—न. रामस्वामी, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

विविधा

1. अण्डमान निकोबार में हिन्दी

भारत की सभी भाषाओं के बोलने वाले व्यक्ति अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं और सबकी सम्पर्क भाषा हिन्दी है, जिसे वे अच्छी तरह बोलते और समझते हैं। यह बात अण्डमान निकोबार का दौरा करने के बाद प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संवाददाता सम्मेलन में कही थी। एक अवसर पर द्वीपों के राजभाषा पार्षद श्री नगेन हालदार (मातृ-भाषा बंगला) ने ठीक ही कहा था कि यदि हिन्दी न होती तो हम बंगाली अपने मद्रासी भाइयों के साथ बात कैसे कर पाते?

2. यद्यपि आरम्भ में उर्दू और अंग्रेजी का काफी बोल-बाला था, लेकिन हिन्दी की समुचित शिक्षा-दीक्षा भी जारी थी। 1957 के आसपास भारत सरकार ने ए.एन. बासू की अध्यक्षता में एक शिक्षा समिति नियुक्त की थी, जिसने इन द्वीपों का दौरा करके यहां की शिक्षा-व्यवस्था के संबंध में अनेक सिफारिशें भारत सरकार से की। इनमें से एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को इन द्वीपों की क्षेत्रीय भाषा माना जाए और उसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से कराया जाए। इसके पश्चात् 1962 के आसपास भारत सरकार का ध्यान द्वीपों की इस आवश्यकता की ओर गया कि अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग सरकारी कामकाज में भी क्रमशः कराया जाए। तब से लेकर आज तक अण्डमान प्रशासन इस बात का निरन्तर प्रयास कर रहा है कि हिन्दी का प्रयोग सरकारी कामकाज में तेजी से हो, क्योंकि संघ-राज्य क्षेत्र होने के नाते इन द्वीपों की राजभाषाएं वहीं हैं, जो संघ सरकार की हैं अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी।

3. इन द्वीपों में एक प्रदेश परिषद् की स्थापना हुई है, जिसे वहां की विधान सभा माना जा सकता है। इस परिषद् के अब तक 6 अधिवेशन हुए हैं और उनकी कार्यवाही शत-प्रतिशत हिन्दी में हुई है। जब कभी कोई वक्तव्य आदि अंग्रेजी भाषा में हुआ तो सदस्यों ने कहा—क्या कहा साहब, बिलकुल नहीं समझ आया। मेहरबानी करके हिन्दी में बताएं"। परिषद् के सभी सदस्यों की मातृभाषाएं भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन वे सब अपने विचार हिन्दी में ही प्रकट करते हैं। परिषद् सदस्य श्री ए.आर. मुदवानन न केवल परिषद् के उपाध्यक्ष हैं, अपितु सदन में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रभावी वक्ता भी हैं। श्री मुदवानन के मुहावरेदार सरल हिन्दी में दिए गए भाषणों की सभी ने सराहना की है।

4. अण्डमान के स्थानीय निवासियों की एक प्रतिनिधि संस्था है—लोकल बोर्न एसोसियेशन। इस संस्था ने 10 मार्च, 198 को इन द्वीपों में स्वाधीनता सेनानियों के आगमन की 125वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस अवसर पर उसने सरकार से अनुरो किया कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्या किया जाए। इसके अलावा हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए यहां संस्थाएं/व्यक्ति सक्रिय हैं, उनमें नव परिमल, हिन्दी साहि कला परिषद, श्री मदन मोहन सिन्हा 'मनुज' परिषद् सद श्रीमती जयदेवी, भूतपूर्व लोक सभा सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह, राजेन्द्र प्रताप सिंह तथा डा. ए. वी. बी. अय्यर आदि प्रम हैं।

यहां हिन्दी का पहला और एकमात्र अखबार 15 अग 1979 को निकलना आरम्भ हुआ, जिसका श्रेय तत्कालीन मु सचिव श्री अशोक जोशी को है। द्वीपों की साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था नव परिमल ने प्रथम काव्य संग्रह "कृति" अ प्रथम कथा-संग्रह "कथा-सेतु" का प्रकाशन किया है। इन स हिन्दी प्रेमी संस्थाओं और विद्वानों ने जनवरी 1982 में दी पर आई संसदीय राजभाषा समिति से सर्वसम्मति से अनुरो किया कि राजभाषा नियम, 1976 के अन्तर्गत इन द्वीपों भारत सरकार हिन्दी भाषी राज्यों के समान "क" श्रेणी शामिल करें। संघ-राज्य-क्षेत्र के प्रशासन ने भी इस मांग समर्थन किया है कि इन द्वीपों को 'क' श्रेणी में रखा जा हिन्दी यहां के आदिवासियों के बीच भी आम भाषा है। अण्ड लोकल बोर्न एसोसिएशन ने भी हिन्दी में एक कविता-संग्रह प्र शित किया है।

5. इन द्वीपों में कुछ अर्ध-सरकारी संस्थाएं सेवारत वे भी अपने कामकाज में अंग्रेजी के अलावा हिन्दी को एक भ स्वीकार कर चुके हैं। यही स्थिति वहां के न्यायालयों की अभी दण्ड न्यायालयों और सिविल न्यायालयों में अंग्रेजी के अल हिन्दी का भी प्रयोग होता है, क्योंकि अंग्रेजी के अतिरि देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को यहां के सिविल दण्ड न्यायालयों की भाषा 1959 में ही बना दिया गया था।

(अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन राजभाषा कक्ष द्वारा प्र शित पुस्तकों के आधार पर)।

—जगन्नाथ, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी प

2. रांची में राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन

सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, रांची के कार्यालय में दिनांक 20 फरवरी, 1984 से 5 मार्च, 1984 तक "राजभाषा पखवारा" के रूप में मनाया गया। इस पखवारा के अंतर्गत कर्मचारियों ने टिप्पण एवं मसौदा लेखन में हिन्दी का अत्यधिक प्रयोग किया। अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए हिन्दी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस पखवारा का समापन समारोह दिनांक 21 मार्च, 1984 को श्री टी. के. कृष्णदास, निदेशक की अध्यक्षता में मनाया गया। समारोह का संचालन श्री लक्ष्मीसिंह, लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशासन) ने किया। इस अवसर पर वर्ष 1983-84 में हिन्दी में अत्यधिक कार्य करने वाले तथा अच्छे निबंध लिखने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

—लक्ष्मीसिंह
लेखा परीक्षा अधिकारी (प्र.)

3. हैदराबाद में राजभाषा प्रदर्शनी

17 मई, 1984 को राजभाषा विभाग के सचिव, श्री राजकुमार शास्त्री और उपसचिव, श्री वी. पी. सिंह ने नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लि., हैदराबाद में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एक "राजभाषा-प्रदर्शनी" का भी आयोजन किया गया। राजभाषा सचिव के इस निरीक्षण से अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी का एक वातावरण बना है और राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में लगे कर्मचारियों का उत्साह बढ़ा है।

—गोवर्धन ठाकुर
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

4. नागपुर में राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैठक का आयोजन

नागपुर नगर में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में राजभाषा के सामी प्रयोग को गति देने की दृष्टि से बैंक आफ इण्डिया के योजन में राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक अस्थायी उपसमिति का ठन किया गया है एवं बैंकों की इस स्थायी उपसमिति की थम बैठक का आयोजन नागपुर जिले की अग्रणी बैंक, बैंक ाफ इण्डिया के तत्वावधान में दिनांक 26-5-1984 को किया या।

2. बैठक का आयोजन बैंक के नागपुर आंचलिक कार्यालय के राजभाषा कक्ष के प्रभारी अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी श्री एस. पी. गर्ग "सुमन" द्वारा किया गया। बैठक की अध्यक्षता उप-आंचलिक प्रबंधक श्री सी. एस. दिवे ने की। बैठक में बैंकों में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में कई पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई एवं कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव श्री राजकिशोर बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित थे।

—एस. पी. गर्ग "सुमन"
राजभाषा अधिकारी

5. बैंक आफ इण्डिया में आन्तर-बैंक हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता

बैंक आफ इण्डिया के नागपुर आंचलिक कार्यालय द्वारा दिनांक 19-5-1984 को एक आन्तर-बैंक हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के 21 वक्ताओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता की विशेषता यह थी कि सभी प्रतियोगियों को अलग-अलग विषय प्रतियोगिता के समय ही बताए गए थे।

प्रतियोगिता में भारतीय रिजर्व बैंक के श्री द्वा. प्र. पाण्डे सर्वप्रथम रहे, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पंजाब नेशनल बैंक के सर्वश्री ओ. आर. करोशिया एवं ओ. पी. व्यास को प्राप्त हुआ। बैंक आफ इण्डिया स्टाफ के लिए निर्धारित विशेष एवं अतिरिक्त पुरस्कार बैंक की गांधीवाद एवं नागपुर मुख्य शाखा के सर्वश्री वी. वी. मैराल एवं डी. बी. आसिया को प्राप्त हुआ। पुरस्कार वितरण बैंक के नागपुर अंचल के उप-आंचलिक प्रबंधक श्री ए. आर. प्रधान के हाथों सम्पन्न हुआ।

निर्णायकों में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के श्री राजकिशोर, हिन्दी अधिकारी सुप्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार श्री रज्जन त्रिवेदी एवं नागपुर शिक्षण महाविद्यालय के आचार्य डा. रामगोपाल सोनी थे। प्रतियोगिता का आयोजन बैंक के राजभाषा कक्ष के प्रभारी अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी श्री एस. पी. गर्ग "सुमन" ने किया।

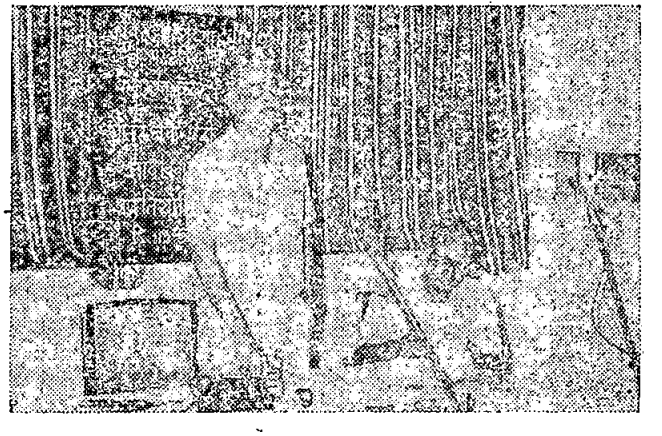

बैंक आफ इण्डिया नागपुर द्वारा आयोजित आन्तर-बैंक हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता में बोलते हुए उप-आंचलिक प्रबंधक।

6. आयुध निर्माणी वरनगांव में पंचम अखिल भारतीय हिन्दी कवि-सम्मेलन का आयोजन

दिनांक 28 अप्रैल, 1984 को आयुध निर्माणी वरनगांव में वार्षिक अखिल भारतीय हिन्दी कवि सम्मेलन की परम्परा में अगली कड़ी के रूप में पंचम अखिल भारतीय काव्य-पाठ समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिवर्षा की भांति ही यह समारोह स्थानीय केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् शाखा और

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। हास्य, व्यंग एवं ओज के देश के प्रख्यात कवियों सर्वश्री मधुर पाण्डेय (नागपुर), प्रदीप चौबे (ग्वालियर), कुंअर "बेचैन" (गाजियाबाद), वेद प्रकाश "सुमन" (मुरादाबाद) तथा वेद कुमार "राही" (वरनगांव) ने इस सम्मेलन में भाग लिया। महाप्रबन्धक श्री जे. जी. जगवाना के संक्षिप्त स्वागत भाषण के पश्चात् सायं 9.30 बजे काव्य-पाठ समारोह प्रारम्भ हुआ।

कार्यक्रम रात्रि 3.00 बजे समाप्त हुआ। भारी संख्या में उपस्थित श्रोताओं ने कार्यक्रम की महती लोकप्रियता प्रमाणित कर दी। इस कार्यक्रम की रिकार्डिंग पुनः 1 मई, 1984 को जलगांव आकाशवाणी केन्द्र द्वारा प्रसारित की गई।

कार्यक्रम के अंत में सचिव श्री राजकृष्ण दीक्षित ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। इस सम्मेलन से हिन्दी का वातावरण बनाने में बड़ी सफलता मिली है।

7. पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मण्डल

हिन्दी में सर्वाधिक कार्य के लिए 70 रेल कर्मचारी पुरस्कृत

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल के 70 कर्मचारियों को हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कारों का वितरण पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री हरीश चन्द्र शाह जगाती ने विगत 19 मई को रेलवे मनोरंजन केन्द्र, एशबाग, लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह में किया, जिसमें सभी श्रेणी के कर्मचारी सम्मिलित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री जगाती ने कहा कि पुरस्कार तो प्रतीक स्वरूप होते हैं। प्रश्न अपनी भाषा के प्रति निष्ठा का है। उन्होंने हिन्दी के प्रचार प्रसार में लखनऊ मण्डल के प्रयासों की सराहना की। प्रारम्भ में मण्डल राजभाषा अधिकारी ले. कर्नल श्रीराम अचल आर्य ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और अंत में हिन्दी अधीक्षक श्री जगतपति शरण निगम ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

कवि सम्मेलन

राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह के उपलक्ष्य में पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मण्डल के तत्वावधान में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में जिन कवियों ने भाग लिया, उनमें प्रमुख थे सर्वश्री शिव नारायण "निर्मोही" (बरौनी), अंसारी काबरी, कृष्ण नंद (कानपुर), नसीम साकेती (लखीमपुर), फूल सिंह "विमल" (बरेली), श्रीमती मधु त्रिपाठी, श्रीमती प्रमिला भारती, कु. विध्यवासिनी त्रिपाठी, बाड़म लखनवी, विकल गोण्डवी, रामबहादुर सिंह भदौरिया, सुभाष हुड़दंगी, राजेश विद्रोही, थम्मन सिंह "सरस", राजहंस मिश्र "दीपक", सदगुर लाल श्रीकान्त "मनुज" और चन्द्र भूषण त्रिपाठी (लखनऊ)।

8. वालतेरु मण्डल में हिन्दी सप्ताह

दिनांक 24-2-1984 एवं 25-2-1984 को रेलवे संस्थान वालतेरु में हिन्दी सप्ताह धूमधाम से मनाया गया। प्रथम दिन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री एस. गुरुशंकरन ने कहा कि इस वर्ष भी राजभाषा के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार में स्तुत्य कार्य करने के लिए हिन्दी भाषी क्षेत्रों की रेलों में इस रेलवे को "राजभाषा शील्ड" मिली है। इसके पूर्व भी 1978, 1979 और 1982 में भी यह शील्ड इसी रेलवे को मिली थी। इससे हमारी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। हमें आगे भी पूरा प्रयास करते रहना है। जिससे इस सम्मान को बनाये रखें। उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा से संबंधित कई ऐसे काम हैं - जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। छोटे-छोटे पत्र, अनुस्मारक, छुट्टी की अर्जी, लिफाफे पर पते, हस्ताक्षर आदि ऐसे ही काम हैं, जिनको करने से हिन्दी में लिखने की आदत पड़ेगी। राजभाषा अधिकारी श्री पी. जे. राव ने हिन्दी के प्रभागी प्रयोग से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री रमेश चन्द्र वर्मा ने अपनी व्यंग्यात्मक एवं मधुर भाषण शैली से वातावरण को सरस बना दिया। अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्री आर. पी. श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कहा कि जिस प्रकार अपने परिवार, गांव और क्षेत्र में मातृभाषा एवं प्रान्त में प्रान्तीय भाषा का महत्व है उसी प्रकार देश के लिए बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता। हिन्दी अधिकारी श्री कृष्ण कुमार धूसिया ने भी अपने विचार व्यक्त किये। तत्पश्चात् केन्द्रीय विद्यालय वालतेरु एवं विजय नगर कालोनी के छात्र-छात्राओं तथा स्थानीय कलाकार कुमारी एम. पुष्पावती, मा. डी. सूर्यनारायण मूर्ति, मा. एम. एन. प्रसाद, कु. के. रमादेवी एवं मा. डी. एस. एन. मूर्ति द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

दूसरे दिन एक भव्य समारोह में मण्डल रेल प्रबंधक श्री रमेश चन्द्र वर्मा ने हिन्दी वाक निबंध, आलेखन टिप्पण और प्रारूप लेखन तथा टंकण प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने 19 ऐसे कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया, जिन्होंने हिन्दी में अधिक एवं सराहनीय काम किया था। इसके पश्चात् डा. जे. एल. नायर, कुमारी राधा, श्री आर. लक्ष्मणराव एवं श्री एम. पी. विद्यालय, मरी पल्लम की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आकर्षक एवं भव्य आयोजन किया गया। अंत में जल रोड/वालतेरु के रेल कर्मियों ने "हम दोनों" एकांकी नाटक का सफल चयन किया।

—रामधारी सिंह यादव
सहायक हिन्दी अधिकारी, वालतेरु

9. बिलासपुर रेल मण्डल में हिन्दी सप्ताह

गत दिनांक 4 मई, 1984 को दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के "हिन्दी सप्ताह" का उद्घाटन देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि एवं आलोचक डा. रामकुमार वर्मा द्वारा नार्थ ईस्ट इंस्टीच्यूट में हुआ। इस अवसर पर आठ रेल कर्मी साहित्यकारों को नारियल, शाल एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर डा. वर्मा जी के हाथों सम्मानित किया गया तथा 15 रेल कार्यालयों को हिन्दी का अधिकतम उपयोग करने के उपलक्ष में सामूहिक नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्री आशुतोष कुमार बनर्जी ने रेल विभाग के कर्मचारियों के बीच राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार के संबंध में सम्यक् प्रकाश डाला। डा. वर्मा के साहित्यिक व्यक्तित्व एवं कृतित्व का सूक्ष्म आकलन किया और कहा कि सरकारी कामकाज को व्यापक रूप में लाने के लिए यह जरूरी है कि हम शुरुआत में सरस हिन्दी का प्रयोग करें और अहिन्दी भाषा भाषी साथियों को अपनी मातृ-भाषा के शब्दों को हिन्दी में बिना झिझक के इस्तेमाल करने में प्रोत्साहित करें। तदुपरान्त डा. वर्मा ने रेल कर्मियों एवं उपस्थित संभ्रान्त नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम गरिमा और जातीय सम्मान के लिए यह आवश्यक है कि हम अपना काम अपनी भाषा के माध्यम से सम्पन्न करें। इसके लिए जरूरी है कि हम उन मानसिक ग्रंथियों से मुक्त होकर, भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार का कार्य करें, जिनके कारण आज ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भाषा के सवाल को राजनैतिक विवाद का विषय बना दिया गया है। आपने आगे कहा कि हिन्दी में सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को व्यक्त करने की क्षमता है और इसका भंडार इतना विस्तृत है कि इसके अनेक शब्द विदेशों में गये हैं, जिनके अस्तित्व से हम बेखबर हैं। हिन्दी विश्व की बहुत ही समर्थ और मधुर भाषा है और देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक है। हिन्दी भाषा में तुलसी जैसा महान मनीषी कवि हुआ, जिनके "मानस" के रूसी अनुवाद की तीन लाख प्रतियां केवल दो महीने में बिक गईं। डा. वर्मा ने आगे कहा कि कोई भी देश किसी विदेशी भाषा के माध्यम से अपनी प्रगति में जन-सामान्य की हिस्सेदारी नहीं हासिल कर सकता। आपने यह आशा व्यक्त की कि देश के राष्ट्रीय आन्दोलन के समय, हिन्दी की जिन महापुरुषों ने राष्ट्र के सर्वांगीण उत्थान और राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक बताया था, उनकी भावनाओं का आदर करते हम छोटे-छोटे विवादों से ऊपर उठकर, हिन्दी के प्रचार-प्रसार और प्रयोग को बढावा देने के लिए कृत-संकल्प हों।

उन्होंने बिलासपुर रेल मंडल द्वारा रेल मंत्री राजभाषा शील्ड इस वर्ष जीतने के लिए कर्मचारियों के साथ श्री आशुतोष कुमार बनर्जी को बधाई दी।

डा. वर्मा के वक्तृत्व के उपरान्त गुरूदेव टैगोर रचित "काबुलीवाला" कहानी का नाट्य रूप रेल कर्मियों द्वारा अभिनीत किया गया। 5 मई को समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्रीमती जयश्री बनर्जी द्वारा हिन्दी वाक् प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, आलेखन एवं टिप्पण प्रतियोगिता के 38 विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। हिन्दी में काम करने वाले 143 रेल कर्मचारियों को भी नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। पुरस्कार वितरण के उपरान्त "स्वर्ग में कवि दरबार" का प्रदर्शन किया गया। इसमें भाग लेने वाले सभी कलाकार रेल कर्मचारी थे, जिन्होंने संत कबीर, महाप्रभु सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, राजरानी मीरा, रसखान, भूषण, गुरू गोविन्द सिंह, मिर्जा गालिब, हकीम मोमिन, श्री जयशंकर प्रसाद, श्रीमती सुभद्रा कुमार चौहान, श्री माखनलाल चतुर्वेदी एवं श्री रामधारी सिंह "दिनकर" की रचनाओं का सस्वर पाठ किया। कवि-दरबार का पद्यात्मक संयोजन महाकवि भूषण (श्री रवीन्द्र दीक्षित, हिन्दी प्राध्यापक) ने किया। इंस्टीच्यूट के खचाखच भरे हाल में श्रोताओं ने, जिनमें स्वयं डा. रामकुमार वर्मा भी थे, इस कार्यक्रम की अत्यधिक सराहना की। संभवतः इस क्षेत्र में यह अपने किस्म का सर्वप्रथम आयोजन था। डा. रामकुमार वर्मा अपने को नहीं रोक पाये और इस नवीन कार्यक्रम के आयोजन से अत्यधिक उल्लसित एवं प्रभावित होकर भावातिरेक में मण्डल रेल प्रबन्धक श्री बनर्जी को गले लगा लिया। समारोह की समाप्ति पर मण्डल राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक (टी) श्री मां. रंगाचारी ने आगत अतिथियों एवं श्रोताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। "हिन्दी सप्ताह" के इन दोनों दिनों के कार्यक्रम का संचालन हिन्दी अधिकारी श्री रामचरण कटारे ने किया।

—राजभाषा अधिकारी
एवं एयर मंडल रेल प्रबंधक (टी)
द. पू. रेलवे, बिलासपुर

10. आयकर आयुक्त, हरियाणा, रोहतक के कार्यालय में आठ दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

कार्यालय में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए आयकर प्रभारी, हरियाणा के रोहतक स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए आयकर आयुक्त, हरियाणा, रोहतक के कार्यालय परिसर में 23-4-1984 से 1-5-1984 तक एक आठ दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन आकाशवाणी केन्द्र, रोहतक के केन्द्र निदेशक श्री 'मुश्ताक अहमद 'राकेश' ने किया। उन्होंने बताया कि हिन्दी भारत के अधिकांश नागरिकों के सामान्य व्यवहार की भाषा तो बन चुकी है, लेकिन अभी तक सरकारी कामकाज की नहीं। हम सब हिन्दी जानते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने कार्यालयीन कामकाज में भी हिन्दी का प्रयोग करें।

इस कार्यशाला में कुल 14 प्रवक्ताओं ने 82 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के वरिष्ठ भाषा रूपान्तरकार श्री पी. एन. जोशी, राजस्व विभाग के उपनिदेशक, श्री आर. एन. सहाय, दिल्ली विश्व विद्यालय

के श्री राजेन्द्र गौतम, आयकर विभाग के निरीक्षण सहायक निदेशक (आसूचना) श्री अशोक मनचन्दा आदि प्रमुख हैं।

रोहतक में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए आयकर आयुक्त, हरियाणा, श्री चुन्नीलाल ।

कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए आयकर आयुक्त श्री चुन्नी लाल ने कहा कि हिन्दी एक ऐसी भाषा है, जो स्वतन्त्रता से पहले भी बिना किसी राज्याश्रय के अपनी सहज गति से विकसित हुई है। आज हिन्दी काश्मीर से कन्याकुमारी तक समूचे भारत वर्ष में बोली और समझी जाती है। बहुमत की भाषा होने के कारण ही सरकार ने इसको राजभाषा के रूप में अपनाया था। इसलिए हमें चाहिए कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में हम संकोच न करें। हां, इतना ध्यान अवश्य रखें कि हमारी हिन्दी सरल और सुबोध हो, क्लिष्ट न हो। नौटिंग-ड्राफ्टिंग में अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं और भारतीय स्थानीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपनाने में कोई संकोच न करें। इससे भाषा बिगड़ेगी नहीं, विकसित ही होगी।

कार्यशाला संयोजक ने राजभाषा हिन्दी के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए भारत सरकार की भाषानीति का परिचय दिया।

—कर्ण
हिन्दी अधिकारी,
आयकर आयुक्त का कार्यालय
हरियाणा (रोहतक)

11. भारतीय-कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की शाखा द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की शाखा द्वारा प्रति वर्ष भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्य से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, और वरीयता प्राप्त कर्मचारियों को वार्षिक समारोह में पुरस्कृत भी किया जाता है। ऐसा ही एक वार्षिक समारोह 30 जनवरी, 1984 को संस्थान के सभागार में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना थे, श्री मकवाना जी ने उक्त समारोह में, अधिक व्यस्त एवं अहिन्दी भाषी होने के बावजूद भी राष्ट्रभाषा के प्रति अपना प्रेम दर्शाते हुए आतिथ्य स्वीकार किया।

समारोह के आरम्भ में एक प्रश्न मंच का आयोजन किया गया, जिसकी मंत्री महोदय ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस प्रश्न मंच में संस्थान के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों की पांच टीमों ने भाग लिया, जिन्हें अंकों के आधार पर प्रथम व द्वितीय स्थान दिया गया। तत्पश्चात् संस्थान के निदेशक एवं शाखा के संरक्षक डा. प्रेम नारायण ने मंत्री जी का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हिन्दी के प्रति अपने असीम स्नेह की गहराई सिद्ध कर दी है। मंत्री जी ऐसे राज्य के निवासी हैं, जिसने स्वामी दयानन्द एवं महात्मा गांधी जैसी महान विभूतियां पैदा की हैं। जिन्होंने हिन्दी भाषा के माध्यम से जन-जन को जगाया और स्वतंत्रता आन्दोलन में अहम भूमिका निभायी। मकवाना जी भी एक महान सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम इनसे हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे।

शाखा मंत्री श्री चरण सिंह वर्मा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण के बाद मंत्री जी ने "हिन्दी प्रसारिका" नामक पत्रिका के प्रथम मुद्रित अंक का विमोचन किया तथा पुरस्कृत कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किये। इसमें संस्थान के लेखा अनुभाग को चल शील्ड भी प्रदान की गई, जिसमें वर्ष के दौरान हिन्दी में सबसे अधिक कार्य किया गया था। पुरस्कार वितरण के बाद मुख्य अतिथि ने संस्थान में हिन्दी की बढ़ती हुई प्रगति पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा—"हिन्दी के प्रथम उन्नायकों में हिन्दी प्रदेशों के लोग सबसे आगे आये। महर्षि दयानन्द और महात्मा गांधी गुजरात यानि मेरे प्रदेश से आये थे। सुभाष चन्द्र बोस बंगाली

थे, पर हिन्दी के प्रति उनके दिल में अनुराग था और यह बात आजाद हिन्द फौज में प्रचलित हिन्दी को देखकर कही जा सकती है। चक्रवर्ती राजाजी पहले हिन्दी के महान समर्थक थे, पर हिन्दी के अतिवादियों ने उन्हें हिन्दी का कट्टर विरोधी बना दिया।

उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अहिन्दी भाषी हूं, लेकिन मुझे हिन्दी सीखने में कोई कठिनाई नहीं हुई और मेरी पत्नि भी अच्छी हिन्दी जानती है। इसे प्यार से फैलाया जाये। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् यह काम बखूबी कर रही है। हम किसी पर भी जबरदस्ती हिन्दी थोपने के पक्ष में नहीं हैं।

मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं, जो हिन्दी को संस्कृतनिष्ठ बनाना चाहते हैं। यदि हिन्दी को सफल राष्ट्रभाषा बनाना है तो इसमें दूसरी भाषाओं के अधिक से अधिक शब्द पचाने होंगे। हिन्दी में जैसा पजामा (फारसी), लीची (चीनी), रिक्शा (जापानी), तोप (तुर्की), स्टेशन (अंग्रेजी) आदि शब्द आसानी से पच सकते हैं, उसी प्रकार अन्य भाषाओं के भी अधिक से अधिक शब्द हमें अपनाने चाहिए।

मंत्री महोदय ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि आज की पीढ़ी स्वयं हिन्दी के प्रति उदासीन है। वे अपना एक निजी अनुभव सुनाते हुए बोले--मैं एक बार दक्षिण की यात्रा पर था। गाड़ी मथुरा स्टेशन पर रुकी तो दो नौजवान चढ़े। वे आपस में बहुत ही गर्वपूर्वक अंग्रेजी बोल रहे थे। उनकी वेषभूषा आदि भी अंग्रेजीमय थी। जब मैंने उनसे महाभारत के बारे में पूछा तो वे बगलें झांकने लगे। अर्थात् आज का नवयुवक अपनी सांस्कृतिक विरासत से कटता जा रहा है, जो चिन्ताजनक स्थिति है।

उन्होंने अन्त में भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने इस महत्वपूर्ण विभाग में हिन्दी लाने का संकल्प किया है, जिसमें प्रमाण स्वरूप "हिन्दी प्रसारिका" का अंक जारी करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है।

--कुलदीप जैन, केन्द्रीय प्रतिनिधि,
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् शाखा, भारतीय कृषि
सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान,
लाइब्रेरी एवेन्यू, नई दिल्ली-12

12. उत्तरी सर्कल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून का वार्षिक हिन्दी समारोह

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उत्तरी निदेशालय, 17 ई. सी. रोड, देहरादून का नौवां वार्षिक समारोह दिनांक 6 जून, 1984 को सम्पन्न हुआ। इस समारोह में भारत के महासर्वेक्षक मेजर जनरल गिरीशचन्द्र अग्रवाल मुख्य अतिथि थे। समारोह की अध्यक्षता श्री गुरबख्श सिंह उबेराय, निदेशक ने की।

समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पश्चात् सरस्वती वंदना की गई। श्री वी. के. वर्मा, अधीक्षक सर्वेक्षक ने मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष का स्वागत किया। तत्पश्चात् सर्कल के हिन्दी अधिकारी ने वर्ष 1983 की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने वर्ष 1983 में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में की गई प्रगति से अवगत कराया तथा वर्ष 1984 के लिए निश्चित कार्यक्रमों के विषय में सरकारी नियमों/अधिनियमों की जानकारी देने के साथ-साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई। उन्होंने राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा नियम 1976 की मुख्य मदों एवं प्रावधानों एवं उनके कार्यान्वयन की स्थिति पर भी प्रकाश डाला।

हिन्दी अधिकारी ने बताया कि वर्ष 1983 में अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में काम करने का अभ्यास बढ़ाने के लिए दो कार्यशालाएं चलाई गईं। एक मसूरी स्थित कार्यालयों के लिए तथा दूसरी देहरादून स्थित कार्यालयों के लिए। इन कार्यशालाओं में 37 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया जिसमें सभी स्तर के अधिकारी शामिल थे। कार्यशालाओं के आयोजन से कर्मचारियों में हिन्दी में काम करने का अभ्यास बढ़ा है और झिझक दूर हुई है उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके साथ ही वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें की गईं जिनमें तिमाही रिपोर्टों की समीक्षाएं की गईं। साथ ही समय-समय पर केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय से प्राप्त आदेशों पर चर्चा की गई। इन आदेशों के कार्यान्वियन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। उन्होंने आगे बताया कि कुछ अपरिहार्य कारणों से वर्ष 1983 में अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण नहीं हो पाया इसलिए अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी में सबसे अधिक काम पाए जाने पर वर्ष 1982 में 2 आरेखन कार्यालय द्वारा जीती गई चल वैजयन्ती अभी उसी कार्यालय में रखने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1984 के निरीक्षण में जिस कार्यालय में सबसे अधिक कार्य हिन्दी में पाया जाएगा उसे चल वैजयन्ती प्रदान की जाएगी।

समारोह में उत्तरी निदेशालय एवं अधीनस्त कार्यालयों के उन कर्मचारियों को प्रमाणपत्र व नकद पुरस्कार दिए गए जिन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत परीक्षाएं पास की। इसके साथ ही वार्षिक उत्सव के उपलक्ष में निदेशालय स्तर पर कुछ प्रतियोगिताएं की गईं जिनमें (1) हिन्दी निबन्ध (2) हिन्दी वाद-विवाद (3) हिन्दी नोटिंग ड्राफ्टिंग (4) हिन्दी तकनीकी शब्दावली (5) हिन्दी टाइपिंग (6) हिन्दी स्वरचित कविता (7) हिन्दी सुलेख प्रतियोगिताएं प्रमुख थी। इनमें सुलेख प्रतियोगिता केवल 'ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए थी। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को भी पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिए गए। पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि मेजर जनरल अग्रवाल, भारत के महासर्वेक्षक के कर कमलों से सम्पन्न हुआ। समारोह को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से उत्तरी निदेशालय एवं अधीनस्त कार्यालयों ने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत

किए जिसमें स्वरचित कविताएं एवं एक लघु एकांकी नाटक प्रमुख था।

इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री गुरबख्श सिंह उबेराय, निदेशक उत्तरी सर्कल ने कहा कि हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की संख्या देखते हुए हिन्दी की प्रगति और हो सकती है परन्तु अभी इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारा कार्यालय 'क' क्षेत्र में आता है और राजभाषा नियमों के अनुसार 'क' क्षेत्र के वे सभी कार्यालय, जिनमें हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की संख्या 80% से अधिक है उन्हें अधिसूचित किया गया है और केन्द्र सरकार कभी भी ऐसे कार्यालयों को पूर्ण रूप से हिन्दी में काम करने को कह सकती है। अतः हमें इसके लिए तैयार रहना है। उन्होंने बताया कि इसी आशय से मसूरी स्थित एक अधीनस्थ पार्टी संख्या 23 का कार्यालय हिन्दी यूनिट के रूप में घोषित किया गया है। धीरे-धीरे और कार्यालयों के घोषित किए जाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

उन्होंने देवनागरी लिपि और भाषा के विषय में चर्चा करते हुए बताया कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि देवनागरी में समस्त भारतीय लिपियों को लिखने की क्षमता है और देवनागरी के माधम से हम सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं को लिप्यन्तरण कर सकते हैं तथा सीख सकते हैं और यह राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता के लिए आवश्यक भी है। अतः आज इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि देवनागरी का मानक रूप निश्चित किया जाए एवं देवनागरी से समस्त भारतीय भाषाओं के लिप्यन्तरण की सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत थोड़े से परिवर्तन की आवश्यकता देवनागरी लिपि में हैं ताकि सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं की ध्वनियों को इसमें लिखा जा सके। यदि यह सुविधा सुलभ हो जाए तो हमारे देशवासी देवनागरी के माध्यम से समस्त भारतीय भाषाओं को आसानी से सीख सकेंगे इससे आपसी संपर्क बढ़ेगा ही व एकता की भावना भी आएगी साथ ही साथ एक दूसरे साहित्य का ज्ञान भी होगा।

उन्होंने कहा कि देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए हिन्दी को उदार बनाना होगा। जिसके लिए देवनागरी लिपि में अन्य भारतीय भाषाओं के तथा अंग्रेजी के आम प्रचलित शब्दों को ले लेना चाहिए इससे भाषा समृद्ध भी होगी और हर प्रान्तवासी को समझने में आसानी भी होगी। उन्होंने उदाहरण दिया कि अंग्रेजी भाषा में भी कई हिन्दुस्तानी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और उन शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोशों में स्थान दिया गया है जैसे सिपाई, चारपाई, मुन्सी, कच्चा, पक्का, आदि। इस प्रकार विश्व की सभी भाषाओं में आगत शब्द बेखबी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने स्पस्ट किया समस्त भारतीय भाषाओं का मूल एक ही रहा है। इसलिए बहुत से शब्द सभी भाषाओं में मिलते हैं भले ही काल समय एवं उपयोग की दृष्टि से उनमें कुछ परिवर्तन आ गया हो फिर भी भाषा में थोड़ी उदारता से काम लेकर एकरूपता एवं सरलता लाई जा सकती है।

एकरूपता के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व हिन्दी सम्मेलन की समिति द्वारा प्रकाशित एव्व पत्रिका में उन्होंने देखा कि तिरुअनन्तपुरम के लिए त्रिवेन्द्रम व तिरुअनन्तपुरम लिखा हुआ था। जब कि दो तरह से लिखा गया स्थान एक ही है परन्तु किसी विदेशी या देशी अनजान व्यक्ति के लिए ये दो स्थान होने का भ्रम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देवनागरी में भौगोलिक नामों का मानकीकरण किया जाना आवश्यक है और देवनागरी में मानकीकृत नामों से रोमन में लिप्यन्तरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार देवनागरी के मानकीकृत-रूप को ही प्राधिकृत माना जाना चाहिए।

श्री उबेराय ने समस्त उपस्थित समुदाय से अपील करते हुए कहा कि हिन्दी को आगे बढ़ाने का काम हम सभी का है और यह कार्य हमें जिम्मेदारी समझ कर राष्ट्रीय भावना से करना चाहिए न कि किसी लालच या प्रेरणा की वजह से। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय भावना से जो काम किया जाता है उसमें आनन्द के साथ-साथ सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रेरणा व लालच की दृष्टि से ही कार्य नहीं करना चाहिए अपना कर्तव्य समझकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा

सुन्दरता से किया गया सही जो भी काम आप करें उसमें ईमानदारी, सूझ-बूझ व भाई चारे की भावना परस्पर प्रेम से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी वर्ग को इसके लिए हल करना चाहिए चाहे उसमें उन्हें कठिनाई ही क्यों न हो।

उन्होंने मेजर गिरीशचन्द्र अग्रवाल, भारत के महासर्वेक्षक का धन्यवाद दिया उन्होंने अपना व्यस्त समय निकाल कर मुख्य अतिथि होना स्वीकार किया और उत्तरी सर्कल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उत्साह बढ़ाया।

मुख्य अतिथि मेजर जनरल गिरिशचन्द्र अग्रवाल, भारत के महासर्वेक्षक ने इस अवसर पर कहा कि समारोह में प्रस्तुत सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे और उन्होंने आनन्द विभोर होकर सभी कार्यक्रमों को देखा व सुना। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उत्तरी सर्कल हर वर्ष सालाना समारोह आयोजित करता है और अब तक नौ समारोह आयोजित कर चुका है। उन्होंने कहा कि हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार के आयोजन आवश्यक है। इससे कर्मचारियों में सहयोग की भावना तथा उत्साह एवं प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों के सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 'क' क्षेत्र के कुछ नगरों में जिसमें देहरादून भी शामिल है केन्द्र सरकार हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रयास करेगी। यहां पर यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि भारत के महासर्वेक्षक मेजर जनरल अग्रवाल देहरादून स्थित सभी केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी प्रतिष्ठानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के लिए गठित 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति' के भी अध्यक्ष हैं। जिसकी बैठक वे प्रत्येक छः माह में एक बार बुलाते हैं और राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में चर्चा करते हैं तथा उसमें जो कठिनाइयां आती हैं उनमें निराकरण के विषय में विचार विमर्श करते हैं। मुख्य अतिथि मेजर जनरल अग्रवाल ने कहा कि 'क' क्षेत्र में होने के कारण हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि हमारा विभाग केन्द्रीय सरकारी विभाग है और हर प्रांत के निवासी इसमें काम करते हैं अतः हमें अत्यन्त सरल सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कुछ कर्मचारी हिन्दी में पारंगत हों और उत्कृष्ट साहित्यक हिन्दी लिखने में सक्षम हों लेकिन तब भी आसान व सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो कि आम हिन्दुस्तानी लोग समझते हों। उन्होंने कहा कि यह हमारा राष्ट्रीय काम है और इसे देश सेवा व निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कुछ नक्शे हिन्दी में भी छापे गये हैं और यह प्रयास जारी है कि कुछ और मानचित्र भी हिन्दी में छापे जाएं। महासर्वेक्षक महोदय ने कहा कि नक्शे हिन्दी में छापने के संबंध में यदि किसी के पास ठोस सुझाव हों तो वे हमें बताएं हम उपयुक्त सुझावों को लागू करने के बारे में विचार करेंगे। उन्होंने इस अवसर पर यह विचार व्यक्त किया कि जब वे अगली बार इस तरह के

(शेषांश पृष्ठ 99 पर देखें)

13. अब्जर्वेशन सरकिट पर

हिन्दी मनीषी

—जग्गीलाल सिंघल

[राजभाषा का सृजनात्मक रचनाधर्म के रूप में उपयोग करने का प्रयोग किया है आगरे में डाकतार विभाग के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी श्री जग्गीलाल सिंघल ने। आगरा टेलीफोन्स जिला की पत्रिका विवरणीका से साभार इसे प्रकाशित किया जा रहा है।]

"महानिदेशक, डाक-तार विभागीय श्रोतों का समुचित दोहन करके आय-वृद्धि सुनिश्चित करने में विशेष रुचि रखते हैं। मुख्यतः दूर साधनों को अधिकाधिक प्रयोग जन्य बनाने पर बल दिया है। समस्त अधिकारी इस दिशा में समुचित कार्यवाही करके परिणाम की सूचना प्रेषित करें"।

मंडलीय अभियंता टेलीफोन आगरा महा-निदेशक डाक-तार के परिपत्र के संदर्भ में क्रमशः समस्त भूमिस्थ केबिलों को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कराने का आदेश प्रचारित करते हैं। क्रमशः सरकिट आब्जर्वेशन पर रख दिये जाते हैं।

मंडलीय अभियंता—

मैं .....बोल रहा हूं परीक्षण की क्या प्रगति है।

सहायक अभियंता—

श्रीमान.....वो टेस्ट में परफेक्ट मिले हैं।

मंडलीय अभियंता—

आधी हिन्दी आधी अंग्रेजी बोलना छोड़ो। मंडलीय हिन्दी परिषद् के आप तो कर्मठ सदस्य हो।

सहायक अभियंता—

ठीक है साहिब भविष्य में सचेष्ट रहूंगा, मुझे एक बड़ी विचित्र रिपोर्ट मिली है।

मंडलीय अभियंता—

(सतर्कता से) क्या विचित्र रिपोर्ट है? क्या कोई सरकिट मिसिंग है।

सहायक अभियंता—

नो सर, समथिंग वैरी स्ट्रेन्ज।

मंडलीय अभियंता—

(हंसकर) मिस्टर अब तो आप प्यारे अंग्रेजी में उतर आए।

सहायक अभियंता—

(नमृता से) क्षमा करें सुधार का प्रयत्न करूंगा।

मंडलीय अभियंता—

हां विचित्रता तो बताओ।

सहायक अभियंता—

हमारे सरकिट पैररेल सरकिट की ग्रिप में हैं।

मंडलीय अभियंता—

मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा।

सहायक अभियंता—

हमारे सरकिट तो हिन्दी कवियों के प्रयोग में आ रहे हैं और रवेन्यू तथा इफेक्टिव काल का परसैन्टेज डाउन जा रहा है।

सहायक अभियंता—

मुझे थू करो (कान लगा कर सुनते हैं) "कबिर जू का भयो बातन को क्रम कैसे टूट्यो।"

कबीर—

जे हम का जानें तुम्हारी जे दोहा मोहि अति नीको लागे।

रहीम—

कौन सौ।

कबीर—

चित्रकूट में रमि रहे रहिमन अवध नरेश।
जापै विपदा परति है सौ आवत एहि बैस।।

तुलसी—

कबीर जी ज्यातै हू उत्तम है
दैन हार कोऊ और है देत रहत दिन रैन।
लोक भरम हम पै धरें तातें नीचे नैंन।।

कबीर—

तुलसीदास जो आप भक्त शिरोमनि हो आपके कहा कहने हैं।

रहीम—

कबीर साहब तुलसीदास तो साहित्य सिरोमनि हैं इनकी ये पंक्ति मोकूं सुहावे।

दूलह श्री रघुबीर बनै दुलही सिय सुन्दर मन्दिर मांही
राम को रूप निहारति जानकी कंगन के नग की परछांही

कबीर—

हमारे मन की बूझौ तो, रहीम जी सुनो
उभय बीच श्री सोहति कैसे।
ब्रह्म जीव बिच माया जैसे।।

मंडलीय अभियंता—

लाइनें पर हो न। क्या किसी कालिज में कवि दरबार हो रहा है?

सहायक अभियंता—

नहीं साहब इसमें तो.... सरकिट एक साथ इनटौ... है?

मंडलीय अभियंता—

आल राइट कैरी आन

बिहारी—

का भयौ रसलीन जी

रसलीन—

अपना कहा जानै जे कौन उत्पात करिके विघ्न डारि राह्यौ ह...

बिहारी—

मोकूं तुम्हारी कृति में
अमिय हलाहल मद भरे स्वेत श्याम रतनार।
जियतमरत झुकि-झुकि परत जैहि चितवत एक बार।

हरिश्चन्द्र—

बिहारी जी
कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटि छीन
ये अधूरो दोहा किनको रह्यो?
अधूरो तो दोहा तो और हू है
"झूठी चावरि खात है कारी बायस स्वान।।"

बिहारी—

पूर्ति करिये भूषण जी।

भूषण—

बिहारी जी गुरू हमें तो सुधि नाहें हां तुम्हारो दोहा ह... बीधि गयौ है

बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई।
सोह करे मौंहन हंसै दैन कहे नटि जाइ।।

गंग—

हमें तो हरिश्चन्द्र की प्रथम रचना ही रटि गई है।
लै ड्योढ़ा ठाड़े भए श्री अनिरूद्ध सुजान।
बानासुर की सैन कूं हनन लगे हनुमान।।

रत्नाकर—

गंग जी आपके अन्तिम कवित्त ने कवीन के स्वाभिमान ... अमर करि दीनो।

देवन को दरबार जुर्यो तहां पिंगल छंद बनाइ कें गायो
काहू पै अरथ कह्यो न गयो तब नारद एक प्रसंग चलायो
भारत मो एक गंग गुनी और गंगको नाम सभा में सुनायो
चाह भई परमेसुर कूं तब गंग कूं लैन गनेस पठायो।।

साल—

मैं सब सुनि रह्यौ हूं कैसी रस छाइ रह्यौ है

मैथिलीशरण—

जस बीती राज राज पै तस बीती अब जाइ।
वाजी जाति बुंदेल की राखौ वाजी राइ।।

तुम्हारी पाती सदा सराही जावेगी

चन्द वरदाई—

मोकूं बूढ़ौ मति समझि बैठौ मैं हूं सुनि रह्यौ हूं

जयशंकर प्रसाद—

चन्द्र जी आप हिन्दी के आदि कवि हो

चारि बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमान।
ताऊपर सुल्तान है मति चूकै चौहान।।

...र कूं विदित है।

सूर—

बृजस्थली में आप कवीश्वर जुरे हो मैथिलीशरण की रचना सुनाऊं जिसने हिन्दी को गौरव बढ़ाया

मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती।
भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती।।

मंडलीय अभियंता—

मैं समझ नहीं पा रहा यह कहां-कहां के प्रसंग आ रहे हैं। ऐसा लगता है टैली आपरेटरों को हिन्दी साहित्य से विशेष अनुराग हो गया है और मनोरंजन हेतु हिन्दी के सहारे सरकिट ...ट करते हैं।

सहायक अभियंता—

इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ।

मंडलीय अभियंता—

तो क्या हो सकता है

सहायक अभियंता—

आप लाइन पर रहें

मैथिलीशरण—

ये वार्तालाप में विघ्न न जाने कैसे हो रहा है। जयशंकर प्रसाद ने मुझसे कहीं श्रेष्ठ रचना की है।

हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती।
स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती।।

तुलसी—

सूर जी दिनकर की कोई रचना सुनाइये

सूर—

दिनकर की रचना तो भूषण के स्वर में सुनें तौ वीररस जागेगो।

विभिन्न टैक्नीकल सम्भावनाओं की पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखकर आब्जर्वेशन नोट की समीक्षा के विश्लेषण में टिप्पणी की गई।

टैलीफून कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति स्नेह, अनुराग, गम्भीर चिन्तन और गहन अध्ययन के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। संवाद कला में प्रवीणता प्रदर्शन हेतु यथा-सम्भव अपनी क्षमता प्रदर्शित करते हैं अथवा हिन्दी महारथी हिन्दी की प्रगति जानने हेतु पितृ-पक्ष में सम्मेलन करते हैं। शंका यथावत है। आब्जर्वेशन पुनः होगा।

22 पी. एण्ड टी. कालोनी, आगरा।

(पृष्ठ 97 का शेषांश)

समारोह में आएंगे जो उन्हें और प्रगति देखने को मिलेगी। अन्त में उन्होंने निदेशक, उत्तरी सर्कल तथा अधिकारियों कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।

इस समारोह में उत्तरी सर्कल के सभी वर्ग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के देहरादून स्थित अन्य कार्यालयों के सभी अधिकारी वर्ग ने भाग लिया।

समारोह की सफलता के लिए समारोह समिति की ओर से सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया गया। धन्यवाद निदेशालय के उप-निदेशक श्री कैलाश नारायण सक्सेना ने दिया जिसमें उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी सदस्यों, कार्यकर्ताओं तथा मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट किया।

—रमेश कुमार चमोली
हिन्दी अधिकारी, उत्तरी सर्कल
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।

आदेश : अनुदेश

सांख्यिकी विभाग में अपने विभिन्न कार्यालयों के हिन्दी नाम रोमनलिखित में निर्धारित कर दिए हैं। इसकी सूचना सभवतः उपयोगी होगी, अतएव उसे प्रकाशित किया जा रहा है।

ई-15011ह3/84-हिन्दी

भारत सरकार

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

8, दीप शिखा भवन, राजेन्द्र प्लेस,

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 84

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—सांख्यिकी विभाग के विभिन्न कार्यालयों के हिन्दी नामों के प्रचलन हेतु रोमन लिपि का प्रयोग।

अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 7 मई, 1984 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या-3 के संदर्भ में सांख्यिकी विभाग के विभिन्न कार्यालयों के हिन्दी नामों के प्रचलन हेतु रोमन लिपि के प्रयोग के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि अंग्रेजी में किए जाने वाले पत्र-व्यवहार में सांख्यिकी विभाग के विभिन्न कार्यालयों के हिन्दी नाम रोमन लिपि में निम्न प्रकार से लिखा जाएं :—

योजना मंत्रालय	Yojana Mantralaya
सांख्यिकी विभाग	Sankhyiki Vibhag
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	Kendriya Sankhyikiya Sangathan
राष्ट्रीय लेखा प्रभाग	Rashtriya Lekha Prabhag
समंक विधायन प्रभाग	Samank Vidhayan Prabhag
समंक विधायन केन्द्र	Samank Vidhayan Kendra
सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग	Sarvekshan Abhikalp Avam Anusandhan Prabhag
संगणक केन्द्र	Sanganak Kendra
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	Rashtriya Pratidarsh Sarvekshan Sangathan
क्षेत्र संकार्य प्रभाग	Kshettra Sankarya Prabhag
औद्योगिक सांख्यिकी पक्ष	Auddyogik Sankhyiki Paksh
क्षेत्रीय कार्यालय	Kshettriya Karyalaya
उप-क्षेत्रीय कार्यालय	Up-Kshettriya Karyalaya
आंचलिक कार्यालय	Anchalik Karyalaya
आर्थिक विश्लेषण प्रभाग	Arthik Visleshan Prabhag
भुगतान एवं लेखा कार्यालय	Bhugtan avam Lekha Karyalaya

हस्ता०
जोगेन्द्र सिंह
अवर सचिव, भारत सरका

वैज्ञानिकी तथा औद्योगिकी की हिन्दी पुस्तकों का सांख्यकीय विवरण 1966–1980

	विषय	मौलिक पुस्तकें	अनूदित पुस्तकें	कुल पुस्तकें
1	सामान्य विज्ञान	159	18	177
2	गणित	314	29	343
3	खगोल विज्ञान	57	18	75
4	भौतिकी	236	77	313
5	रसायन विज्ञान	230	27	257
6	भूविज्ञान	77	24	101
7	जीवाश्मविज्ञान	2	1	3
8	मानवविज्ञान	84	32	116
9	वनस्पति विज्ञान	113	16	129
10	प्राणि विज्ञान	105	24	129
11	प्रौद्योगिकी	23	15	38
12	चिकित्सा विज्ञान	453	83	536
13	अभियांत्रिकी	261	47	308
14	कृषि विज्ञान	386	42	428
15	गृह विज्ञान	112	8	120
16	व्यवसाय और व्यवसाय पद्धति	114	7	121
17	रासायनिक शिल्प विज्ञान	59	1	60
18	औद्योगिक निर्माण	30	2	32
19	शिल्प उद्योग	28	0	28
20	भवन निर्माण उद्योग	28	3	30
	कुल	2870	474	3344

—वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रकाशित हिन्दी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशन निदेशिका से साभार

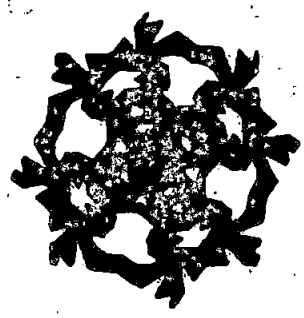

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री ज. ल सिंह द्वारा, लोकनायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।